दशम माला, खंड 2, अंक 20

मंगलवार, 6 अगस्त, 1991
15, श्रावण 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 2 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 6 अगस्त, 1991 / 15 श्रावण 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
25	नीचे से पंक्ति 5	"रामनाथापुरम" के स्थान पर "रामनाथपुरम" पढ़िये।
28	6	"रेल" के स्थान पर "रेलवे" पढ़िये।
35	11	"द" के स्थान पर "में" पढ़िये।
35	नीचे से पंक्ति 5	"कोड्डीकुलीन" के स्थान पर "कोड्डीकुनील" पढ़िये।
36	15	"नाइक" के स्थान पर "नाईक" पढ़िये।
37	15	"पेट्रोल और पेट्रोल-उत्पादों का आयात" के स्थान पर "पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों का आयात" पढ़िये।
46	16	"ज्योंझार" के स्थान पर "क्योंझर" पढ़िये।
69	8	"कुमादी उमा भादरी" के स्थान पर "कुमारी उमा भारती" पढ़िये।
76	17	"सन्नान" के स्थान पर "हन्नान" पढ़िये।
77	10	"भंटनो" के स्थान पर "बटनी" पढ़िये।
77	11	"श्री हरकेवल" के स्थान पर "श्री हरिकेवल" पढ़िये।
85	15	"उत्पादकों" के स्थान पर "उत्पादों" पढ़िये।
89	4	"फारनेस आयल" के स्थान पर "फरनेस आयल" पढ़िये।
98	10	"दोर्ड" के स्थान पर "बोर्ड" पढ़िये।
108	11	"अ:धुनिकीकरण" के स्थान पर "आधुनिकीकरण" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
109	8	"रेल" के स्थान पर "रेलवे" पढ़िये।
154	4	"श्री प्रकाश बापू वसन्तराव पाटील" के स्थान पर "श्री प्रकाश . वी. पाटील" पढ़िये।
160	17	"गैर तरकारी" के स्थान पर "गैर-सरकारी" पढ़िये।
161	5	शीर्षक से पूर्व "भूतपूर्व" स्थापित कीजिए।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

दशम माला, खण्ड-2 पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 20, मंगलवार, 6 अगस्त, 1991/15 श्रावण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 307 से 310, 312 और 314	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—161
तारांकित प्रश्न संख्या : 306, 311, 313 और 315 से 325	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1726 से 1955	
बैंक आफ क्रेडिट एंड कामर्स इन्टरनेशनल के बारे में	161—172
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	172—177
मंत्री द्वारा वक्तव्य	177—178
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा में की गई तेल की खोज	
राज्य सभा से सन्देश	178
(एक) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक	
(दो) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखे गए	
बजट (सामान्य), 1991-92—सामान्य चर्चा	178—201
श्री मनमोहन सिंह	
नियम 377 के अधीन मामले	201—204
(एक) राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में पानी जमा होने के कारण प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री बीरबल	20पु—202

किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभी में उस प्रश्न को उस ही ... ने पूरा था ।

विषय	पृष्ठ

(दो) कर्नाटक की विजयनगर इस्पात परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा — 202

(तीन) उड़ीसा में डब घाटी में झारसगुड़ा के निकट हिरमा में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित जाने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही — 202

(चार) हैदराबाद का दर्जा बढ़ाकर "महानगर" किए जाने और इस प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री दत्तात्रेय बंडारू — 203

(पांच) आगरा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने और उसे एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक नगर घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री भगवान शंकर रावत — 203

(छह) उड़ीसा में जाजपुर को पर्यटन महत्व का स्थान घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री आनादि चरण दास — 203—204

(सात) पश्चिम बंगाल में आंत्र-शोथ की बढ़ती हुई बीमारी के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पलास बर्मन — 204

(आठ) बरहामपुर विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों को शुरू करने की योजना का शीघ्रता से क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपी नाथ गजपति — 204

दिल्ली नगरपालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक — 205—231

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री गिरधारी लाल भार्गव — 205—207

श्री एम० एम० जैकब — 207—209

श्री मदन लाल खुराना — 209—211

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही — 212—213

श्री सैयद शाहाबुद्दीन — 213—217

श्री तरित बरण तोपदार — 217—219

श्री मनोरंजन भक्त — 219

विषय	पृष्ठ
श्री दाऊ दयाल जोशी	220—221
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	221—222
श्री सैफुद्दीन चौधरी	222—223
श्री मोहन सिंह	223—224
श्री सूर्य नारायण यादव	224—225
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम० एम० जेकब	225—232
जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन (दूसरा संशोधनकारी) विधेयक	233—274
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री भोगेन्द्र झा	232—236
श्री एम० एम० जैकब	236—238
श्री दाऊ दयाल जोशी	238—241
श्री अयूब खां	241—244
श्री सूर्य नारायण यादव	244—245
श्री मदनलाल खुराना	245—250
श्री सेफुद्दीन चौधरी	250—254
श्री रमेश चेन्नितला	2 4—257
प्रो० प्रेम धूमल	257—260
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	260—266
श्री गिरधारी लाल भार्गव	266—267
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	267—269
प्रो० रासा सिंह रावत	268—270
श्री एस० बी० चह्वाण	270—272
श्री भोगेन्द्र झा	272—274
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्साव	
श्री एम० एम० जैकब	274

लोक-सभा

मंगलवार, 6 अगस्त, 1991/15 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े का नवीकरण

+

*307. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के पुराने विमानों के बेड़े पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विमान बेड़े में सभी पुराने विमानों के स्थान पर नए विमान शामिल करने के दीर्घकालीन कार्यक्रम का का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० ओ० एच9 फारूक) : (क) से (ग) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े सम्बन्धी आवश्यकताओं की लगातार समीक्षा की जाती है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दोनों को हाल ही में निदेश दिए गए हैं कि वे बेड़े के नवीकरण के लिए दीर्घकालीन भावी योजना तैयार करें। योजना प्रस्तुत किए जाने और उस पर विचार किए जाने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : महोदय, कुछ दिन पहले एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के पुराने पड़ गए विमानों के बेड़े के सम्बन्ध में मन्त्री जी ने गहरी चिंता व्यक्त की थी। अभी अपने उत्तर में भी उन्होंने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को निर्देश दिया है कि अपने विमानों के बेड़े का नवीकरण करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाएं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इन पुरानें विमानों के बेड़े का नवीकरण करने के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स क्या आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, उक्त योजना जल्दी ही प्रस्तुत की जाएगी और हम इस पर निर्णय लेंगे।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या कदम उठाए हैं ? ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : निर्णय लिया जाना है।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न एयरबस ए-320 के सम्बन्ध में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ए-320 विमानों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है। पहले ही यह विमान बंगलौर में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और एक-दो बार इसे तकनीकी गड़बड़ियों के कारण आपात स्थिति में उतरना पड़ा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि एयरबस ए-320 के कार्यनिष्पादन में सुधार और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यदि आप उत्तर देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से जुड़ा नहीं है फिर भी एयरबस ए-320 के सम्बन्ध में जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें मैं दूर कर देना चाहता हूं। जहां तक इसके कार्यनिष्पादन का प्रश्न है पूरी दुनिया को पता है कि यह विमान वायुयान तकनीकी क्षेत्र में आधुनिकतम है और इसमें खराबी नहीं है। रामदास समिति ने बंगलौर दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की है और समिति ने मुख्य रूप से पायलट द्वारा की गई गलतियों का उल्लेख किया है। लेकिन इसके अलावा इसमें कतिपय अन्य सुधार करने की सिफारिशें भी की गई हैं। उन सभी को लागू कर दिया गया है। वास्तव में, जहां तक विमान का सम्बन्ध है इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। छोटी-मोटी अप्रत्याशित गड़बड़ियां सभी तरह के विमानों में पैदा होती रहती है और उसके बारे में कोई चिंता की बात नहीं है। एयरबस ए-320 बहुत ही सुरक्षित विमान है और जैसाकि हमने अभी कहा है कि इसमें आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग किया गया है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि हमारे मानदंड की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विमान का कार्यकाल कितना होता है ? और एक विमान का कार्यकाल कैसे निर्धारित किया जाता है ? यह वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है अथवा कुल उड़ान घण्टों के आधार पर ?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, हमारे पास मिला-जुला विमानों का बेड़ा है अन्तर्राष्ट्रीय स्तर एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। जहां तक हमारे विमानों का सम्बन्ध है हम इसे 15 से 20 वर्ष तक प्रयोग में लाते हैं। यही हमारा निर्धारित लक्ष्य है।

[हिन्दी]

श्री शंकरजी लक्ष्मणजी वघेला : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि एयरबसों का कितने समय तक उपयोग नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ी रहीं। इससे सरकार को कितना घाटा हुआ। आज क्या स्थिति है, कितनी एयरबसें खड़ी हुई हैं और उनके खड़े रहने की क्या वजह है : क्या पायलटों की कमी है या ट्रेंड पायलट नहीं हैं। आज तक ए-320 एयरबसें जितने समय तक खड़ी रहीं, उसकी वजह से कुल कितना नुकसान हुआ और खड़ा करने की क्या वजह है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न भी मुख्य प्रश्न से किसी तरह जुड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न क्षमता-उपयोग के नियोजन के सम्बन्ध में है।

श्री शंकरजी लक्ष्मणजी वघेला : महोदय, यह एयर इंडिया की पुरानी पड़ गई विमानों के संबंध में है।

श्री माधवराव सिंधिया : जब हम इस विषय पर खुलकर चर्चा कर ही रहे हैं तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न किया था वह मुख्य प्रश्न से नहीं जुड़ा था फिर मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया है। इस तरह यदि सभी पूरक प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करूं तो ···(**व्यवधान**)।

श्री राम नाईक : अन्य माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं तो इसका उत्तर क्यों नहीं देंगे ?

श्री माधवराव सिंधिया : चूंकि यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है और हमारे पास इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे मुझे उत्तर देने में सहायता मिल सके। मेरे उत्तर में आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ए-320 विमान 8 से 10 महीनों तक जमीन पर पड़ा रहा। जांच के बाद सबसे पहले नवम्बर या दिसम्बर में खाड़ी देशों से लोगों को लाने के कार्य में इसकी सेवा ली गई। माननीय ऊर्जा मंत्री ने मुझे बताया यह नवम्बर माह में की गई थी। चूंकि उनके पास जानकारी हैं इसलिए वह जो कुछ कहते हम उस पर विश्वास करते हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे पास 18 ए-320 विमान हैं। साधारणतया दो विमानों का बारी-बारी से हमेशा देखरेख व रख-रखाव किया जाता है। बाकी 16 विमान उड़ान भरने की स्थिति में रहते हैं लेकिन किसी भी समय 12 से अधिक विमान उड़ान नहीं भरत हैं क्योंकि रामदास समिति की सिफारिशों में एक यह भी सिफारिश थी कि पायलटों को अधिक गहन प्रशिक्षण दिया जाए ताकि आधुनिकतम तकनीक वाले काकपिट का संचालन वे अच्छी तरह कर सकें। हम किसी भी तरह यात्रियों की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि पायलट पूरी तरह प्रशिक्षित है हम उसे विमान के उड़ाने के लिए नहीं भेज सकते या उसे ए-320 के काकपिट में जाने नहीं दिया जाता है। फिलहाल हमारे पास 12 ए-320 विमानों के लिए समुचित चालक दल है गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आगामी दिसम्बर तक पूरे 16 विमान के बेड़े को एक साथ एक समय में उड़ाने के लिए पर्याप्त चालक दल उपलब्ध हो जाएंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह जानना चाहूंगा कि एयरबस 300 के ग्यारह विमानों में से तीन विमान कई महीनों से मुम्बई विमानपत्तन पर बेकार पड़े हैं। क्योंकि इण्डियन एयरलाइन्स के इंजीनियर एयर इण्डिया के इन्जीनियरों के समतुल्य वेतन की मांग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पुराने पड़ गये विमानों तथा विमान बड़े की क्षमता को बढ़ाने के संबंध में है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा प्रश्न विमान बेड़े की क्षमता उपयोग के सम्बन्ध में है क्योंकि तीन विमान कई महीनों से बेकार पड़े हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले पर इण्डियन एयरलाइन्स के इंजीनियरों के साथ बातचीत करेगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह प्रश्न विमान बेड़े के नवीकरण के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको यह समझाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा पूरक प्रश्न क्षमता के उपयोग के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया असली बात पर आइए। प्रश्न का क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं होना चाहिए कि आपको ठीक-ठीक उत्तर न मिल सके।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वह उत्तर देने के लिये तैयार हैं। मैंने कहा है कि तीन विमान बेकार पड़े हैं ?

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, चूंकि यह पुराने विमान के सम्बन्ध में नहीं हैं बल्कि वेतन के सम्बन्ध में है इसलिये इस प्रश्न के लिये अलग से सूचना देने की आवश्यकता है।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, विगत कांग्रेस सरकार के दौरान जब श्री राजीव गांधी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे तो उन दिनों दिल्ली से पोर्टब्लेयर वाया भुवनेश्वर के लिए हवाई उड़ानें होती थी। लेकिन बाद में इन्हें वापस ले लिया गया। फिर पुनः निजी विमानों को पोर्ट ब्लेयर तक उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। आप नागर विमानन मन्त्री के अच्छे मित्र हैं। आप उनसे स्वयं बात कर सकते हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, क्या विमान पुराने पड़ गये हैं इसलिये वे जमीन पर खड़े हैं। वे वायु सेवा पुनः कब से शुरू करने जा रहे हैं। यह मेरा प्रश्न स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही साधारण प्रश्न है।

श्री माधवराव सिंधिया : खेद है।

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने एक स्पष्ट प्रश्न किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे क्या विमान पुराने पड़ गये थे इसलिए उन्हें जमीन पर ही खड़े रहने दिया गया है। यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : वह इस सम्बन्ध में अलग सूचना चाहते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : विमानों के पुराने हो जाने से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राम नाईक : प्रत्येक विमान की एक आयु सीमा होती है। यह उस कम्पनी पर निर्भर करती है जो इसका उत्पादन या निर्माण कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने विमान हैं जो निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं या पुराने पड़ गए हैं ? मैं उनकी संख्या जानना चाहता हूं और क्या कारण है कि वे अब भी उपयोग में लाए जा रहे हैं ?

श्री माधवराव सिंधिया : जहां तक मेरी जानकारी है। किसी विमान के उपयोग के सम्बन्ध में ऐसी कोई विशेष पूर्व निर्धारित शर्त नहीं होती है कि कोई विमान कितने समय बाद पुराना हो जाएगा······।

श्री राम नाईक : ऐसा होना चाहिये।

श्री माधवराव सिंधिया : चूंकि उपयोग की पूरी अवधि के दौरान विमान के पूर्जों को बदला

जाता रहता है। लेकिन सभी एयरलाइंस का यह उद्देश्य रहता है कि रखरखाव का खर्च उसकी उपयोगिता की तुलना में कम हो। समल के साथ-साथ और भी तेजी से मरम्मत की आवश्यकता होती है। इसलिये ऐसी बात नहीं है कि 15-20 वर्ष पुराने विमान असुरक्षित हो जाते हैं। माननीय सदस्य को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया के एक चौथाई विमान बीस वर्ष पुराने हैं। ऐसी बात नहीं है कि यह विमान नहीं उड़ सकते, ये उड़ सकते हैं परन्तु उसकी वाणिज्यिक उपयोगिता बहुत कम हो जाती है।

श्री राम नाईक : हम यही चाहते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं अभी तथ्य एकत्र कर रहा हूं। इसलिये उसकी वाणिज्यिक उपयोगिता वास्तव में कम हो जाती है क्योंकि उसके रखरखाव पर अधिक खर्च आता है।

इसके अलावा इण्डियन एयरलाइन्स का बेड़ा नया ही है क्योंकि हमारे पास अठारह ए-320 विमान हैं जो नये ही हैं और हमें 12 और मिलेंगे जिसकी 1995 के शुरू में प्राप्त हो जाने की आशा है। इससे औसत आयु काफी कम हो जायेगी। इसके अतिरिक्त हम एक दीर्घकालीन योजना भी बना रहे हैं ताकि अगले 20 वर्षों के लिए एक जैसी नीति तैयार की जा सके जिससे कि एकपक्षीय तथा तदर्थ निर्णय लेने की आवश्यकता न पड़े। बेशक बाजार की परिस्थितियों तथा तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप निर्णय बदलने भी पड़ेंगे। परन्तु सामान्य रूप में हम उसका पालन करेंगे तथा वायुयानों की औसत आयु कम करेंगे। परन्तु हमारा कोई भी वायुयान असुरक्षित नहीं है। यही माननीय सदस्य के कहने का तात्पर्य है तथा कोई भी आयु निश्चित नहीं की गई है……।

श्री राम नाईक : आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री माधवराव सिंधिया : स्वाभाविक तौर पर आर्थिक व्यवहार्यता कम हो जाती है। हम वायुयान को बेड़े में क्यों रखना चाहते हैं ? इसलिए नहीं कि वे देखने में अच्छे हे तथा नए हैं। इसलिए कि अन्यथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता कम हो जायेगी।

इसलिए हम 4 बोईंग 737 को सेवानिवृत्त कर रहे हैं। वास्तव में हम इनको बेचने के लिए पहले ही विज्ञापन जारी कर चुके हैं। मेरे विचार में उन वायुयानों में से अधिकतर 20 वर्ष से ज्यादा आयु के थे। इसके अतिरिक्त हम आठ और वायुयानों को भी वायुसेवा से निवृत्त करने की सोच रहे हैं जिनकी आयु 15 से 19 वर्ष के बीच है ताकि हम औसत आयु को कम कर सकें। इस प्रकार 12 वायुयानों को जल्दी ही सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा जिनमें से 4 बोईंग विमानों को बेचने के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। ये सब विमान बोईंग 737 हैं।

[हिन्दी]

श्री येलेया नन्दी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। पहले वहां पर एवरो नामक 48 सीट का विमान चलता था, लेकिन अब वायुदूत का सिर्फ 18 सीट का विमान वहां चलता है जिसके कारण सीटें कम हो जाने से वहां यात्रियों को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है और कम फ्लाइट चलाई जा रही है, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इससे पहले जो 48 सीटों वाला एवरो विमान चलता था, क्या उसको दुबारा चलाने का कोई विचार है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अस्वीकृत किया जाता है ।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री बताएं कि वायुदूत सेवा जहां जहां चलाई हैं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अस्वीकृत किया जाता है ।

(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी : विमानों की बढ़ती हुई उम्र तथा संसाधनों की कमी को सामने रखते हुए क्या हम कुछ ऐसी घरेलू उड़ानों को बन्द नहीं कर सकते जोकि आवश्यक नहीं ताकि हम दोनों बच सकें ?

श्री माधवराव सिंधिया : उड़ानों की सूची तथा उनके गंतव्य स्थलों के सम्बन्ध में लगातार विचार होता रहता है ।

श्री श्रीवल्लभ कुमार पटेल : पुराने विमानों की आर्थिक उपयोगिता के अतिरिक्त एक और कारण भी है जिसे धातु का खराब हो जाना कहा जाता है । क्या माननीय मन्त्री इस पहलू से अवगत हैं तथा क्या इस पक्ष को भी मद्देनजर रखा गया है ।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : सभी पहलुओं को सामने रखा गया है ।

[हिन्दी]

मैलानी-शाहजहांपुर रेल लाइन

*308. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी समय पूर्व एक रेल लाइन मैलानी-शाहजहांपुर के बीच चालू थी;

(ख) क्या हाल में उक्त लाइन को चालू करने का वायदा किया गया था; और

(ग) यदि हां तो, इस लाइन को पुनः कब से चालू किए जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक रेल लाइन मैलानी-शाहजहांपुर के बीच चल रही थी वह बन्द कर दी गई है। क्या वहां पर इन्सान नहीं रहते हैं, वहां पर पूरी पब्लिक परेशान है, वह लाइन वहां से उखड़ गई है। वह कब चालू की जाएगी और इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : वास्तव में इस लाइन को स्वतन्त्रता से पहले ही त्याग दिया गया था। वर्तमान में यह भूमि राज्य सरकार के पास है तथा इस पर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 29 के निर्माण का कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : मैं कहना चाहता हूं कि जो लाइन उजड़ गई है वह लगाई जाए जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। वह लाइन कब तक चालू की जाएगी ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : किसी लाइन के निर्माण का कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर भी, यात्रियों की सुविधा के लिए एक सेवा मैलानी से पीलीभीत तथा पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच उपलब्ध है।

[हिन्दी]

रेल सम्पत्ति को क्षति

+

***309. श्री प्रभू दयाल कठेरिया :**

श्री बी० एल० शर्मा० प्रेम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं की संख्या में और आतंकवादियों द्वारा रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक उपर्युक्त दोनों कारणों से रेल सम्पत्ति को कितनी क्षति पहुंची है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन आतंकवादियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है।

(ख) आतंकवादियों की गतिविधियों और दुर्घटनाओं के कारण रेल सम्पत्ति को लगभग 64 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

(ग) राज्य सरकारों के साथ मिलकर सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं की संख्या में और आतंकवादियों द्वारा रेल सम्पति को क्षति पहुंचाने के मामलों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक उपर्युक्त दोनों कारणों से रेल सम्पति को कितनी क्षति पहुंची है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण, मुख्य रूप से पंजाब, असम तथा आन्ध्रप्रदेश में, जैसी कि माननीय सदस्य से वर्षवार जानकारी चाही है, यह घटनायें अधिकतर उत्तरी रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे तथा दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत हुई हैं। उत्तर रेलवे के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के दौरान 29; 1990-91 के दौरान 54 तथा वर्ष 1991 में जुलाई महीने तक 14 ऐसी घटनाएँ हुईं। कुल घटनायें 97 हुईं। तथा इन घटनाओं के फलस्वरूप 28,70,158 रुपए की सम्पत्ति की हानि हुई।

दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में चार मामले, 1990-91 में 23 मामले तथा वर्ष 1991 में जुलाई महीने तक 6 मामले तथा कुल 33 मामले सामने आए। इनके कारण 1, 56, 82, 482 रुपए की हानि हुई।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 21 मामले, 1990-91 के दौरान 12 मामले तथा वर्ष 1991 में जुलाई महीने तक एक मामला सामने आया तथा कुल मिलाकर इस दौरान 34 मामले हुए। इनके कारण 79,82,000 रुपए की हानि हुई।

पश्चिमी रेलवे के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में ऐसी दो घटनाएं वर्ष 1990-91 में केवल एक घटना तथा वर्ष 1991 में जुलाई महीने तक कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, तथा कुल मिलाकर तीन ऐसी घटनाएं हुईं। इन घटनाओं के कारण 50,000 रुपए की हानि हुई।

इन सब घटनाओं में कुल हानि 2,65,84,94,940 रुपए की हुई जो कि 2.66 करोड़ रुपए के लगभग है। यह सब घटनाएं तोड़फोड़, बम्ब धमाकों तथा रेलों पर गोलीबारी के कारण हो रही हैं। इसके परिणामस्वरूप रेलवे को वर्ष 1989 में 12.86 करोड़ रुपए की चल सम्पत्ति तथा 6.18 करोड़ रुपए की अचल सम्पत्ति का नुकसान हुआ तथा वर्ष 1990-91 के दौरान 35.58 करोड़ रुपए की चल सम्पत्ति तथा 7.11 करोड़ रुपए की अचल सम्पत्ति की हानि हुई। यह कुल हानि 64 करोड़ रुपए की हुई।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी कह रहे हैं कि पिछले वर्षों में कोई दुर्घटना नहीं हुई है और प्रश्न कह रहा है कि तीन माह के अन्दर 134 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 41 मौतें हुई हैं। यदि यह सच है तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : दुर्घटनाएं हुई हैं और यह एक वास्तविकता है। परन्तु पिछले वर्षों की तुलना में इनकी दर में कमी आई है। इन घटनाओं का वास्तविक कारण मानवीय गलतियां हैं जिनके कारण 65 प्रतिशत के करीब घटनाएं हुई हैं तथा बाकी 10 प्रतिशत सड़क का उपयोग करने वालों के कारण तथा 26 प्रतिशत उपकरणों की खराबी के कारण हुई।

[हिन्दी]

श्री अंकुशराव टोपे : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सच है कि ये एक्सीडेंट्स रेल कर्मचारियों की नैगलिजेंस की वजह से हुए हैं और सिर्फ तीन परसेंट सैबोटाज की वजह से हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : यही तो मैंने कहा है कि 65 प्रतिशत घटनाएं मानवीय गलतियों के कारण हुई।

श्री राम कापसे : पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री जी ने दुर्घटनाओं तथा मौतों के आंकड़े दिए। वास्तव में मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी दुर्घटनाएं हुई तथा उनमें से कितनी दुर्घटनाएं आतंकवादी गतिविधियों के कारण हुई। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी दुर्घटनाएं आतंकवादी गतिविधियों के कारण हुई तथा कितनी दूसरी गलतियों से। मैं दोनों के अलग-अलग आंकड़े चाहता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक आतंकवादी गतिविधियों का सम्बन्ध है, उत्तर रेलवे में वर्ष 1989-90 के दौरान 18 दुर्घटनाएं रेलमार्ग पर हुई, एक स्टेशन पर हुई तथा पांच गाड़ी के भीतर हुई तथा इनके परिणामस्वरूप 91 लोग जख्मी हुए तथा 20 लोग मारे गए।

वर्ष 1990-91 के दौरान 28 दुर्घटनाएं रेलमार्ग पर हुई, दो स्टेशन पर हुई तथा एक गाड़ी के भीतर हुई जिसके कारण छः लोग मारे गए तथ 93 लोग जख्मी हुए।

वर्ष 1991-92 के दौरान जुलाई महीने तक रेलमार्ग पर 15 दुर्घटनाएं हुयीं, एक स्टेशन पर हुई, तथा गाड़ी के भीतर कोई दुर्घटना नहीं हुई। इसके कारण तीन लोग मारे गए तथा 19 लोग जख्मी हुए।

गाड़ी के पटरी से उतरने की वर्ष 1989-90 में एक, वर्ष 1990-91 में चार तथा वर्ष 1991-92 के दौरान जुलाई महीने तक दो घटनाएं हुई।

रेलगाड़ी पर गोली चलाने की वर्ष 1989-90 में कोई घटना नहीं हुई, 1990-91 में सोलह तथा वर्ष 1991-92 में जुलाई महीने तक तीन घटनाएं हुई। इसके कारण वर्ष 1990-91 में पांच

लोगों की मौत हुई तथा 31 लोग घायल हुए, 1991-92 में जुलाई तक 75 लोगों की मौत तथा 44 लोग जख्मी हुए।

श्री राम कापसे : दुर्घटनाओं तथा आतंकवादी गतिविधियों के कारण अलग-अलग कितनी घटनाएं हुई।

[हिन्दी]

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि 1983-84 में रेलवे दुर्घटनाओं के······

प्रो० राम कापसे : उनके जवाब में उन्होंने ऐसा कहा है।

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : कारण 551.1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है जबकि 1989-90 में यह नुकसान बढ़कर 1285.7 लाख रुपए हो गया है। इन दुर्घटनाओं में लगभग 65 प्रतिशत घटनाएं रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही से हुई हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? इसके अलावा 20 प्रतिशत रेलवे दुर्घटनाएं रेलवे के उपकरणों की खराबी के कारण हुई हैं तो सरकार ने इन उपकरणों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक मानवीय गलतियों का प्रश्न है, आवश्यक हिदायतें रेल कर्मचारियों को दे दी गई हैं कि वे सावधानी से कार्य करें। उनके डाक्टरी जांच तथा समय-समय पर दूसरी जांच इत्यादि भी करायी जाती है। कई बार चालकों की भी समयावधि के पश्चात् जांच की जाती है।

जहां तक उपकरणों के असफल रहने का प्रश्न है, तो मकैनीकल, इलैक्ट्रीकल तथा दूसरे डिवीजनों को यह हिदायतें जारी की गई हैं कि वे सावधानी से कार्य करें तथा अच्छी किस्म की सामग्री का उपयोग करें तथा धन की कमी के कारण घटिया सामान का प्रयोग सिग्नल तथा दूसरे संचार माध्यमों के लिए भी न करें।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि टैरेरिस्ट्स एक्टीविटीज को मद्देनजर रखते हुए पंजाब और आसाम राज्य में मन्त्रालय ने सुरक्षा के विशेष उपाय क्या किए हैं, क्या उसका ब्यौरा देंगे?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, हमने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. संवेदनशील रेलवे स्टेशनों, महत्वपूर्ण संस्थानों तथा पुलों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।

2. प्रभावित क्षेत्रों में सभी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में सुरक्षा गार्डों को तैनात किया जा रहा है।

3. जिन संवेदनशील भागों का पता लगाया गया है वहां पर रेलमार्ग की निगरानी रखी जा रही है।

4. पंजाब तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों से पहले मार्गरक्षण हेतु विशेष गस्ती गाड़ियों की व्यवस्था की गई है।

5. गाड़ियों में विस्फोट सामग्री का पता लगाने के लिए कुछ स्थानों पर सूंघने वाले कुत्तों की स्थापना की गई है।

6. सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को संदेहजनक वस्तुओं/लावारिस सामान से सावधान रहने को कहा जा रहा है।

7. महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की अचानक जांच शुरू की गई है।

8. टिकट चैक करने वाले स्टाफ को रेल डिब्बों में अवैध व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

9. प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर समन्वय तथा तत्काल कदम उठाने के लिए नियन्त्रण कक्ष खोले गएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर यह बहुत लम्बी सूची है तो आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह मामला सभी से सम्बन्धित है। इसीलिए मैं यह सब विवरण दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बताया……

श्री केशरी लाल अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से……

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बुलाया है। यह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कि आतंकवादियों की कार्रवाई से 1266 लाख रुपये की रेलवे क्षति हुई है और करीब 250 के आसपास दुर्घटनाएं हुई। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी 15 दिन पहले बरेली से रेलगाड़ी बिना ड्राईवर के ऑटोमेटिकली 140 किलोमीटर चली गई, इस प्रकार की घटनाएं आए दिन पूर्वोत्तर रेलवे में और उत्तर रेलवे में होती रहती हैं। कभी इन्जन खराब होता है, कभी अन्य घटनाएं होती हैं, कभी लूट-पाट होती है तो माननीय मन्त्री जी ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं ? इससे कितने करोड़ रुपए की क्षति हुई है ?

अयध्क्ष महोदय : इसे ह्यूमन फैल्योर कहते हैं, इसका जवाब उन्होंने दे दिया है।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियों की वृद्धि हो रही हैं और वे अनेक वार रेलवे की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी-कभी तो यात्रियों को भी

भुगतना पड़ता है और नक्सलवादियों द्वारा लगाई गई आग दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री को पता है कि ऐसी घटनाएं अन्य भागों में भी हो रही हैं और हाल ही में भीमावरम के निटक एक दुर्घटना हुई जिसमें प्रथम श्रेणी के यात्री की मृत्यु हो गई। क्या माननीय मन्त्री रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, आप प्रश्नकाल के दौरान भाषण नहीं दे सकते। अन्य सदस्यों को भी प्रश्न करने हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : हमारी एक योजना के तहत अगर कोई यात्री किसी दुर्घटना में मारा जाता है तो दावे निपटान न्यायाधिकरण द्वारा मृत व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपए अदा किए जाते हैं।

मेल रेलगाड़ियों का देर से चलना

* 310. **डा० सुधीर राय** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सप्रेस मेल और सुपरफास्ट रेल गाड़ियां पूरे देश में प्रायः विलम्ब से चलती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने क्या उपाय सोचे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) गाड़ियों का समयपालन बनाए रखना एक हमेशा चलने वाला सतत प्रयास है।

डा० सुधीर राय : मन्त्री महोदय ने अस्पष्ट वक्तव्य दिया है क्योंकि गत छः माह से लगभग सभी सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ियां रोजाना छः या सात घंटे देरी से चल रही हैं। वास्तव में उन्होंने रेल किराए को दुगुना कर दिया है। ये एक्सप्रेस गाड़ियां 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी नहीं चलती लेकिन सरकार किराया बढ़ाती जा रही है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गाड़ियों को समय पर चलाने के लिए वे कौन से कदम उठा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुके हैं।

डा० सुधीर राय : नहीं महोदय, उन्होंने उत्तर नहीं दिया है उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना है।

अध्यक्ष महोदय : गाड़ियों का समय पर चलना सुनिश्चित करने के लिए आप द्वारा उठाए गए नियमित कदमों के अलावा भी क्या अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, गाड़ियों का समय पर चलना विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। माननीय सदस्य ने कहा है कि समयबद्धता प्रभावित हो रही है। हमने एक जुलाई से गाड़ियों की समयबद्धता की निगरानी करना शुरू किया है। अब समयबद्धता में सुधार हुआ है। लेकिन हम इस सुधार

से सन्तुष्ट नहीं हैं। हम समयबद्धता में और अधिक सुधार चाहते हैं और इस सम्बन्ध में यह स्थिति है।

डा० सुधीर राय : महोदय, कभी-कभी गाड़ियां पांच से छ घंटे देरी से चलती हैं तो लम्बी दूरी के यात्री विशेषकर दूसरी श्रेणी के यात्रियों को कठिनाई होती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शौचालयों में अस्वच्छ स्थिति के बारे में क्या कदम उठा रहे हैं······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री पशुपति आनन्द गजपति राजू : मैं एक नियमित रेल यात्री हूं और एक दिन रेलगाड़ी देर से आई और यह अगले दिन सुबह पहुंची। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे गाड़ी के देरी से पहुंचने के मामले में मुआवजा देंगे क्योंकि समय तथा अन्य पहलुओं को देखते हुए यात्रियों का पैसा व्यर्थ होता है। इस सम्बन्ध में मुआवजा कितना है ? अगर वे गाड़ी को एक विशेष समय से भी बाद में लाते हैं तो कम से कम आप टिकट की राशि की वापसी तो कर ही सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत ही क्रांतिकारी मांग है। अगर मंत्री महोदय इसका उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : हमारे पास फिलहाल इस प्रकार वापसी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि रेलवे स्टाफ के उपेक्षापूर्ण तथा लापरवाहीपूर्ण रवैये के कारण अधिकांश गाड़ियां देरी से चलती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गाड़ियों के देरी से चलने के लिए किसी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। क्या गत एक या दो या तीन या छः माह के दौरान इस सम्बन्ध में ऐसे प्रयास किए गए हैं और यदि नहीं तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं क्योंकि हम सब गाड़ियों से यात्रा करते हैं। लेकिन सभा की जानकारी हेतु मैं समयबद्धता पर लम्बी दूरी की गाड़ियों की जून तथा जुलाई, 1991 की स्थिति के तुलनात्मक आंकड़े देना चाहूंगा।

	जून 1991	जुलाई 1991
2621 तमिलनाडु एक्सप्रेस	56 प्रतिशत	80 प्रतिशत
2622 तमिलनाडु एक्सप्रेस	23 प्रतिशत	77 प्रतिशत
2723 ए० पी० एक्सप्रेस	36 प्रतिशत	67 प्रतिशत
2724 ए० पी० एक्सप्रेस	40 प्रतिशत	71 प्रतिशत
2625 केरल मंगला एक्सप्रेस	10 प्रतिशत	74 प्रतिशत
2626 केरल मंगला एक्सप्रेस	36 प्रतिशत	93 प्रतिशत
2627 कर्नाटक एक्सप्रेस	46 एक्सप्रेस	100 प्रतिशत
2628 कर्नाटक एक्सप्रेस	53 प्रतिशत	87 प्रतिशत
2391 मगध एक्सप्रेस	शून्य प्रतिशत	45 प्रतिशत
2392 मगध एक्सप्रेस	10 प्रतिशत	80 प्रतिशत

मैं इस प्रकार के अनेक आंकड़े पढ़ सकता हूं। मुझे आशा है कि इससे सदस्य मानेंगे कि गाड़ियों की समयबद्धता में काफी सुधार हुआ है। हमने पूरे रेलवे में वरिष्ठ अधिकारियों को न सिर्फ गाड़ियों की निगरानी हेतु बल्कि रेलवे स्टेशनों की देखरेख के लिए नियुक्त किया है। अब आगे इस संबंध में किसी विफलता के लिए निर्दिष्ट अधिकारी उत्तरदायी होगा।

अजमेर शहर में रेल इकाइयों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

*312. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर शहर में कितनी रेलवे इकाइयां हैं तथा उनके रख-रखाव और सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अजमेर स्थित लोको शेड और कैरिज फैक्टरियों के आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है और तदनुसार किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन इकाइयों में इस समय किस प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं; और

(घ) वहां इस समय कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा गत वर्षों के दौरान इन इकाइयों को हुए हानि-लाभ का ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सात—जिनमें कारखाना और सम्बद्ध इकाइयां शामिल हैं। परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण और कामगारों की संरक्षा का कार्य संबंधित रेलवे विभागों अर्थात् सिविल, बिजली, यांत्रिक, आदि द्वारा किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में डीजल रेल इन्जनों, सवारी और माल डिब्बों के आवधिक ओवरहाल और आनुषंगिक सुविधाओं के विस्तार तथा सुधार पर 19.11 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(ग) भाप और डीजल रेल इंजनों, सवारी डिब्बों, माल डिब्बों का ओवरहाल, सब-असेम्ब्ली तथा कलपुर्जों की मरम्मत और निर्माण तथा रेल कारखाना परिचालन के लिए अपेक्षित अन्य आनुषंगिक कार्यकलाप।

(घ) 10534 कामगार और 35 अधिकारी। उपर्युक्त रेलवे इकाइयां सेवा विभागों के रूप में कार्य करती हैं और उनके लाभ और हानि का अलग-अलग हिसाब रखने के लिए कोई प्रणाली नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो० रासासिंह रावत : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अजमेर जो पहले रेलवे की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और पश्चिमी रेलवे के अन्दर बम्बई के बाद अजमेर का लोको शेड और कैरिज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से सरकार की

ऐसी नीति चल रही है कि इसकी निरंतर उपेक्षा हो रही है। पहले लोको शेड और कैरिज फैक्टरियों के मजदूरों की संख्या अधिक थी और अब यह संख्या निरंतर घटती जा रही है। आज केवल 10,534 कामगर और 35 अधिकारी रह गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण मत कीजिए, प्रश्न पूछिए।

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर मेरा सवाल यह है कि अजमेर शहर की रेलवे के द्वारा निरंतर उपेक्षा का क्या कारण है और जो लोको शेड और कैरिज फैक्टरियों की निरन्तर अवनति होती जा रही है, इसका क्या कारण है ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है उतने काम पर लगा लिए गए हैं। श्रमिकों की कोई कमी नहीं है जैसा माननीय सदस्य ने कहा है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह बताया गया है कि 19.11 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष और आगामी दो वर्षों के लिए लोको और कैरिजेज के अन्दर कितनी राशि स्वीकृत की गई है और कौन-कौन से कामों का विस्तार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस वर्ष का बजट में आ गया है और अगले वर्ष का अभी ये बता नहीं सकेंगे।

[अनुवाद]

मैं इसे अस्वीकृत कर रहा हूं।

तेल क्षेत्रों का विकास

+

*314. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :

श्री लोकनाथ चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1991 के "द स्टेट्समैन" में "इन्फारमेशन आन पेट्रोलियम वेल्स सप्रेस्ड बाई ओ०एन०जी०सी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और उसका ब्यौरा क्या है और जानकारी को दबाकर रखे जाने के क्या कारण थे तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस कार्य में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन तेल क्षेत्रों के विकास हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है और इनसे क्या लाभ मिलने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किसी भी सूचना को नहीं दबाया गया है। समाचार रिपोर्ट काल्पनिक है तथा तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कठना-कमलसर क्षेत्र पहले से तेल उत्पादन कर रहा है जो करीब 100 टन प्रतिदिन उत्पादन करता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, क्या मंत्री महोदय को पश्चिम बंगाल में तेल निकालने के बारे में पता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूविज्ञान के डीन श्री प्रदीप दासगुप्ता और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बीच एक बैठक हुई थी और यह आश्वासन दिया गया था कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग दुबारा तेल खोजने का कार्य शुरू होगा। क्या मैं जान सकती हूं कि अब क्या स्थिति है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, मैं मुख्य प्रश्न में पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि जिस खोज के बारे में श्री के० पी० राय चौधरी ने समाचारपत्रों की रिपोर्ट और वक्तव्यों में जो दावा किया है वह बिल्कुल और काल्पनिक और मनगढंत है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है हमने वहां 40 कुएं खोदे हैं।······(व्यवधान) गोल्फ ग्रीन, राजगंज और इच्छापुर में एक-एक कुंआ खोदा जा रहा है। हाइड्रो कार्बन अनुसंधान में वाणिज्यिक उपयोग के बारे में कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल में खुदाई का काम जारी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में तेल के लिए बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ती है क्योंकि वहां समुद्र के अन्दर तेल की चट्टानें मिलती हैं, यह साउदी अरब जैसा है। इस कार्य के लिए कुछ अधिक वित्त की आवश्यकता है। यहीं पर आप असफल रहे हैं। श्री सत्य प्रकाश मालवीय यहां नहीं हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस बारे में कार्यवाही की जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि क्या वर्तमान सरकार इस कार्य को जारी रखेगी और गहरी खुदाई करेगी और हम वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति बढ़ा सकते हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि पश्चिम बंगाल में तेल की खोज के अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग सभी मानदंडों पर विचार करेगा। यहां तक कि जब विशेषज्ञों ने हाल ही में सुझाव दिया था कि एक विशेष कुएं में खुदाई का काम रोका जाए तब भी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने स्वयं कुएं को गहरा खोदने का निर्णय लिया। लेकिन मुख्य प्रश्न में जिन अनुमानित संसाधनों का हवाला दिया गया है उनको बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। जिन तकनीकी मानदंडों के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कार्य करता है उनके अनुरूप ही हम यह प्रयास करेंगे कि पश्चिम बंगाल में सभी अनुमानित संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो। जैसाकि मैंने कहा है कि हम 40 कुओं की खुदाई कर चुके हैं और हमने तेल की खोज के

लिए पश्चिम बंगाल में लगभग 594 करोड़ रुपए व्यय किए हैं जबकि हम इस क्षेत्र में तेल अथवा गैस का वाणिज्यिक उपयोग नहीं कर पाये हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, इसी समाचार में यह कहा गया है कि 24 परगना में खुदाई की गई थी और उस कुएं को नष्ट कर दिया गया था तथा मानदंडों के अनुसार कोई निरीक्षण कार्य नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य सही है अथवा गलत है और क्या मंत्री महोदय ने इस बारे में जांच की है। समाचार में कहा गया है कि दो कुओं की खुदाई की गई और उन्हें नष्ट कर दिया गया तथा कोई निरीक्षण नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है ? मेरे प्रश्न के भाग (ख) में यह पूछा गया है कि क्या कभी उस क्षेत्र के भूवैज्ञानिक अध्ययन से यह संकेत मिले हैं कि वहां पर्याप्त मात्रा में तेल मानदण्डों से ऊपर उठकर तेल खोजने और उसकी खुदाई करने में क्या कठिनाई है जबकि तेल की आज हमारे देश में बहुत कमी है और समाचार में भी यही कहा गया है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, माननीय सदस्य के अनुपूरक भाग (क) के बारे में जानकारी बिल्कुल गलत है। इस विशेष मामले में सभी आवश्यक तकनीकी निरीक्षण किए गए थे। दूसरे मामले के बारे में मेरा यह कहना है कि माननीय सदस्य का प्रश्न समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार पर आधारित है। यह व्यक्ति, श्री रायचौधरी, जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का सेवानिवृत्त भूविज्ञानी निरीक्षक है, ने संवाददाताओं से बातचीत की और तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार तथा खोज के दौरान जो व्यावहारिक सत्य सामने आये उनके अनुसार जो कुछ उन्होंने संवाददाताओं को बताया वह बिल्कुल मनगढंत है। पश्चिम बंगाल में जिन संसाधनों के बारे में उन्होंने बताया है वह पूरे भारत में पता लगाए गए संसाधनों से भी अधिक है। इसी प्रकार गुजरात के एक विशेष कुएं के बारे में उन्होंने जो दावा किया है वह उस पूरे बेसिन से भी अधिक है। इस प्रकार उन्होंने बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बातें कहीं हैं······ (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्हें यह जानकारी कैसे मिली ? यह अत्यन्त गम्भीर मामला है···

(व्यवधान)

श्री एस० कृष्ण कुमार : ठीक है मैं इसका उत्तर दूंगा···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करें और आपकी वह कठिनाई भी दूर हो जाएगी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, हम आपको सम्बोधित कर रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय ने श्री रायचौधरी द्वारा किए गए दावों का गहराई से अध्ययन किया है। हमारे पास तकनीकी आंकड़ों के साथ-साथ तेल की खोज के सभी कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट है। हमारे पास सोवियत संघ के विशेषज्ञों और अनेक तकनीकी समितियों की राय है जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की है। मेरे पास इस फाइल में स्पष्ट तकनीकी राय है जिससे यह पता चलता है कि श्री रायचौधरी द्वारा किए गए दावे बढ़ा-चढ़ाकर किए गए हैं। मेरे पास सारे रिकार्ड उपलब्ध हैं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं के०सी० रायचौधरी अथवा प्रदीप दासगुप्ता अथवा हमारे देश के

प्रमुख भूवैज्ञानिकों के इस सम्बन्ध में किए गए दावों के बारे में नहीं बोल रहा हूं बल्कि मैं सन् 50 के दशक के शुरू में छपने आ रहे समाचारों के बारे में कह रहा हूं। विशेषज्ञों ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल तेल पर तैर रहा है। यहां तक कि कलकत्ता में एक सेमिनार हुआ था जिसमें तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री श्री एम०एस० गुरुपदस्वामी ने भी भाग लिया था। माननीय मंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और अन्य विशिष्ठ व्यक्तियों की उपस्थिति में वहां उपस्थित वैज्ञानिकों ने कहा था कि पश्चिम बंगाल और गुजरात में कच्चे तेल के भडार हैं। मैं केवल प्राथमिक अनुमान बता रहा हूं जिनके अनुसार तेल के भंडार 28.5 अरब टन हैं अर्थात् 2,850 करोड़ टन का भंडार है। इतना भंडार होने से भारत तेल आयातक देश के स्थान पर तेल निर्यातक देश बन सकता है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इन सभी महान एवं प्रसिद्ध भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए दावों को देखते हुए वह इस बारे में श्वेत पत्र जारी करने के लिए तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करेंगे।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं माननीय सदस्य को निराश नहीं करना चाहता। न मैं निराश करना चाहता हूं और न ही मंत्रालय निराश करना चाहता है। मैंने पहले ही कहा है कि पश्चिम बंगाल में खुदाई जारी है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने 28.5 अरब टन के भंडार के जो आंकड़े दिए हैं ये वही आंकड़े हैं जो श्री के०सी० रायचौधरी ने 'स्टेट्समैन' में दिए हैं।

मैंने पहले ही कहा है कि यह देश के सभी बेसिनों के कुल पुर्वानुमानित भंडार से अधिक है। **(व्यवधान)** हम पश्चिम बंगाल पर विशेष ध्यान दे रहे हैं यदि पश्चिम बंगाल में तेल उपलब्ध होगा तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इसे निकाला जाएगा और हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। यही एक ऐसा राज्य है जहां अब तक किसी प्रकार के वाणिज्यिक तेल नहीं मिलने के बावजूद भी खुदाई का कार्य चल रहा है। खुदाई पूरी शक्ति के साथ की जा रही है। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्रालय तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को श्री रायचौधरी के नाम से ही नफरत है। किस तरह माननीय मन्त्री ने श्री रायचौधरी के सभी दावों को यह कहते हुए नकार दिया कि वे अत्यधिक अनुमान पर आधारित हैं ? आप यह कैसे दावा कर सकते है कि जिस मात्रा का उल्लेख उन्होंने किया है वह अत्यधिक है और इसीलिए अपने दावों को निरस्त कर दिया ? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग हैं जो यह सुनिश्चित करने की कोशिश में रहते हैं कि भारत हमेशा अभावग्रस्त रहे। आप श्री रायचौधरी द्वारा बताए गए क्षेत्रों के अलावा अन्य किन्ही स्थानों पर खुदाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेट्रोल संकट तथा तेल आयात पर अत्यधिक खर्च को देखते हुए मैं समझता हूं कि सभा का यह कर्तव्य है कि यदि इस प्रकार के दावे किये जाते हैं तो सच्चाई जानने के लिये उसकी गहराई से जांच करें उन दावों को इस तरह निरस्त न करें।

एक माननीय सदस्य : और जमीन के अन्दर भी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने प्रश्न पूछा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उस सुझाव को प्रश्न के रूप में रखूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने एक बहुत ही स्पष्ट प्रश्न किया है। श्री राय चौधरी ने सुझाव दिया है कि एक क्षेत्र विशेष में खुदाई की जाए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार वहां खुदाई करवाएगी ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : अध्यक्ष महोदय, इस देश को आवश्यकता है। हमें तेल चाहिए। देश की एकमात्र अपेक्षा यही है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अथवा कोई भी सरकारी संगठन द्वारा देश में तेल उत्पादन किया जाना चाहिए बजाय इसके कि तेल का आयात किया जाए। मैं पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य की चिंता की सराहना करता हूं। **(व्यवधान)** मैं एक बात कहूं ? इच्छा रूपी घोड़े पर सभी सवारी करना चाहते हैं। **(व्यवधान)** श्री के० सी राय चौधरी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के एक कर्मचारी थे। वह अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। जहां तक मुझे जनकारी है वह एक साधारण कर्मचारी थे। वह कोई प्रसिद्ध पत्रकार नहीं थे। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को मलिन करने का प्रयास करते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते वह इसकी जांच करें।

श्री बी० शंकरानंद : मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह कहने की क्या आवश्यकता है कि वह एक साधारण कर्मचारी थे ? **(व्यवधान)** इस बात से क्या मतलब है कि वह एक साधारण कर्मचारी थे या नहीं ?

श्री बी० शंकरानन्द : क्योंकि उनके द्वारा प्रेस में दिये गये बयान के कारण सभा में चर्चा हो रही है इसलिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बहुत ही गम्भीर बात है। मैं जानना चाहता हूं कि उस व्यक्ति से मन्त्री जी को नफरत क्यों है। **(व्यवधान)**

आप स्वयं जाएं। आप सम्बन्धित मंत्री और सदस्यों की बैठक बुलाएं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस मुद्दे पर आप आधे घन्टे की चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना दें। हम उस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने कहा है वह तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के एक कर्मचारी थे। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि वह इस संगठन के कर्मचारी थे। हम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों, जांचों, एवं अध्ययनों पर उतना ही ध्यान देते जितना कि सोवियत विशेषज्ञों और फ्रांसीसी विशेषज्ञों के अध्ययनों और छानबीन पर। अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उन्होंने इसकी गहन जांच की है और उस सर्वेक्षण के आधार पर पश्चिम बंगाल में खुदाई की जा रही है। जहां तक अन्वेषणात्मक गतिविधियों का सम्बन्ध है पश्चिम बंगाल के सदस्यों में यह भावना नहीं पैदा होनी चाहिए कि देश के इस भाग के प्रति कोई भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य के इस आरोप का पूरी तरह खण्डन करता हूं कि हम खोज की गतिविधियों को जारी रखने के लिए उचित कदम नहीं उठा रहे हैं। इसका पूरी तरह खण्डन करता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप बताएं कि क्या उपाय है। **(व्यवधान)**

श्री रूपचंद पाल : प्रो० आर० सी० फुलोरिया ने भी वही बातें कही हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप आधे घंटे की चर्चा की सूचना दें। अब श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य बोलेंगी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : माननीय सदस्य श्री लोकनाथ चौधरी ने जिन दो तेल कुओं का उल्लेख किया उनमें से एक डायमंड हार्बर में था जिसे 1984 में ही छोड़ दिया गया और दूसरा दक्षिण चौबीस परगना के बोरल में है जो संयोग से हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : दूसरा कुआ हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है। **(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों पर निर्भर नहीं करती। इस सम्बन्ध में मैंने व्यक्तिगत रूप से जानकारी ली है। इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं कि इन दो तेल कुओं का कार्य कब छोड़ दिया गया। क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है और यदि कोई जांच की गई है तो क्या उस जांच की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी। यदि इसमें किसी तरह की छिपाने वाली कार्यवाही न की गई हो तो इससे सम्बन्धित कागजातों को सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री एस० कृष्ण कुमार : इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। डायमंड हार्बर तेल कुएं की खुराई की गई थी……।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास रिपोर्ट है तो क्या आप उसे सभा पटल पर रखने को तैयार हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : वह स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं यह बता रहा था कि डायमंड हार्बर स्थित कुआं की खुदाई 5,500 फीट तक की गई थी और उपलब्ध खुदाई और भूकम्पीय आंकड़ों से यह पता चलता है कि इस विशेष क्षेत्र में वाणिज्यिक तेल का भंडार होना मुश्किल ही है। रिपोर्ट में यही पाया गया है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में किसी भी कुएं की खुदाई उचित तकनीकी निष्कर्ष के बिना नहीं रोकी गई है। केन्द्रीय मन्त्री ने जो कहा है उसका अर्थ यह नहीं है कि पश्चिम बंगाल में खुदाई कार्य अच्छी तरह नहीं किया जा रहा है। हम पश्चिम बंगाल में खुदाई का कार्य करते रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : महोदय, माननीय मन्त्री ने सभा में यह कहा है पश्चिम बंगाल के बेसिन में खुदाई कार्य जारी रहेगा। यह अच्छा समाचार है। लेकिन मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कई कुएं जिनकी खुदाई चल रही थी उन्हें छोड़ दिया गया है उदाहरणार्थ बोदरा, डेगंगा और नाडिया जिले कुल अन्य कुएं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन सभी छोड़े गए कुंओं से सम्बन्धित रिपोर्ट को सरकार सभा की जानकारी के लिये प्रस्तुत करने को तैयार है?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, किसी कुंए की खुराई तभी रोकी जाती है जब यह निष्कर्ष निकल आता है कि यह सूखा है इसमें आगे निवेश करना केवल बेकार है।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैंने कुछ विशेष मामलों के सम्बन्ध में पूछा है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में वह जानकारी हम दे सकते हैं जो हमें उपलब्ध है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लिग्नाइट की उपलब्धता

*306. **डी० पी० वल्लल पेरूमान** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लिग्नाइट के भंडार कहां-कहां पर हैं;

(ख) विभिन्न स्थानों पर यह कितनी मात्रा में उपलब्ध है और इसका खनन कब किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार नेवेली में लिग्नाइट खनन और सम्बद्ध तापीय विद्युत उत्पादन के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) भारत में लिग्नाइट के महत्वपूर्ण विदित भंडार अधिकांशतः नेयवेली, जयमकुंडम तथा तमिलनाडु पास के क्षेत्रों में, पांडेचेरी और तमिलनाडु के बाहर क्षेत्रों में गुजरात के पानाधारू, राजस्थान में पलाना, गुरहा, बारसिंगसर, कपुरडीह, जलीपा, मरटारोड में और जम्मू एवं कश्मीर के निचाहोम में उपलब्ध हैं; इसके अलावा तमिलनाडु के तनजोर तथा रामनद जिले, केरल के एलपे, वरकला, कन्नानौर, आदि में और महाराष्ट्र के रतनगिरी, सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ क्षेत्रों में छुट-पुट रूप में पाए जाने की सूचना मिली है।

इस समय देश में लिग्नाइट के भंडार लगभग 6500 मि० टन होने का अनुमान लगाया गया है। इस सम्बन्ध में राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है :—

राज्य	क्षेत्र	मि० ट० में
तमिलनाडु	नेयवेली	3300
	जयमकोंडम	1150
	बहुर-पांडेचेरी	580
गुजरात	पानाधारू लाखपत आदि	383
राजस्थान	पलाना, बारसिंगसर, कपूरडीह आदि	870
जम्मू एवं कश्मीर		90
केरला		100 (इसे विस्तृत अन्वेषण द्वारा प्रमाणित किया जाना है)
	जोड़	6473 (अर्थात् 6500)

नेयवेली स्थित लिग्नाइट के भंडारों का दोहन नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा जोकि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, मुख्यतः पिटहैड विद्युत के उत्पादन के लिए करता है। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की विद्यमान परियोजनाएं निम्नलिखित है—खान-I (6·5 मि० टन क्षमता प्रतिवर्ष), प्रथम तापीय विद्युत गृह (600 मे० वा०), खान-II चरण-I (4·7 मि० टन प्रतिवर्ष क्षमता), तापीय विद्युत गृह-II, चरण-1 (3×210 मे० वा०) एक उर्वरक संयंत्र जिसकी 1·52 लाख टन प्रतिवर्ष यूरिया की स्थापित क्षमता हैं और एक ब्रिकेटिंग तथा कार्बनीकरण संयन्त्र, जिसकी ब्रिकेट्स (लेको) की 3·27 लाख टन प्रतिवर्ष की स्थापित क्षमता है। इसके अलावा कई परियोजनाएं क्रियान्वयाधीन हैं और नई प्ररियोजना पर भी कार्रवाई चल रही है।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा इस समय लिग्नाइट के लिए विस्तृत भू-गर्भीय अन्वेषण का कार्य त्रिची जिले में जयमकोंडम क्षेत्र तथा तमिलनाडु के साउथ अर्काट जिले के आसपास के क्षेत्रों में और पांडिचेरी के बाहुर क्षेत्र में किया जा रहा है। व्यवहार्यता रिपोर्ट/परियोजना प्रस्तावों को विस्तृत भू-गर्भीय अन्वेषण तथा जलीय जांचों के पूरा हो जाने के बाद ही तैयार किया जा सकता है।

गुजरात के कच्छ जिले के पानान्धरों क्षेत्र में लिग्नाइट के भंडारों का उत्खनन गुजरात खनन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। पानान्धरों क्षेत्र में लगभग 90 मि० टन के कुल भंडार है जिसमें से 2 × 70 मे० वा० के पिटहैड तापीय विद्युत गृह के प्रयोग में लाए जाने के लिए 1·5 मि० टन की एक खान हेतु प्रभावी रूप में उत्खनन कार्य किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया है और उक्त विद्युत गृह का बाद में 3 × 70 मे० वाट तक विस्तार कर दिया जाएगा।

लिग्नाइट के बरोच जिले के जगाडिया स्थान पर भी यह उत्खनन किया जाता है।

अन्य क्षेत्रों में लिग्नाइट के भंडारों का दोहन किए जाने के लिए जैसे अकरीमोता, उमरसर, भावनगर, आदि जैसे क्षेत्रों में भंडारों की निश्चितता निर्धारित किए जाने के लिए आगे अन्वेषण कार्य किया जाना भी अपेक्षित है।

राजस्थान के बारसिंगसर में भंडारों का नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा दोहन किए जाने सर पहले ही विचार किया जा रहा है। एक लिग्नाइट खान (1·7 मि० टन/प्रतिवर्ष क्षमता) सह-विद्युत परियोजना (2 × 120 मे० वा०) को भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1991 में 828·04 करोड़ रु० की लागत से स्वीकृत कर दिया गया है। गुरहा के समीप के क्षेत्रों के भंडारों पर भी बाद में वारसिंगसर के साथ-साथ उत्खनन की संभावनाओं पर विचार किए जाने ताकि लिग्नाइट का प्रयोग करते हुए बारसिंगसर में प्रस्तावित विद्युत परियोजना, का संभावित विस्तार किया जा सके।

बाड़मेर जिले के कपूरडीह, जलीपा तथा गिराल क्षेत्रों के, नागौर जिले के कशनाऊ, हगीयार क्षेत्रों के और बीकानेर जिले के पलाना क्षेत्र के लिग्नाइट के भंडारों पर उपयुक्त प्रौद्योगीकी का प्रयोग करके दोहन किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। पलाना लिग्नाइट का पूर्व में उत्खनन कार्य भूमिगत पद्धति द्वारा किया गया था और इसे आग लग जाने के कारण बन्द करना पड़ा था।

लिग्नाइट के भंडारों का जम्मू एवं कश्मीर के निचाहोम जिले में भी पता लगाया गया है। लिग्नाइट के दहनशीलता पर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, त्रिची द्वारा परीक्षण कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में निचाहोम में तरल संस्तरित दहनशीलता पर आधारित एक 2 × 10 मे० वा० तापीय

विद्युत गृह को स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में एक व्यवहार्य रिपोर्ट तैयार किए जाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

केरल में लिग्नाइट के भंडारों के लिए विभिन्न अभिकरणों के साथ शुरू किए जाने वाले अन्वेषण सम्बन्धी क्रियाकलापों में समन्वय रखने, तथा एकत्रित किए गए आंकड़ों का मूल्यांकन करने और लिग्नाइट के भंडारों को उपयोग में लाए जाने के लिए सुझाए गए उपायों के संबंध में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

(ग) वर्तमान में इस तरह के किसी भी आयोग को स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु लिग्नाइट का विकास किए जाने के लिए एक मास्टर प्लान को तैयार करने विद्युत का उत्पादन करने, इस पर आधारित अन्य डाऊन स्ट्रीम उद्योगों, आदि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इस अध्ययन को शीघ्र किए जाने का प्रस्ताव करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में रेलवे का विस्तार कार्यक्रम

*311. **श्री राम नारायण बैरवा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में रेलवे का विस्तार करने तथा यात्रियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में रेल विस्तार योजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का जिला मुख्यालयों को रेल लाइन से जोड़ने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) फुलेरा-बीकानेर-लालगढ़, मेड़ता रोड-जोधपुर, भिलडी-समदड़ी तथा सवाईमाधोपुर-जयपुर के आमान-परिवर्तन और समदड़ी से जोधपुर तक तथा जयपुर से फुलेरा तक सामानान्तर बड़ी रेल लाइनों के निर्माण से सम्बन्धित कार्य शुरू किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रतलाम डिवीजन में निर्माण कार्य

*313. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1992 में उज्जैन, मध्य प्रदेश में होने वाले कुम्भ "सिंहस्थ" मेले को देखते हुए पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन में हो रहे निर्माण कार्यों में हुई प्रगति और प्राप्त किये गये लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रतलाम डिवीजन के नागदा जंक्शन के प्लेटफार्म पर पूछताछ और विश्रामगृह आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) क्या नागदा रेलवे स्टेशन के स्वतंत्र विकास के लिये नागदा मंडी और बिरला ग्राम में निर्माण-कार्य सम्बन्धी कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) अप्रैल, 1992 में उज्जैन में होने वाले "सिंहस्थ मेले" के सम्बन्ध में, पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में उज्जैन में निम्नलिखित निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं :—

क्रम सं०	निर्माण कार्य का नाम	प्रगति
1.	सिंहस्थ मेले के संबंध में सुविधाएं-स्टेशन की नई इमारत की व्यवस्था करना, जिसमें प्रतीक्षालय, बुकिंग और आरक्षण कार्यालय हों।	5%
2.	तीर्थयात्रियों के लिए प्लेटफार्म और अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करना तथा प्लेट-फार्मों पर और परिचलन क्षेत्र में छत का विस्तार करना।	15%
3.	50 पलंग वाले रेल यात्री निवास की व्यवस्था करना।	45%

ये कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और सिंहस्थ मेले से पहले पूरे कर लिए जायेंगे।

(ख) जी, हां।

(ग) नागदा स्टेशन के बिरला ग्राम वाले छोर पर प्रतीक्षा शेड, बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था तथा परिचलन क्षेत्र में सुधार सम्बन्धी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। नागदा स्टेशन के नागदा मंडी वाले छोर पर पर्याप्त सुविधाएं पहले ही मौजूद हैं।

[अनुवाद]

कलकत्ता और हावड़ा के लिए उप-नगरीय रेल सेवाएं

*315. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता और हावडा के लिए उप-नगरीय सेवाओं में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त रेकों/सवारी डिब्बों की आवश्यकता का आकलन किया है ;

(ख) पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के सियालदह और हावड़ा डिवीजनों में उपलब्ध रेकों/सवारी डिब्बों की वर्तमान कुल संख्या क्या है, वास्तव में कितने रेक/सवार डिब्बे काम में आ रहे हैं तथा कितने रेकों और सवारी डिब्बों की आवश्यकता है ; और

(ग) कालावधि समाप्त हो जाने के बाद भी प्रयोग में लाए जा रहे रेकों/सवारी डिब्बों की संख्या कितनी है ?

रेल मन्त्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर यातायात सेवा की आवश्यकताओं तथा अनुरक्षण सम्बन्धी छोटे-मोटे काम और ओवरहाल दोनों के लिए ई०एम०यू० के 135 रेक/1245 सवारी डिब्बों का बेड़ा है ।

(ग) 1-4-1991 को 157 सवारी डिब्बे ।

अम्बागुडा से केसिंगा (द०पू०रे०) तक रेलवे लाइन बिछाना

*316. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाल्टेयर डिवीजन में अम्बागुडा से केसिंगा तक रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना का सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी और इसका परिचालन कब शुरू होगा ; और

(घ) कोरापुट और कालाहांडी जिलों में इस रेलवे लाइन से किन-किन स्थानों के जोड़े जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) तथा (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) आमगुडा-केसिंगा के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन लांजीगढ़ रोड से आमगुडा तक के लिए 1965-66 में सर्वेक्षण किया गया था । भवानीपटना के निकट प्रस्तावित अलुमिना संयंत्र को देखते हुए, लांजीगढ़ रोड (केसिंगा के निकट) से जूनागढ़ तक के मार्ग के भाग के लिए सर्वेक्षण को 1990-91 में अद्यतन किया गया है । 80 करोड़ रुपए की लागत पर लांजीगढ़ रोड से जूनागढ़ तक (54 कि०मी०) लाइन का निर्माण शुरू किये जाने का, योजना आयोग द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है,जो अलुमिना संयंत्र की स्थापना के अध्यधीन है । सर्वे की गई लाइन भवानीपटना से होकर गुजरती है ।

रामनाथापुरम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कम्पलैक्स की स्थापना

*317. **डा० वी० राजेश्वरन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तमिलनाडु के राममाथापुरम जिले में तेल के लिए खुदाई कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की जानी है;

(ख) क्या रामनाथापुरम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कार्यालय कम्पलैक्स की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विगत समय में 0.7 करोड़ रुपए की लागत पर दो कूपों का वेधन किया गया है। 13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर चार कूपों का वेधन किया जाना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय और विदेशी कम्पनियों द्वारा तेल की खोज और उत्पादन

*318. **श्री मोरेश्वर सावे :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्चे तेल के उत्पादन और खोज की गति को तेज करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों से निविदाएं आमंत्रित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन कम्पनियों/देशों से निविदाएं आमंत्रित करने का है ;

(ग) इन कम्पनियों को कौन-कौन से खंड सौंपे जाने की संभावना है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने भारत में तेल और गैस की खोज के लिए चौथे दौर के बोलीदाताओं में अन्तर्राष्ट्रीय तथा भारतीय कम्पनियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। पर्यावरणीय निष्पादन प्राप्त होने पर 17 बेसिनों में 72 ब्लाकों—39 अपटत में तथा 33 तटवर्ती क्षेत्र—को आफर करने का प्रयास किया गया है। वांछित वित्तीय तथा तकनीकी जानकारी रखने वाली कम्पनियां बोली लगा सकती हैं। ये संविदाएं उत्पादन-हिस्सेदारी संविदाएं होंगी।

समस्तीपुर और खगड़िया के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का रद्द किया जाना

*319. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोसड़ा होते हुए समस्तीपुर और खगड़िया जंकशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच सुबह और शाम चलने वाली सवारी रेलगाड़ियां पिछले कुछ महीनों से रद्द कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का उपर्युक्त रेलगाड़ी को पुनः चलाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) 415 अप/416 डाउन समस्तीपुर-बनमंखी गाड़ी का समस्तीपुर और सहरसा के बीच चालन बन्द कर दिया गया है।

(ख) यह गाड़ी उन फन गाड़ियों में से थी जिन्हें आरक्षण-विरोधी आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर नागरिक उपद्रवों के कारण हुई गड़-बड़ी तथा-रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचने के कारण रद्द करना पड़ा था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

खुर्दा रोड-बोलंगीर रेलवे लाइन

*320. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में खुर्दा से बोलंगीर तक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए पुनः सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत को गैर-सरकारी क्षेत्र में देना

*321. **श्री मुकुल वासनिक** :

श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत को प्रति माह भारी घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार की वायुदूत को गैर-सरकारी क्षेत्र में देने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) वायुदूत का 31 मार्च, 1991 तक संचित घाटा कोई 128 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस घाटे के मुख्य कारण हैं ; परिचालनों का कम दूरी का होना, पुराना और गैर-किफायती विमान-बेड़ा, अलाभकारी किराया ढांचा।

(ग) तथा (घ) वायुदूत के भावी ढांचे के बारे में सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मराठवाड़ा में रेल लाइन

*322. **श्री प्रकाश बी० पाटील** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान मराठवाड़ा में रेलवे लाइन बिछाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) क्या लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने तथा विद्यमान लाइनों में बदलने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) मराठवाड़ा में 1990-91 के दौरान लाइनें चालू करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मराठवाड़ा क्षेत्र में मनमाड-औरंगाबाद मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा आदिलाबाद-पिम्पकुट्टी (आंशिक रूप से आंध्र प्रदेश में) लाइन का निर्माण करके इन्हें 1991-92 में खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

केरल में विद्युत संयंत्र

*323. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ब्रह्मपुरम में डीजल पर आधारित विद्युत केन्द्र और वाईपीन, कोचीन में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत एवं अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (श्री कल्पना नाथ राय) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) को अप्रैल, 1989 में राज्य बिजली बोर्ड से ब्रह्मपुरम में 90 मेगावाट का एक कम्बाइंड साइकिल पावर प्लांट स्थापित करने केसम्बन्ध में एक फिजीबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसके अन्तर्गत 106.66 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2 × 30 मेगावाट गैस टर्बाइन + 1 × 30 मेगावाट स्टीम टर्बाइन कैपेसिटी स्थापित किए जाने तथा एल०एस०एच०एस० अथवा गैस को फ्यूल के रूप में उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा फ्यूल लिंकेज कन्फर्म किए जाने, अन्य आवश्यक इनपुट्स को सुनिश्चित किए जाने तथा राज्य बिजली बोर्ड

द्वारा सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने के बाद सी०ई०ए० द्वारा प्रस्ताव पर टेक्नो इकोनोमिक क्लीयरेंस हेतु कार्यवाही की जा सकती है।

वाईपीन (कोचीन) में लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस पर आधारित एक पावर स्टेशन स्थापित किए जाने की सम्भावना का पता लगाने के लिए एन०टी०पी०सी० द्वारा जांच की गई थी। यह बात सामने आई है कि इस पावर स्टेशन को स्थापित करने के लिए गैस लिंकेज उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार के जहानाबाद जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण

*324. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के जहानाबाद जिले में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ;

(ख) शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है ?

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ गांव-वार आवटित की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस आबंटन में कोई वृद्धि किए जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1981 की जनगणना के अनुसार जहानाबाद जिले में 870 आबाद गांव में से मार्च, 1991 के अन्त तक 744 गांवों का इलैक्ट्रफिकेशन क्रिया जा चुका है।

(ख) से (ङ) डिस्ट्रक्टवाइज इलैक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय, स्टेट लैवल पर किया जाता है जोकि फण्ड्स की उपलब्धता और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रिलेटिव प्रायरिटी पर आधारित होता है। आठवीं योजना अवधि के दौरान सारे बिहार में इलैक्ट्रिफिकेशन से सम्बन्धित लक्ष्यों के सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डार

*325. **श्री राजवीर सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भण्डारों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन स्थानों पर तेल मिला है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

वाल्टेयर डिवीजन को अन्यत्र ले जाना

1726. **श्री जे० बोक्का राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाल्टेयर डिवीजन को दक्षिण पूर्व जोन से दक्षिण मध्य जोन में ले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध से कोई अनुरोध किया है, और यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां, बहरहाल, परिचालनिक तथा प्रशासनिक अनिवार्यताओं को देखते हुए वाल्तेरु मण्डल को दक्षिण-पूर्व रेलवे से दक्षिण-मध्य रेलवे में अन्तरित करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

असम को वायुदूत सेवा

1727. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के दो पर्वतीय जिलों कारबी अंगलांग और एन० सी० हिल्स के लिए कोई विमान सेवा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन दो पर्वतीय जिलों को प्रथम चरण में हेलीकाप्टर अथवा वायुदूत सेवा के जरिये देश के अन्य भागों से जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब आरम्भ किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बालासोर में रेल परियोजनाएं

1728. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

खड़गपुर-खुर्दा रोड सेक्शन पर बालासोर में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं का कितना-कितना कार्य पूरा हो गया है और इनका कार्य पूरा होने के लिए कौन-कौन सी तिथियां निर्धारित की गई हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में हार्ड कोक की सप्लाई

1729. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

1990-91 और जून, 1991 तक बिहार के हजारीबाग और रांची जिलों में कितनी मात्रा में हार्ड कोक की सप्लाई की गई ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामागाड़) : कोल इण्डिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1990-91 और वर्ष 1991-92 (अप्रैल-जून) की अवधि के दौरान कोल इंडिया लि० के स्रोतों द्वारा बिहार के रांची तथा हजारीबाग जिलों को आपूर्ति किए गए हार्ड कोक की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :—

(आंकड़े टन में)

जिला	1990-91	1991-92 (अप्रैल-जून)
रांची	1556	287
हजारीबाग	शून्य	शून्य

समस्तीपुर में अधिकारियों का स्थानांतरण

1730. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में विशेषकर समस्तीपुर डिवीजन में ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जो वहां तीन वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं;

(ख) इसके क्या कारण है; और

(ग) समस्तीपुर डिवीजन में ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अपने घर, गांव अथवा शहर के समीपवर्ती स्टेशन पर तैनात हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

ठाणे से मुम्बई वी० टी० तक सीधी रेल सेवा

1731. **प्रो० राम कापसे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि (हार्बर लाइन होकर) ठाणे से मुम्बई वी० टी० तक की सीधी रेल सेवा कुछ साल पहले बंद कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य लाइन पर अधिक उपनगरीय सेवाएं चालू करने के प्रयोजन से ।

कोटा ताप विद्युत संयंत्र

1732. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र का दूसरा एकक कोटा (अन्ता) में चालू करने का निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे सम्बद्ध सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तम स्थान पर दूसरे एकक की स्थापना की सिफारिश की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो कब, और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में और किन-किन स्थानों की सिफारिश की गयी थी ?

विद्युत और गैर-परम्परा ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखने के पश्चात् संयंत्र में भार भिन्नता के आधार पर 430 मे० वा० क्षमता के मोडयूल की अभिवृद्धि किए जाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने सितम्बर, 1988 में सिफारिश की थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि भार के आधार पर गैस विद्युत केन्द्र का प्रचालन किया जाना चाहिए। भार आधार के अधीन के प्रचालन हेतु परियोजना के लिए गैस लिंकेज सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

1733. **श्री गोविंदराव निकम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने संघ सरकार को राज्य में कुछ रेल परियोजनाओं का निर्माण करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाई की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने राज्य में कुछ रेल लाइनों के निर्माण पर आने वाली लागत का कुछ भाग वहन करने का भी प्रस्ताव रखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा निम्नलिखित रेल परियोजनाओं की सिफारिश की गयी है :—

(i) मनमाड-औरंगाबाद मीटर लाइन खंड का बड़ी लाइन में बदलाव तथा बाद में इसका परली बैजनाथ और आदिलाबाद तक विस्तार।

(ii) लातूर-बार्सी-पंढरपुर-मिरज छोटी लाइन खण्ड का बदलाव और इसका लातूर रोड तक विस्तार तथा एक नई लाइन बिछाना जो उस्मानाबाद को इस लाइन से जोड़े।

((iii) बीड के रास्ते अहमदनगर से परली बैजनाथ तक नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण।

(iv) खामगांव से जालना तक नई बड़ी रेल लाइन।

(v) चन्द्रपुर-गोंदिया-जबलपुर छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव।

(vi) धौंड-बारामती छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव।

(ग) जी, हां।

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने ऊपर (I) से (V) तक परियोजनाओं के लिए निगम स्थापित करने का प्रस्तान किया था। (I) से (IV) तक दी गई परियोजनाओं की की सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि ये वित्तीय दृष्टि से लाभपद नहीं होंगी। (V) में दी गई परियोजना के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। (VI) में दी गई परियोजना के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। लेकिन, संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण फिलहाल इस परियोजना के बारे में विचार करना संभव नहीं है। बहरहाल, कोंकण रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान करते समय वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया था किआठवीं योजना के दौरान कोई और निगम स्थापित नहीं किया जाएगा।

इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए ऋण पत्र जारी करने का प्रस्ताव किया था। रेलें इस बात पर सहमत थीं कि ऐसा अंशदान अतिरिक्त होगा और यह रेलवे के वार्षिक योजना परिव्यय से बिल्कुल अलग होगा और इसके परिणामस्वरूप रेलों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय दायिता नहीं आएगी चाहे वह ब्याज के भुगतान के रूप में हो अथवा ऋण पत्रों के परिशोधन अथवा किसी अन्य तरीके से। इस आधार पर राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसी बीच वित्त मन्त्रालय ने एक पत्र में यह राय व्यक्त की है कि यदि ऐसी योजनाओं के लिए योजना से बाहर ऋण पत्रों को जारी करके धन की व्यवस्था करनी हो तो केन्द्र सरकार को ऐसे अनुरोधों को स्वीकार करने के लिए उधार लेने के कार्यक्रम में उस सीमा तक कटौती करना स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुझाव दिया हैं कि इन आमान परिवर्तन परियोजनाओं के तीव्रता से निष्पादन का एकमात्र तरीका यह है कि रेलों के योजना परिव्यय के अन्तर्गत इन योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण

1734. **श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में संपूर्ण विद्युतीकरण किये जाने के बारे में 1990-91 के दौरान कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) जिले में विद्युतीकृत और गैर-विद्युतिकृत गांवों की संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया; और

(ङ) गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतिकरण कब तक किया जायेगा ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) तथा (ख) ग्राम विद्युतीकरण संबंधी कार्यक्रम सम्बन्धी राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार तथा क्रियान्वित किए

जाते हैं । निधियों की उपलब्धता तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर जिलेवार विद्युतीकरण कार्यक्रम को राज्य स्तर पर अंतिम रूप दिया जाता है ।

(ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर 31-‌-91 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में विद्युतीकृत और गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या क्रमश: 944 तथा 1099 थी ।

(घ) 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 33 आबाद गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की सूचना है ।

(ङ) शेष सभी गांवों का भविष्य मे विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है बशर्ते निधियां एवं अन्य निवेश उपलब्ध हों ।

कोचीन टर्मिनल से अलापुजा के लिए और अधिक रेलगाड़ियां

1735. **श्री टी० जे० अन्जलोज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोचीन से अलापुजा तक और अधिक रेलगाड़ियां शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

ग्वालियर और जबलपुर के बीच विमान सेवा

1736. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर और जबलपुर के बीच इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उड़ानों को पुन: कब शुरू किया जाएगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु खजुराहो को दिल्ली से तथा बम्बई से वाया भोपाल इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं के साथ जोड़ने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने ग्वालियर और जबलपुर के बीच सेवाओं का परिचालन नहीं किया है।

(ग) जबलपुर हवाई अड्डा केवल एवरो/फोकर-27 प्रकार के विमानों के परिचालनों के लिए उपयुक्त है । इस प्रकार के विमान अब इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में नहीं हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यातायात की मांग इतनी नहीं है कि भोपाल होकर खजुराहो को दिल्ली और बम्बई से जोड़ते हुए सेवा का परिचालन करना न्यायोचित हो सके ।

[हिन्दी]

बक्सर रेलवे जंक्शन का विकास

1737. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बक्सर रेलवे जंक्शन का विकास करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) स्टेशनों का कर विकास सतत् प्रक्रिया है और यह सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा के आधार मानदण्डों के अनुसार किया जाता है बशर्ते कि धन आदि उपलब्ध हो। बक्सर स्टेशन में 2,34 लाख रुपए की लागत पर डाउन प्लेटफार्म पर शेड का विस्तार कार्य पहले ही शुरू कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखंड डिवीजन व पर्यटन को बढ़ावा

1738. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में स्थित पर्यटन केन्द्रों के समन्वित विकास के लिए केन्द्रीय योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में विगत समय में किए गए प्रयासों के क्या परिणाम निकले ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तथा (ख) पर्यटक केन्द्रों और उनमें पर्यटन आधारिक-संरचना के विकास हेतु योजनाएं तैयार करना मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर कुछ वित्तीय सहायता देती है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने कालिंजर, औरिया, झांसी, खजुराहो, पन्ना, दतिया और ओरछा में पर्यटन आधारिक-संरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी है।

[अनुवाद]

केरल में भारत पर्यटन विकास निगम के नियंत्रणाधीन होटल परियोजनायें

1739. **श्री कोड्डीकुन्नील सुरेश** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने संघ सरकार से भारत पर्यटन विकास निगम के नियन्त्रणाधीन कोई सितारा होटल परियोजना स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन का विकास

1740. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन के विकास की योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराय सिंधिया) : (क) तथा (ख) पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार की होती है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को पर्यटन आधारिक-संरचना का विकास करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता देता है। तदनुसार, अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है और वर्ष 1991-92 के दौरान पर्यटन आधारिक-संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु परियोजनाओं का अभिनिर्धारण किया गया है।

पश्चिम रेलवे की रेलगाड़ियों को वरीयता का आवंटन

1741. **श्री राम नाइक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के विराड़ तथा अन्य स्टेशनों के उपनगरीय खण्ड को चलने वाली रेलगाड़ियों को तेज चलने वाली (लम्बी दूरी की) रेलगाड़ियों के मुकाबले क्लीयरेन्स में सबसे कम वरीयता दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों को अपने काम करने के स्थानों में पहुंचने में देरी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस प्रणाली में संशोधन करने का विचार है और स्थानीय रेलगाड़ियों को क्लीयरेंस देने में प्रथम वरीयता देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं प्रस्तुतः, लम्बी दूरी की गाड़ियों की तुलना में स्थानीय गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन-मुम्बई सैक्टर में यात्रियों की संख्या में वृद्धि

1742. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोचीन-मुम्बई सैक्टर में यात्री यातायात में भारी वृद्धि को देखते हुए उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है ;

(ख) यात्री यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस सैक्टर में अधिक यात्री क्षमता वाले आधुनिक विमान की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) कोचीन का वर्तमान धावनपथ इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में उपलब्ध ए 300/ए-320 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त नहीं है।

बंगरपेट और कोलार गोल्डफील्ड के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

1743. **श्री पी०सी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बंगरपेट और कोलार गोल्डफील्ड के बीच रेल लाइन बहुत पुरानी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं पाई गई थी और इसलिए इसे शुरू करने के बारे में विचार नहीं किया गया है।

पेट्रोल और पेट्रोल-उत्पादों का आयात

1744. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में अपरिष्कृत पेट्रोल, पेट्रोल-उत्पादों का आयात किया गया ;

(ख) आयात किए गए अपरिष्कृत पेट्रोल का प्रति मीट्रिक टन औसत मूल्य क्या है ;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी मात्रा में इनका आयात किए जाने की सम्भावना है ;

(घ) उसका प्रति मीट्रिक टन औसत मूल्य क्या होगा ; और

(ग) ऊपर (ङ) में से कितनी मात्रा वर्तमान दीर्घकालिक ठेकों के अन्तर्गत आयात की जाएगी, कितनी मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदी जाएगी और कितनी मात्रा किन-किन देशों से उनकी सरकारों से खरीदी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) :

(क) (1) कच्चा तेल	20.7 मिलियन टन
(2) पेट्रोलियम उत्पाद	9.66 मिलियन टन

(ख) 2956 रुपए प्रति मि० टन (एफ० औ० बी०)

(ग) से (ङ) फिलहाल वर्ष 1991-92 के लिए सरकार ने 19.6 मि० मी० टन कच्चे तेल तथा 9.626 मि०मी० टन उत्पादों के आयात के लिए स्वीकृति दी है। औसत लागत वर्ष 1991-92 की

कीमतों पर निर्भर करेगी। वर्तमान सावधिक करारों के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में 12.427 मि०मी० टन कच्चे तेल तथा 3.367 मि०मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों के आयात किए जाने का अनुमान है। स्थल पर खरीद के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्णय लिया जाता है। यह एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच करार नहीं है।

अकबर होटल, नई दिल्ली के कर्मचारी

1745. **श्री रोशन लाल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 में अकबर होटल के बन्द किए जाने के समय इसमें कार्य कर रहे कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी थी ;

(ख) श्रेणी वार कितने कर्मचारियों को अन्य विभागों/मंत्रालयों और होटलों आदि में खपाया गया ;

(ग) क्या आमतौर पर अन्य प्रतिष्ठानों और विशेषकर विदेश मंत्रालय में खपाए गए कर्मचारियों को उन वेतनमानों में रखा गया है जो वे अकबर होटल में ले रहे थे ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उनकी सेवा/हितों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) तथा (घ) भारत पर्यटन विकास निगम ने अकबर होटल में उस समय कार्यरत सभी कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार छंटनी मुआवजे का भुगतान किया था। उन्हें भारत पर्यटन विकास के विभिन्न स्थानों पर अवस्थित विभिन्न एककों में अथवा विदेश मंत्रालय में वैकल्पिक रोजगार भी दिया गया था। उनके अन्तिम वेतन का संरक्षण किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इन कर्मचारियों के वेतनमान अभी निर्धारित किए नहीं हैं क्या आरक्षित पदों का अभी तक सृजन नहीं किया गया है।

विवरण

श्रेणी/पदनाम	कर्मचारियों की कुल सं०	पुनर्नियोजित कर्मचारियों की सं०	
		विदेश मंत्रालय में	भारत पर्यटन विकास निगम में
1	2	3	4
वरिष्ठ मट्रे द होटल	1	01	
डेसी शेफ द पार्टि	1	01	
वरिष्ट कॉमी द रंग	9	09	
कामिस-द-रंग ग्रेड-II	51	03	48

1	2	3	4
लाइफ गार्ड	1	01	
कॉमि-I	10	02	08
कॉमि-II	25	04	21
कॉमि-III	1	01	
कॉमि-IV	7	शून्य	07
कॉमि-V	7	,,	07
कॉमि-VI	14	,,	14
ड्राइवर	2	02	
सहायक	7	10	06
स्टोरमैन ग्रेड-III	7	01	06
वरिष्ठ टेलीफोन आपरेटर	2	02	
टेलीफोम आपरेटर ग्रेड-I	3	02	01
—वही—	5	शून्य	05
वरिष्ठ तकनीशियन ग्रेड-I	19	14	05
वरिष्ठ तकनिशियन ग्रेड-II	16	04	12
वरिष्ठ तकनिशियन ग्रेड-III	4	02	02
तकनिशियन ग्रेड-I	5	01	04
तकनिशियन ग्रेड-II	2	शून्य	2
स्वीमिंग पूल अटेंडेंट	1	01	
माली ग्रेड-I	1	01	
माली ग्रेड-II	2	02	
माली ग्रेड-III	5	05	
हेल्पर	20	20	
वरिष्ठ हाउसकीपर ग्रेड-I	3	03	
हाउसकीपर ग्रेड-II	2	01	01
हाउसकीपर ग्रेड-I	1	01	
कनिष्ठ हाउसकीपर ग्रेड-I	4	शून्य	04
कनिष्ठ हाउसकीपर ग्रेड-II	3	,,	03
फ्लोर कीपर सीनियर ग्रेड	11	04	07

1	2	3	4
फ्लोर कीपर ग्रेड-I	19	शून्य	19
फ्लोर कीपर ग्रेड-II	19	,,	19
हाउसमैन ग्रेड-II	1	01	
क्लॉक रूम अटेंडेंट ग्रेड-II	1	01	
हाउसमैन ग्रेड-II	9	08	01
हाउसमैन ग्रेड-III	16	16	
हाउसमैन ग्रेड-V	24	11	13
लेडी क्लाक रूम अटेंडेंट	2	02	
अधीक्षक ग्रेड-I	3	शून्य	03
वरिष्ठ अग्र कार्यालय सहायक		,,	
ग्रेड-I	3	,,	03
—वही—ग्रेड-II	2	,,	02
वरिष्ठ सहायक ग्रेड-I	7	,,	07
अधीक्षक ग्रेड-II	1	,,	01
कनिष्ठ सहायक	19	,,	19
अग्र कार्यालय सहायक ग्रेड-III	1	,,	01
अग्र कार्यालय सहायक ग्रेड-IV	1	,,	01
अग्र कार्यालय सहायक ग्रेड-V	4	,,	04
वरिष्ठ लिपिक ग्रेड-I	6	,,	06
सहायक	1	,,	01
वरिष्ठ लिपिक ग्रेड-II	10	,,	10
लिपिक	10	,,	10
प्रधान प्रबन्धक के निजी सहायक	1	,,	01
आशुलिपिक	3	,,	03
हिन्दी स्टेनो	1	,,	01
कनिष्ठ स्टेनो	1	,,	01
दफ्तरी	1	,,	01
संदेशवाहक ग्रेड-III	1	,,	01
शेफ-द-पार्टि ग्रेड-I	1	,,	01

1	2	3	4
शेफ-द-पार्टि ग्रेड-II	3	शून्य	03
शेफ-द-पार्टि ग्रेड-III	2	,,	02
डेमी शेफ द पार्टि	3	,,	03
कैन्टीन पर्यवेक्षक	1	,,	01
शेफ द रंग (किचन)	3	,,	03
शेफ द रंग	19	,,	19
यूटिलिटि वर्कर	18	,,	18
सिलेक्शन ग्रेड मट्रे द होटल	1	,,	01
वरिष्ठ मट्रे द होटल ग्रेड-I	1	,,	01
कनिष्ठ मट्रे द होटल	7	,,	07
डेमी शेफ द रंग	18	,,	18
रेस्टोरेंट होसटेस	1	,,	01
दरबान ग्रेड-II	3	,,	03
सुरक्षा हवलदार	4	,,	04
सुरक्षा गार्ड-ग्रेड-I	10	,,	10
सुरक्षा गार्ड-ग्रेड-III	4	,,	04
सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-II	1	,,	01
सहायक सुरक्षा अधिकारी	2	,,	02
टेलीफोन पर्यवेक्षक ग्रेड-II	1	,,	01
टेलीफोन मानिटर	1	,,	01
सहायक बेल कैप्टन	2	,,	02
पेज ब्वाय ग्रेड-II	1	,,	01
पेज ब्वाय ग्रेड-III	6	,,	06
पेज ब्वाय ग्रेड-IV	6	,,	06
पेज ब्वाय ग्रेड-V	1	,,	01
फोरमैन ग्रेड-II	2	,,	02
हेल्पर	2	,,	02
लिनेन हेल्पर ग्रेड-II	2	,,	02
लिनेन हेल्पर ग्रेड-III	1	,,	01

1	2	3	4
ट्रेनी हाउसकीपर	1	शून्य	01
दर्जी ग्रेड-III	1	,,	01
दर्जी ग्रेड-IV	1	,,	01
सी आर ए ग्रेड-V	1	,,	01
कॉमि द रग ग्रेड-II	1	,,	01
जोड़	551	128	423

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा भूमि निर्वासितों को नौकरियां देना

1746. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में भूमि निर्वासितों को मुआवजा देने के अलावा नौकरियां भी देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के बिरोली और अहोर खण्डों के निफोरी, लंघाई और दिगनेर गांवों के विस्थापितों को नौकरियां दी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) की यह नीति है कि भूमि के लिए मुआवजे की राशि का भुगतान किए जाने के अलावा अपनी आवश्यकतानुसार सीमित संख्या में भू-विस्थापितों को रोजगार के अवसर भी देता है बशर्ते आश्रयी उपयुक्त हों।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा दिगनेर गांव में किसी की निजी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। परिणामस्वरूप इस गांव में कोई भी व्यक्ति भू-विस्थापित कहलाए जाने का पात्र नहीं है। जहां तक निफोरी तथा लांघाई गांवों में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने का सम्बन्ध है, 17 भू-विस्थापितों को रोजगार दिया गया है।

[अनुवाद]

पूर्वी दिल्ली में बिजली के कनेक्शन

1747. **श्री साईमन मरांडी** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली की विभिन्न कालोनियों के निवासियों ने बिजली के कनेक्शन लेने के लिए विकास प्रभार कई वर्ष पहले ही जमा करा दिया है; और यदि हां, तो क्या उन्हें अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पश्चिम विनोद नगर के ए०, बी०, सी०, डी०, ई०, ब्लाक के उन लोगों की संख्या कितनी है जिन्होंने विकास प्रभार जमा करा दिया है और उनमें से कितने लोगों को बिजली के कनेक्शन मिल गए हैं;

(घ) ऐसे शेष ब्लाकों की संख्या कितनी है जहां खम्भों पर वर्षों से बिजली के तार लगे हैं परन्तु उनमें बिजली की सप्लाई नहीं होती है; और

(ङ) उक्त ब्लाकों में बिजली के कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) तथा (ख) डेसू के अनुसार पूर्वी दिल्ली की कुछ कालोनियों में, जहां के निवासियों द्वारा विकास प्रभार की राशि जमा करा दी गई है, बिजली के कनेक्शन इसलिए जारी नहीं किए जा सके क्योंकि सम्बन्धित निवासियों की एसोसिएशन द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई अथवा उप-केन्द्रों हेतु स्थल (स्थलों) उपलब्ध नहीं कराए गए आदि।

(ग) से (ङ) पश्चिम विनोद नगर के ए०, जी०, सी०, डी० और ई ब्लाक के 639 प्लाट धारियों में से जिन्होंने अपेक्षित विकास प्रभार की राशि जमा करा दी थी, इनमें से 445 को 30 जुलाई, 1991 तक पहले ही बिजली के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। पश्चिम विनोद नगर के डी० ब्लाक की गलियों में इलेक्ट्रिसीटी मेंस पहले ही प्रतिष्ठापित किए जा चुके हैं। तथापि संबंधित निवासियों की एसोसिएशन द्वारा दूसरे उप-केन्द्र हेतु जिस स्थल का प्रस्ताव रखा था इस स्थल के सम्बन्ध में मुकदमा चल रहा है इसलिए शेष व्यक्तियों को बिजली के कनेक्शन दिया जाना संभव नहीं पाया है। उप केन्द्र हेतु स्थल उपलब्ध कराए जाने अथवा डेसू को अन्य वैकल्पिक स्थल सौंप दिए जाने के पश्चात् ही डेसू द्वारा इन व्यक्तियों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

आठवीं योजना में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता

1748. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी** : क्या **विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिपुरा में तथा प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में बिजली की प्रति व्यक्ति उप-लब्धता कितनी है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ; और

(ख) इस संबंध में कितनी धनराशि का प्रावधान करने का विचार है ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) तथा (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान त्रिपुरा और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विद्युत की प्रतिव्यक्ति खपत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना आयोग द्वारा 8वीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1989-90 के दौरान बिजली की प्रति व्यक्ति खपत का राज्यवार ब्यौरा
(यूटिलिटीज एवं गैर-यूटिलिटीज)

(कि० वा० आवर में)

क्षेत्र/राज्य का नाम	1989-90*
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	353.37
हिमाचल प्रदेश	179·76
जम्मू एवं कश्मीर	178·02
पंजाब	639·17
राजस्थान	201·76
उत्तर प्रदेश	159·16
चंडीगढ़	584·33
दिल्ली	650·56
उपजोड़	241·37
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	398·79
मध्य प्रदेश	205·48
महाराष्ट्र	404·62
गोवा, दमन और दीव	396·25
दादरा एवं नगर हवेली	878·76
उपजोड़	333·55
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	227·22
कर्नाटक	273·33
केरल	463·62
तमिलनाडु	295·41
पांडिचेरी	647·)5
लक्षद्वीप	170·50
उपजोड़	249·15

क्षेत्र/राज्य का नाम	1989·90*
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	102·35
उड़ीसा	181·28
प० बंगाल	138·87
डी० वी० सी०	—
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	105·35
सिक्किम	96·11
उपजोड़	128·91
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
असम	77·93
मणिपुर	80·36
मेघालय	108·07
नागालैंड	70·19
त्रिपुरा	51·03
अरुणाचल प्रदेश	58·02
मिजोरम	56·83
उपजोड़	76·38
जोड़ (अखिल भारत)	236·02

*अनन्तिम

[हिन्दी]

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर प्लेटफार्म

1749. **श्री केशरी लाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर नये प्लेटफार्मों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर कुल कितना खर्च होगा ; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) मीटर लाइन की दो लाइनों को उखाड़ करके, 26 सवारी डिब्बों की लम्बाई वाली गाड़ी के लिए बड़ी लाइन के दो तरफा प्लेटफार्म का निर्माण-कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) लगभग 50 लाख रुपये।

(घ) 1992-93 के अन्त तक बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

खड़गपुर-मिदनापुर खंड में दोहरी रेल लाइन बनाना

1750. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-मिदनापुर खंड में दोहरी रेल लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) खड़गपुर-मिदनापुर खंड पर गोकुलपुर-मिदनापुर पहले ही दोहरी लाइन है। केवल खड़गपुर-गोकुलपुर खण्ड में इकहरी लाइन है।

(ग) परिचालनिक और यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाइनों को दोहरा किया जाता है। जब विभिन्न परिचालनिक सुधारों के साथ इकहरी लाइन की खंडीय क्षमता संतृप्त हो जाती है तो इसका आश्रय लिया जाता है। खड़गपुर-गोकुलपुर खंड अभी इस कोटि में नहीं आया है।

उड़ीसा के क्योंझार में रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों की कमी

1751. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, उड़ीसा में क्योंझार जिले में पेट्रोल पम्पों तथा रसोई गैस एजेंसियों की कमी के सम्बन्ध में संसद सदस्यों, समितियों और व्यक्तियों से सरकार को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) उक्त सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

रेल यातायात के संबंध में भारत-पाकिस्तान समझौता

1752. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच रेल यातायात के संबंध में समझौते पर जुलाई, 1991 में हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) 'भारत और पाकिस्तान के बीच रेल संचार से संबंधित 1991' के समझौते की अवधि 7-7-94 तक गत तीन वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है । इस समझौते के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की यात्रा के लिए अमृतसर और लाहौर के बीच दैनिक पैसेंजर गाड़ी चलाना तथा दोनों देशों के बीच माल यातायात का नियमित रूप से आदान-प्रदान करना जारी रखने की व्यवस्था है ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल

1753. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री भ्रष्टाचार में लिप्त राष्ट्रीय तथा विद्युत निगम के अधिकारी के बारे में 4 सितम्बर, 1990 और 5 मार्च, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः 4452 और 1475 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के दोषी अधिकारियों के क्या नाम हैं और 11 जनवरी, 1990 से उनके खिलाफ चलाई गई मुख्य दण्डात्मक कार्यवाहीं का ब्यौरा क्या है और उसका क्या निष्कर्ष रहा ;

(ख) सरकार ने दोषी अधिकारियों से धन वसूलने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या माडर्न इन्सुलेटर्स लिमिटेड के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सीधे अथवा भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड जैसी तीसरी पार्टी द्वारा 11 जनवरी, 1990 के बाद भी अपनी सप्लाई जारी रखी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधिकारी सर्वश्री परमेश्वर प्रसाद और एस०के० दुआ के विरुद्ध मुख्य दंडात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के स्वरूप और इनसे राशि वसूल किए जाने के प्रश्न पर मामले की जांच किए जाने के पश्चात विचार किया जा सकेगा ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में 11-1-90 के पश्चात् फर्म को कोई आर्डर नहीं दिया है । फर्म को पहले ही दिए गए ठेकों के सम्बन्ध में इसके द्वारा कुछ 400 के० वी० पोस्ट बस इन्सुलेटर सप्लाई किए गए थे । भेल आदि के उप ठेकेदारों के रूप में फर्म द्वारा निम्नानुसार सप्लाई की गई है—

(1) 400/200 के०वी० लॉग लोड इन्सूलेटर्स—372 संख्या

(2) 400/200 के०वी० बस पोस्ट इन्सूलेटर्स—44 संख्या

(3) सपोर्ट इन्सूलेटर्स—43 संख्या

गुजरात में उद्योगों की वाष्प कोयले की मांग

1754. **श्री हरिन पाठक** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को अपने उद्योगों के लिए अपनी मांग के अनुसार पर्याप्त वाष्प कोयला मिलता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का विचार वाष्प कोयले की कमी के कारण इन उद्योगों को बन्द होने से रोकने के लिये तथा इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौडा) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। गुजरात के उद्योगों में स्टीम कोयले की आपूर्ति में कमी आई है क्योंकि कोयले की आपूर्ति रेलवे द्वारा अधिक मात्रा में अधिक प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे विद्युत, सीमेंट, इस्पात रेलवे, उर्वरक आदि को की जा रही है।

(ग) गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लि० के अधीन सभी कोयला कम्पनियों को इस आशय के निर्देश जारी कर दिये हैं कि उक्त उद्योगों की न्यूनतम 50% के संयोजन को रेल अथवा सड़क द्वारा पूरा किया जाये। इस कार्रवाई से कोयले की आपूर्ति में काफी सुधार आ जायेगा।

सूरत में अतिरिक्त रेलवे स्टेशन का निर्माण

1755. **श्री काशीराम राणा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूरत रेलवे स्टेशन के पूर्व की ओर अतिरिक्त रेलवे स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) हाल ही में भीड़-भाड़ कम करने के लिये पूर्व दिशा में प्लेटफार्म सं० 4 का निर्माण किया गया है, पूर्व दिशा में बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था करने का कार्य निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है, सूरत नगर निगम द्वारा पूर्व दिशा में पहुंच मार्ग की व्यवस्था कर दिए जाने पर यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल किसी अतिरिक्त इमारत का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

1756. **श्री ए० चार्ल्स** :

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने के पश्चात तिरुवनन्तपुरम हवाई अड्डे में क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं ;

(ख) क्या इस समय इस हवाई अड्डे पर सभी तरह के विमानों को उतरने और उड़ान भरने की जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1991-92 के दौरान हवाई अड्डे में उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 250 नई यात्री सामान

ट्रालियां उपलब्ध करा दी गई हैं। यात्रियों और मुलाकातियों को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक डाक्टर को अंश-कालिक आधार पर नियुक्त किया गया है।

(ख) जी, नहीं। इस समय इस हवाई अड्डे पर केवल एयरबस 300/310 प्रकार के विमानों को हैंडल करने के लिए ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में मौजूदा 9500 फीट लम्बे धावनपथ के विस्तार के लिए अपेक्षित भूमि निर्धारित कर ली है। इस भूमि के अर्जन के लिए केरल सरकार से अनुरोध किया जा रहा है और उक्त प्रयोजन के लिए चालू वर्ष में 1.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 1991-92 के अपने बजट में सिविल कार्यों को पूरा करने के लिए 6.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें प्रस्थान नियंत्रण क्षेत्र का वातानुकूलन, चलती सीढ़ी की व्यवस्था और एप्रन तथा टैक्सी ट्रैक का विस्तार और साथ ही क्रैश फायर टैंडरों, एल०सी०डी० उड़ान सूचना प्रदर्शन बोर्डों एवं रंगीन मानीटरों सहित नए सी०सी०टी०वी० जैसे नए उपकरण आदि शामिल हैं।

महानगरीय रेलवे स्टेशनों पर दक्षिण क्षेत्रीय भाषाओं में घोषणा

1757. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महानगरीय रेलवे स्टेशनों पर दक्षिण को जाने वाले रेलगाड़ियां के लिए लिए घोषणा दक्षिणी क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। बहरहाल, अहिंदी भाषी राज्यों में जन उद्घोषणा प्रणाली पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संबद्ध प्रादेशिक भाषाओं में उद्घोषणाएं की जाती हैं।

नडिकुडे होते हुए हैदराबाद से मद्रास तक रेल का किराया

1758. **श्री दत्तात्रेय बण्डारू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नडिकुडे होते हुए हैदराबाद और मद्रास के बीच की रेल लाइन की दूरी, हैदराबाद और मद्रास के बीच अन्य रेल मार्गों की दूरी की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों मार्गों का रेल किराया लगभग बराबर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नडिकुडे होते हुए हैदराबाद और मद्रास के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों का किराया कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं हैदराबाद और मद्रास के बीच दोनों मार्गों के रास्ते प्रभावित दूरी बराबर है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुणे-अहमदाबाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रोज चलाना

1759. श्री अन्ना जोशी : क्या रेल मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थित राजस्थानी समाज और गुजराती समाज ने सरकार से पुणे-अहमदाबाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रोज चलाए जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) अनुरोध की जांच की गई थी लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया।

छितौनी में पुल

1760. श्री राम नगीना मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में छितौनी/रेलवे पुल के निर्माण पर कितनी लागत आने का अनुमान है और क्या उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार ने लागत में अपने योगदान का भुगतान कर दिया है और यदि हां, तो प्रत्येक ने कितनी-कितनी धनराशि का योगदान किया है;

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) छितौनी-बगहा रेल एवं सड़क पुल के निर्माण की अनुमानित लागत 160 करोड़ रुपये है जिनमें से चरणबद्ध आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 36 करोड़ रुपये तथा बिहार सरकार द्वारा 27 करोड़ रु० वहन किए जाने हैं। इसमें से 1989-90 तक उ० प्र० सरकार ने 6 करोड़ रु० तथा बिहार सरकार ने 2 करोड़ रु० का भुगतान किया है। उन्होंने 1990-91 तक तथा 1991-92 के लिए अपने हिस्से का भुगतान अभी तक नहीं किया है जो क्रमशः 23 करोड़ रु० तथा 19 करोड़ रु० बनता है।

(ख) 16 करोड़ रुपए।

(ग) 1994-95 में, बशर्ते कि सहभागीदार अपने हिस्से का अंशदान समय पर जमा करा दें।

[अनुवाद]

गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए वित्तीय सहायता

1761. श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए राज्य-वार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों को, जहां परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की अधिक क्षमता विद्यमान है, अधिक धनराशि का आवंटन करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1991-92 के लिए राज्य के क्षेत्र में अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित राज्यवार परिव्यय निम्न प्रकार से है :

राज्य	(लाख रुपयों में) परिव्यय
आन्ध्र प्रदेश	31
अरुणाचल प्रदेश	50
असम	38
बिहार	315
गोआ	26
गुजरात	352
हरियाणा	70
हिमाचल प्रदेश	100
जम्मू तथा कश्मीर	48
कर्नाटक	52
केरल	80
मध्य प्रदेश	400
महाराष्ट्र	125
मणिपुर	33
मेघालय	60
मिजोरम	34
नागालैंड	50
उड़ीसा	100
पंजाब	100
राजस्थान	360
सिक्किम	50
तमिलनाडु	254
त्रिपुरा	67
उत्तर प्रदेश	320
पश्चिम बंगाल	60
संघ राज्य क्षेत्र	
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	150.00

राज्य	(लाख रुपयों में) परिव्यय
चण्डीगढ़	0.30
दादर एवं नगर हवेली	4.52
दिल्ली	155.00
लक्ष्यद्वीप	190.00
पांडिचेरी	25.00
दमन एवं दीप	2.00

(ख) तथा (ग) राज्यों की मांगों के साथ-साथ उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित राज्यों के विस्तृत परामर्श के बाद योजना नियतन को अन्तिम रूप दिया जाता है।

डेसू की बिलिंग प्रणाली

1762. **श्री मदन लाल खुराना :**

श्री तारा चन्द खंडेलवाल : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "डेसू केऔटिक बिलिंग सिस्टम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) उपभोक्ताओं की परेशानियों को निर्धारित समय में दूर करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या डेसू द्वारा कुल निर्धारित दिनों में खुले सत्र का आयोजन किया जा रहा है ;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(छ) क्या सरकार का विचार और नकदी संग्रह केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(झ) क्या डेसू की वर्तमान कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली दोषपूर्ण है ;

(ञ) यदि हां, तो क्या बिलिंग प्रणाली को आसान बनाने का विचार है; और

(ट) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) तथा (ख) यथोक्त समाचाचर, अन्य के साथ-साथ डेसू द्वारा 1-3-1991 से संशोधित टेरिफ के आधार पर मीटर की वास्तविक रीडिंग लिए बगैर बिल जारी किए जाने, डेसू द्वारा नियमित रूप से बिल न

बनाए जाने, बिजली के त्रुटिपूर्ण बिलों में त्रुटि को दूर करवाने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा समस्या का सामना किए जाने आदि विषय से सम्बन्धित है।

डेसू के अनुसार चूंकि लगभग 17 लाख उपभोक्ताओं के लिए 8 लाख से अधिक बिल प्रतिमाह जारी करने होते हैं इसलिए जिस दिन से संशोधित टैरिफ लागू की गई उसी दिन सभी मीटरों की रीडिंग ले पाना व्यवहार्य नहीं पाया गया था। इसलिए संशोधन पूर्व और संशोधित टैरिफ के बिल यथानुपात खपत के आधार पर जारी किए गए थे।

(ग) से (च) उपभोक्ताओं की शिकायतों पर ध्यान दिए जाने के लिए डेसू में पहले से ही समुचित व्यवस्था की गई है। कार्यपालक इंजीनियरों के स्तर के अधिकारियों द्वारा सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को शिकायत समितियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र समाधान किए जाने के लिए अपर मुख्य अभियंताओं के स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में बैठकों का आयोजन किया जाता है। उपभोक्ताओं की शिकायतों पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान दिए जाने के लिए डेसू ने तीन बिजली अदालतों की भी स्थापना की है।

(छ) तथा (ज) डेसू का निम्नानुसार अतिरिक्त नकदी संग्रह केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है:

1. मयूर विहार;
2. ओंकार नगर/त्रिनगर;
3. बवाना; और
4. गोपीनाथ बाजार, दिल्ली कैन्ट।

(झ) से (ट) डेसू की कम्प्यूटराइज्ड बिलिंग प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है। तथापि उपभोक्ताओं आदि से प्राप्त सुझावों को मद्देनजर रख कर डेसू द्वारा समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

वर्कला में पुल

1763. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन पर वर्कला में ऊपरीपुल के निर्माण में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) पुल को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) वर्कला के समीप कि० मी० 179/13-14 पर मौजूदा समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार से हाल ही में प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह रेलों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए योजना को अन्तिम रूप दे, प्राथमिकता प्रदान करें और रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए इसे प्रायोजित करे।

सिंगापुर में एयर इण्डिया का विमान

1764. **श्री पी०एम० सईद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1991 के प्रथम सप्ताह में भारी संख्या में विमान यात्रियों को एयर इंडिया के विमाम में ही रखा गया था ;

(ख) यदि हां, तो वे कितने यात्री थे और उन्हें विमान में ही रखने के क्या कारण थे तथा इन यात्रियों को कितनी देर तक विमान के अन्दर रहना पड़ा ;

(ग) क्या मद्रास विमानपत्तन पर पुनः एक विमान को रुकना पड़ा और यदि हां, तो इसे मद्रास में कितनी देर रुकना पड़ा ; और

(घ) सामान्यतया यात्री जितने समय में विमान द्वारा सिंगापुर से मद्रास और बम्बई पहुंचते हैं उस समय की तुलना में यात्री कितने घंटे बाद मद्रास तथा बम्बई पहुंचे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तथा (ख) 7 जुलाई, 1991 की उड़ान संख्या ए० आई-415 उड़ान भरने की प्रक्रिया के दौरान भूमि पर दौड़ते समय विमान की हाईड्रालिक प्रणाली में खराबी उत्पन्न हो गई थी। 192 यात्रियों को लगभग साढ़े छः घंटे विमान में ही रखना पड़ा क्योंकि देर रात होने के कारण उस समय हवाई अड्डे पर अधिकतर सेवाएं बन्द हो चुकी थी और आशा की जा रही थी कि खराबी को दूर करने में अधिक समय नहीं लगेगा।

(ग) तथा (घ) हाईड्रालिक प्रणाली में खराबी पुनः उत्पन्न हो गई जब विमान मद्रास में उड़ान भरने के लिए भूमि पर दौड़ लगा रहा था। मद्रास में यात्री 7 घंटे 50 मिनट तक रुके रहे। सिंगापुर और बम्बई के बीच कुल देरी 23 घंटे 35 मिनट थी और सिंगापुर और मद्रास के बीच 15 घंटे और 45 मिनट थी।

हेलीकाप्टरों की खरीद

1765. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1989 से मई, 1991 तक कितने हेलीकाप्टरों की खरीद की गई है ;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रयोग हेतु इन हेलीकाप्टरों की खरीद किन-किन देशों से की गई थी ;

(ग) इन हेलीकप्टरों का कुल लागत मूल्य कितना है ; और

(घ) इस समय इन हेलीकाप्टरों का प्रयोग किन मार्गों पर किया जा रहा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) कोई नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जोधपुर, राजस्थान में सौर-ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना

1766. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जोधपुर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा वित्तीय स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक निरापत्ति प्रदान करने के बाद, इसे आठवीं योजना में एक स्कीम के रूप में योजना आयोग को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

[अनुवाद]

भाप इंजनों के फालतू श्रमिकों का खपाना

1767. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाप इंजनों को समाप्त किए जाने से इन इंजनों में कार्यरत अनेक श्रमिक फालतू होते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन श्रमिकों को रेलवे के अन्य क्षेत्रों में खपाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) भाप रेल इन्जनों को उत्तरोत्तर सेवा से हटाने के कारण इन रेल इंजनों के अनुरक्षण कार्य में लगे कर्मचारी फालतू होते जा रहे हैं । फालतू घोषित किए गए कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाती है अपितु जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करके रेलों पर वैकल्पिक कोटियों में पुनः तैनात कर दिया जाता है ।

दिल्ली में बिजली की चोरी

1768. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में बिजली संकट का एक मुख्य कारण बिजली की चोरी है ;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों ने हाल ही में बिजली चोरी के सैंकड़ों मामलों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिजली की चोरी रोकने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रवर्तन खण्ड को और मजबूत करने का है ; और

(घ) लोगों के खिलाफ क्या कारंवाई करने पर विचार किया गया है जो बिजली की चोरी में लिप्त पाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) तथा (ख) यद्यपि राजधानी में बिजली का कोई बड़ा भारी संकट नहीं है तथापि डेसु के अधिकारियों

द्वारा विभिन्न इलाकों में मारे गए छापों के दौरान बिजली की चोरी से संबंधित अनेक मामलों का पता लगाया गया है ।

(ग) तथा (घ) डेसू ने राजधानी में बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए दो सम्पूर्ण प्रवर्तन प्रभाग स्थापित किए हैं जोकि प्रभावशील भी हैं । सरकार भारतीय बिजली अधिनियम, 1919 के अधीन "बिजली चोरी" को पहले ही संज्ञेय अपराध घोषित कर चुकी है ।

नरसापुर सेतु में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का अंशदान

1769. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले के बीच नरसापुर स्थान पर सेतु के निर्माण के लिए पचास प्रतिशत अंशदान देने पर सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :(क) तथा (ख) नरसापुर में बनाए जाने वाले पुल की लागत में अंशदान करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए एक प्रस्ताव था । जानकारी मिली है कि कोई निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ।

दिल्ली/नई दिल्ली के आरक्षण काउंटर

1770. **श्री रामबदन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के आरक्षण काउंटरों पर बिचौलियों के प्रभाव, रेल टिकटों की बिक्री में कालाबाजारी और यात्रियों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या आरक्षण काउंटरों पर कार्य की धीमी गति के कारण यात्रियों को अपनी बारी के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कर्मचारियों को कौन-सी हिदायतें देने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली स्टेशन पर रेल टिकटों की बिक्री में संलिप्त दलालों तथा कालाबाजारियों की बुराई पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली लागू की गई है जिससे दलालों और कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली चालबाजी की गुंजाइश समाप्त हो गई है ।

2. सतर्कता दलों द्वारा दलालों के विरुद्ध बार-बार अचानक जांच की जाती है । जनवरी-जून 1991 के दौरान 39 दलालों को पकड़ा गया तथा उन पर मुकद्दमा चलाया गया ।

3. हस्तांतरित टिकटों पर यात्रा करने वालों का पता लगाने के लिए गाड़ियों में जांच की जाती है। जनवरी-जून 1991 के दौरान टिकट जब्त करने के अलावा ऐसे यात्रियों से 1,38,859 रुपये की राशि वसूल की गई थी।

4. आरक्षण की असलियत का पता लगाने के लिए संदिग्ध मामलों में मांग पर्चियों की जांच की जाती है तथा घर-घर जाकर सत्यापन किया जाता है।

5. दलालों के साथ मिलीभगत करने वाले संदिग्ध आरक्षण कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा खाड़ी प्रभार वापिस लिया जाना

1771. **श्री शंकर सिंह वघेला :**

डा० ए० के० पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1990 से इंडियन एयरलाइन्स के घरेलू भाड़े में 10 प्रतिशत की दर से खाड़ी निष्क्रमण प्रभार लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रभार से अब तक कितनी धनराशि एकत्र हुई है ;

(ग) खाड़ी युद्ध के दौरान इराक, कुवैत आदि से भारतीयों को लाने में सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(घ) क्या अब खाड़ी प्रभार वापस ले लिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसको जारी रखने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) 26 सितम्बर, 1990 से 30 जून, 1991 तक खाड़ी अधिभार के रूप में एकत्रित राशि लगभग 54 करोड़ रुपए है।

(ग) भारतीयों को लाने पर अनुमानित व्यय लगभग 300 करोड़ रुपए था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागतों में चौतरफा वृद्धि को देखते हुए इस अधिभार को जारी रखना आवश्यक हो गया है।

कोयले की सप्लाई के लिए भाड़ा राज-सहायता

1772. **श्री अन्बारासु इरा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की सप्लाई के लिए भाड़ा राज-सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामागाउड) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोयले की आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में भाड़े पर आर्थिक सहायता निम्न कारणों से व्यवहारिक नहीं है :

(i) कोयला एक न्यूनतम मूल्य की बड़ी आकार की वस्तु है, अतः इसकी लागत में भाड़ा का एक मुख्य तत्त्व के रूप में विद्यमान है।

(ii) कोयले का उत्पादन कई स्थानों पर होता है। अधिक मात्रा में कोयले के उत्पादन तथा अधिक उत्पादन केन्द्रों से कोयले का उत्पादन किए जाने को देखते हुए भाड़े पर आर्थिक सहायता दिए जाने से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएगी।

तेल के कुओं को बन्द करना

1773. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तेल कुओं को बन्द करने के बारे में 28 अगस्त, 1990 और 26 फरवरी, 1991 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 3262 और तारांकित प्रश्न संख्या 60 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

अनधिकृत-कालोनियों में बिजली के कनैक्शन

1774. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "जे० जे० पावर कनेक्शंस ब्रीड एन्क्रोचमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ;

(ग) खम्भों से सीधे बिजली लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिये क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस प्रकार बिजली की चोरी में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारी शामिल हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) खम्भों से सीधे बिजली लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए डेसू द्वारा औपचारिक रूप से किसी प्रकार के सर्वेक्षण कार्य नहीं किए गये हैं। तथापि, डेसू के अनुसार दिल्ली में 600 से अधिक झुग्गी झोंपड़ियों के समूह हैं और ऐसे क्षेत्रों के निवासी दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली प्रशासन द्वारा स्ट्रीट लाइट के लिए लगाए गए खम्भों से सीधे ही अनधिकृत रूप से बिजली प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के मामलों में बिजली की चोरी को रोकने के लिए डेसू द्वारा किए गए प्रयासों का इन क्षेत्रों के अवांछनीय तत्वों द्वारा विरोध किया जाता है जिससे कानून एवं व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाती है। यथोक्त समाचार के विषय कि झुग्गी झोंपड़ियों के समूहों एवं अनधिकृत कालोनियों को बिजली के कनेक्शन दिए जाने से संबंधित प्रावधान के कारण अवैध रूप से अतिक्रमण को प्रोत्साहन मिलता है, डेसू समाचार के इस प्रकार के प्रक्षेपण से सहमत नहीं है। डेसू केवल ऐसी अनधिकृत कालोनियों में विद्युतीकरण संबंधी कार्य करता है जिनको दिल्ली प्रशासन/दिल्ली विद्युत नियंत्रण आदेश, 1957 के अधीन जारी किए गए निर्देशों में शामिल किया गया हो। किन्हीं मामलों में यदि संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण को समाप्त किया जाता है तो डेसू अपनी सर्विस लाइनों को वहां से हटा सकता है। बिजली की चोरी में गुप्त रूप से लिप्त डेसू के कर्मचारियों से संबंधित विशेष मामलों में समुचित कार्रवाई किए जाने के लिए डेसू द्वारा जांच पड़ताल की जाती है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बुकिंग केन्द्र खोलना

1775. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या रेल मंत्री उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रेल व सड़क आरक्षण केन्द्र के बारे में 22 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9819 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक बुकिंग केन्द्र (आउट एजेंसियां) खोल दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन केन्द्रों को शीघ्र खोलने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है और इन्हें कब तक खोला जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी नहीं, जनता तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संबंधित एजेंसियों द्वारा दिखाए गए कम उत्साह के कारण उक्त स्थानों पर अभी तक रेल एवं सड़क यातायात आरक्षणों के लिए आउट एजेंसियां नहीं खोली गई हैं।

(ग) मानक शर्तों पर ठेका लेने के लिए उपयुक्त ठेकेदारों के मिलते ही उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रेल एवं सड़क यातायात आरक्षणों की सुविधा की व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वित्तीय सहायता

1776. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को कुल कितनी धनराशि की राजसहायता/ऋण प्रदान किया है ; और

(ख) अब तक प्राप्त लक्ष्य क्या हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 31 मार्च, 1991 तक ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण कार्य हेतु 539.51 लाख रुपए अनुदान के रूप में तथा 61341 लाख रुपए ऋण के रूप में प्रदान किए गए हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार 31-3-91 तक राज्य में 42,840 गांव विद्युतीकृत एवं 25 '840 पम्पसैंट उर्जित किए गए हैं। इसके अलावा, अनुदान राशि का समुपयोजन करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 2,17,046 सिंगल प्वाइंट बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए गए।

[अनुवाद]

धुआंरहित चूल्हे

1777. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या विद्युत् और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धुआंरहित चूल्हे स्थापित करने सम्बन्धी लक्ष्य एवं वास्तविक उपलब्धि का राज्य-वार, ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस योजना एवं इसे कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के आरम्भ से कुल कितनी प्रगति हुई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) उन्नत चूल्हों को लगाने सम्बन्धी राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण (एक) में दी गई हैं।

(ख) राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम का कार्यान्वयन विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों, कार्यान्वयन एजेंसियों, स्वायत्त निकायों तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। वास्तविक स्थापना का कार्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ठेके के आधार पर लगे स्वनियोजित कामगारों के प्रशिक्षित कार्यबल के जरिए किया जाता है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन प्रयोक्ताओं, स्वनियोजित कामगारों कार्यान्वयन एजेंसियों तथा उन्नत चूल्हा तकनीकी बैंक अप यूनिटों को वित्तीय सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में प्रयोक्ताओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता संलग्न विवरण (दो) में दी गई है। कार्यान्वयन एजेंसियों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण (तीन) में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अन्तर्गत, इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से लेकर 31 मार्च, 1991 तक एक करोड़ से कुछ अधिक चूल्हे लगाए गए हैं जबकि इसका लक्ष्य लगभग 83 लाख चूल्हे लगाए जाने का था।

विवरण-I

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31-3-1991 तक
लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	6,19,000	7,62,598
2.	अरुणाचल प्रदेश	10,000	6,042
3.	असम	1,82,000	1,01,357
4.	बिहार	4,75,500	5,09,886
5.	गुजरात	4,26,000	5,34,200
6.	गोआ	46,100*	48,429
7.	हरियाणा	4,22,500	5,69,135
8.	हिमाचल प्रदेश	3,14,000	3,60,885
9.	जम्मू और कश्मीर	1,77,500	1,58,486
10.	कर्नाटक	4,30,000	4,71,885
11.	केरल	2,25,000	2,20333
12.	मध्य प्रदेश	5,80,000	8,45,023
13.	महाराष्ट्र	5,42,000	6,62,639
14.	मणिपुर	26,900	21,576
15.	मेघालय	26,500	10,200
16.	मिजोरम	11,350	7,694
17.	नागालैंड	14,700	7,000
18.	उड़ीसा	2,99,000	3,39,528
19.	पंजाब	3,30,000	5,15,795
20.	राजस्थान	6,68,500	10,80,764
21.	सिक्किम	24,200	18,597
22.	तमिलनाडु	5,40,000	7,42,420
23.	त्रिपुरा	17,300	5,971
24.	उत्तर प्रदेश	9,27,000	12,09,179
25.	पश्चिम बंगाल	3,05,500	3,17,179
26.	अंडमान एवं निकोबार	15,600	11,260

1	2	3	4
27.	चंडीगढ़	9,450	8,498
28.	दादर एवं नगर हवेली	6,500	4,981
29.	दमन एवं दीव	450**	30
30.	दिल्ली	98,500	1,08,680
31.	लक्षद्वीप	10,350	3,405
32.	पांडिचेरी	14,900	14,242
33.	अन्य	5,31,700	7,00,061
	कुल	83,28,000	1,03,77,958

* इसमें दमन तथा दीप के 1989 तक के आंकड़े शामिल है।

नोट—उन्नत चूल्हा कार्यक्रम को दिसम्बर, 1983 में एक प्रदर्शन परियोजना के रूप में शुरू किया गया था और जिसे अप्रैल, 1985 से राष्ट्रीय कार्यक्रम का रूप दिया गया। उपर्युक्त विवरण में इस कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर 31-3-1991 तक इसके संचयी लक्ष्य तथा उपलब्धियों के आंकड़े दिए गए हैं।

विवरण-II

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता के रूप में प्रयोक्ताओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता

1. पारिवारिक आकार

(क) स्थिर चूल्हे

प्रयोक्ता प्रति चूल्हे के लिए 15/- रुपए (सामग्री की लागत के लिए 5/- रुपए तथा स्वनियोजित कामगारों को 10/- रुपए) देते हैं, शेष लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ख) सफरी चूल्हे

सफरी चूल्हे की लागत पर 50% तक आर्थिक सहायता साधारण श्रेणी के लाभभोगियों को तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों को 75% तक आर्थिक सहायता दी जाती है। तथापि, पहाड़ी क्षेत्रों में सफरी चूल्हे के लिए सभी श्रेणियों के लाभभोगियों को 75% तक आर्थिक सहायता दी जाती है।

2. सामुदायिक/वाणिज्यिक चूल्हे

(क) स्थिर चूल्हे

सरकार द्वारा प्रति चूल्हा 50/- रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

(ख) सफरी चूल्हे

सरकार द्वारा प्रति चूल्हा 100/- रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

विवरण-III

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के सम्बन्ध में नोडल विभागों/कार्यान्वयन अभिकरणों की सूची

1. असम सरकार ग्रामीण विकास विभाग, दीसपुर, गुवाहाटी-6
2. आन्ध्र प्रदेश सरकार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विभाग सचिवालय, हैदराबाद
3. बिहार सरकार, ऊर्जा विभाग, सिंचाई भवन, पटना
4. पंचायत तथा ग्रामीण आवास विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर
5. हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, नया सचिवालय, चण्डीगढ़
6. ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला
7. विज्ञान, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण विभाग, जम्मू तथा कश्मीर सरकार, श्रीनगर
8. ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग, एम० एस० बिल्डिंग, तीसरा तल, तीसरी स्टेज, बंगलूर
9. विज्ञान तथा तकनीकी पर्यावरण समिति और सरकार के पदेन सचिव, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण विभाग, सचिवालय, त्रिवेन्द्रम
10. ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल
11. महाराष्ट्र सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, बम्बई
12. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, मणिपुर सरकार, इम्फाल
13. योजना विभाग, शिलांग (मेघालय)
14. ग्रामीण विकास विभाग, मिजोरम सरकार, आइजोल
15. नागालैंड सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, कोहिमा
16. विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विभाग, उड़ीसा सरकार, सचिवालय, भुवनेश्वर
17. पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी
18. ग्रामीण विकास विभाग, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़
19. राजस्थान सरकार, जयपुर
20. ग्रामीण विकास विभाग (एन० आर० एस० ई०) याँसिंग सचिवालय, गंगटोक (सिक्किम)
21. तमिलनाडु सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, कोर्ट सेन्ट जार्ज, मद्रास-600008
22. विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विभाग, त्रिपुरा सरकार, अगरतला
23. उत्तर प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, विधान भवन, लखनऊ
24. पश्चिम बंगाल सरकार, राहत तथा कल्याण विभाग, राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता
25. अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर
26. ग्रामीण निर्माण कार्य विभाग, ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)
27. चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़
28. दादर नगर हवेली, सिलवासा

29. दिल्ली प्रशासन 5/9, अण्डर हिल रोड, नई दिल्ली-110054
30. ग्रामीण विकास विभाग, पंजिम, गोवा
31. लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र, कवरत्ती-682555
32. दमन तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र, दमन
33. गुजरात ऊर्जा विकास अभिकरण, बी० एन० चैम्बर, तीसरा तल, आर० सी० दत्त रोड, बड़ौदा (गुजरात)
34. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, 6वां तल, न्यू कमानी चैम्बर्स, आदि मर्जेवान स्ट्रीट, बेल्लार्ड इस्टेट, बम्बई-400038
35. तमिलनाडु ऊर्जा विकास अभिकरण, झावर प्लाजा, 1-ए, नुंगम्बक्कम हाई रोड, मद्रास-600031
36. अपारंपरिक ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, बी-46 महानगर विस्तार, लखनऊ-226006
37. हिम ऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) चण्ड़ी भवन, शिमला-171002
38. हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम, सालिगराम भवन, शिमला-171002
39. पंजाब कृषि उद्योग निगम निगम, 307-308/315-316, सेक्टर 35-बी, चण्डीगढ़
40. उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम, 22, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001
41. खादी ग्रामोद्योग आयोग, 3, इरला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-400056
42. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनन्द (गुजरात)
43. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, 6, भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली
44. गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जूहापुरा, सरखेज रोड, अहमदाबाद-380055

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के चम्पावत क्षेत्र में पर्यटन का विकास

1778. **श्री जीवन शर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में चम्पावत को एक पर्यटक शहर घोषित करने के संबंध में सरकार को कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के पास किसी भी स्थान को पर्यटक नगर घोषित करने की कोई स्कीम नहीं है, इसलिये चम्पावत को पर्यटक नगर घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

शोलापुर को वायुमार्ग से जोड़ना

1779. **श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के शोलापुर शहर, जोकि सबसे बड़े औद्योगिक केन्द्रों में से एक है, देश के अन्य भागों में इंडियन एयरलाइन्स अथवा वायुदूत को सीधी विमान सेवाओं के साथ भलीभांति जुड़ा हुआ नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय यात्रियों को यह सुविधा पुणे अथवा मुम्बई/हैदराबाद से उपलब्ध है ;

(ग) यदि हां, तो इस शहर से इण्डियन एयरलाइन्स अथवा वायुदूत की सीधी विमान सेवाएं शुरू करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) शोलापुर इस समय वायुदूत सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है। शोलापुर का विमानन क्षेत्र इण्डियन एयरलाइन्स के परिचालनों के लिए उपयुक्त नहीं है।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स की हवाई सेवाएं पुणे, बम्बई और हैदराबाद से उपलब्ध हैं।

(ग) वायुदूत को हो रहे घाटे के कारण वह इस समय शोलापुर को विमान सेवा से जोड़ने की स्थिति में नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम पर रात्रि अवतरण की सुविधाएं

1780. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो विशाखापत्तनम विमाननपत्तन के रनवे का तथा रात्रि अवतरण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि यात्री यातायात की मांग को पूरा करने के लिए इस विमानपत्तन से आने और जाने वाली एयरबसें उड़ान भर सकें ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) नौसेना ने विशाखापत्तनम हवाई अड्डे को मार्च, 1986 में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अपने अधिकार में ले लिया है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण विशाखापत्तनम में केवल सिविल एनक्लेवों का रख-रखाव कर रहा है। नौ-सेना की इस हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की योजना है।

विशाखापत्तनम रेल स्टेशन का विकास

1781. **श्री बी० बी० रामैया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक उसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) विकास कार्य को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या हैं ; और

(घ) क्या नगर के निकट इस्पात संयंत्र होने के कारण यहां भीड़-भाड़ को देखते हुए "दुावाडा" स्टेशन को विशाखापत्तनम के विकल्प के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस निर्माण कार्य की स्वीकृति लागत 94.40 लाख रुपए है जिसमें से जून, 1991 तक 42.00 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) इन कार्यों के 1993 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

(घ) जी, नहीं।

दुलहस्ती पनविद्युत परियोजना

1782. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 198: में दुलहस्ती पनविद्युत परियोजना को जब शुरू में स्वीकृति प्रदान की गई थी तो उसकी लागत कितनी थी;

(ख) समय-समय पर स्वीकृति परियोजना की संशोधित लागतों का वर्ष-वार, ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत कितनी है ;

(घ) उस विदेशी फर्म का नाम क्या है जिसके साथ ठेका किया गया था और ठेके की शर्तें क्या थीं ;

(ङ) इस परियोजना का वित्तपोषण किस प्रकार किया जाएगा ;

(च) क्या निर्माण कार्य चालू हो गया है ; और

(छ) यदि हां तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जम्मू एवं कश्मीर की दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना को 183.45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, जिसमें मार्च, 1980 के मूल्य स्तर पर निर्माण के दौरान 21.73 करोय रुपये की ब्याज की राशि शामिल है, मूल रूप से 1982 में अनुमोदित किया गया था।

(ख) परियोजना की संशोधित लागत 1:62.97 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें अक्तूबर, 1988 के मूल्य स्तर पर निर्माण के दौरान 96.20 करोड़ रुपये की ब्याज की राशि भी शामिल है। इस परियोजना को जुलाई, 1989 में अनुमोदित किया गया था।

(ग) अक्तूबर, 1988 में रुपये की विनिमय दर का अवमूल्यन किये जाने के फलस्वरूप परियोजना लागत लगभग 481 करोड़ रुपये बढ़ जाने की सम्भावना है।

(घ) टर्न-की आधार पर परियोजना का क्रियान्वयन किये जाने से सम्बन्धित ठेका 8-9-1989 को मै०सी०ई०जी०ई०एल०ई०सी० (पूर्व में सी जी ई ई अलसथाम के नाम से जाना जाता था), के नेतृत्व

वाली फ्रेंच कन्सोर्टियम को दिया गया था। ठेके की कीमत में विदेशी मुद्रा घटक की राशि 53060.63 मि० जापानी येन और भारतीय रुपये घटक की राशि 157.53 करोड़ रुपये है। इसमें आकस्मिकता तथा वृद्धि की राशियां शामिल नहीं हैं। ठेके के अनुसार कार्य आरम्भ करने के आदेश की तारीख से 57 महीनों के अन्दर अर्थात् जुलाई, 1994 तक फ्रेंच कन्सोर्टियम द्वारा इस परियोजना को पूरा किया जाना है।

(ङ) परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा घटक का वित्त पोषण 987 मि० फ्रेंच फ्रेंक के सुलभ ऋण तथा फ्रेंच ट्रेजरी से 190 मि० फ्रेंच फ्रेंक की अनुदान राशि और फ्रेंच कमर्शियल बैंक के कन्सोर्टियम से 1405.60 मि० फ्रेंच फ्रेंक के निर्यात ऋण के द्वारा किया जायेगा। परियोजना के लिए रुपये घटक का वित्त पोषण राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा अपने आन्तरिक संसाधनों, बाजार ऋणों तथा भारत सरकार की बजटीय सहायता से किया जायेगा।

(च) तथा (छ) जी, हां। 11-10-89 से निर्माण कार्य चालू हो गया है। आधारभूत तथा निर्माण पूर्व कार्य यथा कांट्रेक्टर कैम्प, स्कूल, हास्पिटल बिल्डिग एवं बैचिंग की स्थापना परियोजना स्थल पर क्रासिंग संयंत्रों सम्बन्धी कार्य पूरा कर लिए गये हैं। नदी का व्यपवर्तन कर दिया गया है तथा बांध की नींव एवं मुख्य विद्युत घर की सुरंग के खुदाई सम्बन्धी कार्य आरम्भ कर दिये गये हैं। 8.3 मी० व्यास वाली सुरंग का बोरिंग कार्य आरम्भ कर दिया गया है और पहुंच सुरंगों एवं द्वारों के अधिकांश कार्य लगभग पूरा होने वाले हैं। टर्नकी ठेकेदार के अनुसार अतिरिक्त सर्वेक्षण एवं अन्वेषण तथा अन्तिम अभिकल्प तैयार करने सम्बन्धी कार्य प्रगति पर हैं। टर्बाइन के मोडयूल से सम्बन्धित कार्य भी पूरे कर लिए गये हैं।

[हिन्दी]

तेल की खुदाई वाले कुओं का आकार

1783. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के लिए खोदे गए कुएं चीन और अन्य देशों के कुओं की तुलना में छोटे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) अन्वेषण कूपों का आकार तथा उनकी गहराई तेल उत्पादक क्षेत्र की उस गहराई पर निर्भर होती है जिस पर सर्वेक्षणों तथा वेधन के आधार पर आशा की जाती है।

चतरा (बिहार) को रेल मार्ग द्वारा जोड़ना

1784. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के हजारीबाग जिले में चतरा डिवीजन का मुख्यालय चतरा रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है;

(ख) क्या चतरा को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है;

(ग) क्या सरकार को इस स्थान को रेलवे लाईन से जोड़ने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यात्रा रेल लाइन में नहीं जुड़ा है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हल्दीबाड़ी से जलपाईगुड़ी तक तीव्रगामी यात्री रेलगाड़ी चलाना

1785. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलपाईगुड़ी और कूचबिहार के लोगों की काफी समय से महसूस की जा रही मांग को पूरा करने के लिए हल्दीबाड़ी और सियालदह के बीच रास्ता जलपाईगुडी शहर और एन० जे० पी० स्टेशन तीव्रगामी यात्री रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना पर कार्य पहले की प्रारम्भ कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और अब तक पूरा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) से (ग) जी, नहीं। लेकिन व्यावहारिकता की जांच की जा रही।

[हिन्दी]

राजपीपला विमानपत्तन का नवीकरण

1786. श्री चन्दूभाई देशमुख : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के नर्मदा बांध के निकट राजपीपला शहर में एक पुराना विमानपत्तन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस विमानपत्तन का नवीकरण करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की गुजरात में भड़ूच जिले में राजपोपला शहर में किसी विमान क्षेत्र के निर्माण/नवीनी-करण की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल

1787. श्री प्रबीन डेका : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्रूगढ़ (असम) में ब्रह्मपुत्र नदी पर चौथा रेल और सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र की सहायता से पूर्वोत्तर परिषद परियोजना के रूप में इस पुल के आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्माण की योजना बनाई गई है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकनामिक सर्विसेज लिमिटेड द्वारा 1988 में तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा अद्यतन किया गया है तथा आगे कार्रवाई करने के लिए उसे पूर्वोत्तर परिषद के पास भेजा गया है। इस परियोजना पर 558.88 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है।

ललित-सिंगरौली रेलवे लाइन

1788. **कुमारी उमा भारती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ललितपुर और सिंगरौली के बीच रेल लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां तो इस कार्य के लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ग) रेल लाइन के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ललितपुर—सिंगरौली नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है।

विजयपुर में पालीप्रोपलीन संयंत्र

1789. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का मध्य प्रदेश में विजयपुर में पालीप्रोपीलीन संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। 720 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 1,00,000 टन पालीप्रोपीलीन की क्षमता प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

गुजरात में विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

1790. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात सरकार ने अक्तूबर, 1990 से 1991 तक ताप विद्युत केन्द्रों के लिए महीने-वार कितने कोयले की मांग की और उसे कितनी मात्रा में कोयला आवंटित किया गया और वास्तव में सप्लाई कितनी मात्रा में किया गया ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामागाउड) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) से प्राप्त सूचना के अनुसार गुजरात तथा सी० ई० ए० के बीच हुई विद्युत गृहों को महीने-वार कोयले की मांग के संबंध में हुई सहमति, स्थाई संयोजन समिति द्वारा दिए गए कोयले के संयोजन तथा विद्युत गृहों द्वारा अक्तूबर, 1990 से जून 1991 तक की अवधि में प्राप्त किए गए कोयले का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

(आंकड़े" 000 टन में)

माह	अहमदाबाद ताप विद्युत गृह			गांधीनगर ताप विद्युत गृह		
	*कोयले की मांग	संयुजन	प्राप्ति	*कोयले की मांग	संयुजन	प्राप्ति
1	2	3	4	5	6	7
अक्तूबर, 90	147	150	141	128	75	37
नवम्बर, 90	151	150	127	131	75	87
दिसम्बर, 90	112	150	101	138	75	102
जनवरी, 91	159	150	122	138	130	131
फरवरी, 91	150	150	92	117	130	95
मार्च, 91	158	150	99	139	130	115
अप्रैल, 91	104	160	114	144	220	105
मई, 91	138	160	122	147	220	133
जून, 91	136	160	116	111	220	133

उकाई ताप विद्युत गृह			वानकबोरी तां० वि० गृह			सिक्का तां० वि० गृह		
*कोयले की मांग	संयुजन	प्राप्ति	*कोयले की मांग	संयुजन	प्राप्ति	*कोयले की मांग	संयुजन	प्राप्ति
8	9	10	11	12	13	14	15	16
261	240	245	374	450	347	35	30	12
265	240	210	405	450	296	34	30	38
278	240	220	456	450	239	37	30	26
278	275	271	464	400	188	37	40	26
258	275	185	412	400	260	34	20	22
277	275	246	472	400	273	37	40	22
282	350	208	366	520	302	38	50	29
285	350	222	418	520	280	42	50	28
250	350	231	318	420	268	38	50	37

*सी० ई० ए० तथा गुजरात के बीच हुई सहमति के सम्बन्ध में उत्पादन लक्ष्य के अनुसार कोयले की मांग (जिसमें स्टाक किए जाने के लिए कोयले की अपेक्षित मात्रा शामिल है)

[अनुवाद]

तेल खोज के कार्य में गैर-सरकारी कम्पनियां

1791. **श्री सुधीर गिरि :**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज और उत्पादन के कार्य में भागीदारी करने के लिए किसी गैर-सरकारी अभिकरण ने सरकार से बात चलाई है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) तेल और गैस की खोज के लिए चौथे दौर की बोली के दौरान बोली लगाने के लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तथा भारतीय कम्पनियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

उर्वरक उद्योग को प्राकृतिक गैस का आबंटन

1792. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उर्वरक उद्योग की ओर से प्राकृतिक गैस का वरीयता आधार रूप आबंटन करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) सरकार का विचार उर्वरक उद्योग को वरीयता आधार पर प्राकृतिक गैस आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) उर्वरक क्षेत्र को अब तक 28, 40 एम० एम०एस० सी० एम० डी० गैस का आबंटन किया गया है।

विदेशी पर्यटक

1793. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों के आगमन में गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठायें हैं ;

(ग) क्या सरकार को पर्यटकों का सामान चोरी होने और पर्यटन अधिकारियों और गाइडों द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार द्वारा अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों में देश में पर्यटन आधारिक-संरचना की सुविधाओं में निरन्तर वृद्धि करना और विदेशी बाजारों में विपणन प्रयासों को सुदृढ़ करना सम्मिलित है।

(ग) तथा (घ) ऐसी शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती है और उन्हें उचित कार्रवाई हेतु सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाता है।

[हिन्दी]

इन्दौर स्थित हवाई पट्टी का विस्तार

1794. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दौर हवाई अड्डे पर विमानों के उतरने के लिए उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का इन्दौर स्थित हवाई पट्टी का विस्तार करने के लिए आधुनिक बनाने की कोई योजना है ; और

(ग) इन्दौर में एयरबस सेवा उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों का क्या ब्यौरा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इन्दौर हवाई अड्डे पर निम्नलिखित दिक्चालन और अवतरण सुविधाएं हैं :

अति उच्च आवृत्ति ओमनी रेंज (वी० ओ० आर०), गैर-दिशिक बीकन (एन०डी०बी०), दृश्य पहुंच ढाल संसूचक (वी० ए० एस० आई०) और धावनपथ/टैक्सीपथ रोशनियां।

(ख) तथा (ग) यह हवाई अड्डा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है। धावनपथ की वर्तमान लम्बाई 5600 फुट है। बिना पे-लोड प्रतिबन्धों के ए बी-320 विमानों के परिचालन के लिए धावनपथ की लम्बाई 7500 फुट होना आवश्यक है। इसे 7500 फुट तक बढ़ाने के लिए, विमान क्षेत्र परिसर से बाहर 28 एकड अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। इस प्रकार धावनपथ का 7500 फुट तक विस्तार भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

खाड़ी के देशों को एयर इण्डिया की उड़ानें

1795. **श्री ई० अहमद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एयर इण्डिया के पूरे बेड़े की सेवा प्रारम्भ करने तथा इस सेवा के उपयोग में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ;

(ख) क्या एयर इण्डिया का खाड़ी देशों को अपनी अनुसूचित उड़ानें बिना आकस्मिक निरसन के जारी रखने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ख) एयर इण्डिया का

सदैव प्रयत्न रहता है कि वह अपने नेटवर्क की सभी अनुसूचित उड़ानें परिचालित करें। तथापि, हाल ही में, खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के कारण खाड़ी के लिए सेवाओं में व्यवधान आ गया था। अब खाड़ी के लिए सामान्य सेवाएं चलाई जा रही हैं।

खुर्दा रोड डिवीजन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति

1796. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) इन रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के बीच रेल लाइन

1797. **श्री निरुल इस्लाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी रेल लाइन को गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक ले जाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य बिजली बोर्डों का गैर-सरकारीकरण

1798. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्डों का का गैर-सरकारीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रकाश-प्राप्ति के प्रयोजनार्थ गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग

1799. **डा० विश्वनाथमकेनिधी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले में दूरस्थ गांवों एवं बस्तियों में प्रकाश-प्राप्ति के प्रयोजनार्थ गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के 56 विद्युत रहित ग्रामों तथा ग्राम झुरमुटों में सड़क रोशनी के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली स्थापित की गई है। इस जिले में आगे ऐसी किसी स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पटना में पुल

1800. **श्री छेदी पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटना में गंगा नदी रेलवे पुल का निर्माण करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस प्रतियोजना पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) इस परियोजना की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित 468 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण यह कार्य फिलहाल शुरू नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

खड़गपुर डिविजन में अनियमित ई० एम० यू० सेवा

1801. **श्री सन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण-पूर्व रेलये के खड़गपुर डिवीजन में इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सर्विस में हो रही अभूतपूर्व अनियमितताओं की जानकारी है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) अप्रैल, मई तथा जून, 1991 के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मण्डल में बिजली गाड़ी सेवा का औसत समय पालन क्रमशः 90.2 90.3 तथा 87.2 था। बिजली की खराबी तथा जन-आन्दोलन के कारण जून, 91 में समयपालन में थोड़ी सी गिरावट आई।

इन गाड़ियों के चालन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में अतिरिक्त सामान्य यात्री डिब्बे

1802. **श्री रामशरण यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में सामान्य यात्री डिब्बे जोड़ने के लिए क्या मानदंड है ;

(ख) क्या सरकार की मध्यम वर्ग के कम आदमनी वाले समूह के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाने हेतु इस प्रकार की रेलगाड़ियों में सामान्य यात्री डिब्बे जोड़ने की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए रात्रि में विश्राम सहित आराम से यात्रा करने हेतु लम्बी दूरी की गाड़ियों में आरक्षित स्थान की व्यवस्था की जाती है। तथापि, यात्रियों के लिए राजधानी, शताब्दी गाड़ियों को छोड़कर, लम्बी दूरी की गाड़ियों में दूसरे दर्जे के कम से कम दो अनारक्षित साधारण सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं।

भटनी-वाराणसी खंड पर रेल सेवाएं

1803. **श्री हरकेवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भटनी-भटनी-वाराणसी खंड पर अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भटनी-वाराणसी खंड पर अतिरिक्त गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेरूमन रेल दुर्घटना के पीड़ितों को रोजगार देना

1804. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1988 के पेरूमन रेल दुर्घटना में मारे गए सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार संबंधी आवेदन अभी भी लंबित पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पलारूवी पर्यटक परियोजना, केरल का विकास

1805. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास केरल के कोट्टायम जिले में पलारूवी परियोजना के विकास के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस मंत्रालय में ऐसी कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक के लिए पर्यटन योजना

1806. **श्री जी० देवराय नायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक राज्य में पर्यटन केन्द्रों के विकास हेतु स्वीकृति प्रदान करने तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितने प्रस्तावों पर विचार किया गया है और कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क), (ख) तथा (ग) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पर्यटन विकास निगम की 12 सम्पत्तियों का उन्नयन करने तथा प्रचार संबंधी सहायता के लिए वित्तीय सहायता हेतु विस्तृत अनुमानों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जो इस समय केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन हैं। कर्नाटक सरकार से और कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

बिहार में कोयले की खुदाई से विस्थापित लोगों को मुआवजा

1807. **श्रीमती रीता वर्मा** :

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोयला कंपनियों (ईस्टर्न कोलफील्डस लि०, भारत कोकिंग कोल लि० और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०) के अंतर्गत कुल कितने क्षेत्र में कोयले की खुदाई की जा रही है;

(ख) इन कंपनियों द्वारा खनन के लिए ली गई भूमि के बदले कितने लोगों को मुआवजा और रोजगार दिया गया है; और

(ग) सरकार शेष लोगों को मुआवजा और रोजगार कब तक दे देगी ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) से (ग) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड

1808. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार का होगा और इसके उद्देश्य क्या हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :(क) तथा (ख) केन्द्रीय क्षेत्र में अतिरिक्त उच्च वोल्टता लाइनों का सतत रूप से विस्तार किए जाने और अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण लिंकों का निर्माण/सशक्त बनाए जाने और भार प्रेषण सुविधाओं के लिए नेशनल पावर ग्रिड के विकास संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन हैं।

नेशनल पावर ग्रिड के स्थापना संबंधी प्रमुख उद्देश्य ये हैं :—

(क) इष्टतम निवेश और विद्युत शक्यता, राष्ट्रीय हित में बेहतर कोयला जल विद्युत संसाधनों का विकास करना।

(ख) विद्युत प्रणालियों संबंधी समन्वय कार्यों का शीघ्र विकास करके आर्थिक लाभ प्राप्त करना तथा अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में सुनिश्चित तथा विद्युत सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करना।

(ग) सभी लाभभोगी राज्यों को केन्द्रीय विद्युत उत्पादन परियोजना से निर्बाध रूप से विद्युत सप्लाई करना।

नरकटियागंज में गंडक नदी के ऊपर पुल का निर्माण

1809. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर रेलवे के नरकटियागंज-गोरखपुर क्षेत्र में गंडक नदी के ऊपर सड़क व रेल पुल के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इसको शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 30 जून, 1991 तक हुई प्रगति 16 प्रतिशत है।

(ग) सह-भागीदार अर्थात् उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य सरकारें 1990-91 और 1991-92 के लिए अपने-अपने हिस्से की धनराशि समय पर देने में विफल रही हैं। उन्हें अपने-अपने हिस्से की धनराशि जमा करने के लिए लिखा जा रहा है। जल संसाधन मंत्रालय अपने हिस्से की धनराशि देने के लिए पहले ही सहमत हो गया है और रेल मंत्रालय ने भी 1991-92 के बजट में अपने हिस्से की धनराशि आबंटित कर दी है। 1992-93 में नदी के खादर में मुख्य काम करने की अनन्तिम रूप से योजना बनायी गयी है बशर्ते कि सह-भागीदार अपने-अपने हिस्से की धनराशि समय पर जमा करा दें।

[हिन्दी]

सहरसा रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

1810. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो वर्ष पहले कुछ रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के संबंध में निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है तथा इनके चयन के लिए क्या मापदंड अपनाएं गए ;

(ग) क्या बिहार में सहरसा रेलवे स्टेशन भी इस श्रेणी में आता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी, हां । सभी भारतीय रेलों पर 1986 में 67 रेलवे स्टेशनों को माडल स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। इन स्टेशनों को राज्यों की राजधानियों, क्षेत्रीय मुख्यालयों, महत्वपूर्ण जंक्शनों तथा विशिष्ट महत्व के स्थलों को सेवित करने वाले स्टेशनों में से चुना गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रामनगर और दिल्ली के बीच चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी के चलने का समय

1811. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे की रामनगर और दिल्ली जंक्शन के बीच चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी मुरादाबाद स्टेशन पर दो घंटे से अधिक समय तक रुकती है और इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को बहुत परेशानियां होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या रामनगर से इस रेलगाड़ी के चलने के समय को बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) 4055-ए रामनगर-दिल्ली एक्सप्रेस 15.15 बजे मुरादाबाद पहुंचती है और क्रमश: 16.40 बजे और 17.10 बजे मुरादाबाद पहुंचने/प्रस्थान करने वाली 4055 बरेली दिल्ली एक्सप्रेस से मिला दी जाती है । परिचालनिक कारणों से इसके समय क्रम में परिवर्तन करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है ।

बिहार की लंबित परियोजनाएं

1812. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की विभिन्न तेल से सम्बद्ध योजनायें/परियोजनायें केन्द्रीय सरकार के पास काफी समय से लंबित पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं और योजनाओं के प्रस्ताव बिहार सरकार से कब प्राप्त हुए थे;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक परियोजना और योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) प्राप्त सभी प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा इन्हें यथा शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

प्राकृतिक गैस की उपलब्धता

1813. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उपलब्ध प्राकृतिक गैस के वितरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : वर्ष 1990-91 के दौरान प्राकृतिक गैस की राज्यवार औसत आपूर्ति निम्नानुसार थी :

	(एम० एम० एस० सी० एम० डी०)
गुजरात	3·763
असम	2.544
त्रिपुरा	0.192
आन्ध्र प्रदेश	0.113
तमिलनाडु	0.023
महाराष्ट्र	14.833
मध्य प्रदेश	1.627
राजस्थान	1.146
उत्तर प्रदेश	4.480
दिल्ली	0.490
	29.211

बिहार में हाजीपुर से सुगौली तक रेल सम्पर्क

1814. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हाजीपुर से सुगौली तक, बारास्ता वैशाली, साहबगंज, कैसरिया, गोविन्दगंज, पहाड़पुर और हरसीधी, एक शाखा रेलवे लाइन बिछाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संसाधनों की तंगी ।

अकोला रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) का आधुनिकीकरण

1815. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के अकोला रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ;

(ग) आधुनिकीकरण किस प्रकार का होगा ;

(घ) इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है ; और

(ङ) आधुनिकीकरण के काम में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 82.18 लाख रुपये।

(ग) आधुनिकीकरण योजना में अतिरिक्त प्लेटफार्म सायबान, परिचलन क्षेत्र का सुधार स्टेशन इमारत में सुधार, अतिरिक्त पैदल पुल की व्यवस्था, नया बुकिंग एवं आरक्षण कार्यालय, बैठने के लिए अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था तथा लाइसेंसधारी भारिकों के लिए सायबान की व्यवस्था करने का प्रावधान है।

(घ) 48.64 लाख रुपये।

(ङ) शुरू किए जाने वाले सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं और कतिपय कार्य पूरी कर लिए गए हैं। शेष कार्य 1993 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

कोंकण जैसी रेल परियोजनाएं

1816. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल लाइन जैसी परियोजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन रेल परियोजनाओं से किन-किन राज्यों को जोड़ा जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हरियाणा में रेल लाइन

1817. **श्री राम प्रकाश चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को हरियाणा में नई रेल लाइनें बिछाने की कुछ योजनाएं भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) हरियाणा राज्य सरकार से नई बड़ी रेल लाइनों के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

(1) जींद के रास्ते रोहतक से हिसार

(2) जगाधरी से चण्डीगढ़

(3) भिवानी से भटिंडा

(4) उकलाना, भूना, फतेहाबाद, सिरसा, रानिया तथा एलगाबाद के रास्ते जाखल से हनुमानगढ़

(5) बहादुरगढ़-झज्जर

(6) खुर्जा-पलवल-रेवाड़ी-रोहतक

(ग) रोहतक से हिसार (जींद के रास्ते) तथा जगाधरी से चण्डीगढ़ तक नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण करने का पहले ही आदेश दे दिया गया है।

भिवानी तथा भटिंडा मीटर लाइन से सीधे तथा रोहतक के रास्ते बड़ी रेल लाइन से जुड़े हैं।

ऊपर मद संख्या (3), (4) तथा (5) पर दी गई लाइनों के बारे में संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता है।

मद (6) प्रस्तावित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लाइन है। इस लाइन पर धन की कमी के कारण कार्य शुरू करना संभव नहीं हुआ है।

मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता

1818. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बिजली की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कमी आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जारी रहने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जून, 1991 के महीने के दौरान, मध्य प्रदेश में 3.9% ऊर्जा की कमी थी।

(ख) योजना आयोग द्वारा 8वीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश में विद्युत् की उपलब्धता में सुधार किये जाने के लिए किये जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं : नई उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, पारेषण और वितरण हानियों की मात्रा को कम करना, मांग प्रबन्ध और ऊर्जा संरक्षण उपायों को क्रियान्वित करना तथा अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अन्तरण करना आदि।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के गैस टरबाइन

1819. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इन्द्रप्रस्थ इस्टेट बिजली घर में लगाए गए छः गैस टरबाइनों में से तीन गैस टरबाइन काफी समय से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कब से कार्य नहीं कर रहे हैं और इनकी कब तक चालू हो जाने की संभावना है; और

(ग) इसको शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) डेसू के छः गैस टर्बाइनों में से तीन यूनिटें (यूनिट संख्या 2, 3 और 5) पिछले वर्ष के दौरान तकनीकी कारणों की वजह से विभिन्न अवधियों के लिए कार्य नहीं कर रहीं थी। इन यूनिटों की शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत किए जाने और इनको चालू करने के लिए डेसू ने पहले से ही कार्य आरम्भ कर दिया है। यूनिट संख्या 2 को 6 अगस्त, 1991 तक पुनः चालू किए जाने की आशा हैं। यूनिट संख्या 5 को दिसम्बर, 1991 तक पुनः चालू किए जाने की संभावना है। यूनिट संख्या 2 के मरम्मत सम्बन्धी कार्य किए जाने के लिए 2 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। यूनिट संख्या 5 के लिए अतिरिक्त पुर्जों का आयात किए जाने हेतु लगभग 2 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। यूनिट संख्या 3 के रोटर आदि को खोलने के लिए मैसर्स भेल ने 18 लाख रुपये के अनुमान प्रस्तुत किए हैं। इस यूनिट की मरम्मत करने और इसे चालू करने की लागत, इसमें खराबी के स्वरूप और इसकी मात्रा पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

कूड़ा दहन संयंत्र

1820. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या **विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने एक कूड़ा दहन संयंत्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या संयंत्र 'इस समय कार्यरत' है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) डेनमार्क की सहायता से अनुसंधान और विकास प्रशाखाओं सहित अपशिष्ट भस्मीकरण एवं विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित की गई।

(ख) इस परियोजना पर डेनमार्क की सहायता सहित लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत आई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस परियोजना का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा और इसे बन्द करने का निर्णय लिया गया।

ताप विद्युत एककों को कोयले की आपूर्ति

1821. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ताप विद्युत इकाइयों को कोयले की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या कोयले की आपूर्ति कम होने के कारण विभिन्न ताप विद्युत इकाइयों के कोयला भंडार कम हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ताप इकाइयों को कोयले का आवंटन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का क्या ब्यौरा है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौडा) : (क) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० से तापीय विद्युत क्षेत्रों को अप्रैल-जून, 1991 की अवधि में 32.18 मि० टन (वाशरी मिडलिंग्स सहित) का प्रेषण किया गया जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि में 29.45 मि० टन (वाशरी मिडलिंग्स सहित) कोयले का प्रेषण किया गया जोकि 9.27% की वृद्धि है।

(ख) तथा (ग) कुछ ताप विद्युत गृहों के कोयले के स्टाक में कमी आई है। उपयुक्त मात्रा में ताप विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति करने के उद्देश्य से, विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए दैनिक आधार पर कोयले के उत्पादन तथा प्रेषण की निगरानी रखी जा रही है तथा विद्युत क्षेत्रों की आपूर्ति को अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में प्राथमिकता दी जा रही है।

पेट्रोलियम उत्पादकों की मांग में वृद्धि

1822. **श्री यशवंत राव पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : मांग प्रबन्ध तथा ईंधन कुशल स्टोवों, आटोमोबाइल इन्जनों तथा ऊर्जा आडिट जैसे संरक्षण सम्बन्धी उपायों सहित अनेक उपाय किए गए हैं। वैकल्पिक ईंधनों और अन्तर ईंधनों प्रतिस्थापन के इस्तेमाल विचाराधीन है।

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन को रमणीय बनाना

1823. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के टर्मिनल—दो के विभिन्न भूखंडों को रमणीय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) प्रथम चरण में, राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से टर्मिनल-II तक की मुख्य पहुंच मार्ग के साथ-साथ दोनों तरफ के आठ खाली भूमि पाकेटों को शामिल करते हुए 72 एकड़ क्षेत्र को हरियाली तथा प्रकृति दृष्य के लिए निर्धारित किया गया है। ऐसे निर्माण कार्यों में दक्ष विख्यात पार्टियों से इस

सम्बन्ध में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इस क्षेत्र को अगले कुछ वर्षों में क्रमिक रूप से विकसित किया जाएगा। प्रस्ताव प्राप्त होने तथा इनका मूल्यांकन किये जाने के पश्चात ही विकास की लागत तथा इसके पूरा होने की अवधि मालूम हो सकेगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

मंगलौर-शोरूवण्णूर लाइन को दोहरा करना

1824. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर-शोरूवण्णूर दोहरी रेल लाईन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मंगलौर-शेरूवण्णूर रेलवे लाईन को दोहरी करने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

कोल इण्डिया लि० द्वारा सुरक्षा बूटों की खरीद

1825. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि० और उसकी सहयोगी कम्पनियों के कोयला खनन मजदूर अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षा बूट दिए जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई खरीदों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम०बी० श्याम गौड़) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं कि कामगारों को आपूर्ति किए गए सुरक्षा कनवैस जूते 6 महीने की न्यूनतम सम्भावित अवधि के लिए नहीं चलते हैं। कम्पनियां, महानिदेशक खान सुरक्षा के अनुमोदन से ही सदैव जूतों की खरीदनारी करती है और यह जूते भारतीय मानक ब्यूरो के मानदण्डों के अनुसार होते हैं। इन शिकायतों को देखते हुए अब कोयला कम्पनियां केवल ऐसे जूतों के निर्माताओं से ही जूतों की खरीद करती है, जो कि जूतों के 6 महीने तक चलने की गारन्टी देते हैं।

वर्ष 1988-89 से वर्ष 1990-91 की अवधि के दौरान खरीद किए गए जूतों की कीमत तथा उनकी संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राएं

1826. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान या इसके आसपास से भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी गैर-सरकारी विदेश यात्राओं पर जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को इस प्रकार की यात्राओं पर जाने के लिए विभाग ने अनुमति दी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है जो अपने खर्च पर विदेशों की यात्रा पर गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा भारत पर्यटन विकास निगम में उनकी स्थिति क्या है, विदेश यात्राओं सम्बन्धी नियम और कोष का स्त्रोत क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को अपनी गैर-सरकारी यात्रा के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, मांग और आयात

1827. **श्री जे० चोक्का राव** :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का कितना उत्पादन होता है और इनकी मांग कितनी है;

(ख) इस समय पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद कितनी यात्रा में उपलब्ध है;

(ग) इस समय खाड़ी देशों से अलग-अलग कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का कितना आयात किया जा रहा है; और

(घ) क्या गैर-जरूरी क्षेत्र में पेट्रोल के उपयोग को कम करके उसे उद्योगों, रेल और सरकारी परिवहन आदि के लिए आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में करीब 33.02 मिलियन टन (मि० मी० ट०) कच्चे तेल का तथा 49·5 मि० मी० ट० उत्पादों का उत्पादन हुआ। वर्ष 1990-91 में कुल खपत 54.77 मि० मी० टन थी । वर्ष 1991-92 के लिए फिलहाल करीब 19.6 मि० मी० ट० कच्चे तेल तथा 9.6 मि० मी० ट० उत्पादों के आयात के लिए स्वीकृति दी गई है ।

(घ) जी, नहीं ।

वायुदूत सेवाएं

1828. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा सभी हवाई मार्गों पर वायुदूत सेवाएं चलाने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या अधिकतर पायलटों ने वायुदूत की सेवाएं छोड़ दी हैं और अन्य विमान कम्पनियों में नौकरी पा ली है;

(ग) क्या वायुदूत सेवा में विद्यमान विमान आर्थिक रूप से सक्षम हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) वायुदूत के चालू किराये ढांचे और लागत को दृष्टि में रखकर, वायुदूत के परिचालन आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है। उसके बेड़े के विमान का ब्रेक-इवन लोड फैक्टर 100 प्रतिशत से कहीं अधिक है; उदाहरण के लिए डोर्नियर विमान का प्रति घंटा अनुमानित आय लगभग 5500/- रुपये है जबकि अनुमानित प्रति घण्टा खर्च लगभग 13,000 रुपए है।

[हिन्दी]

समस्तीपुर डिवीजन में कोयले की चोरी

1829. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री समस्तीपुर क्षेत्र में कोयले की चोरी के बारे में 8 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7833 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत जयनगर, खजौली, निरमली, साकरी और दरभंगा स्टेशनों पर कोयले की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्र (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किये गये निवारक उपायों के परिणामस्वरूप रेल सुरक्षा बल द्वारा 1990-91 में 2165 रु० मूल्य के कोयले की उठाईगीरी के 6 मामलों का पता लगाया गया था जिसमें दरभंगा, जयनगर और निर्मली रेलवे स्टेशनों पर 2 रेल कर्मचारियों सहित 8 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

इन स्टशनों पर कोयले की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

1. यार्डों और अन्य संवेदनशील खण्डों में गहन गश्त।

2. चोरों और चुराए गए कोयले को प्राप्त करने वालों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए अपराध आसूचना विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए हैं और चुराए गए कोयले का पता लगाने के लिए छापे मारे जाते हैं।

3. अपराधियों को पकड़ने के लिए संवेदनशील खंडों और कुख्यात स्थलों पर आकस्मिक जांच की जा रही हैं।

4. निवारक और खोजी कामों के लिए श्वान दस्ते भी लगाए जाते हैं।

5. अपराधियों और चोरी का कोयले प्राप्त करने वालों से निपटने के लिए रेल सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा जाता है ।

कोटा ताप विद्युत संयंत्र में प्रयोग किया जाने वाला "फारनेस आयल"

1830. **श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा ताप विद्युत परियोजना में "फरनेस आयल" प्रयोग किया गया था;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उसमें प्रयोग किए गए "फरनेस आयल" पर कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बन्द किए गए एककों का ब्यौरा क्या है और उनके बन्द करने के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) ताप विद्युत केन्द्रों में ईन्धन तेल का उपयोग यूनिटों से सम्बन्धित स्टार्ट-अप कार्यकलापों, बन्द किए जाने, परीक्षण/चालू किए जाने तथा पार्ट लोड रनिंग सम्बन्धी कार्यों के लिए किया जाता है । अधिकांशतः निम्न भार वाली अवधि तथा रात्रि के दौरान प्रतिदिन पार्ट लोड रनिंग की आवश्यकता होती है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोग किए गए ईन्धन तेल की कुल लागत निम्नानुसार है :

वर्ष	ईन्धन तेल की लागत (लाख रुपए में)
1988-89	777.17
1989-90	1713.13
1990-91	1057.93

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोटा स्थित यूनिटों को बन्द किए जाने और बन्दी के कारणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है '

विवरण

लोक सभा में दिनांक 6.8.91 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 1830 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबन्ध

1988-89 से 1990-91 तक की अवधि के दौरान कोटा ताप विद्युत केन्द्र में बन्दी का ब्यौरा ।

यूनिट सं०	क्षमता (मे० वा०)	बन्दी से	तक	बन्दी के कारण
1	2	3	4	4
1988-89				
कोटा-1	110	1-8-88	31-10-88	बड़े मरम्मत कार्य ।
कोटा-2	110	21-8-88	5-8-88	बॉयलर की मरम्मत ।

1	2	3	4	5
1989-90				
कोटा-1	110	8-4-89	14-11-89	बड़े मरम्मत कार्य ।
कोटा-3	210	26-6-89	10-7-89	बायलर मरम्मत ।
		23-1-90	8-3-90	—वही—
1990-91				
कोटा-1	110	27-6-90	9-9-90	जनरेटर एवं शील्ड में रिसवा होने कारण वार्षिक अनुरक्षण एवं शट-डाउन कार्य लम्बे समय तक चले ।
कोटा-2	110	27-4-90	13-8-90	जनरेटर स्टेटर स्लाट नं० 13 में दोस आने के कारण बड़े अनुरक्षण कार्य एवं शट-डाउन कार्य लम्बे समय तक चले ।
		20-11-90	31-12-90	कोयले की कमी ।
कोटा-3	210	16-8-90	25-12-90	लूज स्टेटर स्लाट वैजिज और अवरुद्ध संवात को ठीक करने के लिए बड़े अनुरक्षण एवं शट-डाउन कार्यों में अधिक समय लगा ।
कोटा-4	210	4-8-90	28-8-90	वार्षिक अनुरक्षण ।

कोटा स्थित ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की पूर्ति

1831. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा स्थित ताप विद्युत केन्द्र में कुल कितनी मात्रा में कोयले का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है;

(ख) कोयले की आपूर्ति करने वाले कोयला-क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और कोटा से वह कितनी दूरी पर स्थित है;

(ग) क्या उसके निकट कोई और कोयला खान है; और

(घ) यदि हां, तो ढुलाई में होने वाली क्षति से बचने के लिए निकटतम कोयला खान से कोयला उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगोड़) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कोटा तापीय विद्युत गृह के लिए 1,70,000 टन कोयले की औसत मासिक मांग विनिर्दिष्ट की हैं ।

(ख), कोटा तापीय विद्युत गृह को कोयले की आपूर्ति नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० के सिंगरौली कोयला क्षेत्र से, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के कोरियारीवा कोयला क्षेत्रों और भारत कोकिंग कोल लि० के झरिया कोयला क्षेत्रों से की जाती है। कोटा तापीय विद्युत गृह से उपर्युक्त कोयला क्षेत्रों की लगभग किलोमीटर में दूरी नीचे दी गई है :

(1) सा० ई० को० लि० (कोरिया-रीवा)	990 कि० मी०
(2) ना० को० लि० (सिंगरौली)	800 कि० मी०
(3) भा० को० को० लि० (झरिया)	1350 कि० मी०

(ग) तथा (घ) विद्युत गृह के समीप कोयला क्षेत्र, कोरिया-रीवा तथा सिंगरौली कोयला क्षेत्र हैं, किन्तु सि० को० कं० लि० में कम उत्पादन होने के कारण भारत के दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० से अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति करनी पड़ी। तदनुसार भा० को० को० लि० के झरिया कोयला क्षेत्र से कोटा तापीय विद्युत गृह की आवश्यकताओं का एक भाग पूरा किया जा रहा है।

ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

1832. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप विद्युत संयंत्रों को किस दर से कोयले की सप्लाई की जा रही है और उनको कुल कितनी मात्रा में कोयला सप्लाई किया गया;

(ख) क्या सप्लाई किए जाने वाले कोयले की किस्म भी ठेके में निर्धारित की गई थी और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन श्रेणियों के कोयले की सप्लाई की गई; और

(ग) क्या कोयले की घटिया किस्म की सप्लाई के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं; यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्याम गौड़) : (क) तापीय विद्युत गृहों को जिस दर पर कोयले की आपूर्ति की जा रही है, वह आपूर्ति किए गए कोयले के ग्रेडों के अनुसार भिन्न-भिन्न है। कोल इण्डिया लि० द्वारा उत्पादन किए गए कोयले का वर्तमान औसत पिटहैड मूल्य 249.00 रुपए प्रति टन है तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले का औसत पिट-हैड मूल्य 297.00 रुपए प्रति टन है।

वर्ष 1991-92 के प्रथम तीन महीनों के दौरान अर्थात् 1-4-91 से 30-6-91 तक ताप विद्युत गृहों को को० इं० लि तथा सि० को० कं० लि० द्वारा कोयले का पारेषण 32.18 मि० टन (वाशरी मिडलिंग्स सहित) किया गया।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विद्युत बोर्डों/विद्युत उपयोगिताओं तथा कोयला कम्पनियों के बीच हुए कोयले की आपूर्ति के समझौते में कोयले की गुणवत्ता शामिल नहीं है।

राजस्थान में पर्यटन कम्पलैक्सों का विकास

1833. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के पर्यटन कम्पलैक्सों से सम्बन्धित उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं और ये कब से लम्बित पड़ी हैं :

(ख) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी योजनाओं की मंजूरी दी और इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराय सिंधिया) : (क) तथा (ख) नागपुर में 19.90 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक पर्यटक परिसर के सम्बन्ध में विस्तृत अनुमानों सहित एक प्रस्ताव हाल ही में राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है जिस पर निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान 263.47 लाख रुपए की 34 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं ।

राजस्थान में रसोई गैस की एजेंसियां

1834. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पिछले एक वर्ष के दौरान रसोई गैस की एजेंसियां आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान में और एजेंसियां आबंटित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और किन-किन स्थानों पर ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) आबंटित 12 (बारह) की समीक्षा की जा रही है ।

(ख) तथा (ग) विभिन्न शहरों में एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें विपणन योजनाओं तथा समय-समय पर लागू नीति के अनुसार खोली जाती हैं ।

बिजली परियोजनाओं को मंजूरी

1835. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बिजली परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने में पिछड़े राज्यों को कोई प्राथमिकता दी गई है; और

(ग) क्या राजस्थान में बिजली की कमी को देखते हुए सरकार का वहां किसी बिजली परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान 57 ताप विद्युत एवं जल विद्युत परियोजनाएं अनुमोदित की गई ।

(ख) देश में विद्युत विकास के लिए स्कीमें इनके क्रियान्वयन हेतु संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर अनुमोदित की जाती हैं ।

(ग) राजस्थान में अवस्थित 120-120 मेगावाट की दो यूनोटों वाली वीर सिंह लिग्नाइट

ताप विद्युत परियोजना को अप्रैल 1991 मे स्वीकृत कर दिया गया है। परियोजना का क्रियान्वयन नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा किया गया है।

250-250 मेगावाट की दो यूनिटों वाली सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना (चरण-1) को भी 13-6-1991 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तलनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति कर दी गई है बशर्ते केन्द्रीय विद्युत प्राधीकरण द्वारा सम्बद्ध पारेषण प्रणाली को भी स्वीकृति प्रदान कर दी जाए।

राजस्थान सरकार से तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित किए जाने के लिए प्राप्त हुई स्कीमों की वर्तमान स्थिति निम्नवत है :

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठित क्षमता (मेगावाट)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	जाकम जल विद्युत परियोजना	2×2.5 =5	स्कीम का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मूल्यांकन किया जा रहा है। पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से स्वीकृत और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधान के अनुपालना की प्रतीक्षा है।
2.	धौलापुर ताप विद्युत परियोजना	3×250 =750	स्कीम का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मूल्यांकन किया जा रहा है। कोयला लिंकेज, जल की उपलब्धता सम्बद्ध पारेषण प्रणाली पर्यावरणीय स्वीकृति अभी सुनिश्चित की जानी है। विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों की अनुपालना की भी प्रतीक्षा है।
3.	मैथानिया में सौर ताप विद्युत संयंत्र	30	स्कीम का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मूल्यांकन किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए स्टालों का आरक्षण

1836. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के उन रेलवे स्टेशनों जिन पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को स्टाल लगाने की अनुमति दी गई है, के नाम और उन लोगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें यह अनुमति दी गई है और उन्हें यह अनुमति किन शर्तों पर दी गई है;

(ख) इन वर्गों के लोगों के लिए कितने स्थल आरक्षित किए गए हैं और खाली पड़े तथा आबंटित स्थलों की वर्तमान स्थिति क्या है और खाली पड़े स्थल कब तक आबंटित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) रेलवे स्टेशनों पर किस प्रकार के स्टाल तथा ट्रालिया लगाने की अनुमति दी गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) एक विवरण संलग्न है। लाइसेंस इस शर्त पर दिए गए है कि लाइसेंसधारी रेलों के साथ हुए समझौते के प्रावधानों का पालन करेगा।

(ख) किसी कोटि को स्टाल आबंटित करने के लिए ऐसा कोई स्थान आरक्षित नहीं किया गया है। बहरहाल 1/2 यूनिट मूल्य तक सभी खानपान/वेंडिंग लाइसेंस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

(ग) केवल उन्हीं स्टालों और ट्रालियों को अनुमति दी जाती है जिसमें वही मदें बेची जाती है जिनकी यात्रियों को यात्रा के दौरान आवश्यकता होती है।

विवरण

ठेकेदार का नानम	स्टेशन का नाम
(1)	(2)
श्रीमती फुलजारी एच०	चर्च गेट
श्री सूबेदार राम	मरीना लाइन
श्री कांतिलाल ए०	चरनी रोड
श्री डी० एम० शिंदे	चरनी रोड
श्री दानी राम	ग्रांट रोड
श्री नात्री सी०	बम्बई सेंट्रल (एल)
मै० वसन्त एंड कं०	महालक्ष्मी
श्री रघुराम सी०	लोअर परेल
श्री भारत जी०	ऐलफिंसटोन रोड
श्री यशवंत एच०	दादर
मै० भगवान दास एंड कं०	दादर
श्री केशव चंद्र पी० आर०	माटुंगा रोड
श्री सदाशिव नारायण	बांद्रा
श्रीमती परमार	बांद्रा
श्री एस० परमार	खार
मै० एस० एम० माने एंड कं०	खार
मै० मुरलीधर पी० एं० कं०	सांताक्रुज
श्रीमती पारवतीबेन त्रिभुवनदास	विले पार्ले

1	2
मै० रमेश पंडाची	विले पार्ले
श्रीमती पार्वतीबेन टी० मकवाना	विले पार्ले
मै० गजानन्द एंड कं०	अन्धेरी
श्रीमती खालवादीकर	अन्धेरी
श्री राम दयाल राम	जोगेश्वरी
श्री नारायण प्रकाश	जोगेश्वरी
श्री श्यामकतराम राम	बोरीवली
श्री डी० एम० शिंदे	बोरीवली
श्री जयंयत के० गिरीयोलकर	बोरीवली
श्री दिलीप दिलौड	बोरीवली
श्री प्रदीप कनागली	बोरीवली
श्रीमती हुकूमचंद कच्छावाई	बोरीवली
श्री दिलीप पन्नालाल	दहीसर
मै० आदिदासी ग्राम सेवा संघ, कैनाद	दहानू रोड
मै० करवीर आदिवासी ग्राम सेवा संघ	दहानू रोड
श्री आत्माराम आचार्य	सूरत
श्रीमती पद्मजा आर० वाटकर	बिलीमोरा
श्री राजेंद्र कुमार आर०	डोंडायचे
श्री राजेंद्र कुमार आर०	नरदाना
श्री दयाभाई एस०	संभात
श्री सोमभाई पी० पटेल	पेटलाद
श्रीमती पार्वती आर०	कोसाम्बा
श्री एच० जी० वसावा	किम
श्री पी० सी०	वीरमगाम
श्री पी० के० सोलंकी	सानंद
श्री जाम्मू भाई	सेवालिला
श्री गोरधन दास	कोरंडा जं०
श्री रामभाई एल०	आनन्द
श्री कैश्चलाल जैन	बड़ौदा
श्री नन्दराम	मंदसौर

1	2
श्री शंकरलाल	मंदसौर
श्री मोहनलाल	जावरा
श्री पांडुरंग मुले	नीमारखेड़ी
श्री रामनाथ आहीरवार	इन्दौर
श्री देवीसिंह दामोर	दाहोद
श्री सुरेश कुमार	उज्जैन
श्री मांगीलाल हिराजु	उज्जैन
श्री नेतराम आशाराम	उज्जैन
श्री मनोहर काच्छवाई	नागदा
श्री बी० के० सालवी	नागदा
श्री भगीरथ बादना	कालीसिंध
श्री बाबूलाल बेड़वा	मक्सी
श्री बिहारीलाल कोहली	सिहोर
श्रीमती किशन कौर	आगरा फोर्ट
श्री खेमचंद	फतहपुर सीकरी
श्रीमती शंकुतला देवी	रवणसमुद्रक
श्री राम प्रसाद	बयाना
श्री छितरमल	हिंडौन सिटी
श्री किशनलाल	कोटा
श्री रमेश चंद	शामगढ़
श्री रामजीलाल	सुवासड़ा
श्री उदयनन्द	सालपुरा
श्री हरीराम मीना	मारवाड़ जं०
श्री हरीशचं जटिया	चित्तौड़
श्री रतनलाल बकोरिया	गांधीधाम
श्री जोगाराम	फुलाड़
श्री दीनदयाल	उदयपुर सिटी
श्री शंकर एस०	उदयपुर सिटी
श्री रामकिशोर मीना	उदयपुर सिटी
श्री लीलाचंद आर०	गांधीधाम

1	2
श्रीमती निर्मला देवी	फुलाड़
कुमारी रीता	राणाप्रतापनगर
श्री भागीरथ मीना	पालनपुर
श्री बाबूलाल	उदयपुर सिटी
श्री तुलसीराम ेहवाल	उदयपुर सिटी
श्री गुंडालाल कटारिया	उदयपुर सिटी
श्री केशवदेव मंडल	सोमेसर
श्री कमलेश कुमार	न्यू भुज
श्री गुंडालाल कटारा	न्यू भुज
श्री महेश कुमार	न्यू भुज
श्री अल्लाभाई एन० बाबरिया	राजकोट
श्री परवीन ए० परमार	हिम्मतनगर
श्री मनसुख टी०	जामनगर
श्री दीवा बाबा	भनवाड़
श्री रावजी मोहन	धारी
श्री रोमाभाई बी०	धंधुका
श्रीमती उजिबेन अर्जुनभाई	पोरबन्दर
श्री मामजी मोती	रजौला जं०
श्रीमती कस्तूरबेन परमार	जूनागढ़

नागदा के निकट नेप्था टैंकर के कारण हुए अग्निकांड के पीड़ितों को मुआवजा

1837. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान पश्चिम रेलवे के नागदा स्टेशन के निकट कच्चे नेप्था टैंकर के कारण हुए भयंकर अग्नि कांड के पीड़ितो को मुआवजा देने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। अप्रैल 1990 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) अभ्यावेदन की जांच की गई थी। भारतीय रेल अधिनियम 1890 के प्रावधानों के तहत मुआवजे का भुगतान युक्तियुक्त नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

अलेप्पी, केरल में पाथिरा मनाल पर्यटक केन्द्र का विकास

1838. श्री टी० जे० अंजलोज : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अलेप्पी, केरल में पाथिरा मनाल पर्यटक केन्द्र के लिए कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तथा (ख) केरल सरकार ने पाथिरा मनाल में द्वीप रिजार्ट के विकास के लिए 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव हाल ही में प्रस्तुत किया है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को वित्तीय सहायता

1839. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को 1990 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए बाणसागर टौंस जल विद्युत परियोजना के प्रथम और द्वितीय विद्युत गृहों, बीरसिंगपुर जल विद्युत परियोजना, संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना (प्रथम और द्वितीय चरण), पेंच ताप विद्युत परियोजना, हंसदेव बंगी जल विद्युत परियोजना, तावा जल विद्युत परियोजना, राजघाट अन्तर्राज्यीय जल विद्युत परियोजना और कोरबा (पश्चिम) ताप विद्युत परियोजना के पांचवें एकक को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता का आबंटन, संशोधित गाडगिल फार्मूले के अनुसार ब्याज ऋणों/अनुदानों के रूप में किया जाता है और यह किसी विशिष्ट परियोजना/कार्यक्रम के लिए आबंटित नहीं की जाती । तथापि, विद्युत वित्त निगम (पी० एफ० सी०) द्वारा अब तक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए ऋण दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए में)

	परियोजना का नाम	जून, 1991 तक पी० एफ० सी० द्वारा दिए गए ऋण स्वीकृत	संवितरित
	ताप विद्युत परियोजनाएं		
1.	संजय गांधी ता० वि० केन्द्र	65.00	47.45
2.	संजय गांधी ता० वि० के० विस्तार	38.82	38.69
3.	पेंच	26.10	26.10

1		2	3
	जल विद्युत परियोजनाएं		
4.	बाणसागर टान्स	15.32	15.31
5.	बिरसिंहपुर	1.70	1.70
6.	हसदेव-बांगो	5-00	4.96

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का क्षमता उपयोग

1840. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा गत तीन वर्षों 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान वर्षवार लिग्नाइट के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा उत्पादन कितना हुआ;

(ख) इन तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोयले की प्रति टन उत्पादन लागत की तुलना में लिग्नाइट की प्रति टन उत्पादन लागत क्या थी;

(ग) नेवेली विद्युत केन्द्र की स्थापित क्षमता कितनी है और 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत केन्द्र के लिए कितने लिग्नाइट की मांग की गई थी;

(ङ) क्या यह मांग पूर्णतया पूरी की गई है अथवा क्या विद्युत केन्द्र बिजली उत्पादन के लिए तेल का उपयोग कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्याम गौड़) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० द्वारा वर्षवार प्राप्त किए गए लिग्नाइट के वास्तविक उत्पादन को तथा निर्धारित लक्ष्य को नीचे दिया गया है :

(लाख टन में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
1988-89	104.60	114.05
1989-90	104.60	112.36
1990-91	110.00	117.59

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (ने० लि० का०) द्वारा किए गए प्रति टन लिग्नाइट यथा कोल इण्डिया लि० (को० ई० लि०) द्वारा किए गए प्रति टन कोयले के उत्पादन की औसत लागत को नीचे दिया गया है :

(रु०/टन)

	लिग्नाइट (ने० लि० का०)	कोयला (को० इं० लि०)
1988-89	146.03	252.91
1989-90	173.82	264.69
1990-91	189.92	277.17

(ग) स्थापित क्षमता	उपयोग क्षमता (लक्ष्य के एवज् में)		
	1988-89	1989-90	1990-91
1230 मे० वा० (अगस्त, 1990 तक)			
1220 मे० वा० (सितम्बर, 90 से)	118.10%	106.75%	106.0%

(ख) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेयवेली में ताप गृहों की लिग्नाइट आवश्यकता जोकि नीचे दी गई है, उसे पूर्णतः पूरा किया :

	(लाख टन में)
1988-89	80.10
1989-90	85.49
1990-91	86.27

किन्तु विद्युत संयंत्रों को चालू करने तथा बन्द करने के लिए भी तथा स्थिरीकरण हेतु तेल की सीमित मात्रा में अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है। तेल की खपत नीचे दी गई है :

1988-89	24870.24 कि० ली०
1989-90	28054.67 कि० ली०
1990-91	18498.24 कि० ली०

[हिन्दी]

कोरबा विद्युत संयंत्र को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति

1841. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :**

श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कोरबा विद्युत संयंत्र की यूनिट 5 और 6 के विस्तार हेतु तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा वित्तीय मंजूरी कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा इस स्कीम के अनुमोदन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है :

कंटेनर सेवा

1842. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग की स्वदेशी कंटेनर सेवा में गत दो वर्षों के दौरान भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार कंटेनर सेवा में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां। 1990-91 में घरेलू कंटेनर यातायात के लदान में गिरावट आई है क्योंकि इस अवधि के दौरान 26,649 यूनिटों का लदान किया गया जबकि पिछले वर्ष 28,281 यूनिटों का लदान किया गया था।

(ख) यातायात में गिरावट का कारण यह है कि रेलवे के स्वामित्व वाले कंटेनरों के गतायु हो हो जाने की वजह से इसके बेड़े की संख्या कम हो गयी है।

(ग) रेलों ने घरेलू कार्गो के परिवहन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन के मेरिन कंटेनरों का उपयोग करना शुरू कर दिया है ताकि घरेलू कंटेनरों के बेड़े की कमी पूरी की जा सके। अब भारतीय कंटेनर निगम द्वारा इन सेवाओं का विपणन माल भाड़ा अग्रेषकों, कंटेनर होल्डिंग कम्पनियों, ट्रेड तथा रेलोंके घनिष्ठ सहयोग से किया जा रहा है।

रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के मामले

1843. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौराम रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के कुल कितने मामलों का पता चला है;

(ख) गाड़ियों के पटरियों से उतरने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) तथा (ख) 1989-90 और 1990-91 के दौरान गाड़ी पटरी से उतरने की 902 घटनाएं हुई थीं। दुर्घटनाएं मुख्यत: कर्मचारियों की गलती, उपस्कर की खराबी तथा तोड़-फोड़ के कारण हुई थी।

(ग) गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं में कमी लाने के लिए उठाए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कदमों में रेलपथ संरचना को सुदृढ़ बनाना/उसका नवीकरण करना, पटरियों की पराश्रव्य जांच, कारखानों से उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना, संवेदनशील संस्थापनाओं गहन और बार-बार निरीक्षण करना तथा अशान्त क्षेत्रों में रेलपथ पर गश्त लगाना शामिल है।

झांसी डिवीजन के लिए आरक्षण कोटा

1844. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान झांसी डिवीजन में शायिका आरक्षण कोटा कम कर दिया गाय है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस डिवीजन में शायिका आरक्षण कोटा बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) झांसी मंडल में आरक्षण कोटों की समग्र उपलब्धता में कोई कमी नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) झांसी मंडल में जनवरी, 1989 की 5.1 शायिकाओं का आरक्षण कोटा जून, 1991 में बढ़कर 8880 शायिकायें कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना

1845. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या **विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिजली की कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से दिल्ली के निकट गैस पर आधारित बिजली के किसी विद्युत संयंत्र की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाईप लाइन में व्यर्थ जा रही गैस का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) तथा (ख) जी हां। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा दिल्ली के समीप दादरी में 692.44 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 817 मेगावाट (4 × 131.3 मेगावाट + 2 × 146 मेगावाट भाप टर्बाइन) की गैस आधारित एक विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोल इण्डिया लिमिटेड को विश्व बैंक से ऋण

1846. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इण्डिया लिमिटेड को विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से अपनी परियोजनाओं के विकास के लिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड से मशनरी और उपकरण न खरीदने की सलाह दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्याम गौड़) : (क) तथा (ख) निम्नलिखित कोयला परियोजनाएं विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही हैं :

परियोजना	कम्पनी	ऋण की राशि अमरीकी मि० डालर
दुधीचुआ ओ० का०	ना० को० लि०	109.0
ब्लाक II, ओ० का०	भा० को० को० लि०	57.7
सोनपुर बाजारी ओ० का०	ई० को० लि०	114.8
गेवरा ओ० का० प०	सा० ई० को० लि०	65.2

इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान परियोजनाओ के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण सम्बन्धी गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए उक्त बैंक की पर्यवेक्षण मिशनें भारत का दौरान करती रही हैं। दुधीचुआ ओ० का० परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त प्रदत्त एक ड्रैगलाइन का आदेश भारी इंजीनियरिंग निगम (एच० ई० सी०), रांची को प्रस्तुत किया गया था। ड्रैगलाइन घटक की आपूर्ति विलम्ब से की गई थी तथा ड्रैगलाइन उपकरण की गुणवत्ता के पहलुओं पर विश्व बैंक मिशन ने भी चिन्ता व्यक्त की थी। जनवरी-फरवरी, 1991 में अपनी भारत यात्रा के दौरान मिशन ने यह अनुभव किया कि कुछ आवश्यक वस्तुओं की अभी तक आपूर्ति न किए जाने के कारण ड्रैगलाइन के कार्य में 18 महीनों की देरी होगी। को० इं० लि० एवं अन्य संविताओं के अन्तर्गत सुपुर्दगी के सम्बन्ध में पिछले अनुभव को देखते हुए मिशन ने गुणवत्ता एवं समय पर आपूर्ति किए जाने सम्बन्धी एच० ई० सी० के घटिया प्रदर्शन पर भी चिन्ता व्यक्त की। यह बात इस तथ्य पर आधारित थी कि मिशन को यह शंका व्यक्त की क्या बैंक बड़े ड्रैगलाइट की आपूर्ति हेतु एच०ई०सी० को भविष्य में संविदा देने के लिए अपनी अनापत्ति देने पर सहमत हो जाएगा।

विश्व बैंक का यह दृष्टिकोण बैंक द्वारा वित्त-पोषित कोयला परियोजनाओं से सम्बन्धित है। किन्तु को० ई० लि० को विश्व बैंक से इस आशय का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है कि वह विश्व बैंक द्वारा वित्त-पौषित किसी उपकरण की एच० ई० सी के माध्यम से खरीद न करे।

आगरा में मुख्य रेलवे स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव

1847. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में एक नए मुख्य रेलवे स्टेशन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है जहां पर वहां से गुजरने वाली प्रत्येक गाड़ी यात्रियों को लेने के लिए केन्द्रीयकृत स्टेशन पर रुक सके;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रयोजन हेतु आगरा के किसी निवर्तमान स्टेशन को मुख्य स्टेशन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में राख हटाने की प्रणाली

1848. **डा० पी० वल्लल पेरूमान** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैवेली लिग्नाइट निगम द्वारा राख हटाने की प्रणाली का ठेका देने हेतु निविदा सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित किए गए विनिर्देशों का ब्यौरा है;

(ख) क्या निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे ठेकों को देते समय इन विनिर्देशों का पालन किया गया है;

(ग) यदि हां. तो राख हटाने की प्रणाली के ठेकों के परिणामस्वरूप निगम को घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी पुनावृत्ति रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) इस सम्बन्ध में विनिर्देशों को निविदा सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। नेयवेली ताप विद्युत गृह-II, चरण-II हेतु सभी पैकेजों हेतु विनिर्देशों को, जिनसे यह प्रश्न का सम्बन्ध है, परियोजना हेतु नियुक्त परामर्शदाता द्वारा तैयार किया गया है।

प्रणाली का निर्माण तथा रूपरेखा स्थापनम हेतु निम्नलिखित विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं :

(1) यह अनुमान लगाया गया कि यद्यपि एम० सी० आर० में प्रति यूनिट लिग्नाइट खपत 207 टन प्रति घंटा होगी तथा हाइड्रोस्लाइसिंग पद्धयि डिजाइन पारामीटर को 262 टन प्रति घंटा माना जाए।

(2) इस मम्बन्ध में प्रदान किया जाने वाले लिग्नाइट में राख की मात्रा 12% राख उत्पादन अनुपात प्रति यूनिट 31.5 टन प्रति घंटा।

(3) उड़ने वाली राख की तुलना में राख का अनुपात 20% : 80% अर्थात् यह 0.3 टन/प्रति घंटा 25.2 टन/प्रति घंटा के अनुपात में, विनिर्धारित की गई है। किन्तु फ्लाईऐश उपकरण की रूपरेखा 10%तथ 190% के अनुपात में की जाएगीं।

(ख) इसे परियोजना हेतु एक समय विशेष की आवश्यकता है तथा विनिर्देशों का सम्बन्ध यूनिटों से है। तथा विभिन्न कारणों के चलते खास [उपकरणों के बनावट तथा विनिर्देशन के सम्बन्ध में विभिन्न कारणों से निम्न परिवर्तन किए गए थे :

(1) पाइपों का मूल रूप से कड़ापन 355 मि० मी० ओम डी० तथा 9.52 मि० मी० की मोटाई में निर्धारित किया गया था। जबकि मैसर्स, "सैल" (स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि०) ने जो पाइपों के आपूर्तिकर्ता है और जिन्होंने मदों की खरीद की है, ने ऐसी विनिर्देशों वाली पाइपों का निर्माण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। इसलिए दोनों बोली लगाने (बिडर्स) वालों को कहा गया है कि संशोधित मूल्य की बोली लगाते वक्त राख गोरेवाले पाइपों की 7.14 मि०मी० तथा 3.55 विनिर्दिष्टकरण किया।

(2) राख जल पंपों के लिए 350 बी० एच० एल० की कड़ेपन (मोटाई) हेतु मूल विनिर्देश किया गया। मफल बोली लगाने वालों ने भारत के प्रतिष्ठित पम्प निर्माताओं से संपर्क करने के पश्चात् नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को सूचित किया कि 350 बी०एच०एन०

की मोटाई वाले जल पम्पों का भारत में निर्माण नहीं किया जाता है तथा बी०एच०एन० 250 से 300 में परिवर्तन करने के लिए निवेदन किया। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने परामर्शदाताओं से स्वीकृति प्राप्त किए जाने के पश्चात् परिवर्तन की मंजूरी दे दी है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 1,29,906.76 रु० की कीमतों में कमी हुई है।

(3) प्लग वाल्व हेतु मूल रूप से स्वीकृत बनावट डेजूरिक वाल्व की थी। डेजूरिक वाल्वों की तकनीकी खराबी के कारण सफल बोली लगाने वालों के अनुरोध पर, नमूने को बदलकर आंड़कों वाल्व कर दिया गया। डेजूरिक वाल्वों की 71,451/- रु० की तुलना में आंड़कों वाल्व की कीमत 1,53,959/- रु० थी। बदलाव के समय सहमति देते हुए एन०एल०सी० द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई थी कि आंड़कों वाल्व की अतिरिक्त कीमत के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) अन्य परिवर्तन, जो किए गए, वे निम्नलिखित कार्यों के कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित थे: सिविल कार्य, निर्माण कीमत तथा उपकरणों की आपूर्ति। प्रारम्भ में "सिविल कार्य" जिसके लिए सफल बोली लगाने वालों ने 58 लाख रु० की एकमुश्त राशि की बोली लगाई थी, उसमें पाइप ब्रिजों की आपूर्ति तथा ढांचेदार स्टील में पाइप चपोर्ट, पाइप फुलों का पिलाई (ग्राउटिंग) तथा निर्माण कार्य शामिल है। किन्तु बाद में पाइप पुलों का पिलाई तथा उत्थापन तथा पाइप सपोर्टों का कार्य "सिविल कार्य" स्से थानान्तरित कर "उपकरण आपूर्ति" तथा "उत्थापन" को सौंप दिया गया। जिसके फलस्वरूप "सिविल कार्य" के अन्तर्गत कीमतों की 28.60 लाख रु० तक घट गई तथा इसमें "उपकरणों की आपूर्ति" (रुपए 23 लाख) तथा उत्थापन (रुपये 5.60 लाख) को पुनः आवंटित कर दिया गया। यह सामान्यतः कीमतों का आवंटन था और इससे करार की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(5) सफल बोली लगाने वालों द्वारा बी० एच० एन० के जल पम्पों तथा कुछ पुर्जों की सख्त कड़ाई में कमी करने के लिए 1.30 लाख रु० की कमी करने की पेशकश की गई।

(ग) राख संचालन संविदाओं को दिए जाने के फलस्वरूप एन० एल० सी० को कोई घाटा नहीं हुआ।

(घ) चूंकि कारपोरेशन द्वारा कोई घाटा नहीं उठाना पड़ा, अतः प्रश्न ही नहीं उठता है।

मद्रास और नेवेली के बीच वायुदूत सेवा

1849. **डा० पी० वल्लल पेरुमान** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और नेवेली के बीच चलने वाली वायुदूत सेवा को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सेवा को कब से पुनः चालू किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) वायुदूत को वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से देश के विभिन्न राज्यों में अपने नेटवर्क में भारी कमी करने के लिए विवश होना पड़ा है। वायुदूत की सेवाओं को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तमिलनाडु में कुड्डालोर में गैस पर आधारित विद्युत संयन्त्र

1850. **डा० पी० वल्लल पेरूमान** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी बेसिर में पाये गये गैस का उपयोग करने हेतु तमिलनाडु में कुड्डालोर में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किये जाये जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने अक्तूबर, 1988 से तमिलनाडु में कुड्डालूर के 8 कि० मी० दक्षिण में थियामावल्ली गांव में कावेरी बेसिन की गैर पर आधारित 196 मे० वा० के गैस आधारित संयुक्त सालकिल गेस टर्बाइन संयन्त्र के सम्बन्ध में एक पूर्व-सम्भाव्यता रिपोर्ट भेजी थी। तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा इस परियोजना के लिए गैस लिंकेज सुनिश्चित न लिए जाने के कारण इस परियोजना के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही नहीं की गई। बाद में, तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा तंजावूर जिले में फिल्लीपेरूमलनाल्लुर में 600 मे० वा० का एक संयंत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई, 1991 में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत काथेरी बेसिन में उपलब्ध गैस का उपभोग करते हुए फेज-- के रूप में 300 मे० वा० क्षमता का एक विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाना है।

[हिन्दी]

पीलीभीत के लिए रेल सम्पर्क

1851. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीलीभीत को बड़ी लाइन से जोड़ने की कोई योजना बनाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश की लम्बित विद्युत परियोजनाएं

1852. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी ताप विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश में बेलथारा रोड ताप विद्युत परियोजना (3 × 210 मे० वा०), जगदीशपुर गैस आधारित संयुक्त साइकिल परियोजना (210 मे०वा०) और शाहजहांपुर गैस आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (600 मे० वा०) स्थापित किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुए प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में लम्बित हैं ।

(ख) और (ग) बेलथारा रोड ताप विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में जुलाई, 1990 में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचित किया है कि वे परियोजना की क्षमता में संशोधन करके (3 × 250 मे० वा०) कर रहे हैं। संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। जगदीशपुर तथा शाहजहांपुर में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के बारे में गैस लिंकेज सुनिश्चित नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त, साहजहांपुर गैस आधारित विद्युत परियोजना के लिए विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 की धारा 29 की अनुपालना जैसी अपेक्षित सांविधिक स्वीकृतियां, केन्द्रीय जल आयोग से जल की उपलब्धता सम्बन्धी स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृतियां भी सुनिश्चित नहीं की गई है । उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सभी अपेक्षित निवेश सुनिश्चित किए जाने के पश्चात ही इन परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।

एअर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइंस का विस्तार

1853. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990 के दौरान एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स के विस्तार हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उन पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप इन दो विमान सेवाओं में कहां तक सुधार होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स को अब 5 जून, 1989 के पूरक खरीद करार के अधीन 12 और ए-320 विमान प्राप्त करने हैं ।

एयर इण्डिया के लिए चार बोइंग 747-400 विमान लिए जाने का प्रस्ताव है जिनकी अनुमानित लागत 1962·09 करोड़ रुपए है जिसमें 667.09 मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी मुद्रा अंश भी शामिल है ।

इन विमानों की प्राप्ति से कुछ सीमा तक दोनों एयरलाइनों का विमान बेड़ा आधुनिक बन जाएगा और इससे उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षमता में भी वृद्धि होगी ।

[अनुवाद]

बांकुरा-रैना रेल लाइन का आधुनिकीकरण

1854. **डा० सुधीर राय** :

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर पार क्षेत्र को जाने वाली बांकुरा-रैना छोटी रेल लाइन को बन्द करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नही, तो क्या इस रेल मार्ग का आधुनिकीकरण करने और उस पर डीजल से चलने वाली रेल गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बर्दवान-कटवा रेल लाइन का आधुनिकीकरण

1855. **डा० सुधीर राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्दवान-कटवा छोटी रेल लाइन को आधुनिक बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बलूरघाट-एकलखी रेल लाइन

1856. **डा० सुधीर राय** :

श्री वसुदेव आचार्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बलूरघाट-एकलखी रेल लाइन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उसके कब तक पूरा होने और चालू किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 3 प्रतिशत।

(ख) लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

तामलुक-डीघा रेल लाइन

1857. **डा० सुधीर राय** :

श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामलुक-डीघा रेल लाइन परियोजना पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी;

(ख) उस पर अब तक कितना व्यय किया गया है और वर्ष 1991-92 के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई है;

(ग) उसके निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इसको पूरा करने के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 100 करोड़ रुपये।

(ख) जून 1991 तक 15.13 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 1991-92 के लिए 1.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ।

(ग) जून 1991 तक 10.20 प्रतिशत ।

(घ) 1994-95।

[हिन्दी]

पश्चिम रेल के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

1858. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे स्थित ऐसे रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी हैं जिनका गत तीन वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार और विस्तार किया गया है और इस समय कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार और विस्तार अब किया जा रहा है;

(ख) इन कार्यों के लिए मंजूर की गई और खर्च की गई राशि और खर्चे में की जा रही वृद्धि का, स्टेशन वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अजमेर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के कार्य में घटिया माल लगाने की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे के आठ स्टेशनों पर कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 10 और स्टेशनों पर इस समय काम चल रहा है ।

(ख) पूरे किए गए काम (आंकड़े हजार रु० में)

क्र०सं०	स्टेशन	लागत	खर्च की गई राशि
1.	राजकोट	3060	2535
2.	नागदा	489	542
3.	मक्सी	371	398
4.	शामगढ़	1816	1907
5.	बोरीवली	1971	1971
6.	जूनागढ़	301	301

1	2	3	4
7.	इन्दौर	6379	6379
8.	अहमदाबाद	1387	1387

केवल नागदा, मक्खी और शामगढ़ स्टेशनों पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किया गया है।

चालू काम

9.	दादर	900	900
10.	विरार	900	500
11.	ब्यावर	1234	1202
12.	अंधेरी	900	400
13.	कामी	2073	1775
14.	भरतपुर	4447	3325
15.	आगरा फोर्ट	6875	5383
16.	अजमेर	5518	5043
17.	जयपुर	4902	1486
18.	बम्बई सेंट्रल	4453	651

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में कम्प्यूटरीकरण

1859. प्रो० **रासा सिंह रावत : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के किन विभागों और डिविजनों में कम्प्यूटरीकरण योजना का कार्यान्वयन किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में क्षेत्र-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) इस योजना के अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या अजमेर शहर में अरक्षण कार्य के कम्प्यूटरीकरण के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों के निम्नलिखित विभागों में कम्प्यूटरीकरण योजना कार्यान्वित की गई है :—

— वाणिज्यिक

— परिचालन

— वित्त

— यांत्रिक

— बिजली

— सिगनल एवं दूर संचार

— चिकित्सा

— भण्डार

— सिविल इन्जीनियरी

— अनुसंधान तथा प्रशिक्षण स्कूल

— उत्पादन इकाइयां।

निम्नलिखित मण्डलों में कम्प्यूटरीकरण योजना कार्यान्वित की गई है :

दिल्ली

बम्बई सेन्ट्रल

बम्बई वी० टी०

हवड़ा

सियालदह

मद्रास

सिकन्दराबाद

हैदराबाद

अहमदाबाद

बेंगलूरू

लखनऊ (उ० रे०)

लखनऊ (पूर्वोत्तर)

मालदा

इलाहाबाद

आसनसोल

बिलासपुर

विजयवाड़ा

मदुरै

जबलपुर

वडोदरा

वाराणसी

चक्रधरपुर

गुन्तकल

पालघाट

झांसी
दानापुर
लमडिंग
गोरखपुर
तिरुवनन्तपुरम
फिरोजपुर
धनबाद
जोधपुर
इज्जतनगर
भुसावल
खुर्दारोड
रतलाम
अलीपुरद्वार
तिरुच्चिरापल्ली
खड़गपुर
कोटा
अजमेर
हुबली
अम्बाला
मुरादाबाद
जयपुर

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यकलापों में रेलवेवार खर्च की गई राशि निम्न प्रकार है :—

रेलवे	करोड़ रुपयों में (लगभग)		
	1988-89	1989-90	1990-91
मध्य	2.98	5.18	7.76
पूर्व	3.71	4.47	8.35
उत्तर	2.05	19.55	19.44
पूर्वोत्तर	0.32	0.45	2.23
पूर्वोत्तर सीमा	0.42	0.28	0.50
दक्षिण	10.61	4.70	5.17
दक्षिण-मध्य	7.40	2.18	1.96
दक्षिण-पूर्व	0.74	0.25	0.78
पश्चिम	1.28	7.94	1.86

(ग) अभी तक प्राप्त हुए परिणामों में निम्नलिखित शामिल है :—

(i) ग्राहकों की सेवा की गुणवत्ता में सुधार।

(ii) उत्पादकता में सुधार, और

(iii) प्रबन्ध सूचना प्रणाली में सुधार।

(घ) अजमेर में कम्प्यूरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली की स्थापना करने के लिए जिला युवा कांग्रेस (इ) से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ङ) अजमेर में आरक्षण का कार्यभार इस समय कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली की स्थापना के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है।

नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण

1860. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए कितने स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) इन लाइनों पर कितनी लागत आने का अनुमान है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गत तीन वर्षों में 28 सर्वेक्षण पूरे किए गए हैं। 15 और शुरू किए गए हैं।

(ख) इन 28 परियोजनाओं के निर्माण पर 5450 करोड़ रुपये की लागत आने अनुमान है।

उज्जैन देवास इन्दौर सेक्शन पर रेल सेवा

1861. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उज्जैन-देवास-इन्दौर रेल मार्ग पर वहां की जनता की मांग को पूरा करने के लिये बड़ी लाइन और मीटर गेज दोनों लाइनों पर नियमित और द्रुतगामी रेल सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब शुरू किए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि

1862. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री साइमन मरान्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने स्वदेशी कच्चे तेल के मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने की मांग की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) तेल मूल्य-पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों की जिसमें कच्चे तेल के मूल्य से सम्बन्धित मदें हैं, सरकार जांच कर रही है ।

अम्बागम (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में रेलवे फाटक

1863. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटाबलासा बेलाडला रेलवे लाइन पर अम्बागम के निकट एक रेलवे फाटक का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि इस रेलवे लाइन के एक ओर गांव बसा हुआ है और दूसरी ओर गांव की जमीनें हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । रेलें इस मामले में तभी कार्रवाई कर सकती हैं जब राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण वांछित सुविधा की लागत वहन करने की विधिवत् सहमति के साथ नियमानुसार ठोस प्रस्ताव प्रायोजित करें ।

सबरीमाला मंदिर का राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

1864. **कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सबरीमाला में किसी एक तीर्थ स्थल के विकास हेतु किसी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटम मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस मन्त्रालय में ऐसी कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन

1865. **डा० वी० राजेश्वरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में रामेश्वरम से कन्याकुमारी, बारास्ता तूतीकोरिन, तक बड़ी रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रामनाथपुरम, तमिलनाडु के लिए वायुदूत सेवा

1866. **डा० वी० राजेश्वरन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में रामनाथपुरम को वायुदूत सेवा से कब तक जोड़ दिया जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तथा (ख) वायुदूत को हुई भारी हानि के कारण, उसे अपने नेटवर्क में अत्याधिक कमी करने के लिए विवश होना पड़ा है। वर्तमान स्थिति में, वायुदूत द्वारा नये स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ना व्यावहाहिक नहीं है।

सरकारी होटलों का घाटा

1867. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न सितारा होटल पिछले कुछ वर्षों से घाटे में चल रहे हैं और "भारत पर्यटन वर्ष" में भी घाटे में भारी वृद्धि कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां तो ऐसे होटलों का ब्यौरा क्या है और उन्हें घाटा होने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तथा (ख) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व में चलाए जा रहे कुछ होटल गत कुछ वर्षों से घाटे में चल रहे हैं। भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का गत तीन वर्षों का निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। ये घाटे देश में गड़बड़ी के हालात और खाड़ी युद्ध सहित मध्य पूर्व के हालातों समेत अनेक कारणों से निम्न अधिभोग की वजह से हुए हैं।

विवरण

6-8-1991 को पूछे जाने वाले लोक सभा लिखित प्रश्न सं० 1867 के उत्तर में गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का निवल लाभ/हानि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं० एकक का नाम	निवल लाभ/हानि		
	1988-89	1989-90	1990-91 (अनन्तिम)
1. आगरा अशोक	(—) 5.97	4.44	(—) 9.09
2. एयरपोर्ट अशोक कलकत्ता	94.49	113.91	80.02
3. अशोक रैडिसन होटल बंगलौर	35.60	8.57	(—) 26.10

1	2	3	4	5
4.	अशोक, नई दिल्ली	311.88	233.30	(—) 50.29
5.	अशोक यात्री निवास	126.07	124.23	89.10
6.	औरंगाबाद अशोक	(—) 0.48	4.43	3.06
7.	बोधगया अशोक	(—) 13.45	(—) 9.77	(—) 10.35
8.	हसन अशोक	5.06	10.62	6.00
9.	जयपुर अशोक	8.20	4.61	2.87
10.	जम्मू अशोक	(—) 1.35	(—) 0.08	0.62
11.	जनपथ, नई दिल्ली	48.45	53.85	5.22
12.	कलिंग अशोक भुवनेश्वर	(—) 24.46	(—) 20.88	27.52
13.	कनिष्क, नई दिल्ली	145.49	135.35	3.21
14.	खजुराहो अशोक	(—) 2.13	2.74	(—) 6.25
15.	अशोक रैडिसन बीच रिसोर्ट कोवलम	16.06	22.29	12.61
16.	अशोक रैडिसन एल० एम० पी० होटल, मैसूर	25.14	34.48	47.02
17.	एल० वी० पी० होटल, उदयपुर	14.68	22.87	13.05
18.	लोधी होटल, नई दिल्ली	28.40	34.79	(—) 1.21
19.	मदुरै अशोक	4.08	6.79	(—) 0.06
20.	पाटलीपुत्र अशोक पटना	(—) 8.26	(—) 25.38	(—) 34.34
21.	कुतब होटल, नई दिल्ली	31.14	30.41	17.35
22.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	(—) 39.56	(—) 27.67	(—) 31.90
23.	सम्राट होटल, नई दिल्ली	(—) 46.38	(—) 101.95	(—) 147.42
24.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट माम्मलापुरम	(—) 5.59	0-04	(—) 2.05
25.	वाराणसी अशोक	(—) 6.52	(—) 17.25	(—) 7.13
		740.59	644.74	(—) 73-78

[हिन्दी]

पिटोंजिया रेलवे स्टेशन का नाम

1868. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पिटोंजिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर "कर्पूरी ठाकुर रेलवे स्टेशन' रखने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) 1-8-91 से समस्तीपुर तथा पूसा रोड स्टेशनों के बीच स्थित पिटोंजिया स्टेशन का नाम बदलकर "कर्पूरी ग्राम" रख दिया गया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में बुल्डाना जिले में हवाई अड्डा बनाना

1869. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से बुल्डाना जिले में हवाई अड्डे का निर्माण करने के बारे में कोई प्रास्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में उपरि पुल

1870. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कुट्टिपुरम, काल्लेत्तुकांरा (डूरिजांलाकुडा) और वाडाक्कान्चेरी में उपरि पुल का निर्माण करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केरल सरकार ने कुट्टीपुरम तथा वडक्कांचेरी के निकट केवल दो ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण की सिफारिश की है।

(ख) वडक्कांचेरी और मुलगुण्णतुकावु के बीच कुट्टीपुरम में तथा वडक्कांचेरी और मुल्लुरकरै के बीच ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण कार्य पहले ही रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और ये निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

केरल में रेल परियोजनायें

1871. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या रेल यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चल रही रेल-लाइन निर्माण परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) उनके निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) ये परियोजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) केरल में शुरू की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

परियोजना का नाम	प्रगति	लक्ष्य तिथि
1. नई लाइन		
(i) अलेप्पी-कायनकुलम	70%	1991-92
(ii) त्रिचूर-गुरुवायूर	70%	1991-92
2. दोहरी लाइनें बिछाना		
(i) कायनकुलम-कोल्लम	22%	1992-93
(ii) कोल्लम-तिरूवनन्तपुरम	2%	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

टिहरी बांध परियोजना

1872. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी परियोजना के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) परियोजना कब तक पूरी होने की सम्भावना है और इस पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) टिहरी बांध परियोजना के निर्माण सम्बन्धी कार्यों में हुई प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है :

— चार हैडरेस सुरंगों (प्रत्येक का व्यास 8.5 मी०) और पावर हाउस के पहुंच चरों का निर्माण-कार्य पूरा कर लिया गया है।

— चार व्यवर्तन सुरंगों (प्रत्येक का व्यास 11 मी०) का निर्माण-कार्य पूरा कर लिया गया है तथा टिहरी बांध के निर्माण-कार्यों के लिए भगीरथी नदी का व्यपवर्तन किया जा चुका है।

— कोफर तथा मुख्य बांध की नींव से सम्बन्धित कार्य पूरे हो चुके हैं।

— भण्डार कार्यालय/आवासीय भवनों, पहुंच मार्गों आदि जैसे अन्य आधारभूत कार्यों को पूरा किया जा चुका है।

(ख) परियोजना को मार्च, 1977 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है और परियोजना पर अब तक लगभग 620 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया जा चुका है।

[हिन्दी]

बोकारो ताप विद्युत केन्द्र से कोयले के कणों का उत्सर्जन

1873. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो ताप विद्युत केन्द्र से उत्सीर्जित कोयले के कणों से, उस क्षेत्र में या उसके आस-पास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप लोगों को और कई कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने कोयले के कणों से प्रभावित रोगियों के उपचार के लिए कदम उठाये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान के कितने व्यक्ति कोयले कणों से प्रभावित हुए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) तथा (ख) बोकारो ताप विद्युत केन्द्र के पुराने यूनिटों द्वारा निस्सरित कोयला राख की मात्रा नगण्य है। कोयला राख प्रदूषण के लिए काफी हद तक क्षेत्र में स्थित कोयला खानें तथा कोयला वाशरीज उत्तरदायी हैं।

(ग) बोकारो ताप विद्युत केन्द्र के पुराने यूनिटों को 37 वर्ष से भी पहले स्थापित किया गया था। इन यूनिटों से होने वाले निस्सरण को रोकने हेतु इस समय इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स प्रतिष्ठापित किया जाना तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से सम्भाव्य नहीं है। तथापि, स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से विद्यमान डस्ट कोलेक्टर्स का नवीकरण किया गया है।

(घ) श्वसन सम्बन्धी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ङ) तथा (च) विशेष रूप से कोयला राख से प्रभावित मरीजों/लोगों की संख्या के बारे में आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता।

श्रमजीवी और मगध-एक्सप्रेस में खाद्य सामग्री की सप्लाई

1874. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली और पटना तथा पटना-नई दिल्ली के बीच चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस में शुद्ध पेय जल के पालीपैक सप्लाई करने का विचार है;

(ख) क्या इन रेलगाड़ियों की पैन्ट्रीकार में स्टोर की गयी खाद्य सामग्री कतिपय स्टेशनों पर स्थित बेस रसोइयों में बनाई जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त खाद्य सामग्री की गुणवत्ता ठीक नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय केवल मगध एक्सप्रेस में पेंट्रीकार की सुविधा उपलब्ध है। आधार रसोईघरों में तैयार किया गया भोजन इस गाड़ी की पेंट्रीकारों को सप्लाई किया जाता है। श्रमजीवी एक्सप्रेस में यात्रियों की खान-पान सम्बन्धी आवश्यकता मार्गवर्ती स्टेशनों पर स्थित विभिन्न खान-पान/वेंडिंग यूनिटों के जरिये पूरी की जाती है।

(ग) स्वास्थ्यकर वातावरण में बड़ी मात्रा में भोजन तैयार करने के लिए आधार रसोई घरों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है।

(घ) जी नहीं। गुणवत्ता सन्तोषजनक समझी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भोजन तथा सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए रेलें हमेशा प्रयास करती हैं। यह एक हमेशा चलते रहने वाली तथा सतत प्रक्रिया है। उठाए गए कदमों/उठाए जाने वाले कदमों में शामिल है—कैसरोल सेवा शुरू करना, आधार रसोईघरों को आधुनिक बनाना, खान-पान कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, पेंट्रीकार सेवा शुरू करना, नियमित रूप से/अचानक निरीक्षण करना आदि।

बिहार में बिजली संयन्त्रों की संख्या

1875. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय बिहार में ताप, पनबिजली और परमाणु बिजली संयन्त्रों की कुल संख्या कितनी है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): वर्तमान स्थिति के अनुसार, बिहार में प्रचालनाधीन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

केन्द्र	**क्षमता (मेगावाट)**
ताप विद्युत	
पतरातू	770
बरौनी	310
मुजफ्फरपुर	220
जल विद्युत	
कोसी	20
सुबरनरेखा	130
परमाणु विद्युत	

बिहार में बिजली संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

1876. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बिजली संयंत्रों को प्रतिमाह कितनी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या इन संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन बिजली संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्याम गौड़) : (क) बिहार के तीन बड़े तापीय विद्युत गृहों के लिए केन्द्रीय प्राधिकरणरण कोयले की मासिक आवश्यकताओं का नीचे उल्लेख किया है :

(आंकड़े "000 टन में)

बरौनी तापीय विद्युत गृह	—	65
मुजफ्फरपुर तापीय विद्युत गृह	—	53
पतरातू तापीय विद्युत केन्द्र	—	173

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि बरौनी और मुजफ्फरपुर के तापीय विद्युत गृह अपनी खपत/आवश्यकताओं के अनुसार कोयला की आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक पतरातू तापीय विद्युत गृह का सम्बन्ध है, इस विद्युत गृह के पास चालू वर्ष के आरम्भ से ही कोयले का पर्याप्त भण्डार विद्यमान है तथा विद्युत गृह पर प्राप्त कोयले की आपूर्ति लगभग मासिक औसत उपभोग के बराबर ही है।

उत्तर प्रदेश में प्लेटफार्मों का विस्तार

1877. **श्री राजवीर सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में प्लेटफार्मों के विस्तार पर कितना चालू वर्ष में व्यय होने की संभावना है; और

(ख) बरेली जंक्शन पर प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 के विस्तार के बारे में स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लगभग 85 लाख रुपये।

(ख) फिलहाल ऐसे किसी कार्य पर विचार नहीं किया जा रहा है।

पर्यटकों से विदेशी मुद्रा का अर्जन

1878. **श्री राजवीर सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों से वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) पर्यटन केन्द्रों को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा आय का अनुमान अनन्तिम रूप से क्रमशः 2103 करोड़ रुपए, 2456 करोड़ रुपए और 2444 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(ख) पर्यटक स्थलों का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर उन्हें वित्तीय सहायता देती है।

उत्तर प्रदेश में वायुदूत सेवा

1879. **श्री राजवीर सिंह** :

श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश में वायुदूत सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा किन-किन जिलों में शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) इस समय यह सेवा किन-किन स्थानों के लिए उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस सेवा को बरेली जिले में शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह सेवा कब से शुरू हो जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वायुदूत उत्तर प्रदेश में देहरादून, कानपुर और लखनऊ के लिए परिचालन कर रहा है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

अहमदाबाद को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करना

1880. **श्री हरिन पाठक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद हवाई अड्डे से जनवरी, 1991 से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरह अहमदाबाद को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) एयर इण्डिया 26-1-1991 से बम्बई और अहमदाबाद के बीच सप्ताह में एक उड़ान का परिचालन कर रही है । यह सेवा अहमदाबाद को बम्बई और यू० के०/यू० एस० ए० के बीच परिचालित अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ती है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ङ) देश में इस समय मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अन्तर्राष्ट्रीय यातायात को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं ।

कांडला-भटिन्डा रेल लाइन

1881. **श्री हरिन पाठक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कांडला-भटिन्डा बड़ी रेल लाइन बिछाने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : कांडला-भटिन्डा लाइन के आमान परिवर्तन का 2 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। 1991-92 के दौरान लालगढ़-मेडता रोड खंड के 50 कि०मी० भाग को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वीरमगाम-भिलड़ी नई लाइन/आमान परिवर्तन भाग के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य भी पूरा हो चुका है।

कोयले की चोरी

1882. **श्री हरिन पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में औद्योगिक एककों को सप्लाई किए जा रहे कोयले का वजन रेलवे की रसीद में दर्ज वजन से कम होता है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले की इस चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुछ मामलों में पुनः तौल के बाद कमी पाई गई।

(ख) मार्ग में कटचोरी को रोकने के लिए रे० सु० ब० के कर्मचारी विन्यास यार्डों में कोयले के रेकों की निगरानी तथा भेदय खंडों पर उनका मार्ग रक्षण करते हैं।

ताप्ती गैस क्षेत्र से गुजरात को गैस का आबंटन

1883. **श्री काशीराम राणा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप्ती गैस क्षेत्र की खुदाई के लिए अनुमानतः कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) ताप्ती गैस क्षेत्र से गुजरात को कितनी गैस आवंटित की जाएगी; और

(ग) विद्युत परियोजनाओं के लिए गुजरात को कितनी गैस उपलब्ध कराई जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) स्रोत की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्रमुखता के आधार पर वेधन के लिए कुछ स्थानों को निर्दिष्ट किया गया है। गैस का आबंटन उसकी उपलब्धता तथा गैस की आबंटन संबंधी नीतियों के आधार पर किया जाएगा।

सूरत, भावनगर और जामनगर हवाई अड्डों को बन्द किया जाना

1884. **श्री काशीराम राणा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूरत, भावनगर और जामनगर हवाई अड्डों को बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) (क) तथा (ख) जी, नहीं। तथापि इण्डियन एयरलाइन्स जामनगर और भावनगर के लिए अपनी सेवाएं परिचालित कर रही है। वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से सूरत और भावनगर के लिए वायुदूत परिचालनों को बन्द कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति में इन स्टेशनों के लिए वायुदूत सेवाएं पुनः आरम्भ करने की कोई संभावना नहीं है।

कोयले का आयात

1885. **श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन :**

श्री अन्बारासु इरा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को बिहार में स्थित कोयला खदानों से घटिया श्रेणी के कोयले की सप्लाई के बारे में किसी राज्य सरकार से कोई शिकायत मिली है;

(ख) क्या तमिलनाडु के कुछ ताप विद्युत स्टेशनों ने इस कोयले को अप्रयोगनीय पाया है क्योंकि इसमें राज्य में बिजली का सहज उत्पादन प्रभावित होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु सरकार ने आस्ट्रेलिया से ऊंची श्रेणी के कोयले के आयात के लिए अनुरोध किया है जो न केवल उनका उत्पादन बढ़ाएगा बल्कि कम लागत और उपयुक्तता के कारण सस्ता भी पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में अन्य क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामागौड़) : (क) जी, हां। बिहार की कुछ खानों से निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा अन्य उपभोक्ताओं से भी कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) जी, नहीं। अधिकांश तापीय विद्युत गृहों में निम्न गुणवत्ता के कोयले, मुख्यतः "ई" एवं "एफ" श्रेणी के कोयले को प्रयुक्त करने की तकनीक अपनाई गई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार तूतिकोरिन, एन्नोर तथा व मेत्तूर में स्थित तमिलनाडु के तापीय विद्युत गृहों ने अप्रैल-जून, 1991 तक 20.74 लाख टन कोयला प्राप्त किया तथा इस अवधि में इसने उपर्युक्त मात्रा में से 19.86 लाख टन (लगभग 96%) कोयले की खपत की, शेष कोयले को भण्डारण के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) तमिलनाडु सरकार ने कोयले के एक कालिक आयात के लिए अनुरोध किया है। ऐसे अनुरोध पहले भी प्राप्त हुए थे। जांच किए जाने पर यह पता लगा कि आयातित कोयले को स्वदेशी कोयले की अपेक्षा काफी महंगा पाया गया। कोयले का आयात किए जाने से अभाव वाली देश की विदेशी मुद्रा भी बाहर जाएगी।

(ङ) तमिलनाडु तापीय विद्युत गृहों सहित सभी उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं—

(1) कोयले के उत्पादन के दौरान स्लेटी पत्थर, पत्थर तथा अन्य अवांछित सामग्री की छंटाई;

(2) संयुक्त रूप में नमूनाकरण तथा वैगन लदान के पर्यवेक्षण कार्य में सुधार;

(3) कोयले को प्रदूषित प्रभाव से मुक्त करने के लिए कोयला बैंचों से फालतू बैंचों तथा मलबा बैंचों से उचित दूरी बनाए रखना।

(4) अन्तवर्ती बैंचों का पृथक रूप मे खनन किया जाना।

वकाईकुलम हवाई अड्डे का पुन: नामकरण करना

1886. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तूतीकोरन के निकट वकाईकुलम हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा और प्रस्तावित उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस हवाई अड्डे का नाम स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन के नाम पर रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तूतीकोरिन हवाई अड्डे के पूरा होने की लक्षित तारीख 30 सितम्बर, 1991 है।

(ख) तूतीकोरिन के लिए हवाई सेवा आरम्भ करने की वायुदूत की इस समय कोई योजना नहीं है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

समान विद्युत शुल्क दर

1887. **श्री भगवान शंकर रावत** :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री रमेश चन्द तोमर : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तरी क्षेत्र के संलग्न क्षेत्रों में समान उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क दरों में काफी भिन्नता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का समान उपभोक्ताओं के लिए समान विद्युत शुल्क दरें निर्धारित

करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :(क) तथा (ख) विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार, सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्ड को है जिसे सम्बन्धित राज्य सरकार सापेक्ष प्राथमिकता एवं रियायत के मामले में मार्गदर्शी निदेश जारी कर सकती है, अतः विभिन्न राज्यों में टैरिफ एक समान नहीं है ।

(ग) तथा (घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

राज्य विद्युत बोर्डों की मूल्य निर्धारण नीतियां

1888. **श्री भगवान शंकर रावत** :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री रमेश चन्द तोमर : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा संरक्षण सैल और अग्रिम सूचना विश्लेषण तथा अध्ययन केन्द्र द्वारा किए गए अध्ययन में यह कहा गया है कि उत्तर भारत के विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों की मूल्य निर्धारण नीतियां आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विद्युत विभाग के अधीन ऊर्जा संरक्षण कक्ष/ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र द्वारा इस प्रकार के कोई अध्ययन कार्य नहीं किए गए हैं। सैन्टर फोर एडवांस इन्फोरमेशन एनालिसिस एण्ड स्टडीज द्वारा किए गए अध्ययन कार्यों की भी सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) संलग्न विवरण में उत्तरी भारत के राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति दर्शायी गई है। भारत सरकार का यह प्रयास रहा है कि राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्य निष्पादन एवं लाभ की स्थिति में सुधार किया जाये। विभिन्न मंचों के माध्यम से राज्य सरकारों पर समय-समय पर यह जोर डाला जाता रहा है कि वे राज्य बिजली बोर्डों के प्रचालन का समुचित प्रबन्ध इस प्रकार करें कि बोर्ड 3% का अपेक्षित सांविधिक अधिशेष का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए इक्विटी भागीदारी कृषि क्षेत्र को सप्लाई की गई विद्युत सम्बन्धी हानियों की पूर्ति के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान करना, टैरिफ में संशोधन करना, विद्युत उत्पादन केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण और वितरण हानियों की मात्रा को कम करना जैसे कदम उठाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है ।

विवरण

ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता के लिए लेखे में किए गए प्रावधान की राशि को शामिल करने के पश्चात उत्तरी क्षेत्र के राज्य बिजली बोर्डों के वार्षिक लाभ/हानि

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य बिजली बोर्ड	लाभ/हानि 1988	1989	1990
1.	हरियाणा	—80.90	—52.13	—67.77
2.	हिमाचल प्रदेश	—16.60	71.00	—5.90
3.	पंजाब	—5.00	—68.10	—57.80
4.	राजस्थान	—65.90	—57.20	—147.80*
5.	उत्तर प्रदेश	40.80	41.50*	89.70*

*अनन्तिम/लेखा परीक्षा नहीं की गई।

रसोई गैस सिलिंडरों का वजन कम होना

1889. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री रमेश चन्द तोमर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को 1990-91 और 30 जून, 1991 तक रसोई गैस सिलिंडरों के वजन कम होने और उनके काले बाजारी के संबंध में कितनी शिकायतें, विशेषकर दिल्ली और गाजियाबाद में, प्राप्त हुई हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) प्राप्त 38 शिकायतों में से केवल सात ही साबित किए जा सके। दोषी वितरकों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अधीन कार्रवाई की जा रही है।

एयर बस ए-320 में खराबी आना

1890. श्री मदन लाल खुराना :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री पी० सी० थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स बेड़े में एयर बस ए-320 को पुनः शामिल करने के बाद जिन खराबियों का पता लगा है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उसके कारण क्या हैं और यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा की खातिर खराबियों की समय पर जांच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या हाल ही में एयर बस ए-320 के कलकत्ता से बंगलौर की अपनी नियमित उड़ान के समय इसकी "ड्रैग-शूट" खुल गई थी;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस मामले की जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(च) वर्ष 1991 के दौरान कितनी एयरबस ए-320 को उड़ान भरने से रोकना पड़ा और उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तथा (ख) एयरबस ए-320 विमानों के परिचालन में कुछ छोटी-मोटी खराबियां रही हैं। ऐसी खराबियां विमान परिचालन में असामान्य नहीं हैं। इनके पुनः परिचालनों के पश्चात कोई गम्भीर खराबी नहीं देखी गई है। इण्डियन एयरलाइन्स ऐसी खराबियों को दूर करने के लिए पर्याप्त सतर्कता और पूर्ण सावधानी बरतती है तथा परिचालनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई ढील नहीं बरती जाती है।

(ग) से (ङ) बंगलौर पर एक विमान परिचारिका द्वारा इस्केप स्लाइड शूट को गलत तरीके से लगाने की एक घटना हुई थी। विमान परिचारिका के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

(च) दो ए-320 विमानों को बड़ी जांच (जांच "सी") के लिए ग्राउण्ड किया गया है।

अल्लेपी-कायमकुलम रेल-लाइन

1891. **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

श्री टी० जे० अंजलोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्लेपी-कायमकुलम रेल-लाइन पर अब तक कितना व्यय हो गया है और निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त लाइन पर वालेंजबाघ/अम्बालापुजहा पर रेल-पुल के निर्माण कार्य में कोई बाधा आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 70 प्रतिशत। 31-3-1991 तक का व्यय 37.91 करोड़ रुपए है और 1991-92 के लिए परिव्यय 1.16 करोड़ रुपए है।

(ख) तथा (ग) वालेंजवाजह/अम्बालोपुजहा में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण से संबंधित कतिपय मामलों को भूतल परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर निपटाया नहीं गया है। लेकिन इसकी वजह से इस लाइन को खोलने में कोई विलम्ब नहीं होगा। उपर्युक्त स्थल पर एक अस्थाई समपार सहित लाइन खोली जाएगी।

तमिलनाडु में रसोई गैस कनेक्शन

1892. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस कनैक्शनों के लिए कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं;

(ख) उनमें से कितने कनेक्शनों को जारी किया गया है; और

(ग) जिलावार लम्बित सूची का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) 8,46,128 ।

(ख) 1,95,003 ।

(ग) एल० पी० जी० के कनेक्शनों का जारी किया जाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और अतएव निश्चित जिलावार आंकड़े देना कठिन है ।

तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में गैर-सरकारी उद्योगों को शामिल करना

1893. **श्री आर० जीवरत्नम** :

श्री अन्बारासु इरा : क्या विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में गैर-सरकारी उद्योगों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन गैर-सरकारी उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें इस कार्य में शामिल किया जाएगा और इससे कितनी बिजली पैदा किए जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैरपरंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) तथा (ख) तमिलनाडु में विद्युत परियोजनाएं प्रतिष्ठापित किए जाने के लिए निजी उद्यमियों से 1630 गावाट क्षमता के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन पार्टियों के नाम मैसर्स जी० एम० स्वामी एसोसिएट्स एण्ड सदर्न एनर्जी डवलपमेंट कारपोरेशन का समर्थन प्राप्त तमिलनाडु इण्डस्ट्रीज कैप्टिव पावर कम्पनी लिमिटेड हैं ।

[हिन्दी]

राजस्थान में विमान सेवाएं

1894. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान भ्रमण के इच्छुक विदेशी नागरिकों के लिए समुचित विमान सेवा की सुविधा का अभाव है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने वाणिज्यिक और पर्यटन सम्भावनाओं को देखते हुए बम्बई-सूरत-भीलवाड़ा-जयपुर-सिरोही-अहमदाबाद, दिल्ली-झुनझुनु-बीकानेर-जैसलमेर-जोधपुर, दिल्ली-जयपुर-अजमेर और उदयपुर-अहमदाबाद-बम्बई हवाई मार्गों पर विमान सेवा चलाने का प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) राजस्थान सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राजस्थान में अधिक स्थानों को विमान सेवाओं से जोड़ने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।

(ग) से (ङ) जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर को विमान सेवाओं से जुड़े हैं। नयी विमान सेवाओं का आरम्भ किया जाना, हवाई अड्डों की उपलब्धता तथा यातायात की सम्भावना और वाणिज्यिक सक्षमता दोनों पर निर्भर करता है।

राजस्थान में सिरोही के लिए वायुदूत सेवा

1895. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने 14 विभिन्न स्थानों पर हवाई पट्टियों का निर्माण कराया है;

(ख) क्या सिरोही के लिए वायुदूत सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो यह हवाई सेवा कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) राजस्थान सरकार के अनुसार उसने अब तक निम्नलिखित हवाई पट्टियों का निर्माण कर लिया है :

1. हमीरगढ़ (जिला भीलवाड़ा)
2. सिरोही
3. बांसवाड़ा
4. डुंगरपुर (आंशिक निर्मित)
5. नागौर (निर्माणाधीन)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सवाई माधोपुर से बीकानेर और जोधपुर तक बड़ी रेल लाइन बिछाना

1896. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवाई-माधोपुर से बीकानेर और जोधपुर तक बड़ी रेल लाइन बिछाने की कोई योजना है;

(ख) क्या सवाई-माधोपुर और जयपुर के बीच बरास्ता फुलेरा रेल मार्ग का निर्माण किया जायेगा और मेरता से एक शाखा लाइन बीकानेर तक तथा दूसरी जोधपुर, समदरी-भिलरी से होते हुए बीरम गांव तक बनाई जायेगी; और

(ग) क्या उपयुक्त रेल-लाइनों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और उपर्युक्त मार्गों पर आमान परिवर्तन कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मीटरगेज लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

1897. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितने मीटर मीटरगेज लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदला गया है और यह परिवर्तन राज्य-वार कितने किलोमीटर किया गया है; और

(ख) राजस्थान में सामरिक कारणों से परिवर्तित की गई लाइन को छोड़कर और कुल कितनी लम्बी मीटर गेज लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदला गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल 550 कि० मी० लम्बी मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला गया है। इन लाइनों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. सूरतगढ़-बीकानेर	178 कि० मी०	राजस्थान
2. मुरादाबाद-रामनगर	78 कि० मी०	उत्तर प्रदेश
3. भटनी-वाराणसी	164 मि० मी०	
4. गुंटूर-माचेर्ला	130 कि० मी०	आन्ध्र प्रदेश

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौन राजस्थान में सामरिक महत्व की लाइनों को छोड़कर किसी भी लाइन का आमान परिवर्तन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत कोयला परियोजनाएं

1898. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड की विभिन्न सहयोगी कंपनियों के लिए कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गईं;

(ख) इन परियोजनाओं की प्रगति तथा कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का किन-किन नई परियोजनाओं को स्वीकृति देने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) कोल इण्डिया लि० की विभिन्न सहायक कम्पनियों में 1-4-1985 से 31-3-1990 के बीच स्वीकृत की गई कोयला खनन परियोजनाओं

की संख्या 212 है जिसमें प्रत्येक 2.00 करोड़ रु० तथा उससे अधिक की लागत की हैं। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर प्रतिवर्ष 153.48 मि० टन प्रतिवर्ष कोयले के उत्पादन की क्षमता प्राप्त कर लेने की सम्भावना है। इन परियोजनाओं की स्वीकृत पंजीगत परिव्यय 6659.98 करोड़ रु० है। संलग्न विवरण-I में कम्पनीवार कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण दिया गया है।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान को० इ० लि० में स्वीकृत 212 परियोजनाओं में से 67 को पूरा कर लिया गया है। शेष 145 परियोजनाओं में 87 कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं, 50 में बिलम्ब हुआ है तथा 8 स्थगित कर दी गई हैं/वापस ले ली गई हैं। संलग्न विवरण-II में कम्पनीवार क्रियान्वयन की प्रगति का विवरण दिया गया है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान सूचीबद्ध परियोजनाएं निवेश सम्बन्धी निर्णय लिए जाने के लिए सरकारी स्तर पर मूल्यांकन के अग्रिम चरण में है तथा उन्हें स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है :

(1) बकुलिया भू. ग.	ई. को. लि.	(0.96 मि. ट. प्रतिवर्ष)
(2) अमल्ता-ओ. का.	सा. ई. को. लि.	(4.0 मि. ट. प्रतिवर्ष)
(3) कलिंगा इनटेगरेटिड माइन-कम-बेनीफिकेशन प्रोजेक्ट	सा. ई. को. लि.	(8.0 मि. ट. प्रतिवर्ष)
(4) लखनपुर ओ. का.	सा. ई. को. लि.	(5.0 मि. ट. प्रतिवर्ष)
(5) समलेश्वरी ओ. का.	सा. ई. को. लि.	(3.0 मि. ट. प्रतिवर्ष)
(6) के. डी. हेसालॉग ओ. का. विस्तार	से. को. लि.	(4.5 मि. ट. प्रतिवर्ष)
(7) झारखंड ओ. का.	से. को. लि.	1.0 मि. ट. प्रतिवर्ष)
(8) परेज ओ. का.	से. को. लि.	(1.75 मि. ट. प्रतिवर्ष)
(9) दुधीचुआ ओ. का. विस्तार	ना. को. लि.	(10.0 मि. ट. प्रतिवर्ष)
(10) बीना खान-II ओ. का.	ना. को. लि.	(1.8 मि. ट. प्रतिवर्ष)
(11) उकनी-ओ. का.	वे. को. लि.	(1.1 मि. ट. प्रतिवर्ष)
(12) मुगली ओ. का.	वे. को. लि.	(0.75 मि. ट. प्रतिवर्ष)
(13) गोड़ेगांव ओ. का.	वे. को. लि.	(0.50 मि. ट. प्रतिवर्ष)

विवरण-I

दिनांक 1-4-85 तथा 31-3-90 की अवधि के बीच स्वीकृत की गई
कोयला खनन परियोजना

कम्पनी	स्वीकृत परियोजना (कुल सं०)	क्षमता (मि० ट० प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु० में)
ई. को. लि.	37	31.26	1739.54
भा. को. को. लि.	46	13.92	449.76
से. को. लि.	37	29.85	1224.89
ना. को. लि.	8	29.30	1645.42
वे. को. लि.	35	15.43	686.00
सा. ई. को. लि.	49	33.72	914.37
जोड़	212	153.48	6659.98

विवरण-II

सातवीं योजना अवधि के दौरान 1-4-1991 तक की अवधि में स्वीकृत
की गई खनन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति

कम्पनी	परियोजना स्वीकृत	पूरी की गई परियोजना	कार्यक्रम के अनुसार परियोजना	परियोजना जिनमें विलम्ब हुआ	परियोजना जो वापस/समाप्त की गई
इ. को. लि.	37	7	17	10	3
भा. को. को. लि.	46	11	16	17	5
से. को. लि.	37	18	15	4	—
ना. को. लि.	8	4	2	2	—
वे. को. लि.	35	8	18	8	1
सा. ई. को. लि.	49	19	19	9	2
को. इं. लि.	212	67	87	50	8

कोयले का निर्यात

1899. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए कोयले का निर्यात बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयले के निर्यात हेतु किसी देश के साथ हाल में किसी नये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले के निर्यात से देश में इस्पात अथवा विद्युत क्षेत्र की आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस्पात और विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कोयला मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री एस० बी० न्याम गौड) : (क) जी, हां। कोल इण्डिया लिं० वर्ष 1991-92 में निर्यात किए जाने के लिए एक मि० टन कोयला उपलब्ध कराए जाने के लिए सहमत हो गया है।

(ख) खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नेपाल के खरीददरों के साथ 1,11,200 टन कोयले की बिक्री किए जाने के सम्बन्ध में संविदा कर लिए गए हैं।

(ग) तथा (घ) कोयले का वास्तविक रूप में निर्यात न केवल कोयले की उपलब्धता पर निर्भर करेगा बल्कि यह परस्पर रूप में स्वीकार्य संविदाओं के निष्पादन और आधारभूत-ढांचों की उपलब्धता, जैसे रेलवे वैगानों तथा पत्तन सुविधाओं पर भी निर्भर करेगा। यदि सम्पूर्ण मात्रा में एक मि० टन कोयले का निर्यात कर दिया जाता है, तब भी कोयले के 228 मि० टन के वार्षिक उत्पादन कार्यक्रम का यह 0.5% से भी कम अंश होगा और इससे इस्पात तथा विद्युत क्षेत्र को कोयला उपलब्ध कराए जाने पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। इस सम्बन्ध में इस आशय के निर्देश जारी कर दिए; गए हैं कि महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसमें विद्युत तथा इस्पात क्षेत्र शामिल हैं, की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और कम्पनीवार कोयले के लक्ष्यों को निर्धारित कर दिया गया है, जिनकी नियमित रूप से जांच की जा रही है।

यमुना विहार, दिल्ली में नकद भुगतान केन्द्र

1900. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** :

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत स्रोत मंत्री यमुना विहार, दिल्ली में नकद भुगतान केन्द्र के बारे में 10 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4330 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना विहार, दिल्ली में नकद भुगतान केन्द्र की स्थापना कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और नकद भुगतान केन्द्र की स्थापना कब तक की जायेगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) तथा (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के अनुसार यमुना विहार में पहले से ही 8 अक्तूबर, 1990 से एक न्यू कैश कलेक्शन सेंटर कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियों द्वारा गैस के चूल्हों, रबड़ पाइप और हाट प्लेटों का विक्रय

1901. **श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में और विशेषकर दिल्ली में रसोई गैस एजेंसियां, हाट प्लेट, गैस के चूल्हे और रबड़ पाइप खुले बाजार की तुलना में दुगुने दाम पर बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं या उठाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) हाट प्लेट, बर्नर, रबड़ पाइप आदि जैसे फालतू पार्ट पुर्जों का बिक्री मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्व गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश के अमलापुरम क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक आयोग के विकास कार्य

1902. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार आन्ध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के अमलापुरम क्षेत्र में, जहां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का तेल की ड्रिलिंग का कार्य चल रहा है, सड़कों, पुलों के निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों के लिए वित्तीय अंशदान देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा (या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी तथा कृष्णा जिले में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए कतिपय शर्तों पर कुछ ऋण देने के बारे में सिद्धान्ततः विचार किया है।

[हिन्दी]

शाहगंज और मऊ के बीच रेल-लाइन

1903. **श्री राम बदन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहगंज और मऊ के बीच बड़ी रेल-लाइन बिछाने या आगामी वर्षों में इस मार्ग की वर्तमान लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इन्दौर-मालवा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का देरी से चलना

1904. **श्री राम बदन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दौर मालवा एक्सप्रेस रेलगाड़ी के गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार देरी से चलने का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह रेलगाड़ी भोपाल बाह्य सिगनल पर रुकने की वजह से इन्दौर और भोपाल के बीच लेट हो जाती है; और

(ग) इन संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान मालवा एक्सप्रेस क्रमशः 272, 261 और 230 दिन इन्दौर तथा 210, 258 और 199 दिन नयी दिल्ली समय पर पहुंची।

(ख) कभी-कभी, परिचालनिक कारणों से।

(ग) जुलाई, 1991 में एक अभियान चलाया गया था और इस महीने यह गाड़ी नयी दिल्ली तथा इन्दौर क्रमश: 27 और 28 दिन समय पर पहुंची।

आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधा

1905. **श्री राम बदन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर विभिन्न रेलगाड़ियों के लिये दी गयी आरक्षण सुविधा हटा ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वाराणसी से चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में आजमगढ़ के लिये आरक्षण कोटा आबंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आजमगढ़ स्टेशन पर आरक्षण कोटे का कम उपयोग होने के कारण, वहां वातानुकूल शयनयान में 2 तथा दूसरे दर्जे में 11 शयिकाओं की कमी कर दी गईं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कुल मिलाकर स्थान की उपलब्धता विभिन्न स्टेशनों पर मांग के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, कोटे का आबंटन किया जाता है। वाराणसी से बनकर चलने वाली गाड़ियों में आबंटित कोटे का पूरा-पूरा उपयोग हो रहा है जिससे आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को कोटे के आबंटन की कोई गुन्जाइश नहीं है।

[अनुवाद]

मीनामबक्कम से अबाडी तक रेल लाइन

1906. **श्री अन्बारासु इरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीनामबक्कम से अवाडी तक करास्ता पोरूर, किल्लिवक्कम, अन्ना नगर रेल-लाइन बिछाने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग

1907. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में आरम्भ किए गए गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा है तथा ये कार्यक्रम किन स्थानों पर आरम्भ किये गये हैं अथवा पूरे किए जा चुके हैं;

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से विकास कार्यक्रम आरम्भ किए जायेंगे;

(ग) इसके लिए जिला-वार और विशेष योजना/कार्यक्रम वार कितनी धनराशि खर्च की जायेगी; और

(घ) देश में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विकास करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अगले तीन वर्षों के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा विकास के सम्बन्ध में जो कार्यक्रम चलाये जायेंगे और उनके परिव्यय के सम्बन्ध में तभी पता चलेगा जबकि आठवीं योजना को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

(घ) किए गए उपायों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के उपयोग से सम्बन्धित प्रदर्शन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, जन-जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करना, आर्थिक सहायता और प्रोत्साहनों को बढ़ाना, राज्य एजेंसियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को सुदृढ़ करना, उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना, और जनशक्ति का प्रशिक्षण और विकास शामिल हैं।

पौड़ी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा ग्रामों की स्थापना

1908. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौड़ी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में अब तक कितने ऊर्जा ग्रामों की स्थापना की गई है;

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान पौड़ी गढ़वाल और चमोली गढ़वाल स्थापित किये जाने वाले ऊर्जा ग्रामों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए निर्धारित परिव्यय कितना है; और

(ग) सरकार ने नवासु गांव को ऊर्जा ग्राम के रूप में घोषित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केन्द्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में तीन ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इस जिले में नालीबाड़ी, कंताल, गड़खड़क गांवों में ये परियोजनाएं लगाई गई हैं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में अन्य कोई ऊर्जा ग्राम परियोजना लगाने का प्रस्ताव नहीं है। आगामी वर्षों के लिए प्रस्ताव आठवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए निधियों के नियतन पर निर्भर करेंगे।

(ग) चालू वर्ष के दौरान नवासु गांव को ऊर्जा ग्राम परियोजना के लिए हाथ में लिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा उद्योगों को कोयले की सप्लाई

1909. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड ने 1 जून, 1991 से औद्योगिक एककों को कोयले का कोई आबंटन नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कोयले की सप्लाई न किए जाने के कारण उत्पान में कितनी हानि हुई ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। कोल इण्डिया लि० ने जून, 1991 से औद्योगिक एककों को कोयले का आबंटन किये जाने की कार्रवाई बन्द नहीं की है। वास्तव में जून, 1991 में कोल इण्डिया लि०ने इस्पात सीमेंट एवं उर्वरक उद्योग को छोड़ कर उद्योगों को 2.77 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की है।

हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच वायुदूत सेवा

1910. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच नियमित रूप से वायुदूत सेवा चलाई जा रही है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस सेक्टर में वायुदूत सेवाओं की उड़ानें पर्याप्त न होने के कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) बोइंग विमान सेवा शुरू करने के लिए विजयवाड़ा में धावनपट्टी के विस्तार को पूरा करने एवं इन दोनों नगरों के बीच यात्री-यातायात को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तथा (ख) वायुदूत इस समय हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच निम्नलिखित सेवायें परिचालित कर रहा हैं—

1. हैदराबाद—विजयवाड़ा—राजामुन्दरी और वापसी सेवा।
2. हैदराबाद—विजयवाड़ा और वापसी सेवा।

हैदराबाद और विजयवाडा के बीच 1-2-91 से 30-6-91 तक सेवाओं के परिचालन में आन-टाइम निष्पादन लगभग 65.5 प्रतिशत रहा।

(ग) तथा (घ) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास संसाधनों की कमी के कारण विजयवाड़ा हवाई अड्डे के उन्नयन का कार्य शुरू करना संभव नहीं हो सका है।

विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम हवाई अड्डों पर रात को हवाई जहाज उतरने की सुविधायें

1911. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या नागर **विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम हवाई अड्डों पर रात को हवाई जहाज उतरने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई कनम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कौन-सी तारीख तक कार्यान्वित कर दिये जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) विजयवाड़ा : यह हवाई अड्डा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से सम्बद्ध है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उच्च गहन धावनपथ प्रकाश प्रणाली, टैक्सीपथ प्रकाश, सूक्ष्म पहुंच पथ सूचक (पी० ए० पी० आई०) और दृश्य पहुंच प्रणाली सूचक (बी० ए० एस० आई०) को संस्थापित करने का कार्य चल रहा है।

विशाखापत्तनम : यह हवाई अड्डा भारतीय नौसेना को मार्च, 1986 में सौंप दिया गया था। भारतीय नौसेना का आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना है।

दक्षिण मध्य रेलवे की आय और व्यय

1912. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे जोन के विभिन्न डिवीजनों में डिवीजनवार पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई आय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) डिवीजनवार यात्री सुविधाओं में सुधार लाने हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना का संकलन रेलवे वार किया जाता है न कि मंडलवार।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात्, 1988-89 से 1990-91 के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे पर मण्डल वार यात्री सुविधाओं पर किये गए खर्च की राशि निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

मंडल	88-89	89-90	90-91
सिकन्दराबाद	19.89	31.61	26.23
हैदराबाद	33.66	32.79	40.83
विजयवाड़ा	35.30	38.82	31.69
हुबली	20.53	31.58	24.01
गुन्तकल	21.20	80.72	67.17

रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए मानदण्ड

1913. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

प्रो० राम कापसे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस एजेंसी के लिए आवेदन देने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) रसोई गैस एजेंसियों के लिए आबंटन के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ग) विभिन्न श्रेणियों के लिए किए गए आरक्षण का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान श्रेणी-वार आबंटित की गई रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आगामी छः महीनों में श्रेणी-वार कितनी रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) एल० पी० जी० की नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपें, शहर की जनसंख्या, आर्थिक व्यवहार्यता, विपणन योजना तथा अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मानदण्ड आदि घटकों पर आधारित होती हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता सैनानी, विकलांग तथा प्रतिरक्षा श्रेणी को आरक्षण दिया जाता है।

(घ) वर्ष 1989-91 के दौरान 276 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गई हैं जिसमें आरक्षित श्रेणियों की 81 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल हैं। दिसम्बर, 1989 से जारी किए आशय पत्रों की समीक्षा की जा रही है।

(ङ) विभिन्न शहरों में एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें विपणन योजनाओं तथा समय-समय पर लागू नीति के अनुसार खोली जाती हैं।

कोलापुर स्टेशन के लिए कोचों का आबंटन

1914. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के शोलापुर रेलवे स्टेशन पर वैगनों की प्रतिमाह कितनी आवश्यकता होती है;

(ख) 1989-90 और 1990-91 के दौरान कितने प्रतिशत वैगन उपलब्ध कराये गये; और

(ग) पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान शोलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रति माह माल डिब्बों की औसत आवश्यकता क्रमश: 363 और 425 माल डिब्बों की थी।

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान पूरी की गई आवश्यकता का प्रतिशत क्रमश: 99 और 100 था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कृष्णा-गोदावरी घाटी में प्राकृतिक गैस

1915. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा-गोदावरी घाटी में अनुमानतः कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध है; और

(ख) इस गैस के उपयोग के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1994-95 तक 4.29 एम० एम० एस० सी० एम० डी० गैस का उत्पादन होगा। भावी उपभोक्ताओं को विभिन्न आबंटन किए गए हैं।

दिल्ली से विशाखापट्टनम के लिए विमान सेवा

1916. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से विशाखापत्तनम के लिए एक सीधी विमान सेवा जिसे 1988-89 के प्रारम्भ किया गया था, समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर यात्री यातायात में वृद्धि को देखते हुए इस सेवा को पुनः चालू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) (रायपुर होकर) दिल्ली और विशाखापत्तनम के बीच 1-11-89 से आरम्भ की गई बोइंग 737 सेवा को विमान क्षमता की कमी के कारण 20-11-89 से बन्द कर दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस समय उपलब्ध विमान क्षमता के साथ, इण्डियन एयरलाइन्स के लिए दिल्ली और विशाखापत्तनम के बीच सीधी सेवा पुनः आरम्भ करना संभव नहीं है।

विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम रेल लाइन का विद्युतीकरण

1917. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम रेल लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्य को कब तक पूरा किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामान्य वित्तीय तंगियों और विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड पर प्राप्त होने वाले यातायात के कम घनत्व को देखते हुए विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजमुन्दरी में पुल

1918. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजमुन्दरी में तीसरे रेलवे पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है इसके कब पूरा होने/चालू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) पुल की उपसंरचना का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अधिरचना का निर्माण कार्य जून, 1994 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

रेल प्रयोक्ता समितियां

1919. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल प्रयोक्ता समितियों और अन्य समान समितियों के गठन का तरीका क्या है तथा सामान्यतः ये कितने अन्तराल से गठित की जाती हैं; और

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे के खडगपुर-खुर्दा सेक्शन पर उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां ये समितियां गठित की गई तथा इनका कब तक पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों/परिषद का गठन दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श परिषद मंत्रालय के स्तर पर गठित की जाती है जबकि क्षेत्रीय मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों का गठन क्षेत्रीय रेलों द्वारा रेल मंत्रालय के अनुमोदन से किया जाता है। उपनगरीय तथा स्टेशन रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियां क्षेत्रीय रेलों द्वारा ही

गठित की जाती हैं। इन समितियो/परिषद में संसद सदस्य, विधायक, स्थानीय चैम्बर आफ कामर्स, रजिस्टर्ड पैसेंजर, ट्रेड एसोसिएशनों, राज्य सरकारों, कृषि एसोसिएशनों, आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे के खडगपुर-खोरधा रोड खंड पर स्थित खड़गपुर, बालेश्वर, भद्रक, कटक, भुवनेश्वर, खोरधा रोड तथा जाजपुर-क्योंझर रोड स्टेशनों पर स्टेशन परामर्श समितियों का गठन 31-12-1991 को समाप्त होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। इन समितियों का पुनर्गठन 1-1-92 से किया जाना है।

[हिन्दी]

नेपाल से जलविद्युत की खरीद

19 0. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेपाल में उत्पादित सभी अतिरिक्त पनविद्युत की खरीद करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश में विद्युत समस्या किस हद तक हल हो सकेगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) तथा (ख) नेपाल में स्थापित की जाने वाली कुछ जल-विद्युत परियोजनाओं से भारत को विद्युत की सप्लाई किए जाने के बारे में नेपाल के प्रस्ताव के उत्तर में सरकार ने उक्त विद्युत को खरीदने के संबंध में सिद्धान्त रूप में अपनी सहमति दे दी है बशर्ते कि टैरिफ एवं प्रचालनात्मक पहलुओं पर सहमति हो जाए।

(ग) चूंकि विद्युत की मात्रा और इसके उपलब्ध होने के समय के बारे में जानकारी नहीं है, अतः इस बात का सुनिश्चित निर्धारण नहीं किया गया है कि इससे हमारी ऊर्जा संबंधी समस्या किस हद तक हल हो पाएगी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1921. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार बिजलीघरों की अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाने तथा नये बिजली घर स्थापित करने की मांगें करती रही है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति औसत बिजली उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पश्चिम बंगाल की उन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी

है तथा इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) 1989-90 के दौरान बिजली की प्रति व्यक्ति खपत/उपलब्धता का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त नई विद्युत स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

क्रमसं०	परियोजना का नाम	प्रति०क्षमता (मेवा०)	वर्तमान स्थिति
1.	मुर्शिदाबाद (थर्मल) (सागरदिघी)	4 × 500 = 2000	इन स्कीमों का के० वि० प्रा० में मूल्यांकन किया जा रहा है। कोयला लिंकेज आदि जैसे कुछ आवश्यक निवेशों और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना है।
2.	बालागढ़ (थर्मल)	3 × 250 = 750	
3.	राम्मन चरण-I ज० वि० परियोजना	5 × 25 = 125	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा जुलाई, 91 में प्रस्तुत अद्यतन लागत अनुमानों की के० वि० प्रा०/केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।

सभी आवश्यक निवेश/अपेक्षाओं को सुनिश्चित किए जाने के बाद इन स्कीमों पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकेगा।

विवरण

वर्ष 1989-90 के दौरान बिजली की प्रति व्यक्ति खपत/उपलब्धता का

राज्यवार ब्यौरा

(आंकड़े कि० वा० आवर में)

क्षेत्र/राज्य का नाम	1989-90*
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	353.37
हिमाचल प्रदेश	179.78
जम्मू एवं कश्मीर	178.02

1	2
पंजाब	639.17
राजस्थान	201.76
उत्तर प्रदेश	159.16
चंडीगढ़	584.33
दिल्ली	850.56
उपजोड़	241.37
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	398.79
मध्य प्रदेश	205.48
महाराष्ट्र	404.62
गोवा, दमन और दीव	396.25
दादरा एवं नगर हवेली	878.76
उपजोड़	333.55
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	227.22
कर्नाटक	273.23
केरल	163.62
तमिलनाडु	295.41
पांडिचेरी	647.25
लक्षद्वीप	170.50
उपजोड़	249.15
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	102.35
उड़ीसा	181.28
प० बंगाल	138.87
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	105.35
सिक्किम	96.11
उपजोड़	128.91

क्षेत्र/राज्य का नाम	1989-90*
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
असम	77.93
मणिपुर	80.36
मेघालय	108.07
नागालैंड	70.19
त्रिपुरा	51.03
अरुणाचल प्रदेश	58.02
मिजोरम	56.83
उपजोड़	76.38
जोड़ (अखिल भारत)	236.02

*अनन्तिम

कलकत्ता की मेट्रो रेलवे

1922. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1991 के स्टेट्समैन में "अनसरटेन्टी ओवर मेट्रो स्ट्रेच" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी और मेट्रो रेलवे अथवा किसी अन्य ठेकेदार के साथ विवादों को समय पर नहीं सुलझाया जाता है और इसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती जा रही है;

(घ) क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट पूर्णतः तथ्यों पर आधारित नहीं है। मेट्रो रेलवे प्राधिकारियों ने परियोजना को शीघ्र पूरा करने के आवश्यक कदम उठाए हैं।

(ग) विभिन्न ठेकेदारों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए निरन्तर सभी प्रयास किए जाते हैं ताकि परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

(घ) तथा (ङ) इस परियोजना के पूरा किए जाने की समय-सीमा, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार

द्वारा परियोजना के लिए अपेक्षित शेष भूखंडों के अधिग्रहण और आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

उड़ानों का रद्द करना

1923. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागडोगरा-दमदम के बीच उड़ान संख्या आई० सी० 221 और 222 तथा डिब्रूगढ़ दिल्ली के बीच उड़ान संख्या आई० सी० 489, 479 और 490 के यदा कदा रद्द किए जाने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाई और वित्तीय हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो इन मार्गों पर उड़ानें रद्द करने और अनियमिततायें होने के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस कठिनाइयों को समाप्त करने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इन क्षेत्रों में जनवरी-जून 1991 के दौरान कुल 619 निर्धारित उड़ानों में से केवल 9 उड़ानें रद्द की गई। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उड़ानों के रद्द किए जाने के कारण यात्रियों की दिक्कतों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

(ख) जनवरी-जून 1991 अवधि के दौरान रद्द की गई नौ उड़ानों में से एक रखरखाव और हैंडलिंग तथा तीन मौसम, हवाई अड्डा सुविधाओं और विविध कारणों से रद्द की गई। शेष पांच उड़ानें परिणामी कारणों के कारण रद्द की गई। परिणामी देरियां तब होती हैं जब किसी विमान को प्रारंभिक चरणों में देरी हो जाती हैं और उस विमान को बाद के सैक्टरों में भी परिचालित करना होता है।

(ग) इस सम्बन्ध में इण्डियन एयरलाइन्स ने निम्नलिखित उपाय किए हैं—

—यात्री मांग के अनुरूप विमानों की समयावलि तैयार करना;

—समय-पाबद निष्पादन पर सूक्ष्म निगरानी रखना;

—विमान रखरखाव के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय देना;

—उड़ानों के बीच अन्तराल देने के लिए समयावलि का युक्तियुक्तकरण करना; और

—खराबियों को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा करना।

[हिन्दी]

गुजरात में सस्ती दरों पर प्राकृतिक गैस की सप्लाई

1924. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अंकलेश्वर में बड़ी मात्रा में गैस के भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का स्थानीय निवासियों को सस्ती दरों पर यह गैस उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और किन मूल्यों पर; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) अंकलेश्वर क्षेत्रों से वर्ष 1961 से उत्पादन किया जा रहा है। समय-समय पर नियत दरों के अनुसार गैस उपलब्ध कराई जा रही है।

भरूच, गुजरात में नया विमानपत्तन

1925. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात के भरूच जिले में एक नया विमानपत्तन स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गिरिडीह-रांची रेल लाइन

1926. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरिडीह को हजारीबाग और हजारीबाग को रांची से रेल लाइन के द्वारा जोड़ने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर अभी तक काम आरम्भ न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि परियोजना अलाभप्रद है, इसलिए योजना आयोग द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

डोम्बीवली-दिवा-वसई सेक्शन पर अतिरिक्त रेल सेवा शुरू करना

1927. **प्रो० राम कापसे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डोम्बीवली-दिवा-वसई सेक्शन पर अतिरिक्त रेल सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अधसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी के कारण।

विमानों को सेवा से हटाया जाना

1928. श्री विजय नवल पाटिल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स के अधीन घरेलू विमान सेवा में कितने तथा किस प्रकार के विमान हैं;

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के कितने विमानों को सेवा से हटा लिया गया है;

(ग) क्या भारी संख्या में निष्क्रिय पड़े विमानों से घरेलू उड़ानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार विमानों को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया कम करने और विमान यात्रा को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय इण्डियन एयरलाइन्स अपनी अनुसूचित सेवाओं पर प्रतिदिन 7 एयरबस ए-300, 12 एयरबस ए-320 और 19 बोइंग 737 का परिचालन कर रही है ।

(ख) इस समय इंडियन एयरलाइन्स के 3 एयरबस ए-300, 6 एयरबस ए-320 और 5 बोइंग 737 विमानों की उड़ानें सामान्य रख-रखाव के लिए बन्द हैं। एक एयरबस ए-300 की उड़ान उसमें अनिवार्य आशोधन के कारण बन्द है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) आगामी शीतकालीन समयावलि में 3 और एयरबस ए-320 विमानों को अनुसूचित सेवाओं में लगा दिया जाएगा ।

रोलिंग स्टाक की कमी

1929. श्री विजय नवल पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस समय इलेक्ट्रिक और डीजल इंजनों, यात्री डिब्बों और वैगनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) संसाधनों में कमी को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पूरी करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) चल स्टाक की सीमित उपलब्धता के कारण यातायात प्रवाह के स्थापित पैटर्न से हटना और/या विभिन्न पण्यों के अतिरिक्त यातायात की निर्धारित लक्ष्यों से परे उस क्षमता तक, जो चल स्टाक के वर्तमान बेड़े द्वारा जनित की जा सकती है, ढुलाई करना संभव नहीं है। यद्यपि सही मात्रा

बताना कठिन है, तथापि, रेल परिवहन की मांग और इसकी उपलब्धता में 3 से 5 प्रतिशत तक का अन्तर है। यह कमी नवम्बर और मार्च के बीच की अवधि में अत्यधिक अनुभव की जाती है।

सवारी डिब्बों की कमी की वजह से रेलें गतायु सवारी डिब्बों के वृहदाकार बेड़े को सेवा में लगाये रखने के लिए बाध्य होती हैं।

(ग) आगामी वर्षों में रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के अधिग्रहण के लिए कार्यक्रम में धन के आबंटन तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता की मात्रा और देशीय उत्पादन क्षमता के अनुरूप वृद्धि की जाएगी।

दिल्ली में अवैध बिजली के कनेक्शनों का पता लगाना

1930. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विशेष रूप से पूर्व दिल्ली में जनवरी से जून, 1991 के दौरान कितने अवैध बिजली के कनेक्शनों का पता लगाया गया है;

(ख) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) बिजली की चोरी रोकने हेतु दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) डेसू द्वारा जनवरी, से जून, 1991 के दौरान पता लगाए गए विद्युत की चोरी के 494 मामलों में से 189 मामले पूर्वी दिल्ली से सम्बन्धित हैं। विद्युत की चोरी में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में 160 प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन हेतु दर्ज की गई हैं। जिनमें से 55 पूर्वी दिल्ली से सम्बन्धित हैं। विद्युत की चोरी को भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। विद्युत की चोरी और बिजली के उपयोग से सम्बन्धित अन्य उल्लंघनों के विरुद्ध डेसू द्वारा कार्यवाही तेज कर दी गई है।

[हिन्दी]

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों के हाल्टों की संख्या में कमी

1931. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दौर से दिल्ली, मुम्बई, हावड़ा, कोचीन और बिलासपुर जाने वाली लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों के हाल्टों की संख्या में कमी करके इन रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इन्दौर और नई दिल्ली के बीच नई रेलगाड़ी

1932. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इन्दौर और नई दिल्ली के बीच नागदा और कोटा के रास्ते होकर एक नई रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) क्या इन्दौर और लखनऊ के बीच शयन-कार रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इन्दौर और भोपाल के मध्य अन्तर्नगरीय रेलगाड़ी

1933. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर और भोपाल के बीच अन्तर्नगरीय रेल गाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या अवध एक्सप्रेस (रतलाम-लखनऊ) को इन्दौर से चलाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

न्यू राजधानी एक्सप्रेस को रतलाम में रोकना

1934. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू राजधानी एक्सप्रेस को रतलाम में भी रोकने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी हां। 2953/2954 नई दिल्ली-बम्बई (सप्ताह में तीन दिन चलने वाली) वातानुकूलित एक्सप्रेस को रतलाम में ठहराव दिए जाने की मांग की गई है लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है क्योंकि 2951/2952 नई दिल्ली-बम्बई राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में छः दिन चलने वाली) पहले ही वहां रुकती है।

उड़ीसा में रसोई गैस के कनेक्शन जारी करना

1935. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, इण्डियन आयल कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम द्वारा उड़ीसा में अप्रैल, 1990 के बाद से रसोई गैस का कोई नया कनेक्शन नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कपाली रोड हाल्ट में सुधार

1936. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुर्दा रोड डिवीजन में कपाली रोड हाल्ट पर वर्तमान यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान इस हाल्ट पर और अधिक रेलगाड़ियों को रोकने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जोगीघोपा में पुल

1937. **श्री नुरुल इस्लाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोगीघोपा पंचरत्ना में ब्रह्मपुत्र नदी पर सड़क एवं रेल पुल के निर्माण कार्य में विलम्ब हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) दिसम्बर, 1994 तक इस कार्य के पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

अरुणाचल प्रदेश के लिए रेल सम्पर्क

1938. **श्री नुरुल इस्लाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी रेलवे लाइन का अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार स्नातकों को स्टालों के ठेके

1839. श्री नुरुल इस्लाम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वरोजगार नीति के अन्तर्गत युवा बेरोजगार स्नातकों को खान-पान, बिक्री तथा पुस्तक स्टाल लगाने के ठेके प्रदान करने के लिए प्राथमिकता देना है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर ऐसे कितने ठेके दिए गए;

(ग) क्या सरकार युवा बेरोजगार स्नातकों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नई नीति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रिवाड़ी स्टेशन समेत रेलवे के पास ऐसे कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मौजूदा नीति के अनुसार सभी नये बुक स्टालों के ठेके बेरोजगार स्नातकों, उनके सहकारी संगठनों इत्यादि तथा वास्तविक कामगारों तथा वेंडरों की सहकारी सहमितियों के लिए आरक्षित किए गये हैं। खानपान/वेंडिंग ठेकों के मामले में, बेरोजगार स्नातकों के लिए ऐसी कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं है।

(ख) जी।

(ग) तथा (घ) इस नीति परिवर्तन का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, ठेके आवंटित करने के लिए लम्बित अनुरोधों की ऐसी कोई सूची नहीं रखी जाती है। ठेके आवंटित करने के लिए रेलवे के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाता है।

मनमाड़-आदिलाबाद और मिरज-लातूर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

1940. श्री अन्ना जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनमाड-औरंगाबाद परली-वैजनाथ को आदिलाबाद तक बड़ी लाइन में बदलने तथा मिरज-लातूर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) ये परियोजनाएं कब तक पूरा हो जायेंगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आमान परिवर्तन कार्य में हुई प्रगति इस प्रकार है :

परियोजना का नाम	30.6.91 को प्रगति का प्रतिशत
(1) मनमाड़-परमनी-पर्ली वैजनाथ (354 कि० मी०) का आमान परिवर्तन (चरण-1, अर्थात् मनमाड़-औरंगाबाद) 114 कि० मी० (का काम शुरू कर दिया गया है)	77.4% (चरण-1)
(2) परमनी-पूर्णा, मुदखेड-आदिलाबाद मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करना तथा पूर्णा और मुदखेड़ के बीच समानान्तर बड़ी लाइन का निर्माण करना	17%

1	2
(3) मिरज-लातूर छो० ला० को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य स्वीकृत कार्य नहीं है ।	

(ख) वर्धा घाटी से पार्ली बैंजनाथ थर्मल पावर स्टेशन तक कोयले को लाने ले जाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपर्युक्त परियोजनाओं को निम्नलिखित चरणों में पूरा करने की योजना है :

चरण-1	मनमाड़-औरंगाबाद
चरण-II	आदिलाबाद-मुदखेड़-परभनी-पर्ली बैंजनाथ
चरण-III	औरंगाबाद-परभनी

चरण I का कार्य 1991-92 में पूरा हो जाने का लक्ष्य बनाया गया है और यह अन्तिम चरण में है । चरण II का कार्य भी टुकड़ों में शुरू कर दिया गया है । चरण II के काम में पर्याप्त प्रगति हो जाने के बाद चरण III अथत औरंगाबाद-परभनी का कार्य शुरू किया जाएगा । चरण II तथा III के के कार्य को पूरा करने की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है और यह आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

बोरोवली स्टेशन पर पुल

1941. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्लेटफार्म नं० 1 से 6 के लिए एक उपरि-पुल का निर्माण करना आवश्यक हो गया है ताकि प्लेटफार्म नं० 1 के दैनिक यात्री पूर्व की ओर राज्य परिवहन की बसों को पकड़ने के लिए उस ओर जा सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या बोरोवली की वार्षिक योजना में उपरिपुल का निर्माण सम्मिलित किया गया है; यदि हां, तो किस वर्ष के लिए; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 1989-90 के रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में ऊपरी पुल के निर्माण का कार्य शामिल किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सहार विमानपत्तन, मुम्बई में विद्युत सप्लाई में अवरोध

1942. **श्री राम नाईक** :

श्री प्रकाश बापू बसन्तराव पाटील : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 जून, 1991 की रात को सहार विमानपत्तन, मुम्बई में विद्युत सप्लाई में दो बार अवरोध उत्पन्न हो गया जिससे समूचे विमानपत्तन में अन्धेरा छा गया;

(ख) क्या अन्धकार के समय यात्रियों का मार्गदर्शन करने हेतु कोई घोषणाएं की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसी आपात स्थिति के समय यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सहार और अन्य विमानपत्तनों में विद्युत सप्लाई से अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में यात्रियों के लिए पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है/उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां । बम्बई हवाई अड्डा टर्मिनल II (सहार हवाई अड्डा) पर 22/23 जून, 1991 की रात्रि में आंतरिक पावर लाइन में खराबियां के कारण ऊर्जा आपूर्ति में रुकावट आ गई थी ।

(ख) तथा (ग) चूंकि टर्मिनल-2 में 20 मिनट तक बिजली की खराबी के कारण यहां तक कि आपातकालीन सार्वजनिक संबोधन प्रणाली में भी बिजली की पूर्ति न हो सकी, अतः इस क्षेत्र में कोई उदघोषणा नहीं की जा सकी ।

(घ) टर्मिनल 2 ए और टर्मिनल 2 बी दोनों स्थानों पर तीन-तीन सहायक जेनरेटर उपलब्ध कराए गए हैं ।

(ङ) बिजली खराब होने के दौरान पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं—

(i) सभी उपस्करों का पूर्ण रूप से अंशाकन कर दिया गया है और सेवाओं को सामान्य स्थिति में ला दिया गया है ।

(ii) बी० एस० ई० एस० के साथ समन्वयन करके हवाई अड्डे पर ऊर्जा आपूर्ति की अधिक विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए व्यवस्था की गई है । किसी भी खराबी की स्थिति में सुधरी हुई प्रणाली के कारण केवल खराब फीडर की लाइट में ही रुकावट आएगी ।

(iii) सहायक जेनरेटरों पर अतिरिक्त रोशनी और पेडस्टल पंखे उपलब्ध कराने के लिए उपाय किये गये हैं । इसके अतिरिक्त बैटरी द्वारा संचालित रोशनी भी उपलब्ध कराई जा रही है ।

पालघर स्टेशन पर फ्लाईंग क्वीन और गुजरात एक्सप्रेस रोकना

1943. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेल के पालघर स्टेशन पर फ्लाईंग क्वीन और गुजरात एक्सप्रेस रोकने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) 9012 गुजरात एक्सप्रेस गाड़ी पालघर स्टेशन पर ठहरती है । तथापि 9011 गुजरात एक्सप्रेस और 9021/9022 फ्लाईंग रानी गाड़ियों को पालघर स्टेशन पर ठहराव देना व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

उड़ीसा में रेलवे अस्पताल

1944. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1991 को दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत कितने अस्पताल और स्वास्थ्य इकाईयां कार्य कर रही थीं और ये इकाईयां/अस्पताल उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ख) उड़ीसा में रेल कर्मचारियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा निकट भविष्य में उड़ीसा में कितनी स्वास्थ्य इकाईयां स्थापित करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे पर 11 अस्पताल और 82 स्वास्थ्य यूनिटें हैं । उड़ीसा में जिन स्थानों पर ऐसे अस्पताल/स्वास्थ्य यूनिटे स्थित हैं, वे इस प्रकार हैं—

अस्पताल-2

1. खोरधा
2. बोंडामुंडा

स्वास्थ्य यूनिटें-22

1. बालासोर
2. बोलंगीर
3. झारसुगुडा
4. बोंडामुण्डा (लोको)
5. बिमलगढ़
6. राउरकेला
7. बानो
8. टिटलागढ़
9. रायगडा
10. लक्ष्मीपुर
11. जगदलपुर
12. कोरापुर
13. कातावुंजी
14. पुरी
15. कटक
16. ब्रह्मपुर
17. रेतंग कालोनी
18. तंताल
19. कलेनी
20. संघेश्वर
21. पारादीप
22. खोरधा रोड (लोको कालोनी)

(ख) मंचेश्वर में 50 बिस्तर वाले एक अस्पताल की स्वीकृति दे दी गई है और सम्बलपुर में ऐसा अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है।

विमानों के ब्लैक बक्सों की डिकोडिंग सुविधा

1945. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बोइंग और एअर बस के ब्लैक बक्सों की डिकोटिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है और इस प्रयोजन के लिए अन्य देशों से बक्से लिए जाते हैं;

(ख) क्या ब्लैक बक्सों की डिकोडिंग सुविधा उनकी खरीद संविदा का ही एक हिस्सा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में भविष्य में होने वाले सौदे के बारे में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के पास उपलब्ध सभी प्रकार के विमानों के लिए कॉकपिट वाइस रिकार्डरों के डिकोडिंग की सुविधा उपलब्ध है। एअर इंडिया के ए-310 और इंडियन एयरलाइन्स के ए-320 विमानों के लिए डिजिटल उड़ान डाटा रिकार्डरों के डिकोडिंग की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। डिकोडिंग की सुविधा उपलब्ध कराना विमान खरीद करार का एक भाग नहीं है।

केरल को नई दिल्ली और मुम्बई से और अधिक रेल चलाना

1946. श्री पी० सी० थॉमस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ओनम, क्रिसमस, रमजान जैसे पर्वों के दिनों और गर्मी की छुट्टियों के दौरान केरल जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली और मुम्बई से केरल जाने के लिए अधिक रेलगाड़ियां उपलब्ध कराने का है;

(ख) क्या केरल जाने वाली केरल एक्सप्रेस, मद्रास मेल, जयन्ती जनता (मुम्बई) और अन्य रेलगाड़ियों के पुराने व टूटे-फूटे डिब्बों को बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) त्यौहारों और ग्रीष्म काल के दौरान यातायात की अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए केरल तक/से जहां तक औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक होगा, विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी। केरल तक/से चलने वाली गाड़ियों में जीर्ण-शीर्ण सवारी डिब्बे नहीं लगाये जा रहे हैं।

यलहंका और बंगरपेट लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

1947. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यलहंका-बंगरपेट छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं पाई गई थी और इसलिए इसे शुरू किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

टिकटों की जांच में सख्ती बरतना

1948. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री 16 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 209 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक रेल यात्रियों विशेषकर महिलाओं से, जो इन रेलमार्गों पर चलने वाली उक्त श्रेष्ठ रेलगाड़ियों एवं अन्य रेलगाड़ियों में टोकरियां और झोलों में बिक्री हेतु अपना सामान ले जाते हैं; अतिरिक्त पैसा ऐंटा जा रहा है और क्या टिकट खरीदने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त रेलगाड़ियों, विशेषकर जयनगर और नारकटियागंज के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में टिकट की जांच में सख्ती कब तक बरती जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इन खण्डों पर बिना टिकट/अनियमित यात्रा के विरुद्ध नियमित जांच की जा रही है ।

बिहार से यात्रा करने वाले श्रमिकों से अनधिकृत रूप से पैसे वसूलना

1949. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से विशेष रूप से समस्तीपुर, पटना और मुजफ्फरपुर से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए तथा वहां से वापसी पर रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले श्रमिकों को बैठने का. स्थान न मिलने के कारण गाड़ियों की छत पर बैठकर यात्रा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इन श्रमिकों के लिए पर्याप्त संख्या में बैठने के स्थान की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी;

(ग) क्या कुछ रेल अधिकारियों तथा उनके एजेंटों द्वारा श्रमिकों को बुद्धू बनाकर उनसे पैसा और सामान जैसे रेडियो इत्यादि ऐंठ लिया जाता है तथा उन्हें जाली टिकटें दे कर उनसे पैसा वसूल किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) व्यस्त अवधि के दौरान इस मार्ग पर छत पर यात्रा किये जाने के कुछ मामलों का पता चला है ।

(ख) अतिरिक्त भीड़भाड़ की निकासी के लिए, जहां तक व्यावहारिक होता है, गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ने के सतत प्रयास किये जाते हैं ।

(ग) तथा (घ) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है । बहरहाल, लिखित शिकायतों के आधार पर धोखाधड़ी के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए तंत्र उपलब्ध है ।

मिथिला एक्सप्रेस में आरक्षण

1950. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिथिला एक्सप्रेस रेलगाड़ी पकड़ने के लिए जयनगर और समस्तीपुर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या हावड़ा जाने वाले मधुबनी के यात्रियों के लिए मिथिला एक्सप्रेस में बारह शयिकाएं आरक्षित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या आरक्षण के संकट को कम करने के लिए हावड़ा से समस्तीपुर जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस में आरक्षित शायिकाओं की संख्या दुगुनी किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। मधुबनी में इस गाड़ी के दूसरे दर्जे की दो शायिकाओं के मौजूदा काट का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं। यातायात के मौजूदा स्तर को संभालने के लिए वर्तमान आरक्षित स्थान पर्याप्त है।

[अनुवाद]

दिल्ली में इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अतिरिक्त सुरक्षा चौकी

1951. **श्री महेन्द्र कुमारी** :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री रमेश चन्द तोमर: क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रतिदिन सुबह और शाम कितने विमान उडान भरते हैं और इन विमानों द्वारा औसतन कितने व्यक्ति यात्रा करते हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में सुरक्षा प्रबन्ध पर्याप्त हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में हाल के बम विस्फोट को देखते हुए इस हवाई अड्डे पर अतिरिक्त सुरक्षा चौकी स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) उड़ानों तथा इन उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या इस प्रकार है—

उड़ानों की औसत संख्या	यात्रियों की औसत संख्या
प्रात: 36	3896
सायं 23	2542

(ख) जी, हां। इन सुरक्षा उपायों में ये शामिल हैं—(1) विमान में चढ़ने से पूर्व (अपहरण-निवारक) सुरक्षा जांच, (2) तोड़ फोड़ निवारक सुरक्षा जांच, (3) टर्मिनल भवन और परिचालनात्मक क्षेत्र में निगरानी गश्त, (4) हवाई अड्डा परिधि की सुरक्षा और, (5) आतंकवादी निवारक उपाय।

(ग) तथा (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

एयर इण्डिया के चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

1952. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक सेवानिवृत्त हो गये हैं और यदि हां, तो कब;

(ख) क्या नये चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) नये चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) एयर इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक ने 17-7-90 को त्यागपत्र दे दिया था। एक नियमित अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति पर सरकार ध्यान दे रही है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

गैस परियोजनाओं में गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

1953. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**

श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री रमेश चन्द्र तोमर :

श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गैर-सरकारी क्षेत्र को गैस परियोजनाओं में पूंजी निवेश की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड दोनों का गैर-सरकारीकरण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) उर्वरक, स्पंज आयरन, नगर गैस वितरण आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के अवरोही प्रयोग के लिए

परियोजनाओं में निजी क्षेत्र कीकम्पनियों ने पहले ही निवेश किया है । इसकी क्षमता तथा अन्य उपयोग के आधार पर भिन्न-भिन्न परियोजनाओं की लागत में अन्तर आएगा ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

संसद सदस्यों के लिए रेलवे पास

1954. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व संसद सदस्यों को मुफ्त रेलवे पास जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबि आजाद) : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया और भूतपूर्व संसद सदस्यों को निशुल्क रेल यात्रा सुविधा देने को उचित नहीं पाया गया है ।

[हिन्दी]

बिहार में बायो-गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग

1955. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन स्थानों के जिलावार नाम क्या हैं, जहां बायो-गैस और सौर ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है;

(ख) इन संयंत्रों द्वारा प्रत्येक जिले में कितने गांव लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) इन संयंत्रों से जहानाबाद जिले के कौन-कौन से गांव लाभान्वित हुए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

12.01 म० प०

[अनुवाद]

बैंक आफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इन्टरनेशनल के बारे में

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय कल आपने सभा में आश्वासन दिया था···

अध्यक्ष महोदय : आपके इस मुद्दे को उठाने से पहले, मैं बता दूं कि कल सरकार ने मुझे सूचित किया था कि बैंक ऑफ क्रेडिट एण्ड कॉमर्स इन्टरनेशनल के मामले में वक्तव्य तैयार नहीं है और उसको कल सभा पटल पर रखे जाने की सम्भावना है ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मुझे जो बात कहनी है वह कहने दीजिए। बैंक ऑफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल के मामले में आपने आज सभा में वक्तव्य देने का आश्वासन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आश्वासन नहीं दिया था। मैंने कहा था कि वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं अपने कथन में संशोधित करता हूं। आप आश्वासन नहीं देते हैं; आप निदेश देते हैं। आपने निदेश दिया था कि सभा में आज वक्तव्य दिया जाना चाहिये। परन्तु कार्य-सूची में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय वित्त मन्त्री को आज बजट पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देना है।

अध्यक्ष महोदय : वह इस मुद्दे पर आज स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : क्या वह इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि आज वक्तव्य क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री जसवन्त सिंह : ऐसी स्थिति में मैं आपकी अनुमति से यह मुद्दा उठाऊंगा कि उस वक्तव्य के बारे में हमारी क्या अपेक्षाएं हैं क्योंकि इसके अनेक पहलू हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह मामला शून्यकाल में उठाया था। तब से अब तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और आप एक वक्तव्य देने की अपेक्षा करते हैं। मैं नहीं जानता कि वह किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। अब तक यह आपके और उनके बीच का मामला है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, यह एक या दो व्यक्तियों के बीच की बात नहीं है। अनेक सदस्यों ने अनेक मुद्दों पर पूछताछ की एक मुद्दा यह था कि बैंक आफ कामर्स एण्ड क्रेडिट इन्टरनेशनल की मुम्बई शाखा ने कहा था कि इसमें संसद सदस्यों सहित अनेक राजनीतिज्ञों और उच्च नौकरशाहों के नाम शामिल हैं। आपने कहा कि आप नहीं जानते कि वक्तव्य में क्या कहा जायेगा। हम चाहते हैं कि वक्तव्य विस्तृत होना चाहिये। इसमें माननीय सदस्यों द्वारा पूछी गयी आवश्यक जानकारी होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह, मैंने आपको अनुमति दी है; उन्हें नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं बाद में बोलूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, हमारी अपेक्षाएं इस प्रकार हैं : प्रथम, आज वक्तव्य किया जाये। हमारी दूसरी अपेक्षा है कि वक्तव्य में भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के उल्लंघन सम्बन्धी पहलू का स्पष्टीकरण हो; वक्तव्य में उद्योगपतियों अथवा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के प्रमुख सहायकों का इसमें तथाकथित रूप से सम्मिलित होने के बारे में ब्यौरा सुस्पष्ट हो। बैंक आफ क्रेडिट एंड कामर्स इन्टर-नेशनल का एक पहलू इस पर दक्षिण एशियाई लोगों की सम्पूर्ण आश्रितता भी है, दक्षिण एशिया के अनेक नागरिक चाहे वे ब्रिटेन में रहते हों अथवा महाद्वीप में कहीं और रहते हों अथवा अमरीका में ही रहते हों, बैंक आफ क्रेडिट एंड कामर्स के बन्द होने के कारण बुरी तरह प्रभावित है। हमें आशा है कि वक्तव्य में यह मुद्दा भी स्पष्ट किया गया होगा। इसका एक पहलू यह भी है कि स्वापक पदार्थों से सम्बन्धित धन बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल में जमा हो रहा है। अवैध धन के अवैध-रूप

से देश में आने और देश से बाहर जाने से देश पर आर्थिक अतिक्रमण होने का भी है। ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं कि पाकिस्तान ने बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए सम्पर्क सूत्र के रूप में उपयोग किया था। वास्तव में पाकिस्तान की सेना के जनरल को जर्मनी में गिरफ्तार किया गया।···**···गिरफ्तार किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं नाम को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होने दूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल के ये सारे पहलू हैं। यह मालूम हुआ है कि बैंक आफ केडिट एण्ड कामर्स पाकिस्तान को इसके परमाणु कार्यक्रम में सहायता कर रहा है। अतः सरकार को आज इस पर वक्तव्य देना चाहिये अथवा कल ऐसा करने की अनुमति मांगनी चाहिये। वे जब भी वास्तविक रूप से यह वक्तव्य दें, उन्हें इन सारे पहलुओं को शामिल करना चाहिए।

महोदय, हम आपसे अनुरोध करते हैं, जैसाकि आपने निदेश दिया है, अपने आप ही वक्तव्य देना चाहिये और वह वक्तव्य व्यापक होना चाहिये जिसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर हों।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वक्तव्य विस्तृत होना चाहिए। हमें इस सभा को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक इस बैंक को चला रहा है। इस बैंक को ब्रिटिश स्टेट बैंक आफ यू० के० द्वारा पहले ही दण्डित किया जा चुका है। इस मामले पर अमरीकी सीनेट समिति में चर्चा हुई थी, जहां यह उल्लेख किया गया है कि यह बैंक कुछ राजनीतिज्ञों, कुछ नौकरशाहों का वित्त-पोषण कर रहा है···**(व्यवधान)**

इन मामलों पर सारे विश्व में चर्चा हो रही है। क्या हमें बी० सी० सी० आई० की गतिविधियों की जानकारी नहीं होनी चाहिए?

दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह बैंक हमारे देश में आतंकवादियों के लिए धन दे रहा है, वे लोग हमारे देश की एकता के लिए खतरा है।

अतः मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वक्तव्य में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। यदि वक्तव्य कल आ रहा है, तो मुझे विशेष रूप से इस पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु यह विस्तृत होना चाहिए। यदि सरकार समय चाहती है, तो उसे लेने दीजिए। किन्तु वक्तव्य में सारा ब्यौरा होना चाहिए। बी० सी० सी आई० में जिन भारतीय नागरिकों के नाम और खाते हैं अथवा जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इससे जुड़े हैं, इन सारे तथ्यों की जानकारी इस सभा और देश को होनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं इसमें डीटेल में नहीं जाऊंगा चूंकि पिछले एक सप्ताह से सदन में और सदन के बाहर और तमाम समाचार-पत्रों में यह मामला आ रहा है। मुझको इस बात की हैरानी है कि वित्त मन्त्री जी यहां हैं, सदन के नेता यहां हैं। यह सरकार का कार्य था कि ज्यों ही यह मामला अखबार में आना शुरू हुआ था, सरकार अपनी तरफ से क्लैरिफाइ करती क्योंकि ज्यों-ज्यों देरी होती जा रही है, शंका का बादल छाता रहा जा है और सुई एक तरफ घूमती जा रही है और उसमें तत्कालीन सरकार और उसके हेड और उसके साथ जो लोग लगे हुए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब लोगों का एक मिला रिजल्ट था, उसका परिणाम था।

** कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सदन के नेता ने कल घोषणा की थी कि एक स्टेटमेंट इस पर दिया जाएगा और आज वित्त मन्त्री भी यहां मौजूद हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले एक हफ्ते से यह सारे का सारा मामला चल रहा है और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है और क्या कारण है कि यह कल देने जा रही है ? **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि स्टेटमेंट नहीं, इस पर यहां 193 के अन्तर्गत पूरी चर्चा होनी चाहिए। सारी दुनिया में आज इस बात पर चर्चा हो रही है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप ऐसे नहीं बोलिए।

[अनुवाद]

हम इसे बाद में देखेंगे।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, वक्तव्य विस्तृत होना चाहिये क्योंकि इसके अनेक पहलू हैं; इसके अन्तर्राष्ट्रीय पहलू है; इसका एक पहलू यह है कि इसमें हमारे देश के राजनीतिज्ञ और कुछ नौकरशाह सम्मिलित हैं। इसका दूसरा पहलू आतंकवादियों की मदद करने का है, जो हमारे देश को अस्थिर करने वाले प्रयासों में लगे हैं। इसने हमारे देश की छवि धूमिल हुई है।

अतः जब वक्तव्य दिया जाये, उसके तुरन्त बाद हमें विस्तृत वक्तव्य के आधार पर चर्चा करनी चाहिए और तब, जैसा मैंने कल कहा था, जहां तक मैं सरझता हूं कि हमें इस मामले की जांच के लिए सभा की एक समिति गठित करने के बारे में भी निर्णय लेना है।

अध्यक्ष महोदय : हम इससे बहुत आगे की बात कर रहे हैं।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं इस सभा में व्यक्त की गयी भावनाओं का समर्थन करता हूं। मैं सभा से क्षमा मांगता हूं कि मैं आज वक्तव्य देने में असमर्थ हूं। मुझे सारे तथ्यों को एकत्रित करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है और मैं वायदा करता हूं कि मैं कल वक्तव्य दे पाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको एक नोटिस दिया था। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान के 6000 भारतीयों, जो उत्प्रवास सम्बन्धी स्वीकृति न मिलने के कारण मुम्बई में फंसे पड़े हैं, की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन 6000 लोगों ने खाड़ी के देशों से रोजगार के लिए वैध वीमा प्राप्त किये हैं। किन्तु मुम्बई स्थित उत्प्रवास विभाग ने उन्हें स्वीकृति देने से मना किया है। उत्प्रवास सम्बन्धी स्वीकृति डिग्री धारियों और डिप्लोमा धारियों को दिए गए हैं जबकि अकुशल

श्रमिकों और शारीरिक श्रम करने वालों को स्वीकृति देने से मना किया गया है, जिन्होंने बड़ी कठिनाई से रोजगार के लिए वीसा प्राप्त किए हैं।

क्या मैं मानीय श्रम मन्त्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित कर सकता हूं कि हमारी ओर से किसी भी तरह के विलम्ब के परिणामस्वरूप खाड़ी के देशों में हमारे श्रमिक बल का स्थान बंगलादेश, फिलीपीन्स और श्रीलंका के श्रमिक बल ले लेंगे। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे एक गम्भीर मामले के रूप में लिया जाए। विशेषरूप से, जबकि हमारा देश आर्थिक संकट और बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहा है।

600 लोग जो मुम्बई में फंसे हैं बड़े कष्ट के साथ जीवन व्ययतीत कर रहे हैं। उनकी भी सहायता की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल (गोड्डा) : अध्यक्ष जी, बिहार का गोड्डा जिला बहुत ही बिछड़ा क्षेत्र है। इस जिले का गठन 1983 में हुआ था और इस क्षेत्र में देश की सबसे ज्यादा कोयला खदानें हैं। यहां एक राजमहल परियोजना भी है परन्तु इस जिले में लोगों को कुकिंग गैस सप्लाई करने का आज तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। जब मैं बिहार विधान सभा में एम० एल० ए० था उस समय से लगातार भारत सरकार को पत्र लिखता आ रहा हूं कि मेरे जिले में तुरन्त कुकिंग गैस की एक एजेंसी स्थापित करनी चाहिए परन्तु आज तक मेरे पिछड़े क्षेत्र में लोगों को कुकिंग गैस की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं। मेरी उनसे मांग है कि पिछड़े क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, मेरे यहां जिला मुख्यालय में अविलम्ब कुकिंग गैस की एजेंसी स्थापित की जानी चाहिए ताकि वहां के लोगों को खाना पकाने के लिए गैस उपलब्ध हो सके।

श्री बृशिण पटेल (सीवान) : अध्यक्ष जी, बिहार के सीवान जिले में करोड़ों की लागत से एक सूती मिल का निर्माण किया गया है और वह सूती मिल बिल्कुल उत्पादन करने की स्थिति में है। फिर भी, दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस सूती मिल को आज तक चालू नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यन से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि अविलम्ब उस सूती मिल को चालू कराया जाये ताकि वहां जितने बेरोजगार नौजवान हैं, उन्हें रोजगार मिल सके और उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार आये।

[अनुवाद]

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : महोदय, मैं बेजुबान लोगों के एक वर्ग, जो मूक बहुसंख्यक श्रेणी से सम्बन्धित हैं, अर्थात् बन्धुआ मजदूरों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। देश में बन्धुआ मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है। उन्हें उत्पीड़ित करने और कम मजदूरी देने तथा उनकी मजदूरी न देने के लिए अभी तक किसी को भी दण्डित नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय आयोग, जिसके गठन का वायदा किया गया है, का भी अभी तक गठन नहीं किया गया है।

मानव अधिकार आयोग ने सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संघ संस्थाओं को यह सिफारिश की है कि ऐसे सभी देशों को ऋण और सहायता बन्द कर दी जानी चाहिए जो इस बुराई को समाप्त नहीं करते हैं।

बन्धुआ मजदूरों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। यह हमारी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता है।

अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उनकी पहचान करने के लिए और तदन्तर बन्धुआ मजदूर प्रथा की समाप्ति तथा उन्मूलन के लिए कदम उठाए।

श्री आर० श्रीधरण (मद्रास दक्षिण) : महोदय, दिल्ली में श्री वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान को लगभग बन्द कर दिया गया है। यह संस्थान विश्वविद्यालय परिसर में एक जीर्ण-शीर्ण इमारत में है। वहां एक्स-रे फिल्में नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से थूक और खून की जांच नहीं की जा रही है। मरीजों सप्ताह में दो बार लगने वाले इंजेक्शन अथवा मिलने वाली दवाईयां उन्हें नहीं दी जाती मरीजों को शहर के अन्य अस्पतालों में जाने को कहा जाता है। उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां पर मरीजों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। मरीजों की संख्या और उनको दिए गए उपचार के सम्बन्ध में समुचित अध्ययन नहीं किया जाता है। स्नातकोत्तर छात्रों को बहुत कठिनाई हो रही है क्योंकि वहां कोई मरीज नहीं हैं। भर्ती मरीजों का अध्ययन करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

अत: मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर तत्काल ध्यान दें।

श्री सुधीर सांवत (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिला चाहता हूं जिससे महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र और गोआ प्रभावित हो रहे हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं यह क्षेत्र देश में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में केवल एक ही सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो बम्बई गोआ राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। वहां एक नौवहन सेवा थी जिसे तीन वर्ष पूर्व बन्द कर दिया गया था। वहां वायुदूत सेवा थी, उसे भी बन्द कर दिया गया। इस क्षेत्र में केवल एक ही हवाई अड्डा, रत्नागिरी हवाई अड्डा है और उसे भी तोड़ा जा रहा है। यदि आप इस सड़क की हालत देखें तो इस बम्बई-गोआ राष्ट्रीय राजमार्ग को किसी भी मायने में एक राजमार्ग नहीं माना जा सकता। इस राजमार्ग की हर वर्ष मरम्मत होती है। मानसून के मौसम में इस क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण यह सड़क टूट जाती है।

अत:, मैं यह निवेदन करता हूं कि अब सरकार ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे और अधिक धन का भी आबंटन करे ताकि इस सड़क को इस ढंग से बनाया जाए कि यह सड़क हर वर्ष न टूटे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे काम एक-एक करके करना होता है। आप इस तरह दबाव नहीं डाल सकते। उस तरफ भी सदस्यगण हैं। मैं कह रहा हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : अध्यक्ष महोदय, देश भर में समुद्र तटीय क्षेत्रों में नमक कारखानों में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनमान भी नहीं मिलता है। कई कारखानों में मजदूरों को दिन निकलने से पहले ही काम शुरू करना पड़ता है और सूर्य अस्त होने के बाद तक काम करना पड़ता है जिसमें दोपहर केवल एक ही घंटे की छुट्टी होती है और इस प्रकार उन्हें प्रतिदिन बारह घंटे से भी अधिक काम करना पड़ता है। तंगी के इन दिनों में बढ़ती हुई कीमतों

की स्थिति से हम सभी भिज्ञ हैं। इसलिए, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नमक मजदूर कितनी दुःखद और कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। औसतन पांच सदस्यों के परिवार वाले मजदूरों के लिए 14 रुपए या 16 रुपए प्रतिदिन की मामूली सी मजदूरी पर पेट पालना वास्तव में असंभव है। ये नमक मजदूर किस तरह अपने असहनीय और दुःख भरे दिन काट रहे हैं यह बात कल्पनातीत है। और बजट प्रस्तावों के कारण बाजार में मुद्रास्फीतिकारी के प्रभाव पहले ही शुरू हो गया है और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में वही परिलक्षित हो रहा है।

महोदय, इन हालातों में, मैं सरकार (उद्योग मंत्रालय, से निवेदन करता हूं कि वे नमक कारखानों में चाहे वे बड़े हों या छोटे, कार्यरत मजदूरों की प्रतिदिन न्यूनतम वेतन तय करने के लिए कानूनी उपाय करने हेतु तत्काल पहल करे और देश में प्रचलित वर्तमान कठिनाई पर काबू पाने में निर्धन लोगों की मदद करे। **(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान-निकोबार) : अध्यक्ष महोदय, मेरे कलकत्ता दौरे के दौरान मैंने अण्डमान जाने वाले 200 यात्री—पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे—देखे थे जो पिछले तीन महीनों से भटक रहे थे। अब वे कलकत्ता के फुटपाथों पर रह रहे हैं। खाना न मिलने के कारण वे भूखे मर रहे हैं। ये लोग विशेषतौर पर आंध्र प्रदेश, बिहार के रांची क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के रहने वाले हैं। उनमें से अधिकांश श्रमिक वर्ग के लोग हैं जो छुट्टी के समय मुख्य भूमि पर अपने परिवारों को मिलने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह से आए हैं। अब वे वापस जाने की स्थिति में नहीं हैं। दुर्भाग्यवश, जहाज के टिकटों को भारतीय जहाजरानी निगम, कलकत्ता ने रोक रखा है जो इन लोगों के लिए अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह पहुंचने के लिए आवश्यक हैं। इन लोगों को इनके टिकिट नहीं मिल रहे हैं। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। लोग भूखे मर रहे हैं। मैं सभा के नेता से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले को जल-भूतल परिवहन मंत्री तक पहुंचा दें—15 तारीख को जहाज जाएगा—ताकि इन लोगों को अपने ठिकानों पर वापस जाने के टिकिट दिए जा सकें। मैं श्री अर्जुन सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर ध्यान दें। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : भारतीय पटसन निगम का गठन उत्पादकों से सीधे पटसन खरीदने के लिए किया गया था ताकि पश्चिम बंगाल के पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य न भी मिले तो उन्हें सरकार द्वारा तय किया गया वैधानिक न्यूनतम मूल्य तो मिल सके। यह आश्वासन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विभाजन के पश्चात पश्चिम बंगाल के किसानों को दिया था जिन्होंने पश्चिम बंगाल में पटसन उगाना शुरू कर दिया था और हमारा देश पटसन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया था। ये पटसन उत्पादक अब वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की इस वर्ष पटसन न खरीदने की नीति के कारण भूखे मर रहे हैं। भारतीय पटसन निगम पटसन खरीदने के लिए बाजार में नहीं आ रहा है। वे पश्चिम बंगाल के किसी भी पटसन उत्पादक जिले से पटसन नहीं खरीद रहे हैं। जब तक भारतीय कपास निगम पश्चिम बंगाल से तत्काल कपास खरीदना शुरू नहीं करेगा तब तक पटसन की कीमतें और नीचे आ जाएंगी और पटसन उत्पादक मर जाएंगे। मैं चाहता हूं कि वस्त्र मंत्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें। मैं चाहता हूं कि भारतीय पटसन निगम पश्चिम बंगाल के पटसन उत्पादकों से तत्काल पटसन खरीदना शुरू करे। जब तक ऐसा नहीं होगा, पटसन की कीमत जो पश्चिम बंगाल में पहले ही नीचे आ चुकी है, वह पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा देश के अन्य पटसन उत्पादक राज्यों में और कम हो जाएगी। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : पटसन उत्पादकों को बड़ी हानि हो रही है। सरकार को इस

विषय पर वक्तव्य देना चाहिए। सारे देश में यह एक गम्भीर समस्या है। यह समस्या उड़ीसा में भी है। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : देश के चालीस लाख पटसन श्रमिकों के लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न है। सदन के नेता यहां पर हैं। उन्हें वक्तव्य देना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना : आप मंत्री महोदय अथवा सदन के नेता को इस मुद्दे पर वक्तव्य देने का निदेश दे सकते हैं। यह उन अति गम्भीर मामलों में से एक है जिनका बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार के पटसन उत्पादकों को सामना करना पड़ रहा है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप वह मुद्दा उठा चुके हैं। अब श्री अग्निहोत्री बोलेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना : हम इस मुद्दे पर मंत्री महोदय का वक्तव्य चाहते हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है; आपने यह बात कह ली है। अब आप बैठ जायें। अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए। आपने अपनी बात कह ली; उन्हें भी अपनी बात कहने दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : हम मंत्री महोदय से वक्तव्य चाहते हैं। सदन के नेता यहां पर उपस्थित हैं, उन्हें बोलना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : मंत्री जी इस मामले पर उत्तर दे सकते हैं। लगभग 50-60 लाख पटसन उत्पादक अपने उत्पाद को बेचने में असमर्थ हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने वह बात कह ली; अब औरों को भी बोलने दें।

श्री बसुदेव आचार्य : यह हमारे देश के पटसन उत्पादकों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। सरकार इस मुद्दे पर मौन है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आखिरकार, इस तरह के मामलों में एक औचित्य का प्रश्न खड़ा होता है। जब माननीय सदस्यगण किसी तथ्य का उल्लेख करते हैं, तो वह उल्लेख के ही लिए होता है और मंत्री महोदय के पास जाता है और तब वे घटनाओं के स्वाभाविक क्रम में उस पर ध्यान देंगे। यदि माननीय सदस्य यह चाहते है कि मैं उनका ध्यानविशेषरूप से आकर्षित करूं, तो मैं ऐसा भी कर दूंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री अग्निहोत्री जो कुछ बोलते हैं केवल वही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए।

[**हिन्दी**]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन में इस सरकार का कई बार ध्यान इस बात की ओर दिला चुका हूं कि इस देश में कई राज्यों में ऐसी परियोजनायें चलती हैं जिन पर भारत सरकार का सीधा नियन्त्रण रहता है और उनमें सैकड़ों और हजारों की संख्या में मजदूर वर्क-चार्ज के नाम पर व दैनिक वेतनभोगी के नाम पर काम करते हैं। जो श्रम विभाग का कानून है और जो कि भारत सरकार ने इस सदन से पास कराया है, उसके अन्तर्गत उनका नियमितीकरण होना चाहिये, लेकिन 7-8 वर्ष हो गये हैं, ऐसी परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों

का श्रम कानून के अन्तर्गत भी नियमितीकरण नहीं किया गया। इस महंगाई के जमाने में जो उनको भत्ता मिलना चाहिये, अच्छा वेतन मिलना चाहिये और अन्य सुविधायें मिलनी चाहिए, वे सुविधायें उन लाखों मजदूरों को मुहैय्या नहीं हो पा रही हैं।

मैं आपके माध्यम से इस सरकार से यह मांग करता हूं कि श्रम कानून के अन्तर्गत ऐसे मजदूरों का नियमितीकरण कर देना चाहिये। उत्तर प्रदेश के अन्दर राजघाट परियोजरा, नर्मदा परियोजना और कावेरी परियोजना में सैकड़ों मजदूर 7-8 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। भारत सरकार इस पर तुरन्त ध्यान दे और उनका नियमितीकरण करे वरना मजदूरों के बीच आक्रोश पैदा हो जायेगा जोकि इस सरकार के लिये बहुत शर्मनाक बात होगी।

[अनुवाद]

श्री कोडीक्कुन्नील सुरेश (अडूर) : मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि केरलवासी नारियल के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि केरल में किसी और तेल का उत्पादन नहीं होता है। वैकल्पिक खाद्य तेल के रूप में केरलवासियों को केवल पामोलीन ही पसन्द है; किन्तु उसकी आपूर्ति अवरुद्ध हो गयी है। आम आदमी द्वारा नारियल के तेल का इस्तेमाल किया जाना कठिन हो गया हैं क्योंकि नारियल के तेल का मूल्य इतना अधिक हो गया है और लोगों को खाद्य तेल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए मैं सरकार से त्यौहारों के दिनों में 10,000 टन पामोलीन तेल का विशेष कोटा जारी करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरत् चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर और भयावह घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में इन्द्रावती इरीगेशन प्रोजेक्ट है, उसकी जो टनल है उसमें सारे मजदूर काम कर रहे थे। भारी वर्षा के कारण टनल में पानी भर जाने के कारण वहां सौ से ज्यादा मजदूर उसमें फंसकर मर गये हैं। इसके अलावा करीब 500 के आसपास मजदूर अभी तक लापता हैं, जिनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उड़ीसा सरकार ने उनको अभी तक कोई सहायता राशि नहीं दी है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सदन की एक समिति गठित करें और जो दुर्घटना हुई है, उसकी वह घटनास्थल पर जाकर जांच करे और मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता सुविधा देने का प्रयास करें।

श्री ललित उरांव (लोहरदगा) : अध्यक्ष महोदय, 1990 में बिहार के बहुत से जिलों में भयंकर ओलावृष्टि हुई थी।...**(व्यवधान)**...इस क्रम में वहां के ग्रामीण क्षेत्र में खपरैल के मकान और रबी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसमें सरकार की तरफ से वहां के उपायुक्तों से जिन प्रतिवेदनों की मांग की गई थी, उन उपायुक्तों ने वह सरकार के पास उपस्थित कर दी, इनमें से 21 जिलों को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है, फिर भी दो जिले जो पूरी तरह से प्रभावित थे, जो आदिवासी बहुल जिले हैं, जिनमें से एक रांची है और दूसरा है गुमला। यहां के लोगों को कोई सहायता राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन जिलों को भी सहायता राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

श्री राम कापसे (ठाणे) : माननीय अध्यक्ष जी, टूरिज्म मिनिस्टर श्री माधव राव सिन्धिया ने

ने लखनऊ में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि बी० जे० पी० के नेता राष्ट्रद्रोही हैं···(**व्यवधान**) ···लेकिन लोकशाही व्यवस्था में इस तरह से किसी को राष्ट्रद्रोही कहना, बार-बार कहना, प्रैस कांफ्रेंस में कहना और बाद में इससे इन्कार भी नहीं करना मेरे लिए यह इस तरह की बात है कि माधव राव सिन्धिया जी लोकशाही व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं।

[अनुवाद]

वह अपने शब्द वापस लें यही मेरी मांग है। वह अपने शब्द वापस लें।

[हिन्दी]

और इस सदन में मांफी मांगें। ···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री के वक्तव्य का उनके अनेक सहयोगियों ने भी बुरा माना होगा। मुझे विश्वास है कि इस तरफ (विपक्ष) के मेरे अनेक सहयोगी जो मेरे और मेरी पार्टी के विचारों से असहमत हो सकते हैं, मेरी इस बात से सहमत होंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में, आलोचना की सीमायें हैं। अन्यथा, आलोचना सहनी पड़ती है; निंदा भी सहनी पड़ती है। अत्यंत नाखुशगवार विशेषण एक दूसरे पर आरोपित किया जा सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि लोकतांत्रिक राजनीति में भाग लेने वाला प्रत्येक देशभक्त, इस विशेष शब्द 'देशद्रोही' को जिसे पूरे होशो-हवास में तथा जानबूझकर बार-बार प्रयोग किया गया है—किसी देश भक्त के विरुद्ध दी जा सकने वाली सबसे गन्दी गाली मानेगा। अपनी पार्टी की ओर से, मैं नागर विमानन मंत्री द्वारा लखनऊ में दिये गये इस वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति प्रकट करता हूं। मैं कहूंगा कि यह एक ऐसी सरकार है जो पहले दिन से ही यह कहती रही है कि वह विपक्षी दलों के साथ उन मुद्दों पर भी मतैक्य चाहेंगे जिन पर परस्पर असहमति हो। इस बारे में कुछ प्रयास हुए हैं और कभी-कभी हमारी बैठकें होती हैं। वे यह समझ लें कि यह किसी साधारण मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य नहीं है। वह केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के सदस्य है। इसलिये, मेरी पार्टी यह कहने पर विवश है कि जब तक श्री माधवराव सिंधिया लखनऊ में दिये गये अपने वक्तव्य के लिए बिना शर्त माफी नहीं मांगते, मेरी पार्टी को स्वयं समग्र रूप से सरकार के प्रति अपने सम्पूर्ण रवैये पर पुनर्विचार करना पड़ेगा।

मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में उनके अधिकांश सहयोगियों को भी उनके इस वक्तव्य से बेचैनी हुई होगी। सदन के नेता यहां हैं। इसलिये, मैं चाहूंगा कि उनके माध्यम से इस वक्तव्य में उपयुक्त संशोधन किये जाएं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं इस बात से पूर्णत सहमत हूं कि नागर विमानन और पर्यटन मंत्री पर जो सार्वजनिक वक्तव्य देने का आरोप है, वह नहीं दिया जाना चाहिए था। परन्तु दोहरे मापदण्ड नहीं होने चाहिए। हम समाचारपत्रों में बहुधा श्री आडवाणी की पार्टी के प्रख्यात नेताओं के सार्वजनिक वक्तव्यों को पढ़ते रहते हैं, जो इसी शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। (**व्यवधान**) वे कहते रहे हैं कि साम्यवादी देशद्रोही हैं। (**व्यवधान**) हमें लगातार देशद्रोही कहा जाता रहा है। हमने यहां पर कभी यह मुद्दा नहीं उठाया। परन्तु दोहरे मापदण्ड नहीं होने चाहिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त से पूर्णतः सहमत हूं। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, हमें देशद्रोही कहा जाता है । हम इसे गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि हम देशद्रोही नहीं हैं । (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि दोहरे मापदण्ड नहीं होने चाहिये ।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय विपक्ष के नेता इस बात पर सहमत हुए है कि हम जिसे उचित समझें उस पर हमें दोहरे मापदण्ड नहीं अपनाने चाहिये । मेरा ख्याल है कि यदि कोई यह कहे कि अमुक भारतवासी देशभक्त नहीं है तो यह कोई हल्की-फुल्की टिप्पणी नहीं है जब तक कि कहने वाले के पास ऐसा कहने के लिए कोई ठोस सामग्री न हो । मेरे सहयोगी ने जो बात कथित रूप से कही है, मेरी समझ से यह ठीक रहेगा कि सदन तथा आप मुझे यह बात उनकी जानकारी में लाने की अनुमति प्रदान करें । मुझे विश्वास है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह उपयुक्त संशोधन कर लेंगे । यदि उन्होंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है अथवा उनके बारे में गलत समाचार दिया गया है, तो वह तदनुसार ही बताएंगे ।

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है । ···(**व्यवधान**)···मैं इस तरह से नहीं बैठूंगा । आपने हमारी बात नहीं सुनीं । ···(**व्यवधान**)··· इस तरह से नहीं । देखिये, उन्होंने कहा है···(**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समाचारपत्र से उद्धृत करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : इस पर भली-भांति बहस हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे लम्बा न खींचे । आप जो चाहते थे, वह आपको मिल गया है ।

(**व्यवधान**)

अब यह अनावश्यक है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, आप इसमें सन्निहित बारीकी और मर्म को समझें ।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना : नाइसिटी हमको समझा रहे हैं आप उनको भी समझाइए । उनको यह नाइसिटी वाली बात समझाएं ।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : हो गया । जो हुआ है, अच्छा हुआ ।

(**व्यवधान**)

* कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, बिहार के नागरिक आपूर्ति मन्त्री आज दिल्ली में हैं। उनकी सरकार के कई मन्त्रालयों से बात हो रही है। आप जानते हैं कि बिहार में इस वर्ष भारी सूखा पड़ा है और इस सम्बन्ध में पिछले कई दिनों से सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना होती रही है कि अपने यहां जो सूखे इलाके है, उन इलाकों में लोगों को जीवनोपयोगी वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार से उनको मदद मिलेगी। उनकी मांग है कि गेहूं जो आज मिलता है, उसको कुछ बढ़ा दिया जाए। वही बात चावल के बारे में एडिबल आयल के बारे में और चीनी, कैरोसिन, कुकिंग गैस और कोयला व डीजल के बारे में है। मैं इस पर कुछ और नहीं कहना चाहता हूं केवल सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करते हुए उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, तुरन्त बिहार ने जो अपेक्षायें व्यक्त की हैं, उनको करने की दिशा में सरकार कदम उठाए।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, जार्ज फर्नान्डीज साहब ने जो मामला उठाया है यह बहुत ही गम्भीर मामला है। आप जानते ही हैं कि बिहार दो भागों में बंटा हुआ है, एक तरफ हमारे यहां बाढ़ और सुखाड़ है और दूसरी तरफ अपार खनिज पदार्थ हैं खनिज का जो मामला है वह भारत सरकार के अन्तर्गत आता है और आना भी चाहिए, लेकिन जो दूसरी तरफ बाढ़ और सुखाड़ है वह हम लोगों के हिस्से में पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बिहार सरकार ने जो रिकवायरमेंट्स भेजे हैं और इसके सम्बन्ध में जैसा आपने कहा कि चाहे गेहूं का मामला हो या कोई अन्य मामला हो, उसमें बीच में कटौती कर दी गई थी। उसको बढ़ा करके और बिहार में जो सुखाड़ की स्थिति है उनका सामना करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठा सकें, इसके लिए भारत सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमने सामान्यरूप से बजट पर 21 घंटे तक चर्चा की है। माननीय सदस्यों ने इस पर बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं और यह स्वाभाविक है कि आप यह जानने के इच्छुक होंगे कि इन कही गई बातों पर सरकार का क्या प्रत्युत्तर है। आप अन्य बातों के बारे में भी इच्छुक हो सकते हैं जांकि आप कहना चाहते हैं। इसलिए मैं आज आप से निवेदन करता हूं कि इस कार्य को अब समाप्त कर दें। बजट पर उत्तर दिए जाने के बाद मैं नियम 377 के अधीन मामलों को लेना चाहता हूं। परन्तु बजट उत्तर दिए जाने से पहले सभा पटल पर रखे जाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण पत्र हैं। आपकी सहति से मैं पत्रों को सभा पटल पर रखने की अनुमति देता हूं और इसके पश्चात् नियम 377 के अधीन मामले लेने की बजाय मैं माननीय मन्त्री से उत्तर देने के लिये निवेदन करूंगा। यदि उत्तर विस्तार से दिया जाए तो यह एक अच्छी बात होगी।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

12.43 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगें और रक्षा सेवा प्राक्कलन 1991-92

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : मैं, श्री शरद पवार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रक्षा मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 268/91]

(2) रक्षा सेवाएं प्राक्कलन, 1991-92 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 269/91]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : मैं संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 270/91]

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

कोयला मत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 516(अ) जो 1 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा कोयले पर रायल्टी की संशोधित दरों के बारे में उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 271/91]

होटल प्रबन्ध खान-पान तथा पोषण संस्थान, नई दिल्ली और होटल प्रबन्ध खान-प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

नागर विमानन तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० ओ० एच० फारुक) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (क) (एक) होटल प्रबन्ध खान पान तथा पोषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 272/91]

(दो) होटल प्रबन्ध, खान पान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, मुंबई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 273/91]

(तीन) होटल प्रबन्ध, खान पान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, मद्रास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 274/91]

(चार) होटल प्रबन्ध, खान पान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 275/91]

(पांच) होटल प्रबन्ध, खान पान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, गोवा के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 276/91]

(छह) होटल प्रबन्ध, खान पान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 277/91]

(सात) होटल प्रबन्ध, खान पान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 278/91]

(आठ) होटल प्रबन्ध, खान पान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 279/91]

(नौ) होटल प्रबन्ध, खान पान तथा पोषण संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 280/91]

(दस) राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध, खान पान प्रौद्योगिकी परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 281/91]

(ग्यारह) होटल प्रबन्ध, खान पान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 282/91]

(बारह) होटल प्रबन्ध, खान पान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, जयपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 283/91]

(तेरह) होटल प्रबन्ध, खान पान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 284/91]

(चौदह) फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, विशाखापत्तनम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 285/91]

(पन्द्रह) फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, गुवाहाटी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 286/91]

(सोलह) फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, ग्वालियर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 287/91]

(सत्रह) फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, अलीगढ़ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 288/91]

(अठारह) फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, उदयपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 289/91]

(उन्नीस) फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 290/91]

(ख) होटल प्रबन्ध, खान पान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, नई दिल्ली,

मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद, गोवा, जयपुर तथा लखनऊ और फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, गुवाहाटी, ग्वालियर, उदयपुर, फरीदाबाद, अलीगढ़ और विशाखापत्तनम के वर्ष 1989-90 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 291/91]

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, संघ सरकार सिविल तथा संघ सरकार रक्षा सेवाएं इत्यादि

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1991 का संख्या 1)—संघ सरकार—सिविल।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 292/91]

(दो) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1991 का संख्या 8)—संघ सरकार—रक्षा सेवायें (सेना तथा आयुध कारखानें)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 293/91]

(2) वर्ष 1989-90 के संघ सरकार विनियोग लेखाओं (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 294/91]

(3) वर्ष 1989-90 के संघ सरकार वित्तीय लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 295/91]

वर्ष 1991-92 के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : मैं वर्ष 1991-92 की ग्रामीण विकास मन्त्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 296/91]

नीति सम्बन्धी उपाय ग्राम उद्यम

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं लघु. अति लघु और ग्रास उद्योगों को प्रोन्नत तथा सुदृढ़ करने के लिए नीति सम्बन्धी उपायों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 297/91]

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी जो कुछ कहा, उसमें मैं सुधार करता हूं। श्री शंकरानन्द सभा को एक शुभ समाचार देना चाहते हैं और मैं उन्हें इसकी अनुमति दे रहा हूं।

12.45 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हाल में की गयी तेल की खोज

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : महोदय, मुझे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हाल ही पता लगाये गये तेल और गैस के बारे में सदन को सूचित करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा हैं बम्बई अपतटीय क्षेत्र में रत्नगिरी क्षेत्र में आर० बी० सी०-1 नामक अन्वेषण कूप में तेल की प्राप्ति हुई है। यह कूप बम्बई के दक्षिण पश्चिम में 100 कि० मी० की दूरी पर अवस्थित है।

61 मीटर गहरे जल में स्थित इस अन्वेषण कूप-आर० बी० सी०-1 का जैक अप रिंग 'एक्स प्लोरर' के जरिये और अवतल में 3425.5 मी० की गहराई तक खुदाई करने पर पता चला। 1988-1991 मी० के दरम्यान और आब्जेक्ट-III की जांच में 1/2" चौक के जरिये 1685 बैरल प्रतिदिन की दर से और 5/8" चौक के चरिये 2177 बैरल की दर से तेल का उत्पादन हुआ। उक्त तेल में 42.7 का ए० पी० आई० गुरुत्व और 114 वी०/वी० का जी० ओ० आर० मौजूद है। हाइड्रोजन सल्फाइड (एच० 2 एस०) तत्व में 12000 से 19000 पी० पी० एम० का अन्तर है। क्षेत्र की उत्पादन जांच 29-7-91 को आरम्भ हो गई। उत्पादन के अन्तराल में बेसिन चूना पत्थर का वैसा निचला भाग बनाता है जो हीरा, पन्ना, रत्ना, बेसिन और बम्बई को अन्य अपतटीय क्षेत्र का तेल और गैस सम्पन्न प्रमुख क्षेत्र है। इस कूप से प्राप्त कतिपय अन्य परतों में भी तेल होने के संकेत मिले हैं।

तेल सम्पन्न संरचना आर०-13 के 2.5 कि० मी० उत्तर में स्थित आर० बी० सी०-I नामक कूप में तेल के मौजूद होने से इस सम्भावना का पता चलता है कि वे दोनों संरचाएं एक साथ मिलकर एक ऐसे बड़े तैलाशय बना सकती हैं जिसका वायवीय फैलाव 20 वर्ग कि०मी० तक का हो सकता है। इसका निश्चित रूप से पता कुछेक और कूपों की खुदाई करने के बाद ही चल सकेगा।

मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि गैस आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन में दो संरचनाओं में मिली है। पेनुमादम और बांडा मुरलंका स्थित अन्वेषण कूपों में की गई जांच से वाणिज्यक मात्रा में गैस का उत्पादन हुआ है।

नरसापुर शहर के उत्तर पूर्व में 18 कि० मी० की दूरी पर अवस्थित पेनुमादम-I कूफ का 26-2-1991 को और 3000 मी० की गहराई तक खुदाई करने पर पता चला। 2477-2471 मी० और 2466-2462 मी० के अन्तराल में की गई जांच के दौरान 20/64" के चोक से 2,13,348 घन

मीटर प्रतिदिन की दर से गैस निकली। उक्त कूप से 54 बैरल प्रतिदिन की दर से कंडेंसेट का उत्पादन हुआ।

बौंडा-मुरलंका-एन-1 नामक कूप अमलापुरम के 10 कि० मी० दक्षिण में स्थित है। इस कूप का 14-12-1990 को पता चला और इसकी 3531 मी० की गहराई तक खुदाई की गई। 3138-3135 मी० के दरम्यान की जांच में 10/64" इन्च के चोंक से 27.036 घन मी० प्रतिदिन की दर से गैस निकली। इस कूप से 203 बैरल प्रतिदिन की दर से कंडेंसेट का उत्पादन हुआ।

दोनों कूपों में तेल भण्डार के अन्य गुण धर्मों क निश्चित रूप से पता करने के प्रयोजन से आगे की जा रही जांच प्रगति पर है।

———

12.47 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मैं राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देती है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 5 अगस्त, 1991 को हुई अपनी बैठक में पारित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1991 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक
राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1991 को सभा पटल पर रखता हूं।

———

12.48 म० प०

बजट (सामान्य), 1991-92 सामान्य चर्चा —[जारी]

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के बजट जिसे 24 जुलाई, 1991 को इस आदरणीय सभा में प्रस्तुत करने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ था, पर सामान्य चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं दोनों पक्षों के सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया, जिसकी विशेषणता यह कि इसमें मेरे बजट में अन्तर्निहित प्रस्तावों की प्रशंसा, चेतावनी और आलोचनाओं का मिश्रण है।

मैं विशेष रूप से अपने रूप मे अपने सम्मानित मित्र श्री जसवन्त सिंह के ज्ञान कौशल, बुद्धिमता, शालीनता, संयम और राजनैतिक दृष्टि से निपेक्ष वित्तमन्त्री के प्रति गहरी हमदर्दी से प्रभावित हुआ हूं, जिसका उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया है। उन्होंने विपक्ष के लिए बड़ी श्रेष्ठता के साथ प्रारम्भिक बल्लेबाज की भूमिका अदा की। इसके बाद श्री इन्द्रजीतगुप्त, श्री चन्द्रजीत यादव, प्रो० निर्मल कान्ति चटर्जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री सुखराम जैसे अनुभवी और दिग्गजों तथा ऐसे अनेक अन्य सदस्यों ने भाषण दिये जिनके गहरे देश प्रेम संसद विदों के रूप में उनकी विद्वता, निपुणता अनुभव तथा निष्पक्षता और शालीनता की भावना का मैं हमेशा प्रशंसा और सम्मान करता रहा हूं। मेरा विचार है कि हमारे

देश के संसदीय परिदृश्य के इन दिग्गजों का कोई सानी नहीं है। ऐसे अवसर पर मैं स्वयं को बिल्लियों के बीच में फेंके गए एक कबूतर की तरह महसूस कर रहा हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसे महान दिग्गजों का सामना करने में स्वयं को कुछ कमजोर सा महसूस कर रहा हूं। किन्तु चूंकि प्रधान मन्त्री मुझेऐसी स्थिति में रख दिया है, तो भी इस कार्य के लिए लिए मैं चाहे जितना भी अशक्त हूं, मुझे अपना कर्त्तव्य तो निभाना ही है।

श्री जसवन्त सिंह राजनैतिक मामलों में मेरी राजनैतिक अनुभवहीनता और अज्ञानता के बारे में काफी चिन्तित थे। मेरे प्रति उनके स्नेह और मेरे चिन्ता के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं किन्तु मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन्हें अपनी ओर से अपने अन्दर राजनैतिक अनुभव की कोई कमी होने का ऐहसास उन्हें नहीं होने दूंगा। मुझे श्रीमती इन्दिरा गांधी से लेकर भारत के सभी प्रधान मंत्रियों के साथ निकट से कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। मैं हमारे देश में भारतीय राजनैतिक परिस्थितियों और राजनैतिक प्रक्रियाओं का सूक्ष्म पर्यवेक्षक करता रहा हूं। मैंने विगत 20 वर्षों के दौरान विजय और त्रासदी; सुख और दुःख; खुशी और गम, सृजनात्मकता और आदर्शवाद की पराकष्ठा के ऐतिहासिक क्षण और निराशा अन्धकार और विषाद की शामें देखी हैं, जो हमारे देश के लोगों के लिए आधुनिकता, सम्मान और आत्मसमान हेतु, हमारे राष्ट्र की खोज में इस प्रजातन्त्र की दुष्कर यात्रा का चित्रण करती हैं।

मैं इतिहास का विशेष रूप से मुगलकाल के बाद के इतिहास का छात्र भी रहा हूं। मैं यह भी जानता हूं कि दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट महान मुगल दरबार की सांस्कृतिक धरोहर से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सका है। छल-कपट का वातावरण और आत्म प्रशंसा की घटिया धूर्ततापूर्ण राजनीति अन्ततः इस महान साम्राज्य, महान आकांक्षा तथा साहस के उद्गम के पतन का कारण रहा। और यदि आपने गिब्बन और मेकरापेय को पढ़ा है, तो आप भली भांति जान सकते हैं कि राजनीति और राजनीतिज्ञ किस तरह के तत्वों के बने होते हैं। इस देश एक महान वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री टी० टी० कृष्णामाचारी कहा करते थे कि यदि कोई वित्त मन्त्री कुछ करना चाहे तो उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली की गलियों में मानव अक्षक रहते हैं। किन्तु ईमानदारी की बात है इस सबकी मुझे चिन्ता नहीं है।

प्रधानमन्त्री ने मुझे एक विशेष कर्त्तव्य निभाने का सम्मान दिया है आज यदि मैं पाता हूं कि मैं अपनी सन्तुष्टि के अनुसार भी इस कर्त्तव्य को नहीं निभा सका तो आप मुझे इन बेंचों में बैठा हुआ नहीं पाओगे। राजनीति के माध्यम के अलावा भी अपने लोगों की सेवा करने के अनेकों अन्य रास्ते हैं। देश भक्ति और लोगों की सेवा करना केवल व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का ही एकाधिकार नहीं है। अतः स्पष्ट होना चाहिये कि मेरे राजनैतिक अनुभव की तथाकथित कमी का अवान्धित लाभ उठाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जा रही है।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : क्या यह उद्धार श्री कृष्णामाचारी के भाषण में से हैं ?

श्री मनमोहन सिंह : नहीं यह उदाहरण नहीं है ?

अभी तक इस सरकार का कार्यकाल केवल 45 दिन का रहा है। वह चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, भारत एक बार फिर से विश्व भर के समाचारपत्रों के मुख्य पृष्ठों पर उभरने लगा है। मुझे याद है, जवाहर लालजी कहा करते थे कि किसी को अच्छा लगे अथवा बुरा भारत की पूछ है और मैं समझता हूं कि भारत फिर से किसी गिनती में आ रहा है। अन्ततः एक उत्साह है कि इस देश ने अपनी सम्पूर्ण सृजनात्मक शक्ति का उपयोग करने का संकल्प लिया है। आप यह मानेंगे कि प्रधान मन्त्री श्री नरसिंह राव राष्ट्रीय परिचर्चा की कार्यसूची में आधारभूत रूप में परिवर्तन करने में सफल हुए हैं।

राष्ट्रीय पुनवीनीकरण के लिए इस नई कार्यसूची का केन्द्रीय बिन्दु एक ऐसी नीति और विश्वसनीय कार्य योजना निर्धारित करना है और जिससे राष्ट्रों पारस्परिक सौहाद्रता में हमारे राष्ट्र को उसका उचित स्थान मिलने में सफलता मिलेगी। कुछ लोग हमारी कार्यसूची से उदारवाद की दिशा में उठाया गया कदम बताते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी इस कार्यसूची का समुचित नाम यह हो सकता है कि इसे भारत की दूसरी स्वतन्त्रता की कार्यसूची कहा जाये—दरिद्रता के चिरकालिक उत्पीड़न से मुक्ति. अज्ञानता तथा रोग जो कि सदियों तक इस देश के करोड़ों लोगों के भाग्य का अभिन्न अंग समझे जाते थे, उनसे मुक्ति, यह एक द्वितीय औद्योगिक क्रान्ति. द्वितीय हरित क्रान्ति के दौर में पदार्पण करने की कार्यसूची है। यह एक प्रगतिशील कार्यसूची है जो कि नये भारत का निर्माण करने के लिए आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के भरपूर सृजनात्मक सामर्थ्य को संचालित करना चाहती है, तथा भारत जो कि तकनीकी तौर पर एकदम परिष्कृत समाज है, आर्थिक रूप से प्रगतिशील तथा सामाजिक रूप से न्यायोचित हैं और यह सभी उपलब्धियां हमें युक्त समाज के ढांचे से ही उपलब्ध हो सकती हैं।

प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था और वैधानिक प्रक्रिया में गहन व स्थाई विश्वास ही ऐसी शक्तियां थीं जिन्होंने जवाहर लाल नेहरु को यह दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया था और 14 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि को जब सारा संसार सो रहा था उन्होंने इसे दृढ़तापूर्वक उजागर किया। भारत एक साहसिक व उद्यमशील नवजीवन में पदार्पण करने सभी सम्बन्धित स्रोतों की सहमति से शान्ति से एक सामाजिक व आर्थिक क्रान्ति का संचालन करने के लिए जाग उठा है। अध्यक्ष महोदय, मानव इतिहास में, और कहीं भी इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया है। हमारे युगपुरुष, महात्मा गांधी का सपना था कि हमारे इस महान देश में रहने वाले प्रत्येक भारतवासी के आंसू पोंछे जायें।

स्वतन्त्रता के पश्चात लोगों को गरीबी के कठोर शिकंजों से छुड़ाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं। अपनी बहुमुखी उपलब्धियों को देखते हुए हमारा राष्ट्र गौरवाचित हो सकता है। लेकिन हमें अभी बहुत कुछ करना है, हमारे देश में अभी बहुत से लोग उत्पीड़ित हैं। पांच सितारा होटलों तथा क्लबों से निकलने वाले हंसी के फव्वारे और उल्लास देश भर में फैली शहरी गन्दी बस्तियों की दुर्दशा व गन्दगी की हंसी उड़ाते हैं। स्वतन्त्रता के 44 वर्ष पश्चात आज भी आप किसी शीतकालीन ठण्डी सुबह किसी युवा महिला को पवित्र गंगा में नहाते और फिर धूप में कपड़े सुखाते हुए देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए उसके पास बदलने के लिए दूसरी साड़ी नहीं है। अतः अधूरे कामों को पूरा करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। यह सब करने के लिए हमें कुछ ऐसी पुरानी योजनाओं को छोड़ना पड़ेगा जिनकी अब कोई भी उपयोगिता नहीं रह गई है। हमें कुछ ऐसे पुराने पूर्वाग्रहों और आशंकाओं को तिलांजलि देनी होगी जिनके लिए इस बदले हुए परिवेष में कोई जगह नहीं है।

जवाहर लाल नेहरु ने स्वतन्त्रता की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये थे वे आज भी वैसे ही हैं जैसे 1947 में थे। किन्तु, जैसा कि पण्डितजी कहते थे कि हम एक गतिशील संसार में रहते हैं। अतः हमें ऐसी नीतियां और योजनाएं बनानी चाहियें जो बदलते समय के साथ गतिशील रह सकें, हमारी सरकार भी यही लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। हम अपने गणतन्त्र के संस्थापकों की आकांक्षाओं तथा उनके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के प्रति सजग हैं। ऐसा केवल उस कारण से हुआ है कि उन लक्ष्यों व आकांक्षाओं के प्रति हम सजग रहे हैं और हमारे नीति गत कार्यों तथा योजनाओं को गतिशील आर्थिक तथा राजनैतिक व्यवस्था की आवश्यकताओं अनुरूप अधतन बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमें वादे निभाने हैं और ऐसा करने के लिए समय-समय पर नीतिगत ढांचे को

पुनर्गठित करना तथा उनका अनुपालन करना अनिवार्य है। हमारी सरकार का अब तक का कार्यकाल केवल डेढ़ महीने का रहा है। लेकिन इस अल्पावधि के दौरान ही हमने राष्ट्रीय परिचर्चा की कार्यसूची को बदल दिया है। मन्दिर-मसजिद और अगड़ी ऐसा लगता है। कि उस राष्ट्र ऐसी राजनीति से उब गया है जो पिछड़ी जातियों के राजनैतिक फूट डालने वाले भावानात्मक विवाद अब फीके पड़ने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि राष्ट्र किसी साथी नागरिक के प्रति शंका, घृणा, अविश्वास फैलाते हैं और जो संकीर्ण पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण की प्राप्ति के लिए सामाजिक तनावों तथा विवादों का लाभ उठाने की ताक में लगे रहते हैं।

1.00 म० प०

यह सरकार एक नई राजनीति की इच्छुक है, एक ऐसी राजनीति जो कि अपना आधुनिकीकरण करने की चेष्ठा कर रहे एक गरीब देश की राजनैतिक व्यवस्था में उत्पन्न विभिन्न सामाजिक तनावों और विवादों में मध्यस्थता करके उनका समाधान करने में सहायक हो। हमने अपने राष्ट्र के समक्ष यही लक्ष्य रखा है। हम इसी नई राजनीति का अनुकरण करेंगे—ऐसी राजनीति, जो सामाजिक संवेदनाओं की गुलाम हो, ऐसी राजनीति जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयोगी उपकरण हो, ऐसी राजनीति, जो ताकत का प्रयोग समाज की भलाई के लिये अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए।

हमारी कार्यसूची में हमारे देश की चुनोतियों का सामना करने और नई विश्व अर्थव्यवस्था के अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता पैदा करना शामिल है। ऐसा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जो परस्पर एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर है। राष्ट्रों की परस्पर बढ़ती अन्तनिर्भरता हमारे विश्व के पर्यावरण तथा आवश्यक जीवन-वर्धक प्रणालियों के समक्ष पेश आई गम्भीर खतरों से प्रकाश में आई है। विश्व भर का एक ही पर्यावरण है। और चूंकि तीन-चौथाई मानव जाति तीसरे विश्व में रहती है, अतः पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करने में हमारा भी स्वार्थ निहित है। बिश्व, बहुत से अर्थों में, सिमट-कर रह गया है और इस समय की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम विश्व की परस्पर अन्तर्निर्भंता का सुव्यवस्थित और बराबर प्रबन्धन सुनिश्चित करें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहे।

(**व्यवधान**)

श्री मनमोहन सिंह : पार्थक्य अथवा आत्म-निर्भरता न तो व्यवहार्य है न ही वांछनीय। अतः हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी सुदृढ़ प्रतिस्पर्धाकारी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जो विश्व की अर्थव्यवस्था के सुचारू कार्यकरण अपना समुचित योगदान कर सके, जो हमारी सामर्थ्य, हमारे लोगों की इच्छाओं और हमारी सांस्कृतिक परम्परा के अनुरूप हो। इस सबके लिए हमारा प्रेरणा-स्रोत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक नहीं है। इसकी प्रेरणा हमें महात्मा गांधी से मिली है जिन्होंने कहा था :

> "मैं अपने घर को चारों चार-दीवारी से नहीं बांधना चाहता हूं और न ही मेरी खिड़कियों में पाट लगे होने चाहियें···"

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से वित्त मन्त्री के भाषण में बाधा न डालने का आग्रह

करूंगा। यदि आप एयर फोनों का प्रयोग करेंगे तो आप इसका हिन्दी अनुवाद भी सुन पायेंगे और यह आरम्भ होने जा रहा है।

अब, वित्त मन्त्री को बहुत से मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी हैं और यदि आप उन्हें इसी प्रकार टोकते रहेंगे तो आपको शायद उठाये गये मामलों पर सरकार के विचारों से अवगत नहीं हो पायेंगे।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि क्या हम वित्त मन्त्री के भाषण को समझा रहे हैं या नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं यह मैं अच्छी प्रकार समझता हूं। किन्तु सदन की कुछ परम्पराएं और कुछ नियम हैं। सामान्यत:, बजट भाषण तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण के अतिरिक्त कोई अन्य भाषण पढ़ा नहीं जाता है और बजट पर हो रही चर्चा का उत्तर राष्ट्रपति के अभिभाषण के रूप में नहीं दिया जाता है। सदस्य इसी बात पर आपत्ति जता रहे हैं और वे वित्त मन्त्री महोदय के राजनीतिक अनुभव की कमीं पर आपत्ति करते हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : मन्त्रीगण उत्तर देते समय भाषण पढ़ने के अधिकारी हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : उत्तर सदन में उठाये गये मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप वित्त मंत्री को लिखित भाषण सभा-पटल पर रखने और मुद्दों को उठाने के लिए कह सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस प्रकार नहीं, आप कृपया बैठ जायें। श्री इन्द्रजीत, कृपया ऐसा न करें। कम समय में बहुत से मुद्दों पर बोलने के लिए बिना तैयारी के संक्षिप्त भाषण दिए गए हैं किन्तु कभी-कभी लिखिए भाषण भी पढ़े जाते हैं। मैं अनुमति दे रहा हूं और तत्पश्चात सम्भवता प्रत्येक दल के एक या दो सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने का अवसर मिलेगा। हमें समय को बचाना चाहिए क्योंकि यह एक अनमोल वस्तु है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार व्यवधान न डालें। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री मनमोहन सिंह : मैं यह कह रहा था कि इस सबके लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक मे प्रेरणा नहीं मिली है। यह प्रेरणा हमें स्वयं महात्मा गांधी से मिलेगी और मैं एक उद्धरण देता हूं :

> "मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों ओर दीवारों से बंधा हो और मेरी खिड़कियों में पाट लगे हों। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसी प्रकार बीच में बोलते रहेंगे तो मुझे कड़ी आपत्ति करनी होगी।

श्री मनमोहन सिंह : "मैं हर देश की संस्कृति को अपने घर में स्वच्छन्द विचरण करने देना चाहता हूं। किन्तु इनमें से किसी संस्कृति द्वारा मेरे पांव उखाड़ने की चेष्ठा किया जाना मुझे मंजूर नहीं है। मैं दस्तंदाज अथवा भिखारी अथवा दास के रूप में किसी दूसरे के घर में रहना नहीं चाहूंगा।"

अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें सुसंगत और अनुकूल नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है। यही हम करना चाहते हैं।

श्री जसवन्त सिंह ने मुझे काफी सलाह दी जो मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मैं उनकी विशेषकर इस सलाह को बहुत गम्भीरता से लेता हूं कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा दिल्ली परिवहन निगम द्वारा ली जा रही भारी बजटीय राज सहायता के बारे में कुछ किया जाना चाहिए, जब श्री जसवन्त सिंह इस विषय पर बोल रहे थे तो मैंने देखा कि विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी की भौंहे तन गई थीं। मैंने यह भी देखा कि जब श्री जसवन्त सिंह यह टिप्पणी कर रहे थे तो अदम्य साहसी माननीय श्री मदन लाल खुराना सदन में उपस्थित नहीं थे, मुझे आशा है कि श्री जसवन्त सिंह के विचार भा० ज० पा० के लोगों तथा उनके दिल्ली के समर्थकों के विचारों को ही व्यक्त कर रहे थे। मैं दिल्ली में तथा अन्यत्र दी जाने वाली राजसहायता का बोझ कम करने के लिए उनकी सहायता लेना चाहूंगा। (व्यवधान)

कई माननीय सदस्यों ने संकट की इस स्थिति को गम्भीर बताया है और कुछ ने यह मेरे पर आरोप भी लगाया है कि शायद मैंने आर्थिक संकट के सम्पूर्ण मामले का बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन किया है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हाथों भारत को बेचने का रास्ता मिल जाए। मैं चाहता हूं कि जिस आर्थिक स्थिति का हमने सामना करना है वह इतनी गम्भीर न हो जितनी कि यह है। स्थिति की गम्भीरता से आंखें मूंद लेने और यह मानकर चलने से कि हम पहले की तरह बेधड़क व्यय कर सकते हैं तथा प्रत्येक को राजसहायता दे सकते हैं और वह भी उसी गति से जिसके हम आदी हो चुके हैं या फिर हमें निवेश की कम उत्पादकता के कारणों से कोई लेना देना नहीं है, यह गम्भीर अनुत्तरदायित्व का कार्य है जिसके लिए भावी पीढ़ियां हमें कभी भी माफ नहीं करेगी।

विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से हमने जितना सम्भव हो सका आयात में कटौती की है। अपनी अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए बिना हम आयात में और कटौती नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि इस समय हमारे भुगतान सन्तुलन में असहनीय घाटा है जिससे हमारे मुद्राकोष का स्तर घटा है, वित्तीय घाटा हुआ है और आर्थिक प्रबन्धन में शिथिलता आई है। इस कारण केवल कुछ ही देश, सरकारें और संस्थाएं हमें ऋण देने की इच्छुक हैं। हम में विश्वास की अत्यधिक कमी है। कुछ सप्ताह पहले तक अनिवासी जमाकर्ता धन भेजने के बदले प्रति सप्ताह 100 करोड़ से 150 करोड़ रु० की दर से देश से अपना धन निकालते रहे। हमें इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि ऋण से दबे देश की सहायता करने के लिए आने वाली भारतीय बड़ी मात्रा में धन भेज देंगे, जब हमारे राजनीतिक तथा सिविल कर्मचारी अनिवासी भारतीयों के प्रतिनिधियों के साथ खाने की मेजों पर मीठी व विवेकपूर्ण बातचीत करते हैं तो वह बातचीत दुर्भाग्यवश कठिन व निराशाजनक आर्थिक वास्तविकताओं से परे होती है। जब तक हम अपने देश की आर्थिक स्थिति सुव्यवस्थित न कर दें तब तक इस, गलतफहमी में न रहें कि अनिवासी भारतीय बड़ी मात्रा में धन भेज देंगे।

सत्ता में आने के बाद यदि हमने कठोर कदम न उठाये होते तो हम अब तक अपने देश को अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व न निभाने का दोषी घोषित कर चुके होते और एक ऐसी स्थिति, जिसमें उर्वरक तथा डीजल जैसी आवश्यक वस्तुएं आयात करने हेतु हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं हैं इस असमर्थता के परिणाम अभूतपूर्व होते जिसमें हमारे देश में आर्थिक तथा वित्तीय प्रक्रियाओं में बाधा पड़ने के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होती और मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होती। सच तो यह है कि इस समय हम अपने देश में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास जुटाने पुनः कायम करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों व अनिवासी भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि भारत अभी भी सक्षम है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहारे की आवश्यता है। हमें अपने देश को सुव्यवस्थित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आगामी दो या तीन वर्षों के लिए सहायता की आवश्यकता रहेगी। लेकिन सदन इस बात से

आश्वस्त रहेगा कि यद्यपि शर्तें अनिवार्य हैं, फिर भी हम कोई ऐसी शर्त मंजूर नहीं करेंगे जो हमारे मूलभूत राष्ट्रीय हितों के अनुकूल न हो। मुझे विश्वास है कि पिछले 45 दिनों में हमने जो कुछ किया है वह हमारे देश के बृहत् राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है। हमें ठोस वित्तीय समायोजन तथा मूलभूत ढांचागत सुधारों सम्बन्धी विश्वसनीय कार्यक्रम की आवश्यकता है चाहे हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता मिले अथवा नहीं।

एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की ओर जाने वाले हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को झेलने के लिए हमें यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सहारा नहीं मिलेगा तो ऐसे सुधार करने से सम्बद्ध पीड़ा और अधिक होगी।

हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता लेने के बारे में आशंकित नहीं होना चाहिये। हमने विगत में जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा गांधी के प्रधानमन्त्रित्वकाल में भी बहुत बार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया है।

चीन अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता लेने वाला सक्रिय देश है। रूस अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करने का इच्छुक है। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने हाथ न फैलाने वाला नकारात्मक अध्यादेश पारित करना हमारे लिए विवेकपूर्ण नहीं होगा।

मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक भारत को ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं हैं। मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक के पास जाने के हित में नहीं होता यदि देश वित्तीय अनुशासन और ढांचागत सुधार की बात नहीं मानता। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि असहनीय वित्तीय घाटे का होना तथा मूलभूत ढांचागत सुधारों की आवश्यकता को नकारने से यह देश सदा दरिद्र रहेगा और यहां निम्न जीवन स्तर होगा और इससे देश विश्व अर्थ-व्यवस्था में पिछड़ता जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी और कुछ अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण से सम्बद्ध शर्त के बारे में हमें सदन को विश्वास में लेना चाहिये। वास्तव में यह शर्त इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि हमारा देश ऋण चुकाने में समर्थ होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोई धर्मार्थ संगठन नहीं है और हम भिक्षा नहीं मांग रहे हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ठीक कहता है और मैं इस बात से सहमत हूं कि इस देश को अपने अन्दर व्याप्त वित्तीय अव्यवस्था पर नियन्त्रण पाना चाहिये और इस सन्दर्भ में मैं यह बता दूं कि वित्तीय सुधारों सम्बन्धी उद्देश्य अन्तार्ष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे जिस पर श्री चन्द्रशेखर को अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी सरकार ने इस सदन को यह वचन दिया कि वर्ष 1991-92 में वे वित्तीय घाटे को सफल घरेलू उत्पाद के 6.5 प्रतिशत तक लायेंगे और आगामी दो या तीन वर्षों में इसे और नीचे 4 प्रतिशत तक लायेंगे। यदि यह देश और यह संसद उन उद्देश्यों को स्वीकृति प्रदान करे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रगति के पथ पर चल पड़ेंगे।

अगर श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके आर्थिक सलाहकारों या श्री ज्योति बसु और उनके आर्थिक सलाहकारों अथवा श्री वी०पी० सिंह और उनके आर्थिक सलाहकारों अथवा श्री चन्द्रशेखर और उनके आर्थिक सलाहकारों के पास वित्तीय घाटे को कम करने के बारे में हमारे तरीके से बेहतर कोई तरीका है तो मैं खुले दिमाग से इस बारे में उनके साथ विचार करने के लिए तैयार हूं।

इसी तरह, जब तक भारत के निर्यात में और तेजी से वृद्धि नहीं होती तब तक हमारे जमा की

दर में सुधार नहीं हो सकता है। अगर आप और अधिक मात्रा में उर्वरक अथवा पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करना चाहते हैं तो आपको अधिक मात्रा में निर्यात करना पड़ेगा चाहे वहां अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न भी हो और आप तब तक निर्यात कैसे बढ़ा सकते हैं जब तक कि यह लाभकारी न हो, जब तक कि हम अफरशाही सम्बन्धी देरी को दूर नहीं करते जो कि निर्यात संवर्धन में बाधक होती हैं, जब तक कि हम अपने उद्योग का आधुनिकीकरण नहीं करते और प्रतियोगिता की स्थिति पैदा नहीं करते ताकि लोगों को लागत कटाने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन मिले। यह व्यापार नीति सुधार और औद्योगिक नीति सुधार की तर्क संगति है। हमें इन सुधारों की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समर्थन के लिए नहीं अपितु एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है।

कई सदस्यों ने तर्क दिया है कि यह बजट और हमारी आर्थिक नीतियां उद्योग-हितेषी हैं, कि हम श्रमिक विरोधी हैं और यह बजट ग्रामीण विरोधी है, मैं समझता हूं कि यह सत्य नहीं हैं। हमारे द्वारा अपनाई गई सफल आर्थिक नीति के कारण एक अवधि पश्चात भारतीय उद्योग को संरक्षण देने की आवश्यकता में कमी आएगी। इस देश में उद्योगों को आवश्यकता से अधिक संरक्षण देने से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से गहरा पक्षपात किया जा रहा है और शहरी-ग्रामीण आय तथा सम्पत्ति में बढ़ते अन्तर का मूल कारण है। मैं कृषि के प्रति इस पक्षपात को धीरे-धीरे कम करना चाहता हूं ताकि इससे हमारे उद्योगों को भी आघात न पहुंचे। मेरे कर सम्बन्धी प्रस्ताव, हमारे उद्योगों में गहन पूंजीगत प्रौद्योगिकी और प्रसंस्करण के पक्ष में गहरे पक्षपात को कम करने के लिए है। समय बीतने के साथ-साथ में प्रस्ताव रोजगार के अवसरों में अभिवृद्धि करेंगे। मेरे द्वारा विविध कृषि प्रसंकरण उद्योगों को उत्पाद करों में दी जाने वाली छूट से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण पर केन्द्रित, दूसरी कृषि सम्बन्धी क्रांति के लिए भारी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी और रोजगार की खोज में महानगरों को जाने वाले श्रमिकों की संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा अगर हमारी आर्थिक नीति सफल होती है तो हम ग्रामीण भारत के लिए अपर्याप्त प्रशासनिक संसाधनों के साथ-साथ भारी वित्तीय संसाधनों को भी उपलब्ध करा पाएंगे। गुणवत्ता वाली सामाजिक सेवाओं के प्रावधान भौतिक संरचना और रोजगार के अवसरों पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहूंगा कि वे सभी जो ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बीच अन्तर को पाटने के लिए ईमानदारी से इच्छुक हैं उन्हें अधिक प्रतियोगी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के पक्ष में हमारी नीति के मूल कथन का समर्थन करना चाहिए जो लोग यह विश्वास करते हैं कि ग्रामीण जन का कल्याण राज सहायता या भीख के आधार पर किया जा सकता है वे ऐसा कहकर ग्रामीण भारत की समस्या के लिए दीर्घकालिक समाधान हेतु कोई मूलभूत सुधार की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि केवल उपशमन कर रहे हैं।

वित्तीय नीतियों तथा नई औद्योगिक नीति को श्रमिकों के विरुद्ध करार देकर उनकी अनुचित आलोचना की गई है। यह सत्य नहीं है अगर हमारी नीति सफल होती है तो उद्योगों में रोजगार के अभूतपूर्व अवसर पैदा होंगे। घरेलू और विदेशी स्तर पर प्रतियोगिता उत्पन्न करने के कुछ अन्तर्वर्ती समस्याएं पैदा होंगीं। तथापि ये अजेय में और हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन की लागत का बोझ श्रमिक वर्ग पर न पड़े, कुछ प्रभावी सामाजिक सुरक्षा जाल तैयार करेंगे। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना हमारी सरकार की श्रमिक के सभी वैध हितों की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्प का परिचायक है। मेरी इच्छा है कि मैं आर्थिक नीति सुधार के सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं को बुलाओ। हमारी यह भी इच्छा है कि उन्हें अन्तवर्ती समस्याओं से

निपटने हेतु एक व्यवहार्य पैकेज तैयार करने से पूरी तरह संबद्ध किया जाए मैं श्रमिकों तथा उनके प्रतिनिधियों को एक बार फिर आश्वासन देता हूं कि समायोजन और संरचनात्मक इस प्रकार से लिए जायेंगे ताकि उनके वैध हितों की पूरी रक्षा की जा सके।

इस सदन में बहस के दौरान राजीव गांधी फाउंडेशन की बात कही गई है। सदन को याद होगा कि अपने बजट भाषण में मैंने उल्लेख किया था कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के कार्यों और स्मृति के सम्मान में सरकार राजीव गांधी फाउन्डेशन को राष्ट्रीय विकास सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता जैसे प्रशंसनीय उद्देश्यों हेतु, पांच वर्षों की अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपयों की धनराशि देगी इसके बाद मैंने इस सम्मानीय सदन को 2 अगस्त, 1991 को सूचित किया था कि सरकार को फाउन्डेशन से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें सरकार को धनराशि देने की इच्छा के लिए धन्यवाद किया गया था और यह सुझाव दिया गया था कि इस इच्छा को पूरी करने का बेहतर तरीका यह होगा कि सरकार उपयुक्त परियोजनाओं और कार्यक्रमों का चयन करे उन्हें आर्थिक सहायता दे और अपनी निगरानी के अन्तर्गत इन्हें कार्यान्वित करे। मैंने सदन को 2 अगस्त, 1991 को सूचित किया था कि सरकार ने फाउन्डेशन के सुझावों को स्वीकार कर लिया था। यह निर्णय लेते समय सरकार ने इस सदन के दोनों पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को भी ध्यान में रखा था। तदनुसार, फाउन्डेशन को पांच वर्षों की अवधि के दौरान की जाने वाली सौ करोड़ की राशि अब नहीं दी जाएगी, इसके वजाए सरकार स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रिय परियोजनाओं और कार्यक्रमों का चयन करेगी। उनकी प्रेरणादायी स्मृति में इस परियोजनाओं और कार्यक्रमों का नाम स्वर्गीय गांधी के नाम पर रखा जाएगा। सरकार इन परियोजनाओं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगी।

अब मैं उस विषय पर आता हूं जिसको लेकर इस सदन में बहुत सी भावनाओं को उभाड़ा गया और वह है बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति हमारा रवैया कई माननीय सदस्यों ने हमारे देश में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश और स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिक विकास और हमारी आत्म निर्भरता पर इनके प्रभाव के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की है, मैं इन उद्गारों के पीछे छिपी राष्ट्रीय भावना की प्रशंसा करता हूं तथापि, इस मुद्दे पर वृहद परिप्रेक्ष्य में तथा वर्तमान वास्तविकताओं के संदर्भ में विचार किए जाने की आवश्यकता है। हम अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार निवेश और विस्तार करने जा रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यय 20 करोड़ रुपए था जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना और गैर योजना व्यय सहित यह बढ़कर 8500 करोड़ रुपए हो गया इतना भारी पूंजी निवेश करने के बावजूद भी हमारे देश में प्रौद्योगिकी विकास इस पर व्यय किए गए धन की तुलसा में अव्यय कम हुआ हैं, हमारे उद्योगों में उत्पादकता वृद्धि और तकनीकी विकास अन्तर्राष्ट्रीय विकास की तुलना में कहीं पीछे रहा है विशेष रूप से हमारे भारी सामान उद्योग के कई खडों विशेषकर ऊर्जा संरक्षण प्रोद्योगिकियों में प्रौद्योगिकी उन्नयन किए जाने की भारी आवश्यकता है, भारत के प्रोद्योगिक विकास के एक प्रमुख स्तम्भ रांची स्थिति हैवी इलैक्ट्रिकल कारपोरेशन की वर्तमान शोचनीय स्थिति मुझे दुखी करती है।

इन चालीस वर्षों के दौरान विभिन्न आई०आई०टी० सहित हमने कई नए संविधान स्थापित किए हैं, जो भी जवाहर लाल नेहरू के अनुसार "जो हमें उच्च क्षमता के ऐसे वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकीविद प्रदान करेंगे जो अनुसंधान अभिकल्प का कार्य करेंगे तथा प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता के मामले में राष्ट्र को आत्म निर्भर बनाने में सहायक होंगे।"

इन संस्थाओं को आर्थिक विकास की प्रक्रिया से पर्याप्त रूप से सम्बन्ध नहीं किया गया है।

हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता का कुल मिलाकर कम प्रयोग हुआ अथवा प्रयोग ही नहीं हुआ है। एक आई०आई०टी० इंजीनियर कर ही क्या सकता है जबकि अर्थव्यवस्था का पर्याप्त रूप से विकास न हो रहा है और उसे आवश्यकता से अधिक संरक्षण दिया गया हो जिसमें उद्यमियों को माल की लागत घटाने अथवा उसकी गुणवत्ता में क्या उत्पाद डिजाइन में सुधार करने के लिए कोई प्रोत्साहन ही न दिया जाए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक प्रतिमा पलायन अब 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच है जो उनके द्वारा लिए गए विषय पर निर्भर करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अमरीकी बाजारों के लिए उत्पाद तैयार कर रहे हैं। हम अक्सर अमरीका में रहने वाले अपने ही आई०आई०टी० इंजीनियरों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे हैं। इसलिए क्या अब हमारे लिए यह उचित समय नहीं हैं कि हम स्थिति को बदलें ताकि हमारे इंजीनियरों और हमारे प्रौद्योगिकीविदों को हमारे देश में ही आधुनिक प्रौद्योगिकी को विकसित करने, अनुकूल बनाने और अपनाने का अवसर मिले? हमारे आई०आई०टी० इंजीनियर विदेशों में बहुराष्ट्रीकी के लिए क्यों काम करें? बहुराष्ट्रिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अवसरों के साथ भारत क्यों नहीं आ सकते, जिससे हमारे युवा स्नातकों को सीखने तथा अनुभव प्राप्त करने का, ऐसा अनुभव जो स्वदेशी दक्षता का विकास करे और जिससे पूरा देश लाभान्वित हो, मार्ग प्रशस्त हो?

नई औद्योगिक नीति और हमारी अर्थव्यवस्था की पुन: संस्थाम का काफी समय से लम्बित पड़ा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को इस देश में रहने तथा राष्ट्रीय विकास में सक्रिय योगदान देने हेतु नए तथा अधिक अवसर प्रदान करेंगे।

हमारी योजना के दो पहलू हैं, हमारे व्यवसायियों, उद्योगपतियों में धन पैदा करने के लिए उद्यमिता की भावना तथा पश्चिम शक्ति पैदा करना और दूसरे, कमजोर और गरीब लोगों को शोषण से बचाना तथा उनके विकास के लिए आधारभूत आवश्यकतायें और अवसर सुनिश्चित करना है। अब सरकार ये आधारभूत आवश्यकतायें, समाज सेवायें प्रदान करने तथा ग्रामीण कृषि उद्योग के निर्माण के द्वारा ग्रामीण विकास का विकेन्द्रीकरण करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान देगी। इसलिए, यहां तक कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को खुला रखते हैं और अपने औद्योगिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बन जाते हैं, हम गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास के लिए भी अपने प्रयासों को तेज करने की भी योजना बना रहे हैं। अतः हम विकास के लिए हमारी अपनी नई योजना तैयार कर रहे हैं। हमारी नई आर्थिक रणनीति तथा नई योजना हमारी अपनी संस्कृति, परम्परा तथा लोकापार जो विश्वास और लोकतन्त्र पर आधारित है, में होंगीं।

परन्तु जहां हमें अपनी परम्पराओं और संस्कृति पर गर्व है, वहां हमें बाकी विश्व में हो रही घटनाओं के प्रति सजग रहना चाहिए और समयानुरूप बदलना चाहिए। इस मामले में मैं आधुनिक भारत के सन्त, स्वामी विवेकानन्द का उद्धृत करता है।

"पुरातन के प्रति अपने समस्त स्नेह तथा अपनी देश भक्ति और श्रद्धा के साथ मैं सोचता हूं कि हमें अन्य देशों से बहुत सी बातें सीखनी हैं। हम भारत के बाहर के विश्व के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। यह हमारी मूर्खता थी कि हमने यह सोचा कि हमने दासता के हजार वर्षों का जुर्माना चुका दिया है। कि हमने घटनाओं की अन्य देशों से तुलना नहीं की, हमारे

आसपास हो रही घटनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया, यह भारतीय मानस के तन का एक बड़ा कारण रहा है। हमने जुर्माना चुका दिया है, हमें ऐसा और नहीं करना चाहिए।"

अब मैं कीमतों के विषय पर आता हूं। कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि बजट मुद्रा स्फीति कारक है।

इस सम्बन्ध में मैं उनकी आशंकाओं से सहमत नहीं हूं, परन्तु मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। यदि जिम्मेदार लोग प्रचार माध्यमों का प्रयास दिन प्रतिदिन अभाव की एक मनोवृत्ति बनाने के लिए करते हैं, यह आशंका पैदा करते हैं कि भारी मुद्रा स्फीति होने वाली है, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जब आधारभूत आर्थिक ताकतें विपरीत संकेत दे तो भी आप उस परिणाम को भली-भांति सम्पादित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि औसतन, हमारे देश में प्रत्येक घर आधा किलोग्राम अधिक खाद्य तेल, आधा किलोग्राम अधिक चावल, आधा किलोग्राम अधिक चीनी इकट्ठा शुरू कर दे तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इससे ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विनाश हो जाएगा। अत: मैं इस देश में जनमत के सभी नेताओं से यह निवेदन करता हूं कि ऐसे समय में, जब यह देश कठिन आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है, देश में आत्म-विश्वास और संयम की भावना बनाए रखना हमारा सभी का राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। बजट में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत वित्तीय घाटों को कम करने की कोशिश की गई है। श्री चन्द्रशेखर ने ऐसा कर दिया होता। परन्तु किसी कारणवश उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा करना मेरे भाग्य में लिखा था। हमारे बजट में राजस्व घाटे को तथा बचत घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत कम किया गया है। इस देश में विगत में एक वर्ष में ऐसा भारी वित्तीय सुधार कभी नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि यदि हम कड़ा वित्तीय तथा आर्थिक अनुशासन बनाए रखते हैं तो हम मुद्रा स्फीति सम्बन्धी आशंकाओं पर नियन्त्रण पा सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि की दर 1990-91 की 13 प्रतिशत की तुलना में कम होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने विनिमय दर में हाल ही में किए गए समायोजन तथा विभिन्न बजट करों के वृद्धि के मुद्रास्फीति कारक प्रभाव का जिक्र किया है। मैं कुछ मूल्य वृद्धि कारक तत्वों के अस्तित्व से इन्कार नहीं करता जो मूल्य स्तर पर ऊपर की ओर दबाव डालेंगे। परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि हम कड़ा वित्तीय और आर्थिक अनुशासन कायम रखते हैं, जिसका मैंने प्रस्ताव किया है, तो इस वर्ष मूल्य वृद्धि में कमी की जा सकती है। ऐसे देश में जहां राष्ट्रीय आय में विदेशी व्यापार का अनुपात थोड़ा है, विनिमय दर सामान्य मूल्य स्तर पर ऊपर की ओर अधिक दवाव नहीं डालेगी, बशर्ते कि वित्तीय और आर्थिक नीतियों में पर्याप्त सख्ती बरती जाए।

मैं आगे इस बात की ओर इशारा करना चाहता हूं कि कुल मिलाकर संसाधन एकत्र करने की नीति पहले से कहीं अधिक प्रत्यक्ष कर उपायों पर निर्भर है जिससे मूल्य स्तर पर भारी प्रभाव कम होगा।

कई माननीय सदस्यों ने मूल्यों को जुलाई, 1990 के स्तर पर लाने के कांग्रेस के वायदे का जिक्र किया है। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्ध के अनुरूप मैंने हमारी पार्टी के घोषणा-पत्र में उल्लिखित आम उपभोग की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क को कम करने या हटा देने की कोशिश की है। वित्तीय संसाधनों की भारी कमी के बावजूद मैंने मिट्टी के तेल की कीमत घटा दी है। मैंने कई कृषि-प्रसंस्करण उत्पादों पर से उत्पादन शुल्क हटा दिया है। मैं आगे यह प्रस्ताव करता हूं कि हमें आवश्यक वस्तुओं के उत्पादकों

से सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठने का निमन्त्रण देना चाहिए ताकि हम इन वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण हेतु कोई तरीका ढूंढ़ सकें। इस चर्चा का उत्तर देने के शीघ्र पश्चात मैं यह कहना चाहता हूं।

कई माननीय सदस्यों ने रसोई गैस की कीमत का उल्लेख किया है। मैं सार्वजनिक रूप से कह चुका हूं और मैं इस सभा के समक्ष कहता हूं कि मैं इस देश में रसोई गैस का प्रयोग करने वाली सभी गृहणियों से क्षमा चाहता हूं। परन्तु यह एक दुःखद कार्य है जो मुझे करना पड़ा। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि अक्तूबर, 1990 में जब सभी पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की गई थी और जब मिट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ा दी गई थी, जब डीजल की कीमत भी बढ़ा दी गई थी तब कुछ बाहरी कारणों से रसोई गैस अछूती रह गई थी। उसका परिणाम यह है कि मुझे उत्तराधिकार मैं ऐसी स्थिति मिली है जिसमें रसोई गैस के उत्पादन पर 1000 करोड़ रुपये का वार्षिक बजटीय राज सहायता दी जाती है। घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस की कीमतें फरवरी, 1986 से नहीं बढ़ाई गई हैं। उसी समय से, पांच वर्ष से अधिक समय से, अन्य सभी पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर मोटर स्प्रिट की कीमतों में 98.2% वृद्धि हुई है और डीजल की कीमतों में 45.8% वृद्धि हुई है। मिट्टी के तेल की कीमतें भी पिछले पांच वर्षों से 12.5% अधिक हैं। 24 जुलाई, 1991 को मेरे बजट भाषण में दी गई पिछली तालिका के बाद इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि अक्तूबर, 1990 में भी जब सभी पैट्रोलियम पदार्थों के घरेलू मूल्यों में 25% वृद्धि की गई थी, रसोई गैस के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किरा गया था। बजट में घोषित रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि स्पष्टतया आवश्यक थी, यह वृद्धि अफसोसजनक परन्तु अपरिहार्य है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसके बाद भी उपभोक्ताओं को काफी राजसहायता मिली हुई है। हाल में हुई मूल्य वृद्धि से पहले रसोई गैस सिलेण्डर का उपभोक्ता मूल्य 58 रुपए से 60 रुपए तक था जबकि प्रति सिलेण्डर पर अनुमानित लागत लगभग 130 रुपए बैठती थी। इससे स्पष्ट है कि प्रति सिलेण्डर 70 रुपए राजसहायता दी जाती है और इस प्रकार अकेले रसोई गैस पर ही 906 करोड़ रुपए का भार वहन करना पड़ता है।

इस मद पर 20 प्रतिशत मूल्य वृद्धि करने के बाद प्रति सिलेण्डर उपभोक्ता मूल्य में 12 रुपए की वृद्धि हो गई है। इस प्रकार प्रति सिलेण्डर पर कभी भी 60 रुपए की राजसहायता दी जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि देश में तेल उद्योग को रसोई गैस पर अभी भी 780 करोड़ रुपए का भार वहन करना पड़ रहा है।

अब मैं उस विषय की अर्थात उर्वरक राजसहायता पर चर्चा करूंगा जिसे सभा में सभी सदस्यों ने गम्भीरता से लिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, इस सम्मानीय सभा में दोनों पक्षों ने राजसहायता के भारी वोझ को कम करने के लिए उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि करने के बारे में मेरे बजट भाषण में सरकार के निर्णय की घोषणा के प्रति सशक्त विचार व्यक्त किए हैं। अपने बजट भाषण में मैंने उक्त कटौती के औचित्य का उल्लेख भी किया था कि उर्वरक मूल्यों का स्तर वही है जो 1981 में था जबकि तब से कृषि उत्पादों का खरीद मूल्य और बाजार मूल्य लगभग दुगना हो गया है। उर्वरक मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि से पहले 1891-92 में उर्वरक राजसहायत्ता का अनुमानित भार लगभग 6000 करोड़ रुपए था जो कि वित्तीय असंतुलन में वृद्धि का मुख्य कारण था। लेकिन मैंने अपने बजट भाषण में इस सभा और अपने किसानों को आश्वासन दिया था कि खाद्यान्नों और अन्य कृषि मदों के खरीद मूल्यों में समुचित वृद्धि करके उर्वरकों के मूल्यों में की गई वृद्धि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सरकार उक्त वायदे के प्रति दृढ़ संकल्प है ताकि उर्वरक मूल्यों में हुई वृद्धि का किसी भी प्रकार से कृषि कारोबार की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव

न पड़े । अपने किसानों के समर्थन में एक अन्य उपाय के रूप में अब मेरा प्रस्ताव यह है कि उर्वरक मूल्यों में बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 40 प्रतिशत की वृद्धि न करके अब औसतन 30 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी । **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडडे (विजयवाड़ा) : यह वृद्धि बहुत अधिक है। उन्हें इसमें कटौती करनी चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : मुझे अपना भाषण समाप्त करने दीजिए । **(व्यवधान)**

इस विषय पर मेरा भाषण अभी पूरा होना बाकी है ।

(व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुनें ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आप इस प्रकार वृद्धि कैसे करेंगे ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय पाकिस्तान और बांग्लादेश में उर्वरक मूल्य हमारे देश से कम हैं ।

...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

रामनाथ मेनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है । आप किसानों को दस परसेंट की भीख दे रहे हैं ।...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आपने अपने विचार उस ढंग से व्यक्त कर दिए हैं जिस ढंग से आप करना चाहते थे । अब हमें वह बात भी सुननी चाहिए जो ये अन्य मुद्दों पर कहना चाहते हैं ।

...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । आप बार-बार बोलते रहेंगे । आप बैठ जाइए ।

...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : उन्होंने इस विषय के केवल एक भाग की चर्चा की है । उन्हें इसे पूरा करने दें ।

श्री मनमोहन सिंह : सभा में दोनों पक्षों में इस बात की चर्चा हुई है कि खरीद मूल्य में वृद्धि उन किसानों के लिए कारगर रूप से प्रतिपूरक सिद्ध होगी जिनका उत्पादन बाजार के लिए होता है और विशेषकर उन किसानों के लिए प्रतिपूरक सिद्ध होगी जिनके पास बार बिक्री हेतु काफी उपज होती है ।
...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से नहीं। आप उनको पूरा बोलने दीजिए, उसके बाद।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा ठीक नहीं समझता। इस प्रकार आप कुछ भी अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पायेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आधी बात पर अपना रिऐक्शन मत दीजिए। पूरी बात सुनने के बाद···। ऐसा बीच-बीच में मत टोकिए।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : यह भी तर्क दिया गया है कि खरीद मूल्य में वृद्धि करने से उन छोटे व सीमान्त किसानों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी जिनके पास बाजार बिक्री योग्य बहुत कम उपज होती है अथवा जो अधिकांशतः अपनी ही खपत के लिए पैदा कर पाते हैं। इस तर्क में मुझे कुछ वजन महसूस होता है। (व्यवधान)

इसलिए मैं मानता हूं कि अपने बजट की मूल अवधारणा के अनुरूप, विशेषकर जैसा महत्व सरकार समायोजन कार्यक्रम को देती है जो उपजोन्मुखी एवं विशुद्ध रूप से सामाजिक न्याय से सम्बन्धित है, यह आवश्यक हो गया है कि मेरे बजट भाषण में घोषित उर्वरक मूल्यों के सम्बन्ध में मेरे पहले मूल प्रस्ताव में आगे संशोधन किया जाए।

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में कृषि कर सकने योग्य भूमिधरों में 76.30 प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसान हैं और ये केवल 29 प्रतिशत क्षेत्र पर खेती करते हैं तथा इनके द्वारा केवल 30 प्रतिशत उर्वरक प्रयोग में लाया जाता है।

इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श करके ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे छोटे और सीमान्त किसानों को 24 जुलाई, 1991 को घोषित उर्वरक मूल्य में 40 प्रतिशत की वृद्धि से मुक्त रखा जा सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी व्यक्तिगत बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जाएगी।

(व्यवधान)*

श्री मनमोहन सिंह : वर्ष 1991-92 के बजट में मैंने वर्ष 1991-92 के दौरान उर्वरक राज-सहायता में 1800 करोड़ रुपए की बचत दिखाई थी। यदि उर्वरक मूल्यों में पूर्व घोषित 40 प्रतिशत वृद्धि के बजाय औसतन 30 प्रतिशत वृद्धि करने को मेरा प्रस्ताव मान लिया जाता है तो वर्ष 1991-92 के दौरान यह बचत घटकर 1350 करोड़ रुपए रह जाएगी। चूंकि उर्वरक मूल्यों में वृद्धि से छोटे और सीमान्त किसानों को मुक्त रखना है और यह मानकर कि देश में ये किसान 30 प्रतिशत उर्वरक

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

खपत करते हैं, इसलिए मैं जो अतिरिक्त राहत का प्रस्ताव कर रहा हूं उससे बजट में उर्वरक राज-सहायता में 405 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाएगी । इसलिए मैं छोटे और सीमान्त किसानों को उर्वरक मूल्यों में हुई 30 प्रतिशत की वृद्धि से पूरी तरह छूट देने के लिए 405 करोड़ रुपए का नियतन करता हूं। (**व्यवधान**)

इस प्रक्रिया में छोटे और सीमान्त किसानों के लिए पहले से ही अभिप्रेत व्यय में पुनः कुछ प्रबन्ध करना आवश्यक हो जाएगा । हम कुछ मार्गनिर्देश बनाएंगे जो योजना के मानदण्ड नियत करेंगे। राज्य सरकारें योजना को कार्यान्वित करेंगी। मेरे साथी माननीय कृषि मंत्री नई योजना के ब्यौरे की घोषणा करेंगे। चालू गम्भीर वित्तीय संकट पर विचार करते हुए उर्वरक मूल्यों में वृद्धि करने के मूल प्रस्ताव में संशोधन करने से निर्णय को स्वीकार करना आसान नहीं है । यह भारत के वीर किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु हमारी सरकार की दृढ़ और अटल वचनबद्धता का प्रतीक है जिसमें उन छोटे और सीमान्त किसानों के हितों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिन्हें मिलाकर बहुत बड़ा कृषि समुदाय बनता है। (**व्यवधान**) हमारी सरकार का पूर्व रूप से विश्वास है कि सुदृढ़ कृषक वर्ग ही देश का गौरव है जिसकी एक बार नष्ट होने से पुनः प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती। (**व्यवधान**)

संशोधित प्रस्ताव व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर राष्ट्रीय महत्व के सामने आने वाले मामलों पर एक सार्थक राष्ट्रीय राय बनाने के प्रति हमारी सरकार के दृढ़ संकल्प का द्योतक भी है। यह भी निर्दिष्ट होता है कि किस गति से नया वित्त मंत्री निचले स्तर से कठोर राजनैतिक वास्तविकताओं के बारे में सीखने में सफल हुआ है। मुझे विश्वास है कि जिस गति से मैं सीख रहा हूं, निस्सन्देह मेरे शुभचिन्तक माननीय मित्र श्री जसवन्त सिंह को प्रसन्नता हुई होगी, क्योंकि उन्हें इस बात की गहरी चिन्ता थी कि मैं अपनी तथाकथित राजनैतिक अनुभवहीनता के कारण बलि के बकरे की भांति मारा जाऊंगा। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम एक बार फिर विनाश और निराशा की भविष्यवाणी करने वालों को हताश करने जा रहे हैं। लोकतन्त्र की जय हो। (**व्यवधान**)

यह बजट तैयार करना अत्यधिक कठिन कार्य है। इसके दो कारण हैं गहन आर्थिक संकट और इसको बनाने के लिए कम समय, यह सम्भव है कि अनेक क्षेत्र मेरे ध्यान में नहीं आये होंगे। अनेक माननीय सदस्यों ने मेरे कर प्रस्तावों पर आपत्ति की है, मैं उनके बारे में आज कुछ नहीं कहूंगा। चर्चा के लिए वित्त विधेयक आने के बाद इन मामलों पर पुनर्विचार करने का हमारे पास काफी समय है।

आज, मैं बजट की विस्तृत योजना और अपनी व्यापक नीतियों पर अपना ध्यान केन्द्रित करूंगा। मुझे विश्वास है कि हमारे नये प्रयासों और नीतियों के अच्छे नतीजे निकलेंगे और हमारी आशाओं का यह देश एक बार फिर उन्नत राष्ट्रों में अपना उचित स्थान बना लेगा। मैं अन्त में एक बार फिर स्वामी विवेकानन्द इन शब्दों को उदधृत करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं:

> "मैं भविष्य की ओर नहीं देखता हूं, न तो मुझे इसकी चिन्ता है। किन्तु मैं अपने वर्तमान जीवन को स्पष्ट देखता हूं—मां भारती अपने सिंहासन पर बैठी हुई, तरुणावस्था में, पहले से कहीं अधिक दिव्य रूप में एक बार पुनः जाग गई है। शान्ति और मंगलकामना के स्वर से विश्वभर में इसकी उद्घोषणा करें।"

अध्यक्ष महोदय अच्छा, मैं देख रहा हूं कि अनेक हाथ खड़े उठे हैं। किन्तु प्रत्येक सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति देना सम्भव नहीं है। मैं प्रत्येक दल के दो सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कृषि क्षेत्र से अधिक निर्यात करने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री शोभनाद्रीश्वर राव, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह टोका-टोकी कार्यवाही वृत्तान्त में दर्ज नहीं हो रही है।

(**व्यवधान**)*

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, माननीय मंत्री महोदय और सरकार ने कृषि क्षेत्र से अधिक निर्यात करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की है। अब ऐसा किया जा रहा है तो वह अन्य किसानों पर 30 प्रतिशत की वृद्धि क्यों बनाये रखी जा रही है? (**व्यवधान**)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : इस सरकार ने अपनी नयी औद्योगिक नीति में छोटे उद्योगों की सीमा कुछ लाख रुपयों से बढ़ाकर करोड़ों रुपये कर दी है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए यह सीमा 100 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर दी है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्पष्टीकरण वाले प्रश्न पूछिये।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : पहले जी० बी० के० राव समिति ने स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की है कि व्यवहार में एक श्रेणी के किसानों को अलग मूल्य और दूसरी श्रेणी के किसानों को अलग मूल्य पर उर्वरक वितरित करना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कृपया स्पष्टीकरण वाले प्रश्न पूछिये।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : उस समिति ने यही सिफारिश की थी। अब इस मामले पर मारे किसान चिन्तित हैं। जब आपके बजट प्रस्तावों में भी ऐसा मामला है, तो हमारे देश में हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बंगलादेश की तुलना में उर्वरकों के मूल्य बहुत अधिक हैं। यदि ऐसी बात है तो हमारे कृषि उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? यह राष्ट्रीय हित में है कि आपको केवल छोटे किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी किसानों के लिए उर्वरकों के मूल्य कम करने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री प्रश्नों को नोट करेंगे और वह प्रश्नों का उत्तर किसी भी समय एक साथ देंगे। यहां एक प्रश्न होना चाहिए तथा विस्तृत वक्तव्य नहीं होना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या उन्हें विदेशी मुद्रा बचाने और अच्छा राजस्व अर्जित करने के लिए मेरे द्वारा दिए गए सुझावों, विभिन्न सुझावों की जानकारी है। क्या अपना उत्तर देते समय वह मेरे सुझावों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के बारे में निरन्तर संकोच क्यों कर रहे हैं। वह कहते हैं कि यह मूलतः अदायगी की समस्याओं और ब्याज भुगतान के दायित्वों से सम्बन्धित है। वे अपना सही आशय स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि हम उसमें अन्तर्निहित अन्य बातों का पता लगा सकें।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरा दूसरा प्रश्न रियायतों के बारे में है। क्या उर्वरकों पर इन रियायतों से उनका मतलब राजस्व घाटे, बजट घाटे तथा वित्तीय घाटे में हजारों करोड़ रुपयों की वृद्धि होने से है?

तीसरा प्रश्न जो हमने उठाया था वह है : क्या वह औद्योगिक उत्पादकता की समस्या का समाधान करने के लिए प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी और काले धन की आय होने से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देने हेतु तैयार हैं अथवा नहीं?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : महोदय, एक प्रश्न जो मैं कुछ वर्षों से इस सर्वोच्च सभा में उठा रहा हूं कि उर्वरकों की उत्पादन लागत बढ़ रही है क्योंकि इटली की बहुराष्ट्रीय कम्पनी की गलत प्रौद्योगिकी चुनने के लिए हम पर डाले गये दबाव के कारण संयंत्र की पूंजीगत लागत बढ़ गयी है।

2.00 म० प०

यहां तक कि हमारे द्वारा अपनाये गये दो केल्लोग संयंत्रों की लागत 800 करोड़ रुपये थी, जबकि स्नैम प्रोगेटी-होल्डोर टोप्से के प्रत्येक संयंत्र की लागत 700 करोड़ रुपये थी, जोकि विश्व में एक असाधारण बात थी। अब सर्वप्रथम मराठे समिति ने 12 प्रतिशत प्राप्ति के आधार पर मूल्य फार्मूले की सिफारिश की थी, जिससे कर देने के बाद $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, जो अन्य उद्योगों को नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह भाषण संक्षिप्त होना चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। उत्पादन की लागत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम इटली की विशेष बहुराष्ट्रीय कम्पनी का पक्ष लेना चाहते थे। इस समस्या का यही वास्तविक कारण है। रियायत के बाद रियायत दी गई है, इसीलिए यह फला-फूला है। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह मराठे समिति का फार्मूला पुनः आरम्भ करेंगे और उत्पादन लागत में कमी लायेंगे और सघन ऊर्जा के प्रश्न की भी जांच करेंगे—हम 20 प्रतिशत गैस भी नष्ट कर रहे हैं; विश्व बैंक और उनके मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार $22\frac{1}{2}$ प्रतिशत गैस नष्ट हो रही है—जहां प्रक्रिया में $22\frac{1}{2}$ प्रतिशत गैस नष्ट होती है। क्या वह इस प्रश्न का उत्तर देंगे और प्रस्ताव लायेंगे?

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अमरीकी सेवा उद्योग, विशेषतौर पर, अमरीकी बीमा कम्पनियों को इस देश में कार्य करने की अनुमति दी जा रही या नहीं? क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीयकृत क्षेत्र—सामान्य बीमा क्षेत्र—को प्रभावित करने जा रहा है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ओपन जनरल लिबरेलाइजेशन इंडस्ट्रियल पालिसी के अन्तर्गत बहुराष्ट्रिकों को गैर-आवश्यक उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई नियंत्रण व्यवस्था कायम की जा रही है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बहुराष्ट्रिकों को गैर-आवश्यक क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाये।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से दो-तीन बातों का क्लैरी-फिकेशन चाहूंगा। एग्रीकल्चर में देश के अधिकांश लोग लगे हुए हैं और सबसे बड़ा एम्पलायमेंट का साधन है। दुर्भाग्य यह रहा कि आजादी के 43 साल बाद भी हमने हमेशा एग्रीकल्चर की बात कही

और देश के किसानों की समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आज मंत्री जी यहां हैं इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा देने जा रहे हैं और जो सुविधाएं आप उद्योगों को देते हैं तो क्या आप उसी तरह किसानों को भी देने जा रहे हैं।

दूसरी बात, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है। इंडस्ट्री में एक तरफ पैसा लग रहा है और दूसरी तरफ पसीने का है। दुर्भाग्य इस बात का है कि पैसे की कीमत ज्यादा है और पसीने की कोई कीमत नहीं है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मतलब डिगनिटी आफ लेबर्स से है। प्रबन्ध में मजदूरों को भागीदारी से सम्बन्धित बिल राज्य सभा में पेन्डींग है। उसको पास करवाकर उद्योगों में प्रबन्ध में मजदूरी को भागीदारी होगी। इस पर अगर सहमति है तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या जवाब है। इस बिल को राज्य सभा में पास करवाकर सरकार क्या लोक सभा में पास कराने पर विचार कर रही है या नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री ने मेरी पार्टी को निमंत्रण दिया है कि वर्तमान संकट को हल करने के लिए अगर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है तो वह रास्ता हमें बतायें। हम वित्त मन्त्री ने निमन्त्रण को स्वीकार करते हैं और रास्ता बताने के लिए तैयार हैं।

अब मैं सवाल पूछना चाहूंगा। वित्त मन्त्री महोदय ने 26 जुलाई, 1991 के "इकोनोमिक्स टाइम्स" में छपे इंटरव्यू में, जिसको मैंने अपने भाषण में उद्धृत किया था, यह कहा था।

[अनुवाद]

यदि सभी शर्तें मान ली गई तो इस देश की गली-गली में भारी बगावत हो जाएगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, अगर हमें शर्तें पता नहीं तो सरकार ने वे मानी हैं या नहीं मानी हैं यह हम कैसे तय कर सकते हैं। वित्त मन्त्री कहते हैं कि अगर सब शर्तें मान ली गई तो सड़कों पर बगावत हो जाएगी। लेकिन शर्तें पता नहीं हैं किस हद तक आपने मानी हैं यह तो कैसे तय होगा। इसके लिए सदन को विश्वास में लेना चाहिए, बिना विश्वास के समर्थन सम्भव नहीं होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कालेधन को प्रकाश में लाने के लिए वित्त मन्त्री ने कुछ योजनाएं रखी हैं, लेकिन कालाधन बनना बन्द कैसे होगा। इसके सम्बन्ध में मैंने गोल्ड स्मग्लिंग के बारे में अन्डर इन्वायसिंग और ओवर इन्वायसिंग के बारे में कुछ सुझाव दिए थे। अगर वित्त मन्त्री महोदय उसके बारे में चुप हैं।

उन्होंने कुछ राहतों का उल्लेख किया है। लेकिन जो सेलरीड क्लास है और जो महंगाई के कारण परेशान हो रहा है अगर इनकम टैक्स में एक्जम्प्शन लिमिट में थोड़ी सी वृद्धि कर दी जाती तो क्या उस वर्ग को राहत नहीं मिलती? क्या वित्त मन्त्री इस पर अभी भी विचार करने के लिए तैयार हैं?

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि विश्व बैंक के जो अधिकारी यहां दिल्ली में मौजूद हैं उन्होंने बाकायदा सरकार को हिदायत दी है, निर्देश दिये हैं कि उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो बैंकिंग स्ट्रक्चर में तब्दीली करनी है वह नहीं करेंगे तो हमें वन बिलियन डालर नहीं मिलेगा? क्या यह सही है कि उसका बैंकिंग इम्प्लाइज और अफसरों ने विरोध किया है? यह भी पता लगा है कि कांग्रेस के संसद सदस्यों ने भी इसका विरोध किया है। क्या यह भी सही है कि इसके खिलाफ 6 सितम्बर को सारे बैंक इम्प्लाइज और अफसर लोग हड़ताल करने के लिए तैयार हैं?

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमारी पार्टी की ओर से माननीय वित्त मन्त्री से अनुमति लेने

से पहले, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया था और इसे उन्हें सौंप दिया था। इसे माननीय वित्त मन्त्री ने उसी समय अस्वीकृत कर दिया था। हम इस पर ध्यान नहीं देते ; हम अभी भी उस निमन्त्रण को मानते हैं और हमारे विचार रखने के लिए उनसे बातचीत करना चाहते हैं।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि आपने लघु और सीमान्त किसानों के लिए वृद्धि में छूट की घोषणा की है। बजट प्रस्तुत करने से आज तक, वृद्धि पहले ही हो चुकी थी और लघु तथा सीमान्त किसानों को कई कठिनाइयों के साथ उर्वरक खरीदने पड़े थे। आने वाले दिनों में भी उन्हें बढ़ी हुई कीमतों पर खाद खरीदना पड़ेगा। अब आपने कहा है कि आप उन तक पहुंचने के लिए शीघ्र ही एक फार्मूला तैयार करेंगे। परन्तु इस सम्बन्ध में देरी उन लोगों को महंगी पड़ेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप बढ़ी हुई कीमतों, जो वे पहले ही दे चुके हैं, के बदले किस तरह उनकी क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं। क्या इसके लिए आपके पास कोई योजना है।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : हम सभा में इस पक्ष के लोग बहुत खुश हैं कि प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री हमारी पार्टी के पुरजोर मत को मान लिया है और लघु तथा सीमान्त किसानों के साथ पूर्ण न्याय किए जाने की मांग को मान लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने, कि लघु सीमान्त किसानों को प्रस्तावित उपायों का पूरा लाभ मिले और पूरा का पूरा लाभ जमींदार न हड़प लें इसके लिए क्या किया जा रहा है ?

श्रीमती बिभू कुमारी देवी (त्रिपुरा पूर्व) : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या वित्त मन्त्री पिछड़े क्षेत्रों, जो दुर्गम्य हैं और जहां लोग यह भी नहीं जानते कि उर्वरक क्या होते हैं, को राजसहायता देने पर विचार करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री के०पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय, माननीय वित्त मन्त्री को राजसहायता वापस लेने या बढ़ाने का पूरा अधिकार है। मैं इस बात से सहमत हूं। परन्तु क्या माननीय मन्त्री इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे कि किसान को अपना उत्पाद उसके द्वारा तय दर पर बेचने की अनुमति दी जाएगी ? चूंकि सभी बड़े उद्योग अपने औद्योगिक उत्पादों तथा मशीनों इत्यादि, जिनका उत्पाद देश में हो रहा है, की दरें स्वयं तय कर रही हैं, किसानों के उत्पादों की दर तय करने का सरकार को क्या नैतिक अधिकार है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं कहा गया है। अब, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री कापसे।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : तीन विभिन्न उपाय हैं जिनके कारण बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् प्राथमिक सहकारी बैंक हानि उठा रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक प्राथमिक सहकारी बैंकों का सम्बन्ध है, क्या वित्त मन्त्री पूरी स्थिति की समीक्षा करेंगे ? **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, बहुत से प्रश्न उठाए गए हैं। मैं अपनी पूरी योग्यता के साथ उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

एक माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रथम प्रश्न यह था कि हमने उर्वरकों की कीमतें बढ़ा दी हैं जिससे कृषि उत्पादों के निर्यात को आघात पहुंचेगा। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिला सकता हूं कि यह अभिधारणा बिलकुल सही नहीं है। विनिमय दर समायोजन, जिसे हमने इस महीने के शुरू में ही बढ़ाया है, मेरे विचार में भारत के इतिहास में कृषि पदार्थों के निर्यात हेतु ऐसा सामान्य प्रोत्साहन कभी नहीं दिया गया है। **(व्यवधान)** उत्पादन लागत क्या है ? यदि 40% वृद्धि स्वीकार की गई थी तो भी उन मामलों में गेहूं के मूल्य में लगभग आठ रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि होगी ; धान

के मूल्य में लगभग सात रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि होगी। इसलिए, यह तर्क कि क्योंकि हमने उर्वरकों की कीमतों में परिवर्तन कर दिया है इसलिए कृषि निर्यात अलाभकारी होगा, सही नहीं है। मेरे विचार में इसके विपरीत बात सही है। विनिमय दर में 22% परिवर्तन करने से कृषि निर्यात को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। **(व्यवधान)**

दूसरी बात लघु तथा सीमान्त किसानों के बारे में कही गई थी। जिन माननीय सदस्य ने यह बात उठाई थी वह इस बात में विश्वास नहीं करते कि ऐसा भेद है। परन्तु हम यह जानते हैं कि इस देश में अधिकांश किसान—70% किसान—लघु और सीमान्त किसान हैं। इसलिए हम उनकी सहायता करने के लिए बचनबद्ध हैं। वह शायद उन्हें न पहचानें परन्तु हम उन्हें पहचानते हैं। **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : इस देश में हमारी तेलुगु देशम सरकार ने किसानों के लिए सबसे बेहतर कार्य किया है। **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : मेरे विचार में, श्रीमती गीता मुखर्जी ने विदेशी मुद्रा बचाने और राजस्व अर्जित करने के बारे में बहुत सी बातों का उल्लेख किया है। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि अपने उत्तर में मैं उनके द्वारा कही गई विभिन्न बातों से न्याय नहीं कर सका था। परन्तु मुझे उन मुद्दों पर उनके साथ चर्चा करने में बहुत खुशी होगी। वे बहुत रचनात्मक सुझाव हैं और मैं उन पर विचार करूंगा।

मेरे विचार में श्री निर्मल चटर्जी और श्री वाजपेयी ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों का जिक्र किया है। श्री वाजपेयी ने **'इकानामिक टाइम्स'** में से एक विशेष वक्तव्य को उद्धृत किया है। दुर्भाग्य-वश, अपनी पूरी क्षमता के साथ—मैं किसी समाचार पत्र को दोष नहीं दे रहा हूं—मैंने कोशिश की थी और मैं यह बात नहीं कहना चाहता था। मेरी तरफ से यह गलती रह गई होगी। मेरे कहने का यह आशय नहीं था कि यदि सभी शर्तें मान ली जाती तो इस देश में विद्रोह भड़क उठता। यदि मैंने इस तरह का मत व्यक्त किया है तो मैं इस सभा से क्षमा मांगता हूं। वह शायद मेरी गलती थी। मैं उसे स्वीकार करता हूं।

अब मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि श्री वाजपेयी और श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने पूछा था कि वह शर्तें क्या हैं? हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत कर रहे हैं। हम बातचीत के प्रथम चरण में हैं। यदि आप मुझे इसी समय यह सब बताने के लिए बाध्य करेंगे तो जब मैं मुद्रा कोष से बात-चीत करने जाऊंगा तब मेरी स्थिति एक अभियुक्त जैसी होगी। **(व्यवधान)**

मैं आपको बताऊंगा कि वे शर्तें क्या हैं; यह शर्तें श्री चन्द्रशेखर जी की सरकार ने मंजूर की थीं। दुर्भाग्यवश वह यहां नहीं हैं। **(व्यवधान)** उनकी सरकार ने इस सदन में ये वायदे किए कि वे वर्ष 1991-92 में इस देश का वित्तीय घाटा 6.5 प्रतिशत तक कम करेंगे। वह एक शर्त थी। **(व्यवधान)** तत्कालीन वित्त मन्त्री ने यह भी कहा था कि वह आगामी दो या तीन वर्षों में वित्तीय घाटे को कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत तक लाएंगे। आगामी वर्ष में क्या होने जा रहा है, हमने इस बाबत कोई बात नहीं की। लेकिन 6.5 प्रतिशत का वायदा श्री चन्द्रशेखर की सरकार ने किया था। हमें वह वायदा निभाना है।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। इस सम्बन्ध में भी पिछली सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह आश्वासन दिया था कि चाहे कुछ भी हो हम वर्ष 1991-92 में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को कम नहीं करेंगे। **(व्यवधान)**

मैंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इस बात के लिए राजी किया कि हमारी सरकार इस बात को

स्वीकार नहीं कर सकती। हम मिट्टी के तेल के मूल्यों में कमी न करने का प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकते। हमने उस शर्त में संशोधन कर दिया है। (व्यवधान) हमने चन्द्रशेखर सरकार द्वारा स्वीकृत शर्त में सुधार कर दिया है। (व्यवधान)

शर्तों पर सामान्य दृष्टि डालते हुए, मैं समझता हूं कि पहली शर्त यह है कि : हम अपनी वित्तीय नीति को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या करने जा रहे हैं? हम अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं? हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे कि भारतीय उद्योग का पर्याप्त नवीनीकरण हो और यह लागत खर्च के बारे में सचेत हो? वास्तव में जब हमारी बातचीत पूर्णतया पूरी हो जाएगी तो मुझे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिया जाने वाला आशय पत्र सभा पटल पर रखकर अतिप्रसन्नता होगी। (व्यवधान) आपको यह आश्वासन होगा कि मैं किस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूं। अभी भी, यदि वाजपेयी जी किसी विशेष बिन्दु पर मुझसे चर्चा करना चाहेंगे या मुझसे कुछ जानना चाहेंगे अथवा किसी अन्य सदस्य की कोई शंका या कोई डर हो तो मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। और मैं इस प्रस्ताव को बहुत गंभीरता से लेता हूं कि हम मुद्रा कोष से सम्बन्धित आपकी शंकाओं तथा आशाओं पर सभी माननीय सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा करेंगे और इस पर भी कि हम इस सरकार में क्या-क्या कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : महोदय, क्या यह सच है कि पिछली सरकार ने यह वायदा भी किया था कि खाड़ी अधिशेष भी नहीं हटाया जाएगा?

श्री मनमोहन सिंह : हां, मैं यही बात कह रहा था। श्री चन्द्रशेखर की सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से यही वायदा किया था। (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : पेट्रोलियम पर लगाए गए खाड़ी अधिशेष के बारे में भी बताइए? (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : बात यह है कि भारत सरकार का एक सतत अस्तित्व है। वास्तविकता यह है कि श्री चन्द्रशेखर की सरकार ने यह वायदा किया और मैं इससे मुकरना नहीं चाहता; उसी प्रकार जिस प्रकार मैं ऋण माफी के वायदे से अप्रभावित नहीं रह सकता क्योंकि भारत सरकार एक सतत तत्व है। (व्यवधान)

मुझसे बजट घाटे के बारे में पूछा गया था। यह सच है कि मेरे द्वारा सामान्य मूल्य वृद्धि को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने में दी गई रियायतों, उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभाव से छोटे तथा सीमांत किसानों को पूर्णरूप से अलग रखने के परिणामस्वरूप बजट पर 8 से 9 सौ करोड़ रुपए प्रति वर्ष का भार पड़ेगा। मुझे सदन को यह बताना होगा कि मेरा उसे किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है। (व्यवधान)

महोदय, उत्पादकता की समस्या इत्यादि के समाधान हेतु श्रमिकों की भागीदारी के बारे में भी प्रश्न उठाए गए हैं। इस सदन में अन्य समस्याओं को भी उठाया गया है। मैं प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी को गम्भीरता से लेता हूं। और मेरा विश्वास है यह एक ऐसा विषय है जिस पर देश में और अधिक विचार किया जाना चाहिए। श्रमिकों सम्बन्धी योजनाओं के बहुत से नमूने हैं। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी जर्मनी में एक सह-अवधारण प्रणाली है जहां श्रमिकों व उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि नीति-बोर्ड की बैठक करते हैं। एक कार्यकारी बोर्ड भी रहता है। कई प्रकार से यह इस देश में चर्चित

श्रमिकों के प्रबन्धन की विभिन्न योजनाओं से यह अधिक प्रभावी है। इसलिए, मेरा प्रस्ताव है कि इस सम्बन्ध में एक योजना विकसित करके कुछ समय पश्चात् इस सदन के समक्ष रखी जाए। मुझे अपने साथियों, माननीय श्रम मन्त्री महोदय तथा अन्य मन्त्रियों से परामर्श करना पड़ेगा···(व्यवधान)···

श्री उन्नीकृष्णन ने गलत प्रौद्योगिकी तथा मूल्यांकन फार्मूले के कारण उत्पादन लागत में हो रही वृद्धि सम्बन्धी प्रश्न उठाया। मैं उर्वरक मूल्यांकन का विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं मराठे समिति फार्मूला पर फिर से विचार करने सम्बन्धी उनके सुझाव को ध्यान में रखूंगा। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मूल्यांकन सम्बन्धी किसी भी फार्मूले में असमर्थता शामिल नहीं है हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे।

उनके द्वारा वर्णित विशिष्ट प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि मैं कोई प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन मैं उनकी बात माननीय उर्वरक मन्त्री महोदय तक पहुंचाऊंगा···(व्यवधान)···

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया था कि क्या हम अमेरिकी बीमा कम्पनियों को यहां निवेश की आज्ञा देंगे? हम ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं। उत्तर एकदम सरल है।

करादि के भुगतान हेतु वर्तमान सीमा बढ़ाने सम्बन्धी प्रश्न उठाए गए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक गंभीर प्रश्न है। मैं इस तर्क का समर्थन करता हूं कि मूल्य वृद्धि के चलते आयकर ही नहीं अपितु अन्य मदों की छूट-सीमा भी बढ़ा दी जानी चाहिए। परन्तु मैं ऐसा न करने के लिए बाध्य था। मैं ईमानदारी से मानता हूं कि इस वर्ष जबकि मैं समाज के गरीब तबकों पर बोझ डाल रहा हूं, उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि कर रहा हूं और जनसामान्य को ठेस पहुंचाने वाले बहुत से घृणित कृत्य रहा हूं, तो करों में छूट की सीमा बढ़ाकर मैं इस वर्ग अनुग्रह का पात्र नहीं बनूंगा। इसी कारण से मैंने छूट की सीमा नहीं बढ़ाई किन्तु मैं दिए गए सुझाव को ध्यान में रखूंगा। मुझे आशा है कि मैं सदन में अपना अन्तिम बजट पेश नहीं कर रहा हूं। अतः मैंने दिए गए सभी सुझावों को ध्यान में रखा है ···(व्यवधान)···

श्री रवि राय ने विश्व बैंक के प्रतिवेदन का जिक्र किया। मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि विश्व बैंक सैकड़ों प्रतिवेदन देता है। मेरा उन सबसे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मेरे विचार से यह सम्भव है कि कोई प्रतिवेदन ऐसा भी हो सकता है जो भारत के पुनर्निर्माण तथा भारतीय वित्तीय ढांचे के लिए दिए जाने वाले ऋण की बात करता हो। उन प्रतिवेदनों के गुणों के अनुसार हम उन पर विचार करेंगे। मुझे यह बात आपसे छुपाने की आवश्यकता नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के सदस्य यहां हैं। वे हमसे विचार-विमर्श करेंगे। अतः यदि कोई शर्तें होंगी तो हम खासे रूप में उन पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मैंने पूछा था कि हड़ताल करने के लिए आपके आफिसर्स और ट्रेड यूनियन ने नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : आपके लिए मेरे मन में आदरभाव है पर मैं कहूंगा कि आपकी पार्टी ने ऋण-माफी योजना के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाई है। (व्यवधान)

श्री रवि राय : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं क्या पूछ रहा हूं और आप क्या जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : यदि अभी भी आप श्रमिकों के साथ अपने प्रभाव को सुनिश्चित करेंगे तो

बैंकिंग प्रणाली चरमरा जाएगी जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अति-हानिकर होगा। इसलिए हमारा सबका यह कर्त्तव्य है कि हम ऐसी स्थिति न आने दें **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावों का हवाला दिया गया था। मैं समझता हूं कि श्री निर्मल कान्ति चटर्जी अथवा किसी अन्य सदस्य ने कहा था कि हमने पश्चिम-बंगाल सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। साधारणतया यह बात सही नहीं है। क्योंकि मैंने पश्चिम-बंगाल के माननीय मुख्य मन्त्री को यह स्पष्ट किया था कि उनके द्वारा दिए गए दो विशिष्ट सुझावों को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था। वे दो सुझाव क्या थे? उन्होंने कहा था कि हमें आयात में कटौती करनी चाहिए और मैंने उन्हें आश्वासन दिया जैसा कि उस सारिणी से स्पष्ट है जो मैंने विपक्ष के नेताओं को दी थी—कि आज देश में हमने आयात पर जितनी कटौती की है उससे अधिक की गुंजाइश नहीं है। दो-तीन वर्ष पहले ऐसी गुंजाइश हो सकती थी। लेकिन आज आप देखेंगे कि हमने आयात की इतनी कठोर व्यवस्था कर दी है कि मैं रोजगार और उत्पादन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में अत्यधिक चिन्तित हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब आप इस बारे में सभी सम्बन्धित पक्षों से चर्चा क्यों नहीं करते?

(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : क्योंकि आपने इस मामले को उठा दिया है इसलिए मैं सभा को विश्वास में लेना चाहूंगा।

जिस दिन मैंने कार्यभार सम्भाला मैंने पश्चिम-बंगाल के माननीय वित्त मन्त्री जी को फोन किया। मैंने उनसे कहा, "हमारा देश गम्भीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कृपाया आइए, मेरी इच्छा है कि मैं अपने सभी ज्ञात महत्वपूर्ण गुप्त भेदों पर आप से चर्चा करूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक देशभक्त नागरिक हैं, मैं जानता हूं कि ज्योति बाबू एक महान राष्ट्रीय नेता हैं, इसलिए आइए इस संकट से निपटने में हमें सहयोग दें ताकि हम मिलकर इस देश की समस्याओं को हल करने हेतु समाधान ढूंढ़कर निकाल सकें।" माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह बड़ा अच्छा विचार है। लेकिन उसी शाम को कुछ बात हो गई। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, "डा० सिंह यह एक राजनैतिक मामला है, आप स्वयं को तथा कांग्रेस को ऐसी स्थिति में क्यों डाल रहे हैं···"**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सन्दर्भ में दिए गए निश्चित सुझाव क्या थे? हमारी वास्तविक रूचि तो यही जानने में है न कि मन्त्री विशेष के साथ हुई आपकी गपशप में। मैं समझता हूं कि वे इस मामले में गम्भीर नहीं है। वे इस बात पर चर्चा करने के इच्छुक नहीं हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं चर्चा करना चाहता हूं। मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूं कि मैं सुझाव देने वाले किसी भी सदस्य अथवा किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी दिन इस विषय पर चर्चा करने का इच्छुक हूं। मैं यह बात कह रहा हूं क्योंकि हम इस समय किसी पक्षपातपूर्ण मामले की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे मामले पर चर्चा कर रहे हैं जिसका हमारे देश के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यदि किसी के पास कोई समाधान हो, तो हम उसका स्वागत करेंगे। मुझे एक बात कहने दो। अपने बजट प्रस्ताव तैयार करते समय मैंने वामपंथी दल के ज्ञापन और वामपंथी अर्थशास्त्री के ज्ञापन में निहित विभिन्न सुझावों को भी ध्यान में रखा, क्योंकि चाहे आप इस बात से सहमत हों या न हों, मैं समझता हूं कि आज हमारे देश में दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों पक्षों में मतैक्य है कि हमें अपनी घरेलू अर्थ-व्यवस्था में प्रतियोगिता को पूरा अवसर देना चाहिए। और यह सही है कि बंगाल से वामपंथी अर्थ-शास्त्रियों और इसके साथ-साथ···दक्षिणपंथी अर्थशास्त्रियों···**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम इस बात से सहमत हैं इसे दलगत मामला नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि यह दलगत मामला बन जाएगा यह तो आपके हमले के रुख पर निर्भर करता है। यह हमला कहां होगा ? क्या आप मजदूरों पर हमला करेंगे या मुनाफाखोरों पर ? (**व्यवधान**)

श्री मनमोहन सिंह : मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मन्त्री अथवा इस सभा के किसी भी सदस्य या सभा से बाहर किसी भी ऐसे व्यक्ति से इस विषय पर चर्चा करने को तैयार थे जिसके पांस इस देश पर आए गम्भीर संकटों का समाधान हो।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप हर बात पर संकुचित मत से विचार करते हो, तो इसका क्या फायदा है ?

श्री मनमोहन सिंह : नहीं, हमारी संकुचित वृत्ति नहीं है। उन पर विचार करने के बाद भी आप चर्चा कर सकते हैं। हम आपको इस बात से तसल्ली करेंगे कि जो कुछ हम कर रहे हैं वह देश के अत्यन्त हित में है।···(**व्यवधान**)···पिछड़े क्षेत्रों के लिए राज सहायता का सवाल उठाया गया था। इस सुझाव पर हम आने वाले समय में विचार करेंगे।

एक अन्य सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था, "क्या आप किसानों को अपनी उपज किसी भी कीमत पर बेचने की अनुमति देंगे ?" मैं समझता हूं कि हम एक स्वतन्त्र देश में रहते हैं। आज किसी पर कोई दबाव नहीं है।

जो भी खरीद मूल्य हम निर्धारित करते हैं वह समर्थन मूल्य होते हैं। किसानों को अपनी इच्छानुसार किसी भी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतन्त्रता है। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। हम किसानों की इच्छानुसार किसी भी कीमत पर उनकी उपज बिकने में उनके हितों की रक्षा करेंगे।

अन्तिम प्रश्न प्राथमिक सहकारी समितियों की बचत के बारे में पूछा गया था। इस बारे में मुझे कुछ आशंका है क्योंकि मैं तथ्यों से पूरी तरह भिज्ञ नहीं हूं। मैं उक्त बातों का अध्ययन करूंगा और उस क्षेत्र की समस्या विशेष के बारे में माननीय सदस्यों से चर्चा करूंगा तथा उन्हें अपनी उस बात से सन्तुष्ट करूंगा जो कुछ हम करने जा रहे हैं।

मुझे उम्मीद है कि मैंने सभी मुद्दों पर प्रकाश डाल दिया है।

2.32 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में पानी जमा होने के कारण प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी केनाल तथा घग्घर बाढ़ कन्ट्रोल के

फर्स्ट हेड मस्तावली से प्रारम्भ होकर सूरतगढ़ हेड (राजस्थान) तक के क्षेत्र में नहरों के पानी के वाटर लोगिंग के कारण भूमि की सतह पर निरन्तर पानी भरा हुआ है। यह वाटर लोगिंग पिछले पांच छह वर्ष से निरन्तर है। इस वाटर लोगिंग के कारण इस क्षेत्र में स्थित ग्रामों की आबादी में पानी भरा रहता है जिसके कारण रिहायशी मकान गिर गये तथा कृषि भूमि में फसलें नहीं कोई आ सकती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में बने पक्के खाटकोर्स भी खत्म हो गये हैं। लोगों की आजीविका का साधन कृषि की पैदावार बिल्कुल समाप्त हो गई है। सरकार की ओर से अभी तक आर्थिक सहायता नाममात्र कुछ एक लोगों को नाम की दी गई है।

अतः मैं भारत सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि उपरोक्त क्षेत्र में आबाद जिन लोगों के मकानात, पक्के खाटकोर्स वाटर लोगिंग के कारण गिरकर समाप्त हो गए हैं उन्हें रिहेबिलीटेशन ग्रांट की मुआवजा राशि दी जाये तथा जिन लोगों की कृषि भूमि खेती के अयोग्य हो गई है उनकी भूमि को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जाये तथा उनसे विभिन्न प्रकार के ऋण तथा सरकारी एवं बैंकों द्वारा दी जाने वाली धनराशि की वसूलियों पर रोक लगाई जाये।

(दो) कर्नाटक की विजयनगर इस्पात परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : कर्नाटक सरकार ने विजयनगर इस्पात परियोजना के लिए संयुक्त क्षेत्र भागीदारी के रूप में इस्सार गुजरात को चुना है। राज्य सरकार के निर्णय से विजयनगर इस्पात आख्यान का एक और अध्याय बन्द हो गया है।

कर्नाटक राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड 26 प्रतिशत की भागीदारी रखकर स्वाभाविक रूप से मुख्य भागीदार बन जाएगा। इस्सार की भागीदार 25 प्रतिशत होगी। शेष धनराशि कुछ वित्त संस्थाओं से ऋण लेकर तथा कुछ जनता से ऋण लेकर जुटाई जाएगी।

कर्नाटक की जनता का काफी समय से संजोया सपना साकार हो रहा है। मेरा माननीय इस्पात एवं खान मंत्री से अनुरोध है कि इस परियोजना को शीघ्र मंजूरी दें।

(तीन) उड़ीसा में इब घाटी में झारसुगुडा के निकट हिरमा में एक सुपर ताप विद्युत केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : बिजली की कमी का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसका हमारे औद्योगिक उत्पादन और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि विद्युत राष्ट्र की प्रगति और सम्पन्नता की कुंजी है, इसलिए हमें शीघ्रातिशीघ्र विद्युत में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी प्रयास करने चाहिए। इसलिए निर्माणाधीन आठवीं योजना में विद्युत को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बड़े ताप विद्युत केन्द्रों के लिए स्थान निर्धारित करने हेतु मार्च, 1988 में गठित 'स्थल चयन समिति' की सिफारिशों को स्वीकार कर इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अनुवर्ती कार्यवाही करनी चाहिए। विद्युत संकट और समूचे उड़ीसा राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा की इब घाटी में झारसुगुडा के निकट हिरमा में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

(चार) हैदराबाद का दर्जा बढ़ाकर "महानगर" किए जाने और इस प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : हैदराबाद शहर आंध्र प्रदेश की राजधानी है; जो बहुत प्राचीन व परम्परागत है, यह आतिथ्य-सत्कार के लिये प्रसिद्ध है। अब यह शहर अपनी 400वीं वर्षगांठ मना रहा है, लगभग 40 लाख लोगों की निरन्तर बढ़ती जनसंख्या के कारण धन के अभाव में यहां न्यूनतम विकास सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। इस शुभ अवसर पर हालत यह है कि हैदराबाद के लोग पानी की कमी, गन्दे पानी की निकासी, यातायात व प्रदूषण की कठिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से हैदराबाद निगम का दर्जा बढ़ाकर "महानगर" किए जाने का आग्रह करता हूं। इस विकास कार्यक्रम में गन्दी बस्तियां हटाने और परिक्रमा रेल लाइन कार्यक्रमों के लिये 1000 करोड़ रुपये की धनराशि दी जानी चाहिए।

सभापति : श्री दत्तात्रेय, उसी बात को रिकार्ड में रखा जायेगा जिसकी अनुमति माननीय अध्यक्ष देंगे।

(पांच) आगरा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने और उसे एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक नगर घोषित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, आगरा में पर्यावरणीय प्रदूषण मथुरा के तेलशोधक कारखाने में फालतू गैस जलाये जाने से आगरा नगर में मिलने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर निकलने वाले हजारों वाहनों एवं गोबर, लकड़ी, कोयला आदि जलाये जाने से पैदा होता है। किन्तु इस प्रदूषण को रोकने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने के स्थान पर केन्द्रीय सरकार ने प्रदूषण नियन्त्रण के नाम पर 1983 से फाउन्डरी उद्योग व अन्य उद्योगों की स्थापना पर रोक लगा दी है जबकि ये उद्योग प्रदूषण नियंत्रक लगाने को तैयार है। आगरा में कोई भी बड़ा उद्योग सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। इस कारण आगरा में युवक भयंकर बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं।

आगरा ताजमहल व अन्य ऐतिहासिक स्थलों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र है। विदेशों से आने वाले अधिकांश पर्यटक व देशी पर्यटक भारी संख्या में आगरा पहुंचते हैं। किन्तु आगरा को विभिन्न महानगरों से जोड़ने वाली हवाई तथा रेल यात्रा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। आगरा से कुटीर उद्योगों के उत्पादकों को निर्यात करने के लिये हवाई कारगो की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। टेलीफोन व्यवस्था भी जर्जरित है।

आगरा दिल्ली के समीप स्थित है। दिल्ली में निरन्तर बढ़ते जनसंख्या के दबाव को आगरा दूर कर सकता है यदि उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाये।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आगरा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित करें व आगरा को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन नगर घोषित कर आगरा का तदनुसार सर्वांगीण विकास करें।

[अनुवाद]

(छह) उड़ीसा में जाजपुर को पर्यटन महत्व का स्थान घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : जाजपुर उड़ीसा का एक प्राचीन कस्बा है। यह वैतरणी तीर्थ के लिये प्रसिद्ध। दशवमेध घाट, बराह, बिराज मन्दिर के अतिरिक्त उस कस्बे में हजारों शिव मंदिर

स्थित हैं। प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में लोगों वहां वैतरणी नदी, जो कस्बे से लगती हुई बहती है, में पिंड दान करने जाते हैं। इस सबके बावजूद, जाजपुर कस्बे की औपचारिक रूप से राष्ट्रीय पर्यटन के महत्व का स्थान घोषित नहीं किया गया है। अतः मैं आग्रह करता हूं कि जाजपुर को अविलम्ब पर्यटन महत्व का स्थल घोषित किया जाये। साथ-साथ वहां पर स्थित प्राचीन स्मारकों के समुचित संरक्षण तथा पुनरुद्धार हेतु शीघ्र कदम उठाये जायें।

(सात) पश्चिम बंगाल में आंत्र-शोथ की बढ़ती हुई बीमारी के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पलास बर्मन (बलूरघाट) : मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में पश्चिम दीनाजपुर के बलूरघाट में तपन, बलूरघाट, हिली, कुमारगंज, गंगारामपुर और बन्सीहरी के छह: प्रखण्ड आंत्र-शोथ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। प्रभावित लोगों की कुल संख्या लगभग दो लाख है, 98 लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है और कुल 352 गांव आंत्र-शोथ से प्रभावित हैं और अधिक लोग अस्पतालों में उपचाराधीन हैं।

मैं केन्द्रीय सरकार से इस भयावह स्थिति से निपटने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को स्वच्छ शुद्ध पेयजल, पर्याप्त मात्रा में औषधियां देने व धनराशि आबंटित करने के लिए तत्काल आवश्यक कारंवाई करने का आग्रह करता हूं।

(आठ) बरहामपुर विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों को शुरू करने की योजना का शीघ्रता से क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : प्रचलित विदेशी भाषाओं की जानकारी ने केवल विद्वता के दृष्टिकोण से अपितु इन भाषाओं में लिपिबद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विस्तृत रचनाओं का ज्ञान प्राप्त करने हेतु भी छात्रों, अध्यापकों तथा शोधकर्ताओं के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी। इससे उन लोगों को भी सहायता मिलेगी जो छात्रवृति अथवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान की यात्राओं पर विदेश जाते हैं।

इस समय उड़ीसा राज्य के सभी चार वर्तमान विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा सीखने की कोई सुविधा नहीं है। बरहामपुर विश्वविद्यालल में दो वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार किगा गया है ताकि छात्रों को इन भाषाओं का कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त हो सके। आरम्भ में जर्मन तथा रूसी भाषाओं के पाठ्यक्रम लिये जायेंगे। इन प्रयोजनार्थ पुस्तकों, मानचित्रों तथा स्लाइडों जैसी शिक्षण सामग्री के अलावा रूसी तथा जर्मन विषयों में एक-एक प्राध्यापक के पद पर लगभग 30,000 रु० की लागत आयेगी। बरहामपुर विश्वविद्यालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पहले ही एक प्रस्ताव भेज दिया है।

मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बरहामपुर विश्वविद्यालय में इस अत्यावश्यक विदेशी भाषा पाठ्यक्रम को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित किये जाने पर ध्यानपूर्वक विचार करने का आग्रह करूंगा।

2.44 म० प०

दिल्ली नगरपालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और दिल्ली नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब सदन मद संख्या 11 तथा 12 पर एक साथ विचार करेगा। इसके लिए दो घण्टे का समय दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति जी, मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 30 मार्च, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दिल्ली नगरपालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

मान्यवर सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने जो अध्यादेश लागू किया है, इसको निरस्त करने का प्रस्ताव मैंने इसलिए प्रस्तुत किया है कि केन्द्रीय सरकार इसको 31 मार्च, 1991 के बजाय इस समय को बढ़ाकर 31 मार्च, 1992 तक करने का प्रस्ताव लाई है और जब 31 मार्च, 1992 का प्रस्ताव लाई है तो अभी तो 1991 ही चल रहा है·····राष्ट्रपति जी को इस प्रकार से अध्यादेश निकालने की कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं थी। इस अध्यादेश को निकालने के बजाए सीधे सदन में बिल लाया जा सकता था। इसलिए मैंने इस अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना यह है कि एक दिसम्बर, 1988 से जब दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम में संशोधन हो गया, तो दिल्ली में गृह कार्य की समस्या अचानक आ गई और हाउस-टैक्स बढ़ गया। हाउस टैक्स जब बढ़ गया तो उस समय दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का कब्जा था चुनाव सामने थे तो इन्होंने कहा कि अब इस संशोधन को किसी प्रकार से टाला जाए यदि बढ़े हुए। हाउस टैक्स के नोटिस लोगों को मिलेंगे, तो दिल्ली की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देगी। इसलिए मेरा सारा निवेदन करना यह है कि ये अभी समय बढ़वाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई गई थी। पहले वाली कमेटी श्री जगप्रवेश चन्द्रजी की अध्यक्षता में बनाई गई उन्होंने काम किया नहीं, तो उसके बाद हमारे जो पहले संसद सदस्य रहे श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस समिति ने 19 दिसम्बर 1990 को, जो समिति श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में बनी थी दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री मारकण्डे सिंह जी को अपनी रिपोर्ट दे दी। मेरा निवेदन करना यह है कि विजय कुमार मल्होत्रा जी की समिति ने क्या सिफारिशें कीं, उस सम्बन्ध में भी माननीय मन्त्री जी को जानकारी हमको यहां पर देनी चाहिए थी। मेरा सारा निवेदन करना यह है कि हालांकि इस उच्च अधिकार समिति के आधार पर ही जो दिल्ली का प्रशासन है, उन्होंने भी, सचिव ने भी अपनी सारी सिफारिशें लगभग उसी आधार पर

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

दी हैं। मेरा सारा निवेदन करना यह है कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली नगर पालिका दोनों के लिए गृह कर का ढांचा एक सा ही हो। यह सारी बात थी। उच्च अधिकारी समिति ने राहत देने वाले नए ढांचे को एक अप्रैल, 1989 से लागू कर देने की सिफारिश की थी। प्रशासन चाहता है कि ये सिफारिशें एक अप्रैल, 1991 से लागू की जायें और बीच की अवधि यानि एक दिसम्बर, 1988 से 31 मार्च, 1991 तक के लिए दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम में संशोधन से पहले दरों पर ही हाउस टैक्स लिया जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, विवाद पक्षों से निपटने के लिए दो सदस्यीय ट्रिब्युनल बनाया जाए। ट्रिब्युनल बनाने की बात कही गई है, लेकिन प्रशासन चाहता है कि यह ट्रिब्युनल बहु सदस्यीय हों क्योंकि दो सदस्य यदि समान विचार के हो गए तो फैसला नहीं हो सकेगा। इसलिए किसी सदस्य की गैर-हाजिरी के कारण अपीलों की सुनवाई का काम का रूक जाएगा। ऐसी व्यवस्था जम्मू-कश्मीर में चल रही है और फिलहाल दिल्ली में भी ऐसा कोई ट्रिब्युनल आज नहीं है। उच्च अधिकारी समिति ने सुझाव दिया कि गृह कर की समस्या के तहत हर तीन साल बाद दस प्रतिशत रैंटल-वेल्यू बढ़ाई जाए, मगर प्रशासन ने इसे हर पांच साल के बाद 15 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया। इस तरह से कमेटी सिफारिशों के मुकाबले दिल्ली प्रशासन के लोगों को सालाना 33 प्रतिशत राहत मिलेगी। फिलहाल दिल्ली नगर-निगम अधिनियम और पंजाब नगरपालिका अधिनियम, दोनों में ही ऐसा प्रावधान कहीं पर भी नहीं है। इस प्रकार से माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि उच्च अधिकार समिति ने कहा था कि जिन सम्पत्तियों के निर्माण में कोई रद्दोबदल नहीं की गई हो तो उनपर समय-समय पर बढ़ने वाली रैंटल-वेल्यू के आधार पर बढ़ा टैक्स वसूला जा सकता है लेकिन प्रशासन मानता है कि किसी ने भी दस साल का एकमुश्त टैक्स जमा करा दिया, वह सम्पत्ति में फेरबदल या रद्दोबदल नहीं करता है तो उसे हमेशा कर मुक्त कर दिया जाए। अगर सम्पत्ति में कोई फेरबदल या बढ़ोतरी की जाती है तो बढ़े हुए टैक्स भी दस साल की एकमुश्त अदायगी उसके द्वारा जमा कर दी जाए तो उसको हमेशा के लिए हाउस टैक्स से मुक्त कर दिया जाए। यह प्रावधान होने वाली बात है। उच्च अधिकारी समिति में बी० जे० पी० और कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे उनके बीच में असहमति का एक मुद्दा बन गया और दिल्ली प्रशासन ने इस मामले में जो तय किया वह कांग्रेस के मैम्बर्स की राय से मेल नहीं खाता है। मेरा यहां पर निवेदन करना यह है कि अगर दिल्ली प्रशासन तुरन्त किसी संशोधन या नए कानून का मसौदा केन्द्रीय सरकार को भेज देती तो 31 मार्च से पहले संसद से पास करा लिया जाता। यहां पर नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में 62 हजार से ज्यादा सम्पत्तियां आती हैं। पंजाब नगर पालिका अधिनियम के तहत पालिका को चिट्ठी भी लिख दी है कि साल की समाप्ति से पहले उस साल के अन्तिम आंकलन करने के बिल भेजने होते हैं। अगर नया कानून बनता है तो पालिका को भी सम्पतियों के तीन साल के लिए उनको नोटिस दे दे। उन्हें फाइनल करने के लिए बहुत कम समय मिलता है इसलिए यह अध्यादेश यहां पर लाया गया है, इसके लिए 31 मार्च की बजाए 1992 तक का समय दे दिया जाए।

मेरा निवेदन यह है कि उच्चाधिकार समिति ने क्या सिफारिश की थी और मुझे जहां तक

मालूम पड़ा है उच्चाधिकार समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि कमर्शियल के लिए 45 की बजाए 25 परसेंट कर दिया जाए और मार्केट वेल्यू जो प्रशासन चाहता है कि आज जो जमीन की कीमत है। मान लो उसने वह जमीन 10 साल पहले खरीदी और आज यदि उसकी कीमत 10 लाख की है तो प्रशासन चाहता है कि 10 लाख के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए, कमेटी का कहना है कि 10,000 इसकी वेल्यू है क्योंकि पहले से वह जमीन खरीदी हुई है, तो 10 लाख नहीं 10,000 रुपए के आधार पर इसकी मार्केट वेल्यू होनी चाहिए। इस प्रकार से तीन साल का जो गेप है, समिति ने यह सिफारिश की है कि इस पर रिट्रोसपेक्टिव नहीं लगाया जाना चाहिए। जब कानून पास हो जाए तब इसको लागू किया जाना चाहिए। 1988 से यदि हम इसको लागू करेंगे तो दिल्ली की जनता के साथ एक प्रकार से धोखा होगा।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको आर्डीनेंस के रूप में नहीं, बिल के रूप में यदि सरकार इसको लाती, जब कि आपके पास प्रोपर समय है तो अच्छा होता। वरना भारत के राष्ट्रपति जी का बार-बार आर्डीनेंस निकलवा कर उपयोग किया जाए, इससे उनको कोई लाभ नहीं होता। रूलिंग पार्टी इस समय कांग्रेस में है ये अभी तक जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को धोखा देते आए हैं, अभी भी शायद कांग्रेस पार्टी का मन साफ नहीं है वे फिर से दिल्ली की जनता को धोखा देना चाहते हैं। इसलिए बिल नहीं आर्डीनेंस की मार्फत आप आएं और दिल्ली की जनता को अधिक से अधिक राहत, उच्चधिकार समिति ने जो सिफारिश दी है उसके अनुसार आप उनको राहत दें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सदन 30 मार्च, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दिल्ली नगरपालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्याक 1) का निरनुमोदन करता है।"

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : महोदय, मैंने इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सुना है। यह वास्तव में एक अध्यादेश का अनुसमर्थन है और हम समयावधि को केवल छः महीने तक बढ़ाना चाहते हैं।....(व्यवधान)...

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : यह समयावधि एक वर्ष है।

श्री एम०एम० जैकब : प्रभावशाली अवधि केवल छः माह की है। यह तत्व अथवा विषय की दृष्टि से प्रवर समिति तथा उच्च शक्ति समिति, जिसे माननीय सदस्य अच्छी प्रकार जानते हैं, सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों को प्रभावित नहीं करती। इस समय मेरी समस्या यह है कि हमें इसके लिए अनुसमर्थन जुटाना है। और यदि आप मुझे विधेयक पेश करने की अनुमति दें तो मैं अपने भाषण में सभी विषयों का विस्तारपूर्वक वर्णन कर सकूंगा।

इस समय मुझे और अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती क्योंकि अब हम इस विधेयक पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत लोग बोलेंगे और अन्त में, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर दूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप बिल को मूव कर दीजिएगा और जो प्रश्न इसमें उठाये गये हैं उनका आप जवाब दे दीजिएगा। आप यह आर्डीनेंस न लाते क्योंकि मैं इस आर्डीनेंस का विरोध कर रहा हूं। आप महामहिम राष्ट्रपति जी का समय जाया करते हैं।

[अनुवाद]

श्री एम०एम० जैकब : महोदय, यह अध्यादेश कुछ माह पूर्व प्रख्यापित किया गया था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह अध्यादेश कौन लाया था। मैं इसे नियमित कराए जाने का आग्रह करता हूं। अब मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक तथा पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911, जिस रूप में नई दिल्ली में प्रवृत्त है, पर विचार किया जाए।"

महोदय, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा सम्पत्ति कर का निर्धारित एव वसूली दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत मानक किराये से पूरी तरह सम्बद्ध है। इस अधिनियम में दिल्ली किराया नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 1988 के माध्यम से संशोधन किया गया जो 1 दिसम्बर, 1988 से प्रभावी हुआ। इस संशोधन अधिनियम में मुख्य परिवर्तन इस प्रकार लाए गए :

(क) भवन का प्रतिमाह 3500 रुपए या इससे अधिक किराया 'किराया नियन्त्रण अधिनियम' के दायरे में नहीं आएंगे;

(ख) 1 दिसम्बर, 1988 के बाद निर्मित सम्पत्ति का कर-निर्धारण विभिन्न श्रेणियों की सम्पत्ति पर लागू मानन किराए के अनुकूल नहीं जाएगा क्योंकि निर्माण लागत आदि में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है; और

(ग) एक ऐसा प्रावधान किया गया कि प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात मकान मालिक और किराएदार के बीच सहमत मानक किराए अथवा किसी अन्य तरह के किराए में (जहां मानक किराया निर्धारित नहीं किया गया है) 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी।

उपर्युक्त संशोधनों के परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर के निर्धारण में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता हुई। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 126 के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम के आयुक्त के लिए 1 दिसम्बर, 1988 से कर-निर्धारण सूची में संशोधन करना और उसी वित्त वर्ष में अर्थात 31 मार्च, 1989 तक ऐसे संशोधन हेतु नोटिस जारी करना अपेक्षित हो गया। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए, कि भारी संख्या में सम्पत्तियां—लगभग 5 लाख का संशोधन किया जाना था, और यह कि सम्पत्ति-मालिकों को नोटिस जारी करने के लिए उपलब्ध समय बहुत कम था, इसलिए आयुक्त के लिए इन सम्पत्तियों का पर्यवेक्षण पूरा कराना, दस्तावेजों की संवीक्षा कराना और 31 मार्च, 1989 से पहले सुनिश्चित नोटिस जारी कराना सम्भव नहीं था। अतः दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में दिल्ली नगर निगम विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 के माध्यम से संशोधन किया गया

ताकि 1 अप्रैल, 1980 और 1 अप्रैल, 1989 से शुरू होने वाले वर्षों के लिए 1 अप्रैल, 1991 से पहले नोटिस जारी करने हेतु समय उपलब्ध कराया जा सके।

इसी प्रकार दिल्ली नगर निगम विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा नई दिल्ली में लागू पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 में भी संशोधन किया गया ताकि नई दिल्ली नगरपालिका 1-4-1988, 1-4-1989, और 1-4-1990 से शुरू होने वाले वित्त वर्षों के लिए 1 अप्रैल 1991 से पहले कर-निर्धारण सूची में संशोधन हेतु नोटिस जारी कर सके।

मार्च, 1991 में ऐसा महसूस किया गया कि सम्पत्तियों का सर्वेक्षण, रिकार्डों की संवीक्षा और नोटिस जारी करने से सम्बन्धित कार्य की अधिकता को देखते हुए 1 अप्रैल 1991 तक सारा कार्य समाप्त करना कठिन है। अतः नोटिस जारी करने हेतु समय 31 मार्च, 1992 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। चूंकि उस समय संसद सत्र नहीं चल रहा था, अतः 1 अप्रैल 1992 से पहले नोटिस जारी करने की अनुमति प्रदान करने हेतु दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 और पंजाब नगरपालिका अधिनियम 1911 के सम्बद्ध उपबन्ध में संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति ने 31 मार्च, 1991 को एक अध्यादेश जारी किया।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश के स्थान पर लाया जा रहा है। यह विधेयक इसलिए अनिवार्य हो गया है क्योंकि इससे कर-निर्धारण सूचियां तैयार करने में अनावश्यक जल्दबाजी को रोकने और कर-दाताओं पर अत्यधिक कराधान एवं परेशानियों से उत्पन्न दावों पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। इससे दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

मैं इस विधेयक को सभा के विचार एवं पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और नई दिल्ली में लागू पंजाब नगर-पालिका अधिनियम, 1911 में आगे संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, इस पर 28 अक्तूबर, 1971 तक विचार प्राप्त करने हेतु, परिचालित किया जाए।"

3.00 म० प०

सभापति महोदय : इन विधेयकों को ऊपरिसदन में भेजने हेतु पारित किया जाना है। मैं सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। श्री मदन लाल खुराना भाषण देंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : सभापति महोदय, बिल के अन्दर बहुत छोटा अमेंडमेंट है। अभी मन्त्री जी से कहा कि एक अप्रैल, 1991 की जगह 31 मार्च 1992 करना है।

[श्री मदन लाल खुराना]

मन्त्री जी ने बैकग्राउन्ड दी है कि 1989 के अन्दर एक आर्डिनेंस आया था। वह आर्डिनेंस इसलिए आया था कि दिल्ली के चुनाव ड्यू थे। 5 फरवरी 1983 को पांच साल के लिए दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन और मैट्रोपोलिटन कौंसिल के चुनाव हुए थे। 1988-89 में चुनाव एक्सपेक्टेड थे। चूंकि बिल बढ़ाकर भेजा गया था। इसकी दिल्ली के अन्दर चर्चा थी। मैट्रोपोलिटन कौंसिल में भी हमने इस मामले को उठाया था। कांग्रेस चूंकि चुनाव फेस नहीं कर सकती थी इसलिए उस समय तीन साल के लिए एक्सटेंड किया था और यह कहा गया कि कमेटी बैठेगी। दिल्ली के भी जय प्रवेश चन्द्र, सी०ई० सी० थे। उनकी अध्यक्षता में कमेटी बैठी। एक भी रिपोर्ट या एक भी कार्य उस कमेटी ने नहीं किया। इसके बाद सरकार बदल गई। जैसा अभी कहा गया कि श्री विजय कुमार मल्होत्रा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बैठी। इस कमेटी की सिफारिशों के ऊपर आने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। आज जिस तरह से हाउस टैक्स के बिल आ रहे हैं उससे दिल्ली के अन्दर हाहाकार मचा हुआ है। यह सिद्ध करता है कि दिल्ली के अन्दर कोई एकाउन्टेबल प्रशासन नहीं है। दिल्ली का कोई माई-बाप नहीं है। दिल्ली की समस्या को किस मंच के ऊपर डिसकस किया जाए। यहां पर कोई निर्वाचित मंच नहीं है इसलिए वे लोग दिल्ली के बारे में नीतियां तय कर रहे हैं जिनको दिल्ली के प्रति न तो लगाव है और न दिल्ली के प्रति जवाबदेह हैं चाहे डेसू, डी०टी०सी०, सड़कों या एण्ड आर्डर की समस्या हो। उसी तरह की हाउस टैक्स की भी समस्या है।

जिसके बारे में मैंने अभी आपसे निवेदन किया। अब मैं आपका ध्यान इस कमेटी की सिफारिशों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह एक बाइफिशल रिपोर्ट है। मैं चाहूंगा कि इस रिपोर्ट को हमारा मन्त्रालय अध्ययन करे और इसको दूसरे शहरों के ऊपर भी लागू किया जाना चाहिए। अभी तक जो हाउस टैक्स मांग रहे हैं वे मार्केट वेल्यू से मांग रहे हैं। इस कमेटी की सिफारिश थी कि जों उसकी कोस्ट प्राइस है उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। अगर डी०डी०ए० से किसी ने एक लाख का मकान लिया है तो उस एक लाख के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, अगर वह स्वयं रहता है, सेल्फ आक्यूपाइड है। अगर उसने किराए पर दे दिया तो आप बढ़ा दें। इसलिए अगर डेढ़-दो लाख रुपए का मकान है तो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। अगर उसकी मार्केट वेल्यू दस लाख रुपए हो गई तो दस लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, यह अनुचित बात है। क्योंकि उस आदमी ने जब वह मकान लिया था तो उसकी कीमत उस वक्त दो लाख थी, अगर आप आज की मार्केट वेल्यू के हिसाब से दस लाख की कीमत आंक कर टैक्स लगाएंगे तो मिडिल इनकम ग्रुप वाले या लो इनकम ग्रुप वाले कैसे अदा करेंगे। एक आदमी की फिक्स इनकम दो हजार रुपए है और उस पर टैक्स लग रहा है दो हजार रुपए महीने का, यानि पच्चीस-तीस हजार रुपए सालाना वह कैसे टैक्स का पैसा अदा करेगा। ऐसे भी केसेज देखने में आए हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि मकान की कोस्ट प्राइस पर ही टैक्स लगना चाहिए।

ऐसे ही अभी तक जो टैक्स लगता है वह 34 प्रतिशत लगता है। इस कमेटी ने सिफारिश की है कि अधिक से अधिक जो टैक्स लगे वह 20 प्रतिशत लिया जाए और न्यूनतम 12 प्रतिशत लिया जाए। इसको सब लोग पे करेंगे।

एक बात और मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं। प्रापर्टी टैक्स के अन्दर

जब जब कार्पोरेशन को जरूरत पडी उसी में वाटर टैक्स भी जोड़ दिया, सफाई कर भी उसमें शामिल कर लिया और उसी में एजुकेशन का सेस भी शामिल कर लिया। हमारा कहना है कि प्रापर्टी टैक्स का मतलब प्रापर्टी टैक्स ही हो। उसके अन्दर एजुकेशन सैस भी शामिल कर लिया जाए और चीजें भी शामिल कर ली जायें यह जायज नहीं है, यह मुनासिब नहीं है।

हाउस टैक्स का मतलब हाउस टैक्स ही होना चाहिए। उसके अन्दर दूसरे सैस या टैक्स शामिल नहीं होने चाहिए। यह उस कमेटी की रिपोर्ट है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। यह जो बिल आए हैं इनको प्रशासन या नगरपालिका तय नहीं कर पाई है। जबकि इसका जिम्मेदारी लोगों के ऊपर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी राजनीतिज्ञों पर है या जो लोग शासन चला रहे हैं उन अधिकारियों पर है। लेकिन वे लोग दिल्ली के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। उनकी जो गलती है उस गलती का परिणाम या खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस कमेटी की जो शिफारिशें हैं उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना चाहिए न कि अभी से लागू किया जाए। यह मेरा इसके अन्दर निवेदन है।

इस कमेटी के अन्दर दिल्ली प्रशासन, दिल्ली कार्पोरेशन, बी०जे०पी० के सदस्य, कांग्रेस के और अन्य लोग थे और रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित हुई थी। उसको दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों ने, दिल्ली कार्पोरेशन ने भी मंजूर कर लिया। जहां आप इनमें संशोधन करने जा रहे हैं वहां आप यह भी निर्देश दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर प्राब्लम्स आयेंगी। आपने तारीख बदल दी, लेकिन अपनी गाइड लाइंस नहीं बताईं। अगर आप इन शिफारिशों के बारे में चुप रहे तो फिर वे अपने फार्मूले के अनुसार प्रापर्टी टैक्स लगायेंगे और फिर दिल्ली में हाहाकार मचेगा और जिस पर्पज के लिए यह कमेटी बैठी थी या जिस पर्पज के लिए यहां हम संशोधन कर रहे हैं।

वह परपज फेल हो जाएगा और वह ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां हम इस अमेंडमेंट को स्पोर्ट कर रहे हैं, आप पहले थोड़ा टाईम दे दीजिए लेकिन अफसरों को एक बात कह दीजिए कि अब चार साल हो गए हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं हो रहा है। दिल्ली की जनता के ऊपर तलवार लटक रही है अनिश्चितता की। इसलिए इसके बाद टाईम नहीं मिलेगा। 31 मार्च, 1992 से पहले पहले यह सारा प्रापर्टी टैक्स का मामला फाईनलाईज करें और गाईडलाइन्स दें।

सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जो रिपोर्ट है, वह सर्वसम्मत है जिस पर दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम सहमत हैं, उसको लागू करवाइए तब मैं समझता हूं कि हम जो यहां अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसमें हम सफल हो पायेंगे और उस उद्देश्य को भी, जिस उद्देश्य को यहां हमने रखा है, प्राप्त कर सकेंगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से इस बात को कहना चाहता हूं कि यह जो एक समस्या है जिसे आप बता रहे हैं और वह गत चार साल से लटक रही है, आप दिल्ली मैट्रोपालिटन कौंसिल और दिल्ली कारपोरेशन के चुनाव जल्दी से जल्दी करायें जो ड्यू हैं। गत बार 5 फरवरी, 1983 को चुनाव हुए थे जिसे आठ साल हो गए हैं। इसलिए दिल्ली के लोगों को अपने भाग्य का फैसला करने दीजिए ताकि दिल्ली के इलेक्टेड मैम्बर्स जो दिल्ली के प्रति एकाऊंटेबल हों, दिल्ली की जानकारी रखते हों, वे दिल्ली की समस्याओं को हल कर सकें। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जो कि दिल्ली नगरपालिका विधि (सशोधन) अध्यादेश, 1991 का स्थान लेने हेतु प्रस्तुत किया गया है। दूसरे पक्ष से विद्वान वक्ता, जो अभी-अभी इस विषय पर बोले हैं तथा जो इस सभा में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने इस अध्यादेश के विभिन्न उपबंधों का स्वागत किया है। उन्होंने अपने तरीके से इसमें सुधार करने के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। उनके अनुसार इस अध्यादेश में कई अच्छे उपबंध हैं, जिनका स्वागत है।

माननीय मंत्री महोदय ने विधेयक प्रस्तुत करते समय स्पष्ट किया कि इस विधेयक के दो पहलू हैं। एक ओर तो इससे अवांछित परेशानी, सम्पत्ति धारकों और मकान मालिकों की परेशानियां आदि कम होंगी और दूसरी ओर इससे नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी होगी। नगर निगम की आय में काफी वृद्धि हो जाएगी जोकि समय की मांग है।

दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण यहां एक बहुत अच्छा एवं आदर्श नगर निगम होना चाहिए। नगर निगम की हर दृष्टि से एक आदर्श होना चाहिए। इसका कार्यकरण भी अत्यन्त स्वच्छ एवं सक्षम होना चाहिए। जैसाकि आप जानते हैं दिल्ली में प्रतिदिन प्रतिष्ठित विदेशी गणमान्य व्यक्ति आते रहते हैं।

स्थानीय विकास जैसी कई बातों की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है।

जब तक निगम आदर्श नहीं होगा और वह अपना कार्य सही ढंग से नहीं करेगा, तब तक इसका अपना अस्तित्व खतरे में रहेगा और इसके साथ ही बाहर से आने वाले गणमान्य व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव छोड़ेगा। निस्सन्देह देश में हमारी अपनी सम्पत्ति है और अपनी कई समस्याएं हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद दिल्ली को विश्व के पांच सुन्दर शहरों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। इसकी यह प्रतिष्ठा है और हमें अपनी कार्यप्रणाली द्वारा इस प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। इस अध्यादेश अथवा हमारे समक्ष इस विधेयक के अनुसार प्राधिकारियों को वह सम्पत्ति भी इसमें सम्मिलित करने का अधिकार मिल जाता है जो सम्पत्ति पहले इसमें सम्मिलित होने मे रह गई हो और सम्पत्ति सम्बन्धी किसी गलती अथवा भूल को भी सुधारने का अधिकार मिल जाता है। उदाहरण के लिए यदि सम्पत्ति का ऊंची दर पर कर निर्धारण आदि हुआ हो तो उसमें भी सुधार किया जा सकता है। यह सब स्वागत योग्य बातें है लेकिन इसके साथ-साथ राजस्व एवं कराधान प्रक्रिया का समुचित रक्षोपाय होना चाहिए। हमारे कानून में बड़े अच्छे प्रावधान हैं, लेकिन जब नौकरशाहों या अधिकारियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है तो कभी-कभी इसकी मूल भावना लुप्त हो जाती है और कार्यान्वयन के रास्ते में कुछ अन्य बातें आड़े आने लगती हैं। कार्यान्वयन के प्रभारी अधिकारी अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाते हैं जिसके कारण जाहिर हैं। कुछ अधिकारियों की सदा यह प्रवृत्ति रहती है कि वे इससे पैसा बनाएं। आपको देखना है कि इसे कैसे रोका जाए—भ्रष्टाचार आदि पर किस प्रकार रोक लगाई जाए।

अब इस विषय पर बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रह गया है लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कभी-कभी मैं असमंजस में पड़ जाता हूं कि दिल्ली में हमारे शहरी जीवन के विभिन्न

पहलुओं से कई संस्थाएं अथवा संगठन जुड़े हुए हैं जैसे—दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली महानगर परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि। निस्सन्देह इनके बीच थोड़ा-बहुत अन्तर है। मैं यह नहीं कहता कि इनमें बिल्कुल भी अन्तर नहीं है, थोड़ा अन्तर तो है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन सभी संगठनों के बीच समुचित समन्वय स्थापित करें ताकि वे एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र आदि का अतिक्रमण न करे और इनमें निहित प्रयोजन पूरा होता रहे। यदि दिल्ली में संगठन कम होंगे तो मैं समझता हूं कि इससे असमंजसता की स्थिति कम होगी और मेरा विचार है कि इसका स्वागत होगा। खैर, जो भी हो, कम से कम इन सब संगठनों के बीच समुचित समन्वय होना ही चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में दो कानूनों का संदर्भ दिया गया है—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911। कभी-कभी मैं यह देखकर क्षुब्ध हो जाता हूं कि यह पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 आजादी के कितने वर्ष पहले पारित किया गया था। मेरा कहने का आशय यह है कि 1911 से अब तक सब जगह भारी परिवर्तन आ गया है और अभी भी भारी परिवर्तन आ रहा है। दिल्ली हमारी राजधानी है। इसलिए क्या हमारे पास दिल्ली के लिए एक ऐसा व्यापक कानून नहीं होना चाहिए जो इन सभी पहलुओं से निपटे? और फिर दिल्ली में लागू कुछ अन्य कानूनों का हवाला देने की क्या आवश्यकता है? मैं इस सबसे क्षुब्ध हो जाता हूं। मुझे इससे कुछ एलर्जी है। अब हालात बदल रहे हैं और हम भी बदलती हुई परिस्थितियों के साथ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन पुराने कानूनों को क्यों अपनाएं? यह एक सतत प्रक्रिया है। दिल्ली हमारी राजधानी है और इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि हम इस शहर का निर्माण और अधिक सुन्दरता से करें। यह एक बहुत अच्छा और खूबसूरत शहर है और यह विश्व के खूबसूरत शहरों में से एक है। हम कहते हैं कि बंगलौर शहर उद्यानों का शहर है। दिल्ली को भी उद्यानों का शहर बनाया जा सकता है। इसलिए दिल्ली शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हमें और प्रयास करने चाहिए और एक व्यापक कानून होना चाहिए। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया था। हमें यह भी देखने की कोशिश करनी चाहिए कि कार्यप्रणाली को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाए कि अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता बहुत कम रह जाए। फिर, किसी विधेयक या अध्यादेश को तैयार करते समय कुछ अधिक यथार्थता होनी चाहिए ताकि हमें कुछ संशोधन लेकर अक्सर सभा के समक्ष आने की आवश्यकता न पड़े। इस प्रक्रिया में सरकार को संसद के समक्ष समय में वृद्धि की मांग करनी पड़ती है और यदि सभा का सत्र नहीं चल रहा है तो उन्हें फिर अध्यादेश जारी करना पड़ता है। इसलिए सम्बन्धित अधिकारियों को इस मामले पर अधिक सावधान रहना चाहिए ताकि भविष्य में इससे बचा जा सके।

महोदय, दूसरे पक्ष की ओर से भी इस विधेयक का विरोध नहीं हो रहा है। उन्होंने केवल कुछ सुझाव दिए हैं। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं हमारे समक्ष रखे विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु मैं इस अवसर पर दिल्ली शहर की हालत पर कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं।

जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में उस स्थिति का उल्लेख

[श्री सैयद शाहाबुद्दीन]

किया गया है जिसमें अध्यादेश जारी किया गया था और मैं पूर्ण रूप से इस बात की सराहना करता हूं कि नगर निगम के अधिकारियों को मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के लिए समय बढ़ा देना चाहिए था और मेरे विचार से दी गई समय सीमा इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। यह समय सीमा 31 मार्च, 1992 तक है। फिर भी, मेरा यह विचार है कि माननीय मदनलाल खुराना द्वारा बढ़ी हुई दरों के भूतलक्षी प्रभाव के सम्बन्ध में उठाई गई बातों पर यथोचित विचार किया जाना चाहिए। यदि मूल्यांकन में देर हो गई है, तो इसमें कर दाता का कोई दोष नहीं है और उस पर पूर्व मूल्यांकन के आधार पर बढ़ी हुई दर का अचानक भार डालना उचित नहीं होगा।

इसलिए मैं सरकार को यह तर्क देता हूं कि यदि मूल्यांकन 31 मार्च, 1982 से पहले पूरे हो जाते हैं तो ये मूल्यांकन केवल चालू वित्त वर्ष से ही लागू होने चाहिएं।

दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं तथा जिस पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि दिल्ली के नागरिक कई सम्पत्तियों को अपने व्यवसाय या धन्धे के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। दिल्ली एक बड़ा महानगरीय केन्द्र है और सम्पत्ति का वाणिज्यिक मूल्य प्रतिदिन बढ़ रहा है। उन सम्पत्तियों के लिए कुछ रियायत दी जानी चाहिए जो स्वयं के उपयोग के लिए हैं, चाहे निवास के उद्देश्य से हैं या व्यवसाय के उद्देश्य से उपयोग हेतु हैं। एक व्यक्ति के पास 50 वर्ग मीटर या 25 वर्ग मीटर का छोटा सा घर हो सकता है। एक व्यक्ति के पास एक छोटी सी 10 मीटर की दुकान हो सकती है और संभवतः वह प्रतिवर्ष बढ़ी हुई दर पर नगर निगम कर नहीं दे सकता हो। मैं नगर निगम के अधिकारियों के पुनर्मूल्यांकन तथा दरों के पुनर्निर्धारण के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं। यह काम वे प्रतिवर्ष या प्रति कुछ वर्षों में कर सकते हैं। परन्तु मैं कहता हूं कि जिन लोगों के पास अपनी सम्पत्तियां हैं, या वे उनके अपने कार्य अथवा व्यवसाय के लिए हैं, उनके हित में इस प्रक्रिया में कुछ छूट अवश्य दी जानी चाहिए।

मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में नगरीय सेवाएं बिखरने के कगार पर हैं। मैं पोश कालोनियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं दिल्ली की सड़कों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं दक्षिणी दिल्ली की कालोनियों की बात भी नहीं कर रहा हूं। उनका रख-रखाव बहुत अच्छा है। मैं नहीं जानता कि क्या वास्तव में उन बस्तियों के लोग उनके सुन्दर पार्कों, उन बस्तियों में बिछी सुन्दर सड़कों तथा उन्हें मिलने वाली सेवाओं पर होने वाला पूरा खर्च देते हैं। परन्तु मैं यह अवश्य जानता हूं कि पूर्वी दिल्ली में ऐसी गन्दी बस्तियां हैं जिनमें वास्तव में कोई सेवाएं नहीं दी जाती हैं। एक ओर तो आपके पास उद्यानों का खूबसूरत शहर है, दूसरी ओर लबालब भरे नालों तथा नालियों का शहर है जिसमें नाले सड़कों पर बह रहे हैं और इसलिए मेरा सुझाव है कि दिल्ली के नगर निगम अधिकारी—और मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस बात पर ध्यान दें—दिल्ली के सभी लोगों, दिल्ली की सभी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें और वास्तव में बस्तियां प्रतिदिन फैल रही हैं और दिल्ली में बाहर से अधिकाधिक लोग आ रहे हैं। एक उपयुक्त योजना बनाने तथा यह देखने के लिए कि बस्तियों का विस्तार उटपटांग ढंग से नहीं हो, कुछ प्रयास किए जाने चाहिएं। यदि

न्यूनतम नगरीय सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई प्रयास किया जाता है तो मेरे विचार में देश के सभी लोगों के लिए दिल्ली रहने हेतु एक बेहतर स्थान हो सकता है।

जिन लोगों ने पांचतारा संस्कृति अपना ली है उनके लिए दिल्ली गर्व की बात नहीं होनी चाहिए। यह दिल्ली आने वाले देश के हर नागरिक के लिए गर्व की बात होनी चाहिए।

मैं संसद में उत्तरी बिहार के पूर्णिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरा विश्वास है कि पूर्णिया के विभिन्न क्षेत्रों के कम से कम 50,000 लोग दिल्ली में रहते और काम करते हैं। जिन निराशापूर्ण हालातों में वे रहते हैं उनका बयान मैं शब्दों मे नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से मिलने पूर्णिया से यहां आता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं और यह देश में सभी पर लागू होता है। उसने दिल्ली के बारे में बहुत कुछ सुना है। वह दिल्ली में ताजा हवा, खूबसूरती तथा प्राकृतिक दृश्यों को लुत्फ उठाने आता है वह वास्तव में लोगों को नालियों में पड़े देखता है। नगरीय सेवाओं में यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए।

आज या कल मैंने अखबार में पढ़ा था कि दिल्ली की एक ही कालोनी, डिफेंस कालोनी जहां शायद एक हजार परिवार रहते हैं, की सड़कों की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

नगर निगम के संसाधनों में नालियों तथा सड़कों जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के बायदे में इस भेदभाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

महोदय, दिल्ली का दूसरा पहलू, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वह यह है कि दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है, दिल्ली स्मारकों का शहर है और ये स्मारक केवल प्राकृतिक रूप से ही नष्ट नहीं हो रहे बल्कि मानव कृत्यों के कारण—प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हैं। शताब्दी के अन्त में केन्द्र सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया था और उन्होंने पाया कि दिल्ली में लगभग 1200 स्मारक हैं। आज उनमें से आधे स्मारकों का पता नहीं है। वे लुप्त हो गए हैं। उन्हें केन्द्र के अधीन संरक्षण में नहीं लिया गया। उनमें से कुछ को संरक्षण दिया गया है और बाकी का दायित्व दिल्ली प्रशासन पर है। दुर्भाग्य-वश, उनके लिए कुछ अधिक नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर, हाल ही में दिल्ली शहर के म्यूजियम के लिए हमारे पास एक परियोजना थी। मैं नहीं जानता कि यह परियोजना कहां तैयार हुई थी। एक म्यूजियम स्थापित करने के बारे में बात चल रही थी जिसमें पूर्व ऐतिहासिक काल से अब तक दिल्ली शहर के उदभव तथा विकास को दिखाया जाएगा। मेरा यह सुझाव है कि यदि किसी शहर के ऐतिहासिक अतीत को कायम रखना है, उसकी ऐतिहासिक स्मृति को कायम रखना है, इतिहास में उसके स्थान को कायम रखना है तो यह आवश्यक है कि हम उसके ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल करें और इन सभी चीजों को विश्वभर से आने वाले आगन्तुकों तथा लोगों के सामने रखने की कोशिश करें। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि पुराने शहर की हालत बहुत खराब है।

मैं सोचता हूं पुराने शहर, पुराने शाहजहांबाद, किलेबन्द शहर की जितनी देखरेख दिल्ली नगर निगम अथवा दिल्ली के अधिकारियों द्वारा की गई है उससे कहीं अधिक देखरेख की उसे आवश्यकता है।

[श्री सैयद शाहाबुद्दीन]

इस तरह की लापरवाही का एक कारण यह है कि जहां एक ओर तो हम अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मामले में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अधिकाधिक केन्द्रीयकरण हुआ है। न केवल प्राधिकरण अनेक हैं जिससे परस्पर-अतिक्रमण तथा लापरवाही उत्पन्न होती है अपितु निर्णय लेने की प्रक्रिया की कई परतें हैं और अन्ततः हर बात केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार दिल्ली परिवहन व्यवस्था को क्यों चलाती है अथवा केन्द्रीय सरकार दिल्ली विद्युत प्रदाय व्यवस्था को क्यों चलाती है, दिल्ली आवासीय व्यवस्था को चलाने में केन्द्रीय सरकार का हाथ क्यों है। मैं इसे नहीं समझ सका। इसलिए मेरा सुझाव है कि दिल्ली को खुद को चलाने में, अपना शासन चलाने में, अपना नियंत्रण खुद करने में दिल्ली की भूमिका अवश्य होनी चाहिए, अतएव, इस अवसर पर मैं दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने की दिल्लीवासियों की मनोवांछित मांग को स्वीकार करने का सरकार से आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय : केवल दिल्ली के लिये ? अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह आदि के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार) : वहां पर एक घटिया किस्म की सरकार है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : दिल्ली के पक्ष में बोलते हुए मैं औरों के दावों की बात नहीं कर रहा हूं किन्तु मेरा मानना है कि दिल्ली का अतिविशिष्ट स्थान है और उसे राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। इस बाबत, हमें कम से कम इतना तो तुरन्त कर देना चाहिए कि हम दिल्लीवासियों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने, अपने प्रतिनिधि खुद निर्वाचित करने दें। यह पहला कदम होगा। चार वर्षों से, कुछ मामलों में 8 वर्ष भी हो सकते हैं, नगरपालिका के चुनाव नहीं हुए हैं। महानगर परिषद झमेले में है। दिल्ली के लोगों को अपने मामलों की खुद देखरेख करने में कोई हाथ नहीं है। मेरे विचार से यह स्थिति खत्म होनी चाहिए। सरकार द्वारा दिल्ली को स्वायत्तता प्रदान करने, उसे राज्य का दर्जा देते हुए, यह समीचीन होगा कि वे कम से कम दिल्ली नगर निगम के चुनावों तथा दिल्ली महानगर परिषद के चुनावों, जिन्हें समय-समय पर बार-बार स्थगित किया गया है, की तिथियों की घोषणा कर दें।

एक और बात मैं कहना चाहूंगा। मैं ऐसी आवासीय व्यवस्था में विश्वास रखता हूं जो नगरपालिका द्वारा की गई हो। जब मैं अल्जीरिया में भारत का राजदूत था, मुझे उनकी आवासीय व्यवस्था का अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। उस देश ने अपनी आजादी की लड़ाई के दस वर्षों के दौरान अपनी लगभग सभी आवासीय इकाइयां गंवा दी थीं। वहां की सारी व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। किन्तु उन्होंने एक ऐसे मॉडल (प्रतिरूप) से प्रेरणा ग्रहण की जिसे फ्रांस के मार्सेलिस नगर के महान नगर प्रमुख (मेयर) ने मुकम्मिल किया था और जिसने उस नगर के लिए नगरपालिका-आवासीय-व्यवस्था का सृजन किया था। उन्होंने उन लोगों के रहने के लिए बड़े-बड़े भवनागार निर्मित किये जिनके घर स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान होने वाले समर-संग्रामों में धूलि धसरित कर दिये गये थे।

मेरे विचार से एक बार दिल्ली को राज्य का दर्जा मिल जाने पर, बहुधा होने वाली इस बुलडोजिंग जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, के बजाय लोगों को उनकी जीविका के साधनों से वंचित किए

बिना फिर से बसाने, संभवतः बहुमंजिली इमारतों में, का एक नियोजित तथा सुव्यवस्थित ढंग निकाला जाएगा, और इस तरीके से कि उनकी आजीविका पर असर न पड़े ।

इन चन्द विचारों के साथ जो मैंने आपके सम्मुख रखे हैं, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और एक बार फिर से, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कम से कम पिछली तिथियों से प्रभावी बनाने के प्रश्न से—जो कि मेरे मन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है—तो उन्मुक्ति प्रदान करे। नई दर उनके निर्धारण की तिथि से प्रभावी मानी जानी चाहिए, पिछली तिथि से नहीं। दूसरी बात, जायदादों का स्वयं उपयोग करने वालों पर यह वृद्धि बार-बार लागू नहीं की जानी चाहिए।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): यह विधेयक दिल्ली नगर निगम के सम्बन्ध में खास कर सम्पत्तियों के कर-निर्धारण के लिए प्राख्यापित अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया है। मैं अपने पूर्व-वक्ताओं से सहमत हूं कि यह पिछली तिथि से प्रभावी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका प्रभाव उनमें रहने वाले उन गृह-स्वामियों पर पड़ेगा जिनकी कोई गलती नहीं है। यह प्रशासन की गलती के कारण हुआ है; प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का विलम्ब किये जाने से अथवा टाल मटोल किए जाने के कारण हुआ और इस कारण से, लोगों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

एक और बात जिसका मैं भी समर्थन करता हूं यह है कि जो लोग सम्पत्ति के स्वामी हैं तथा उसका उपयोग अपने लिए, अपने रहने अथवा अपने द्वारा चलाए जा रहे किसी कारोबार के हेतु कर रहे हैं, उन्हें कर-निर्धारण की प्रक्रिया में विशेष रियायत मिलनी चाहिए। यह सत्य है कि दिल्ली में, जायदादों की कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं और यह भी सत्य है कि नगरपालिका अधिकारियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए तथा करो का निर्धारण मूल्य में वृद्धि के अनुरूप ही करना चाहिए। हमारे देश के विभिन्न नगरों में इसी ढंग से करों का निर्धारण किया जाता है।

इन बातों पर विचार कर, जिन सम्पत्तियों का उनके स्वामियों द्वारा स्वयं कारोबार के लिए अथवा रहने के लिए उपयोग किया जा रहा हो, उन्हें विशेष रियायतें मिलनी चाहिए।

जहां एक ओर इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा एक अध्यादेश को कानून का रूप दिया जा रहा है, मैं एक प्रमुख बात कहना चाहता हूं। उसका उल्लेख पूर्व-वक्ताओं द्वारा भी किया गया है और वह नगर निगम के चुनावों के बारे में है जो दिल्ली में कई वर्षों से नहीं हुए हैं। यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है। अनेक महानगरों में तथा अनेक शहरों में सत्तारूढ़ कांग्रेस (ई) पार्टी चुनाव कराने की इच्छुक नहीं है। यह तो वहां की बात है जहां उनका शासन है। शायद दिल्ली में भी वे चुनाव कराने के इच्छुक नहीं है। इस विधेयक का समर्थन करने की प्रक्रिया में, मैं आपके माध्यम से एक विशेष उपबन्ध रखना चाहता हूं कि सदन यह संकल्प ले कि दी गई समय-सीमा के भीतर दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो जाने चाहिए। यह विशेष उपबन्ध हम संसद के माध्यम से सरकार पर रखना चाहते हैं।

इस विधेयक का समर्थन करने की प्रक्रिया में मैं यह कहना चाहूंगा कि नगरपालिका द्वारा उपलब्ध सेवा का स्तर गिर गया है और अनेक प्राधिकरण होने के कारण—एक दिल्ली विकास प्राधिकरण है, दूसरा दिल्ली नगर निगम है तथा तीसरा महानगर परिषद है—मुद्दों के विषय में उनके अधिकार-

[श्री तरित वरण तोपदार]

क्षेत्र परस्पर अतिक्रमण करते हैं कि किस चीज़ का निर्णय कौन करेगा, किस समिति का क्या अधिकार-क्षेत्र है, आदि। इन्हीं बातों से साधारण मामले भी जटिल हो जाते हैं।

फिलहाल मैं यह नहीं कहना चाहता कि दिल्ली को राज्य का दर्जा तुरन्त दिया जाना चाहिए। मैं अभी इस प्रश्न की चर्चा नहीं कर रहा हूं। जब यह मुद्दा उठेगा, हम चर्चा करेंगे और अन्तिम निर्णय लेंगे। किन्तु विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। दिल्ली के लोगों की अब का अपनी नगरपालिका सम्बन्धी गतिविधियों में, अपनी नगरपालिका सम्बन्धी सेवाओं में महत्व होना चाहिए। उन्हें नगरपालिका सम्बन्धी गतिविधियों से जुड़े अपने काम-काज स्वयं करने की शक्तियां दी जानी चाहिए। हजारों करोड़ रुपये दिल्ली के लिए खर्च किए जा रहे हैं। किन्तु गन्दी बस्तियों में रहने वाली पहले जैसी हालत में ही रह रहे हैं और एक ओर शोचनीय तस्वीर ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसलिए जवाबदेही निर्धारित करने के लिए और साथ ही साथ दिल्ली नगरपालिका सम्बन्धी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली नगर निगम के चुनाव फौरन होने चाहिए। महानगर परिषद के चुनाव भी तुरन्त होने चाहिये। दिल्ली के मामलों का नियंत्रण करने वाले प्राधिकारियों के बीच समन्वय भी स्पष्ट रूप से होने चाहिये और इसी तरह से कार्य किये जाने चाहिये।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का अत्यन्त सीमित उद्देश्य है। हालांकि दूसरे पक्ष के सदस्यों ने इसमें कई प्रश्न पूछने चाहे हैं, इस विधेयक को लाने का क्या उद्देश्य था? जब सदन का सत्र नहीं था तो एक अध्यादेश जारी किया गया था। अब सरकार उसे निरस करना चाहती है, इसलिए इस विधेयक को पारित करना आवश्यक है।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि;

"1 दिसम्बर, 1988 से दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम 1988 के लागू होने के परिणामस्वरूप, दिल्ली नगर निगम के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह अधिसंख्य सम्पत्ति करदाताओं को संशोधित नोटिस भेजे जैसा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और पंजाब नगर अधिनियम, 1911 में निहित है तथा जैसा कि नई दिल्ली में लागू है।"

इसके बाद वे कहते हैं,

"ऐसी सम्पत्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया जाना है, उनकी संख्या अधिक होने के कारण आयुक्त, व्यवस्थित सर्वेक्षण और दस्तावेजों की उचित जांच पर आधारित नोटिसों को जारी करने की स्थिति में नहीं थे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि नोटिस उचित जांच के पश्चात जारी किये गये थे, मूल्यांकन आरम्भ करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि इसका समय 31 मार्च, 1992 तक बढ़ा दिया जाए।"

मैं विचार से यह इस विधेयक का उद्देश्य है। इसलिए, इस विधेयक पर बहस की बहुत कम गुंजाइश है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ सदन के विचारार्थ दो शब्द कहना चाहूंगा।

मैं इससे सहमत नहीं हूं कि जब श्री खुराना ने कहा कि दिल्ली में चुनाव नहीं हुए, इसलिए वे

सब मुद्दे लम्बित पड़े हुए हैं, इसलिए कई कार्य नहीं किये जा सके हैं। ऐसा नहीं है, संघ राज्य क्षेत्रों की समस्याएं सर्वथा भिन्न हैं, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की एक भिन्न प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है। पांडिचेरी में विधानमंडल है, यह एक संघ राज्य क्षेत्र है जिसका विधानमंडल है; दिल्ली में महानगर परिषद है और नगर निगम है, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्रदेश परिषद है, इसी तरह लक्षद्वीप में प्रदेश परिषद है। इस प्रकार विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में भिन्न प्रशासनिक प्रणालियां हैं, श्री खुराना ने जो मांग की है वह यह है कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समान नीति होनी चाहिए। इस रूप में, संघ राज्य क्षेत्रों की कई समस्याओं को सुलझाया जा सकेगा।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैं इससे सहमत हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, वहां मैं श्री खुराना से सहमत हूं जहां उन्होंने ऊंची दरों के मूल्यांकन के बारे में एक बात कही थी। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण व किसी अन्य प्राधिकरण से खरीदी गई सम्पत्ति की वास्तविक लागत के आधार पर कर-निर्धारण किया जाना चाहिए। यह कर-निर्धारण बाजार दर नहीं करना चाहिए क्योंकि बाजार दर का पैमाना अविश्वसनीय है जिसमें उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिये कि कोई अनिवासी भारतीय और खाड़ी के लोग यहां आकर सम्पत्ति खरीदते हैं तो वे केवल उसका मूल्य देते हैं। अतएव ऐसे मामलों में हम देखते हैं कि सम्पत्ति के मूल्य में अचानक तेजी आ जाती है। परन्तु, अपने मकान में रहने वाले, जिन्होंने उस मकान को दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण से खरीदा हो, बाजार दर पर किए गए कर निर्धारण का भुगतान नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले पर विचार किया जाए।

3.48 म० प०

[श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या पीठासीन हुए]

एक और बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस विधेयक का आशय नगर निगम की आय में वृद्धि करने का है। नगर निगम अपने राजस्व में वृद्धि कर रही है लेकिन वे लोगों को सेवाएं प्रदान नहीं कर रही हैं। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। जब हम लोगों पर भार डालते जा रहे हैं, हम उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है मैं नहीं समझता कि सरकार इन लोगों अथवा इन सम्पत्तियों के मालिकों के प्रति न्याय कर पाएगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ने यहां कहा है कि हम थोड़ा-थोड़ा संशोधन करके सभी पुराने कानूनों को चला रहे हैं, सरकार को ऐसे विधेयकों में विस्तृत रूप में संशोधन करना चाहिए ताकि हम लोगों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सकें तथा बड़े महानगरों में, विशेषकर दिल्ली में, ये नगर निगम प्रभावी रूप से कार्य कर सकेंगी।

इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, जहां पर निगम के कानून अपर्याप्त और निष्प्रभावी है, पर भी विचार करें। उन क्षेत्रों के विषय में भी उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनके लिए एक विस्तृत और एकीकृत कानून इस संसद के समक्ष लाया जाए।

मेरे पास बहुत थोड़ा सा समय है। मैं इस विधेयक पर विचार हेतु समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति जी, दिल्ली नगरपालिका संशोधन विधेयक जो यहां लाया गया है, इसे जो कानून की शक्ल देने के लिए यहां उपस्थित किया है, वास्तव में दिल्ली की जैसी शक्ल है उसका पता ही नहीं लगता कि दिल्ली में कहां, कौन, किस का प्रशासन कार्य करता है। बार-बार पिछले सत्र में हमारे मदन लाल खुराना जी और विजय कुमार मल्होत्रा जी इस बात की पुरजोर शब्दों में मांग करते रहे हैं कि दिल्ली को अलग से दर्जा दिया जाए, अलग से इसकी विधान सभा हो, इसका स्वरूप बने। राजनीतिक स्वार्थों के कारण, चूंकि अन्य दलों का दिल्ली पर वर्चस्व नहीं हैं, अगर दिल्ली पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है तो इस नाते स्पष्ट रूप से दिल्ली की आज तक उसके अधिकार नहीं दिये जा सके। दुर्भाग्य है कि आज भी दिल्ली 4-5 संस्थाओं के बीच में बंटा हुआ हैं। कल ही मेरे पास सदर बाजार के कुछ व्यापारी आए और कहने लगे कि दाऊ दयाल जी आप एक बार वहां चल करके देख लीजिए, यहां से जगदीश टाइटलर जी, जो लोक सभा के लिए सदस्य चुन कर गए है, लेकिन आज वहां पर मैन बस्ती के अन्दर, जहां पर हिन्दुस्तान भर का व्यापारी मार्केटिंग करने के लिए आता है उस बाजार के अन्दर आज बूचर खाना बना है, उस बूचर खाने के अन्दर खून बहता हुआ आपको नजर आएगा। (**व्यवधान**) जगदीश टाइटलर जी, जो कहने को बड़े प्रभारी हैं, मंत्रिमण्डल में अपना बड़ा स्थान रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक जीतने के बाद उन्होंने सदन बाजार का मुंह तक जाकर नहीं देखा है।

मैं पुरजोर शब्दों के मांग करता हूं कि भले ही वह उनका ऐरिया होगा, लेकिन जगदीश टाइटलर जी को मैं बताना चाहता हूं कि जीतने के बाद वह मंत्रिमंडल की मद में चूर न रहे और वहां पर जाकर एक बार देखें। (**व्यवधान**) मैं कोटा नगर परिषद म्यूनिसिपल काउंसिल का प्रेसीडेंट रहा हूं। मैं मूलभूत रूप से जोर देता रहा हूं, माननीय सभापति जी, राजस्थान में सब जगह गृह कर नगर परिषदों द्वारा लगा हुआ है, लेकिन जब मैं 1970 में वहां पर प्रेसीडेंट था तब मैंने निर्णय लिया था कि गृह कर नहीं लगेगा, आज 1991 आ गया, आज भी वहां पर गृह कर नहीं लगता है।

आप इसमें राहत देने की बात कर रहे हैं। वह राहत मिलेगी, मुझे नहीं लगता। एक बार असैसमेंट हो जाने के बाद ऐसे अफसर को कुछ ले-देकर नाममात्र का गृह टैक्स लगा देते हैं। उसके बाद वह लगातार वसूल होता रहता है। उससे कोई राहत लोगों को नहीं मिलती। मेरा निवेदन है कि एक बार असैसमेंट हो जाए, वह सही है, लेकिन उसके बाद कोई ट्रिब्यूनल बने, वह सारे मामले की जांच करे, देखें कि वास्तव में जो गृह-कर लगाया गया है वह सही है या नहीं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गृह-कर भली-भांति वसूल नहीं हो पाता। एक बार 15 साल या 20 साल के लिए आप तय कर लीजिए। इस पर कई संशोधनों की आवश्यकता थी। माननीय मंत्री महोदय आप इस बिल को लाए थे, इसके साथ-साथ दिल्ली नगरपालिका कानून में भी अनेकानेक संशोधनों की और भी आवश्यकता थी। गृह-कर देने वाला अगर 20 साल का कर एकमुश्त जमा कर दे तो जन्म भर के लिए उसे गृह-कर से छूट दे दी जानी चाहिए थी। लेकिन ये सब बातें आपने नहीं की, केवल वोटों की राजनीति के आधार पर लोगों को राहत देनी थी, क्योंकि किराया नियंत्रण अधिनियम के

तहत गृह-कर अधिक बढ़ गया था उस कारण से अधिक वसूल अगर होता तो न्याय नहीं मिल पाता, नेताओं को वोट नहीं मिल पाता, इस कारण यह संशोधन लाया गया है।

जग प्रवेश चन्द्र की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, बाद में विजय कुमार मल्होत्रा उस समिति के मैम्बर बने। उन्होंने जो सुझाव दिए थे वे कहीं एक तरफ रह गए। यह जो बिल लाया गया है इसका मैं समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि मैं इस मत का हूं कि गृह-कर जैसा कर, जिसमें आम नागरिक बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाता है, ऐसे कर को पूर्णतय: समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नगर-पालिका की आय के बहुत सोर्स होते हैं, इन सोर्सिज के आधार पर वह अपनी इनकम बढ़ा सकती है। मेरा इतना ही निवेदन है कि जो संशोधन आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री भुनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : सभापति महोदय, जो दिल्ली म्यूनिसिपल का बिल आया है, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ बातों की ओर इशारा करना चाहता हूं। 1989 में जो संशोधन हुआ था, जिसके तहत 31 मार्च 1991 तक निर्धारण हो जाना था, लेकिन यह नहीं हुआ। अब 1992 तक कर निर्धारण की अवधि दी गयी है। अभी जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं दिल्ली में, वह 10-12 गुणा बढ़ा कर किए जा रहे हैं और जो ओब्जेक्शन में देना है, लोगों को बहुत मुश्किल होती है आने-जाने में, दिल्ली के लोग तबाह है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो विधेयक है इसमें सुधार करके इस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली के रहने वालों को इस तरह कर निर्धारण में दिक्कत न हो, उनका ह्रासमेंट न हो। उनकी रोज दौड़ लगी हैं, रोज प्रतिवेदन दे रहे हैं, लेकिन उस पर सुनवाई समय पर नहीं होती है, जिसके चलते दिल्ली के लोगों को काफी असुविधा हो रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डी० डी० ए० के जो फ्लैटस हैं, लोअर इनकम ग्रुप के, मिडिल इनकम ग्रुप के जो अलाट किए गए हैं और जो सैल्फ ओक्यूपाइड है, जिसके नाम वे अलाट किए गए है उसमें वे खुद रहने हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। उनको टैक्स से बरी करना चाहिए। जिन्होंने डी० डी० ए० के फ्लैटस किराए पर दिए हैं, हम चाहते हैं कि जिस रेट पर उनको दिए गए हैं, जो डी० डी० ए० की कास्ट पर उनको दिए गए हैं, उस कास्ट के आधार पर उन पर टैक्स लगना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मल्होत्रा कमेटी की जो रिपोर्ट आयी, उसमें जो कुछ सुझाव दिए गए हैं उसको भी सदन को लागू करना चाहिए। अभी हो क्या रहा है—लोग सर्वे करने नहीं जाते हैं, आफिस में बैठकर लोग सर्वे करके और टैक्स लगाकर भेज देते हैं और जो कर्माशियल है उसको नान कर्माशियल और नान कर्माशियल को कर्माशियल बनाकर भेज देते है, जिनसे काफी दिक्कत होती है। सरकार ने दिल्ली म्यूनिसिपल की सैल्फ असैसमेंट स्कीम लागू की थी, एक बार अखबार में आया था। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सैल्फ असैसमेंट, स्कीम जो चालू करने की आपने अखबारों में घोषणा की थी, क्या उसको लागू करना चाहते हैं। अगर लागू करना चाहते हैं तो उसको बड़े पैमाने पर घोषणा की जाए ताकि लोग परेशानी से बचे। 1992 तक टैक्स फिक्सेशन का समय दिया गया है और उसमें कहा गया है कि 1988 से लगेगा। हम यह कहना चाहते है कि कर-निर्धारण 1992 से ही किया जाए, उससे पहले 1988 से टैक्स न लगाया जाए। अगर लगाया गया तो दिल्ली के साथ अन्याय होगा। दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव बाकी हैं। चुनाव न कराने से

दिल्ली की जनता को परेशानी हो रही है। जहां-जहां पर म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव नहीं हुए उस जगह पर चुनाव होने चाहिए। इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं और इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, हमारे दल के प्रथम वक्ता ने इस विशेष विधेयक पर हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया हैं। इन संस्थाओं में से किसी भी संस्था के लोकतांत्रिक चुनाव न होने से यह समस्या है कि हमें उन सभी मामलों पर चर्चा संसद में करनी पड़ती हैं। यदि मुझे नई दिल्ली नगरपालिका की घटना से चोट नहीं पहुंचती तो मैं इस चर्चा में भाग नहीं लेता।

कुछ दिनों पहले एक युवक मेरे पास आया और मुझे बताया कि इण्डियन आयल भवन के पास जनपथ पर उसका एक स्टाल था। उसने मुझे बताया कि नई दिल्ली नगरपालिका ने उससे स्टाल खाली करवा लिया है। उसके जैसे परेशान व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश ले आए। लेकिन फिर भी उन्हें वहां स्टाल लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसका क्या कारण हैं? ऐसे मामलों में धन की अहम भूमिका होती हैं। उनमें से कुछ व्यक्तियों को स्टाल लगाने की अनुमति दे दी गयी और कुछ व्यक्तियों को मनाकर दिया गया यदि कोई मेरे पास आता हैं तो जनता का प्रतिनिधि होने के नाते वहां के उच्चतम अधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना मेरा कर्तव्य है। मैंने नई दिल्ली नगर पालिका के प्रशासक को तीन बार टेलीफोन किया मैं टेलीफोन पर उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर सका। इसलिए मैंने प्रशासक के कार्यालय को अपना टेलीफोन नम्बर बता दिया। मैं यह नहीं जानता कि वह महान व्यक्ति कौन है। वह वास्तव में महान होगा और उसके पास नई दिल्ली नगर पालिका का बहुत से कार्य करने के लिए होंगे। उनके पास मेरे टेलीफोन का जवाब देने लिए समय नहीं था बल्कि उस महान व्यक्ति के निजी सहायक के सहायक ने सलाह दी कि प्रशासक से भेंट करने के लिए उस युवक को अपने पत्र के साथ भेज दीजिए। मैंने एक पत्र लिखा और उस युवक को प्रशासक के पास भेजा दिया। प्रशासक के निजी सहायक ने उस युवक को प्रवर्तन निदेशक के पास भेज दिया। आप जानते हैं कि वहां क्या हुआ? उसने मेरा पत्र जमीन पर फेंक दिया और कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता। यदि जनता के सेवक हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मुझे वास्तव में खेद हैं। हम अपने जनता के सेवकों के दिमाग में जिम्मेदारी की भावना किस प्रकार पैदा कर सकते हैं?

यह बहुत ही छोटा सा मामला हो सकता हैं। यदि कोई व्यक्ति मर रहा है। तो भी हमारे देश में किसी को कोई चिंता नहीं है यदि यह युवक मर जाएगा तो उसके लिए कोई भी एक आंसू नहीं बहाएगा। चूंकि वह मेरे पास सहायता के लिए आया इसलिए मैंने उसकी सहायता करनी चाही। उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी उसे स्टाल लगाने की अनुमति नहीं दी गयी। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। मेरी बात का जवाब कौन देगा? यद्यपि यह एक छोटा सा मामला है परन्तु इसमें अनेक महत्वपूर्ण मामले निहित हैं। नई दिल्ली नगरपालिका इस प्रकार कैसे व्यवहार कर सकती है? मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इस बात का स्पष्ट जवाब दें. मैं इस प्रश्न को इसलिए उठा रहा हूं कि लोकतन्त्र में ऐसे व्यक्तियों को सजा मिलना आवश्यक है? यह केवल मेरा ही अपमान नहीं है।

यह इस देश की जनता का भी अपमान है। हम अपनी नौकरशाही को इस प्रकार से कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। मैंने इस चर्चा में इस मुद्दे को उठाने के लिए ही भाग लिया है। उस मामले में मैं असहाय हूं। मैं उस युवक से क्या कहूं जो मेरे पास आया था। मैं इस मामले को मन्त्री महोदय को इस लिए बता रहा हूं और सभा में उठा रहा हूं ताकि कम से कम इस प्रकार परेशान व्यक्तियों के साथ हम कुछ न्याय कर सकें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, जहां तक इस विधेयक की भावना का सवाल है उसके विरुद्ध कोई बात कहने का सवाल नहीं है। हमारे गृह करों के पुर्ननिर्धारण करने के लिए व्यवस्था और प्रशासन को कुछ समय चाहिए था। यह देने में हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इतना सुझाव मैं जरूर दूंगा कि क्या हम लोग दिल्ली में बैठकर दिल्ली की व्यवस्था को अध्यादेश और दिल्ली की सरकार के जरिये बहुत दिनों तक चलाते रहेंगे। पिछले 8 वर्षों से यहां कोई लोकतान्त्रिक व्यवस्था न होने से इस संस्था को भी और केन्द्रीय सरकार को भी जिसको देश के दूसरे काम भी करते हैं, इतना समय बर्बाद करना पड़ता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद के चुनाव कराये जाने चाहिए। वैसे तो मैं इस हक में हूं कि इसको राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, इसकी विधान सभा होनी चाहिए उसके भी चुनाव जल्दी से जल्दी कराने चाहिए। यदि इसको राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक आया होता तो शायद हम ज्यादा जोरदार तरीकों से सरकार के विधेयक का समर्थन करते। मैं मांग करता हूं इस तरह का विधेयक लाया जाये।

जहां तक दिल्ली के निजी व्यक्तियों के गृह करके निर्धारण करने का प्रश्न है बहुत सारे लोग, करीब 15-20 लाख लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर यहां रह रहे हैं। ये लोग अधिकांशत: दैनिक भोगी कर्मचारी हैं और इनकी बंधी हुई आमदनी है। वित्तीय संस्थाओं से या अपने विभागों से कर्ज लेकर उन्होंने अपने रहने के लिए घर बना लिये हैं। यह बात सही है कि सम्पत्ति का भाव पूरे बाजार में बढ़ रहा है, लेकिन उसके भाव बढ़ने के बहुत से कारण हैं। जब भाव बढ़ता है उसके साथ-साथ यहां रहने वालों के निजी मकानों के मालिकों की आमदनी में कोई वृद्धि नहीं होती है। यदि उसकी आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हो रही है तो उस पर इन करों को लादने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए निजी उद्देश्य या रिहाइशी घर के लिए कोई व्यक्ति उसमें रहता है या छोटा-मोटा धंधा जिससे उसका पेट पलता है उसके लिए उसका इस्तेमाल करता है तो उस यहां बढ़ी हुई कोई दरों से नया कर नहीं लगना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

जहां तक दिल्ली में आम नागरिकों की सुख-सुविधा का सवाल है कोई जिम्मेदार सरकार न होने से या कोई उत्तरदाई व्यवस्था न होने से उसमें निरन्तर घटती होती चली जा रही है। आप केवल नई दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, जो सम्पूर्ण बृहत्तर दिल्ली है आये दिन हम देखते हैं कि हर दो तीन दिन के बाद टैक्सी और स्कूटर वालों की हड़ताल होती है। उनसे बातचीत करने के लिए कोई उत्तरदाई आदमी नहीं हैं। यहां पर गन्दगी बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों के रहने के लिए रैन बसेरा नहीं है। लाखों की संख्या में आदमी दिल्ली में फुटपाथों पर रह रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, देखेगा कौन? ईश्वर की कृपा से इस बार बारिश नहीं हुई, लेकिन अगर बारिश हो गई होती तो शायद सम्पूर्ण शहर जलमग्न हो गया होता, जल से भर गया होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक

जिम्मेदार व्यवस्था हो और यहां के नागरिकों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाये, केवल कर लिया जाये यही एकमात्र उद्देश्य नौकरशाही सिस्टम का होता है वह नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ नागरिक सुविधाओं में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका अनुमोदन और समर्थन करता हूं।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे शहरी विकास मंत्रालय को समझने का मौका मिला था, जब मैं और खुराना जी इसकी परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे। दिल्ली जैसी महानगरी में कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में सारे देश से आकर लोग रहते हैं। खास कर उत्तर प्रदेश और बिहार से, जैसा अभी मेरे साथी ने कहा कि यहां पर इन दो प्रदेशों से 15-20 लाख लोग आये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वे 40 से 45 लाख तक संख्या में यहां आये हुए हैं।

मान्यवर, वे छोटी-छोटी झुग्गी-झोंपड़ी बनाकर दिल्ली में रहते हैं और पिछले 8-9 वर्षों से कारपोरेशन के चुनाव न होने के कारण उनको पीने के पानी की एवं और सुविधा नहीं है। इससे ज्यादा घोर अन्याय कुछ नहीं हो सकता। हम उनको कपड़ा, अन्न, दवाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसको जीने के लिए पानी भी नहीं दे पाते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस महानगरी के लिए कुछ नहीं हो सकता है।

मान्यवर, अभी दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का सवाल है, कारपोरेशन के चुनाव का सवाल है लेकिन मेरा एक बहु मूल्य सुझाव है कि लोग दिल्ली से बाहर से यहां आये हुए हैं और पिछले 10-15-20 वर्षों से रह रहे हैं अपने परिवार के साथ रह रहे हैं लेकिन उनका आज तक राशन कार्ड तक नहीं बना। मैं मांग करता हूं कि इस बिल में जब संशोधन हो तो इस बात को सम्मिलित किये जायें कि जो बाहर से यहां गत 10-15-20 वर्षों से रह रहे हैं, उनका मतदाता सूची में नाम दिया जाये और निश्चित रूप से उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था करायी जाये।

मान्यवर, महानगरी दिल्ली में जब तक राशन कार्ड नहीं होता, अगर झंझट हो गया, कोर्ट में केस हो, जो करता है उसे जमानतदार नहीं मिलता चाहे वह एम० पी० हो। वह हम लोगों के पास जमानत के लिए आता है। हम लोगों ने नौकर-चाकर ड्राईवर जिनके राशन कार्ड बनवाये हैं, उनको जमानतदार के लिए भेजना पड़ता है, इससे ज्यादा दुखद स्थिति और नहीं हो सकती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि यही स्थिति पंजाब से आये लोगों की है। चूंकि मैं अखिल भारतीय झुग्गी-झोंपड़ी मजदूर सभा का अध्यक्ष हूं, इसलिए मैंने दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थिति देखी है। मैं सारे महानगरों को देखने का काम करता हूं। अभी श्री सैफुद्दीन चौधरी ने ठीक ही कहा कि मैं अध्यक्ष के नाते सम्पर्क स्थापित करता हूं। मैंने कई लैटरपैड पर लिखा, उस पर नम्बर चढ़ाकर भेजता हूं लेकिन दुर्भाग्य से गत दो वर्षों से एक भी पत्र का उत्तर मेरे पास नहीं आया। आप समझ सकते हैं कि जब एक एम० पी० के लिखने के बाद उसका जवाब नहीं आता हो तो एक आम आदमी की हालत क्या होती होगी?

मान्यवर, इसलिए मेरा निवेदन है कि दिल्ली कारपोरेशन के चुनाव निश्चित हो जाने चाहिये। जितना जल्दी हो सकें, उतनी जल्दी करायें ताकि समस्या जटिल न हो जाये। एक बात और कहना चाहूंगा कि कारपोरेशन चुनाव के लिए क्षेत्र से 4-5 उम्मीदवार आते हैं, वे सब आपसी लड़ाई लड़ते हैं

और लोगों को बांटने का काम करते हैं लेकिन वहां की जनता उसकी भुक्त-भोगी होती है। इसलिए ये चुनाव जल्दी होने चाहियें क्योंकि जो वहां का प्रतिनिधि हो, उसकी जवाबदेही होगी कि कौन भूखा है, कौन प्यासा है या किसको पानी नहीं मिला है, उसकी व्यवस्था कर सकेगा। यही मेरा सुझाव है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लिया है। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आकस्मिक और अहानिकारक तरीके से समयावधि बढ़ाने के विरुद्ध बहुत कुछ कहा जाना था। लेकिन, फिर भी मुझे इस बात से अत्यंत प्रसन्नता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने दिल्ली की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में बड़ी तर्कसंगत बातों का उल्लेख किया है यद्यपि इनका सभा के समक्ष प्रस्तुत इस विशेष विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली एक विकासशील शहर है। प्रतिदिन अनेक लोग रोजगार और दूसरे व्यवसायों की तलाश में अनेक राज्यों से आते हैं और दिल्ली की समस्याएं भी बहुत हैं।

जैसाकि आप जानते हैं कि मैंने इस सत्र में ही इसकी देखभाल की जिम्मेदारी का एक भाग ग्रहण किया है। इसके साथ ही संसद का सत्र शुरू हो गया। मुझे निकट क्षेत्रों की वास्तविक समस्याओं का पता लगाने के लिए माननीय सदस्यों के घर जाने का भी समय भी नहीं मिला। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये अनेक मुद्दों से सहमत हूं क्योंकि दिल्ली को भारत की वास्तविक राजधानी बनाने से पहले एक सुव्यवस्थित योजना, विचारधारा और समन्वित प्रयास की आवश्यकता है।

मैं देखता हूं कि अनेक संस्थाओं में असंगतियां भी विद्यमान हैं जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। परन्तु मैं इस समय माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी समस्याओं का विस्तृत जवाब देने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। श्री खुराना दिल्ली में चुनावों के बारे में बार-बार तर्क कर रहे हैं। सरकार को इस बात की जानकारी है। अब सरकार इस बात पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि ये चुनाव किस प्रकार कराये जाएं। अभी हमारे एक सहयोगी ने कहा कि चुनाव नयी मतदाता सूचियों के आधार पर कराने पड़ेंगे क्योंकि भारत के अनेक भागों, विशेषत: बिहार से लोग दिल्ली में आ गए हैं, वह बिहार का जिक्र कर रहे थे। वह तर्क दे रहे थे कि जब तक उनके नाम मतदाता सूचियों में सम्मिलित नहीं हो जाते, तब तक उन्हें राशन कार्ड नहीं दिए जा सकते। इसलिए उनके नाम मतदाता सूचियों में शामिल किए जाने चाहिएं केवल तब ही वे इस महानगर के पूरे नागरिक बन सकते हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं। यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मैं इस बात पर विचार करूंगा कि क्या ऐसा करना सम्भव है और इस पहलू की जांच करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, यदि ऐसा संभव होगा तो मुझे यह स्वीकार करने में प्रसन्नता होगी कि दिल्ली में मतदाता सूचियों की समीक्षा करना आवश्यक है।

मेरे विचार से कांग्रेस पार्टी चुनावों के विरुद्ध नहीं है। विपक्ष के हमारे कुछ सहयोगियों ने अपने भाषणों के दौरान कहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं चाहती है। जब भारत में पहली बार संसदीय चुनाव कराए गए थे तो मुझे आज भी याद है कि मैंने अंग्रेजी समाचार पत्र गार्जियन का सम्पादकीय पढ़ा था। उसमें कहा गया था कि भारत ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भारत में चुनाव संभव हैं और

श्री जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि वे समूचे एशिया के लिए लोकतंत्र के पोषक हैं। आज तक कांग्रेस पार्टी चुनावों के विरुद्ध नहीं है। बार जब कभी समय आता है कांग्रेस पार्टी चुनावों के लिए तैयार रहती है। परन्तु श्री खुराना इसके बारे में परेशान हैं। सीमा पार अनेक ऐसे देश हैं जहां जनता चुनावों में बिलकुल विश्वास नहीं करती है परंतु हम इस देश जहां की जनता चुनावों में विश्वास करती है, को अनेक वर्षों से चला चला रहे हैं। राष्ट्रीय तथा राज्य के चुनावों को कभी स्थगित नहीं किया गया, जब तक कि एक या दो वर्ष तक चुनावों को स्थगित करने के उचित कारण न रहे हों।

दिल्ली के कुछ ऐसे विवाद हैं जिन्हें हल किया जाना है जैसाकि अभी मेरे मित्र ने चुनाव सुधारों के बारे में जिक्र किया है उन्होंने एक तर्क का भी उल्लेख किया है। इसके बारे में सब प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं। दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। तत्पश्चात् उनका कहना है कि ऐसा पांडिचेरी राज्य के माडल के आधार पर किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं असहमत नहीं होना चाहता क्योंकि सरकारिया समिति और बालकृष्ण समिति की रिपोर्टें मिल चुकी हैं। ये सभी रिपोर्टें सरकार के समक्ष हैं और सरकार इस बात की जांच कर रही है कि दिल्ली के लिए कौन-सी रिपोर्ट सर्वोत्तम रहेगी इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए अथवा पांडिचेरी माडल राज्य का दर्जा दिया जाए या महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के चुनाव कराए जायें। ये सभी रिपोर्टें सरकार के समक्ष हैं। हम सच्चाई से बच नहीं रहे हैं।

परन्तु यहां सभा के समक्ष एक सीदा साधा तथ्य कि उचित मूल्यांकन के लिए केवल एक वर्ष का समय बढ़ाया जाए। सीधा-साधा सा विवाद है। मूल्यांकन इस सभा में किए गये पूर्व संशोधन के अनुसार किया जाए।

उस संशोधन के अनुसार हमें नई दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम का मूल्यांकन पूरा करने के लिए 31-3-1991 तक का समय दिया गया था। परन्तु वे इसकी गहराई से छानबीन करना चाहते थे। उन्होंने दस्तावेजों और क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। वे सही उपभोगकर्ताओं और सही लोगों का पता लगाना चाहते थे। इस प्रक्रिया में अधिक समय लग गया। इस कारण दिल्ली नगर निगम के पांच लाख लोगों में से वे केवल 2.5 लाख लोग तक ही पहुंच सके। इस प्रकार केवल आधा कार्य पूरा हुआ और आधा पूरा नहीं हो पाया नई दिल्ली नगरपालिका का भी यही हाल है। मूल्यांकन का नब्बे प्रतिशत कार्य हो गया है लेकिन दस प्रतिशत शेष है। इसलिए हमने सोचा कि गरीबों को उत्पीड़न से बचाने के लिए सही आकलन करना होगा और आकलन तथा मूल्यांकन करते समय हमें और अधिक सतर्क रहना होगा। इसलिए, आप जब भी आप दर योग्य कर लेंगे, या किसी व्यक्ति का आकलन करेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। समय बढ़ाने की मांग करने के पीछे सरकार का यही इरादा था। और मैं आशा करता हूं कि मेरे जिन अच्छे मित्रों ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है, वे उससे सहमत होंगे। मैं इस संशोधन पर श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा उठाए गए मुद्दों के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। परन्तु साथ ही मैं यह अनुरोध करता हूं कि इसका वस्तुतः अनुपालन भी किया जाए।

दूसरा मुद्दा विभिन्न समितियों की नियुक्तियों के बारे में उठाया गया था। यह सच है कि एक समिति नियुक्त की गई थी जिसके बारे में सदन को पता है और यह समिति अपना कार्य पूरा नहीं कर

पाई क्योंकि अचानक सदन भंग हो गया था। तत्पश्चात् समिति का पुनर्गठन हुआ तब पुनर्गठित समिति ने कार्य किया था। इस बीच एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया था। आपको सच बतायें समस्या यह है कि अगस्त, 1990 में गठित विशेषज्ञ समिति और नवम्बर, 1990 में गठित सम्पदा कर समिति ने दिल्ली प्रशासन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दीं और दिल्ली प्रशासन ने 22 जुलाई 1991 को उस सरकार को अपना दृष्टिकोण बता दिया। यहां तक कि एक दिन पूर्व अर्थात् 2 अगस्त, 1991 को हमें दिल्ली प्रशासन से एक और पत्र मिला है जिसमें उन्होंने जो कुछ पहले बताया था उससे बाद की जानकारी दी है। हमें यह पता लगाने के लिए कुछ समय चाहिए कि उन्होंने वास्तव में क्या कहा है और विभिन्न समितियों ने क्या कहा है।

[अनुवाद]

श्री मदन लाल खुराना : आपको रिपोर्ट कल मिली ?

श्री एम०एम० जैकब : यही मैंने भी कहा था। पूरी रिपोर्ट 2 अगस्त को ही आ पाई थी। 22 जुलाई को उन्होंने पहली रिपोर्ट भेजी और 2 अगस्त को दूसरी। हम एक सप्ताह के भीतर परस्पर विपरीत आशय की दो रिपोर्टों पर विचार करने में असमर्थ रहे। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और सम्पदा कर समिति द्वारा की गई शिफारिशें एक दूसरे के विपरीत हैं। हमें सही और गलत का पता लगाने के लिए गहराईपूर्वक विचार करना होगा। जाहिर है, यह करना ही पड़ेगा।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे श्री शहाबुद्दीन जानते हैं, वह यह था कि क्या इस प्रक्रिया में वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं को उत्पीड़ित किया गया है। स्वयं उपभोग करने वालों के लिए 1-12-1988 के पहले यह निर्माण लागत ओर भूमि के बाजार मूल्य का 8.25 प्रतिशत था। 1-12-1988 से यह बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत था। मेरे विशिष्ट माननीय मित्र यह बता रहे थे कि यह 50 प्रतिशत होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह 50 प्रतिशत नहीं है। यह 20 प्रतिशत के लगभग होगा।

श्री मदन लाल खुराना : यह कुल 37 प्रतिशत होगा।

श्री एम०एम० जैकब : मैं स्वयं उपयोग करने वालों की बात कह रहा हूं।

श्री मुरली देवड़ा (दक्षिणी मुंबई) : आपको इतने सारे विवरण नहीं देने हैं।

श्री एम०एम० जैकब : जिस मुद्दे पर मैं अब बात कर रहा हूं उसका मुख्य साशय शामान्य लोगों को उत्पीड़ित करना नहीं है; मूलतः जिन लोगों के पास 3500 रु० तक के किराया मूल्य की सम्पत्ति है वे जरा भी प्रभावित नहीं हुए हैं जिनके पास विशाल भवन हैं और काफी अधिक धन अर्जित कर रहे हैं वे लोग उपभोग करने और न करने वाले लोगों से भिन्न हैं।

हम जो कार्य कर रहे हैं उसका आशय यह है कि यह धन दिल्ली के विकास के लिए है। बिना धन के दिल्ली का विकास नहीं होगा। इसलिए, यदि आप उतने विस्तार की अनुमति नहीं देते जितना हम चाहते हैं तो हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, करोड़ों रुपए बर्बाद होंगे और विकास अवरुद्ध होगा। इससे दिल्ली के आम लोगों को आघात लगेगा।

इन सभी पक्षों पर विचार करते हुए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे संशोधन पर जोर न दें और हमें आपके समक्ष विधेयक के रूप में प्रस्तुत अध्यादेश के संशोधन और कुछ समय का विस्तार देते हुए इसे वापस ले लें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं परन्तु उसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने यहां कुछ भी जिक्र नहीं किया है। यदि उस कमेटी की सिफारिशों का भी मंत्री जी जिक्र करते तो मैं समझता हूं कि बहुत सी बातों का समाधान यहां पर हो जाता।

मैं माननीय मन्त्री जी की जानकारी के लिए कुछ बिन्दु रखना चाहता हूं, वे शायद उनके लिए बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। एक तो दिल्ली में गृह-कर और सम्पत्ति-कर वसूल करने के लिए दोनों प्रावधान प्रचलन में है—मानक किराया जो बनता है मूल्य के आधार पर वह लिया जाता है और व्यावसायिक किराया भी लिया जाता है। मेरा यहां पर यह निवेदन है कि जो मकान वर्षों से किराए पर हैं और जिनका किराया बढ़ा नहीं है, उन पर हर 3 साल के बाद यह हाउस टैक्स क्यों बढ़ाया जाए ? यह मेरा एक प्रश्न है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस हाउस टैक्स में न विधवाओं को न सैनिकों को और न ही रिटायर्ड लोगों को जो वर्षों से रह रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था है। उनकी आय का साधन केवल किराया है और न यह व्यवस्था की गई कि वह स्वयं रह रहा है, तो कितने पर छूट दी जाएगी और किराए पर है, तो उस पर कितनी छूट दी जाएगी ? पुरानी सम्पत्तियों का जो पुनर्मूल्यांकन करते हैं, जब आपने दिल्ली में विकास की बात कही, तो पहले जब दिल्ली में विकास हुआ ही नहीं था, आखिरकार तब भी ये लोग आपको हाउस टैक्स दे रहे थे, सम्पत्ति कर दे रहे थे। जिस पुराने मकान में अगर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया हो, और मकान मालिक न बदला हो तथा मकान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो फिर मैं समझता हूं कि पुनर्मूल्यांकन करना, मकान मालिक के साथ अन्याय है। जो लोग पुराने मकानों में हैं और वर्षों से रह रहे हैं उनमें यदि मकान में परिवर्तन कर दिया जाए और मकान का स्वामी बदल जाए, तो फिर आप पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर वही व्यक्ति रह रहा है, मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है और मकान मालिक नहीं बदला है, तो उसके बारे में हाउस टैक्स में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

माननीय मन्त्री महोदय, आपको तो मालूम होगा कि यहां दिल्ली में पगड़ियां लेने का बड़ा सिस्टम है। छोटी-छोटी पगड़ियां हैं, मकान हैं, ये पगड़ियां लेकर दूसरे को दे दी जाती हैं। मेरा निवेदन है कि कानून में इस प्रकार का संशोधन हो जाए कि मकान मालिक को वह मकान वापस लौटाएगा और फिर उसका किराया बढ़ाने का अधिकार दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा मकान मालिक का किराया भी बढ़ जाएगा, और इससे आपको सहूलियत भी होगी। इसी प्रकार से आपका वर्ष 1988-89 की वसूली का मामला है, यदि आप दिनांक 1-4-87 यानी वर्ष 1987-88 के वर्ष के आधार पर वसूली कर लें, तो मैं समझताहूं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, यह मेरा दूसरा निवेदन है।

तीसरा मेरा निवेदन है कि नई दिल्ली नगर पालिका 36 परसेंट टैक्स लेती है और दिल्ली नगर निगम 12 प्रतिशत टैक्स लेता है, तो इन दोनों में यह अन्तर क्यों है? इन दोनों में समानता होनी चाहिए। जब दिल्ली नगर निगम 12 प्रतिशत लेता है, तो नई दिल्ली नगरपालिका को भी 12 प्रतिशत ही लेना चाहिए। यह बात मैं केवल दिल्ली के ही बारे में नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान भर में जितने भी राज्य हैं, उनके बारे में भी कहना चाहता हूं। दिल्ली की आड़ में मैं जयपुर, जबलपुर और पंजाब की बात भी कहना चाहता हूं कि देश के प्रत्येक राज्य में कर का समान सिस्टम होना चाहिए और यह टैक्स रेटेबल वैल्यू पर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। पूरे हिन्दुस्तान में एक नियम बनना चाहिए।

सभापति महोदय, यहां पर सम्पत्तिकर अलग है और सम्पत्तिकर के बाद आयकर अलग है और आयकर के बाद दिल्ली और अन्य स्थानों में गृहकर अलग है और गृहकर के अलावा भूमि, भवन कर अलग है और इन चारों करों को मापने वाले 4 अलग-अलग विभाग हैं। चारों विभाग एक ही मकान का, एक ही सम्पत्ति का मूल्यांकन अलग-अलग दर पर करते हैं। आप मुझे बताइए कि इसका क्या औचित्य है? एक ही मकान है, एक ही सम्पत्ति है और उसका कर, चार अलग-अलग विभागों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। चारों विभाग अपना टैक्स वसूल करने के लिए उसकी अलग-अलग दर आंकते हैं। मेरा निवेदन है कि इस विसंगति को दूर किया जाए। मेरा निवेदन है कि आयकर, गृहकर का जो अलग-अलग मूल्यांकन करते हैं इनको एक किया जाए और मैं मांग करता हूं कि गृह कर और भवन कर तो राज्य के विषय हैं।

सम्पत्ति कर तो एक ही प्रकार का विषय है, सम्पत्ति कर के बारे में एकमुश्त कर टैक्स ले लेना चाहिए यह मेरा निवेदन है। इसी प्रकार से मूल्यांकन करने की जब अलग-अलग विसंगतियां हैं तो इसकी विशिष्टता पर कौन विचार करेगा। दिल्ली में मैं आपकी सेवा में निवेदन करूं कि जल कर अलग है, सफाई कर अलग है शिक्षा और अग्नि कर अलग लिया जाता है। चार कर ये हो गए, आखिर सरकार दिल्ली की जनता के साथ करना क्या चाहती है। इस दिल्ली की जनता से सात-सात करों की वसूली की जा रही है, मैं समझता हूं, कि यह घोर अन्याय है।

इसी प्रकार से आपने छूट कहां तक दे रखी है। 1000 रुपए वार्षिक पर छूट दे रखी है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के किराए में आप 1000 रुपए की छूट देना चाहते हैं यानि 80 रुपए महीने जो आदमी दे रहा है वह छूट में है और 85 रुपए भी हो गए तो वह आपके टैक्स में आ गया। या तो 80 रुपए हानि की नाममात्र की छूट को भी समाप्त कर दें या इस सीमा को भी बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से आयकर की छूट की सीमा से राहत देना चाहते हैं तो छूट की सीमा कम से कम आयकर की छूट सीमा के बराबर होनी चाहिए वरना नाममात्र की छूट देने से किसी प्रकार का लाभ नहीं है। आप इसको भी समाप्त कर दें।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है और संघ शासित क्षेत्र होने के नाते संसद को अपना बहुमूल्य समय यहां पर देना पड़ता है, संसाधनों पर भी खर्च होता है और खुराना साहब को भी दिल्ली वाले प्रश्न पर रोजाना जूझना पड़ता है। इसलिए हर पार्टी कह रही है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, हमने भी लोगों से यही कहा है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव, मैट्रोपोलीटन काऊंसिल के चुनाव इसी आधार पर टाले जाते हैं कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इसलिए चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है। मेरा

निवेदन है कि दिल्ली को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये। यदि कांग्रेस के मन में पाप हो कि दिल्ली को राज्य का दर्जा किसी सूरत में नहीं देंगे, कहीं बी० जे० पी० इसका श्रेय न ले जाए तो कम से कम आप चुनाव करवा दें। इन सारी बातों पर भी विचार करें और विचार करने के बाद सब विसंगतियों को दूर करें।

एक बात की ओर अपना ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रैन्ट कन्ट्रोल एक्ट में संशोधन पर प्रशासन जो परिवर्तन करना चाहता था, उसमें जो देरी की उस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है। इन बातों को आप लिखित रूप से विचार करें। जो अध्यादेश मैं लाया हूं इसकी मार्फत विशेष बिन्दुओं की ओर मैंने निवेदन किया है। दिल्ली की जनता दुखी है, हिन्दुस्तान के तमाम राज्य भी इस सारे विभाग से दुखी हैं, अब तो टैक्स लगाने की कौन सी जगह रह गई है, करो तो टैक्स, मर गया तो टैक्स, कमाओ तो टैक्स अब तो हवा पर टैक्स लगाने का कांग्रेस और प्रावधान करना चाहती है कि सांस लोगे उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। आपने सात स्थानों पर दिल्ली के लोगों को घोंटकर रखा है और आप कहते हैं कि दिल्ली का विकास कैसे होगा। विकास करवाने की जिम्मेदारी आपकी है, टैक्स आप बराबर वसूल कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की मांग है दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए जिससे सदन का समय खराब न हो, बार-बार छोटे-छोटे अमैंडमैंटस आते हैं दिल्ली में, दिल्ली वालों को रकम खर्च करनी पड़ती है। यदि दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते हैं तो दिल्ली नगर और मैट्रोपोलीटन काउंसिल के शीघ्र चुनाव करवाएं, यह मेरा आपसे निवेदन है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एम०एम० जैकब : उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उस पर निश्चित रूप से विचार किया जा रहा है। उनसे प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध किया गया था और मेरे विचार से माननीय सदस्य इसे वापस लेने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुझे मालूम है कि यहां जो बात कही जाती है, उसका परिणाम कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यह कहते हुए कि मेरी सारी बातों पर जीरो का असर न रहे क्योंकि संसद जीरो आकार में बना हुआ है। आप मेरे बहुमूल्य सुझावों पर निश्चित रूप से विचार करें। यही बात मानते हुए मैं अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव वापिस ले रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री सूर्य नारायण यादव : सभापति जी, मैं एक बात मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आप चुनाव के पूर्व बाहर से आए हुए लोगों का मतदाता सूची में नाम शामिल करेंगे? **व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एम०एम० जैकब : मेरे विचार से, मैंने अपने भाषण में पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है। यह बिलकुल सही मुद्दा है और इसे सही ढंग से उठाया गया है। किसी भी चुनाव इस पहलू की जांच की जाएगी। मैंने इसी का उल्लेख किया था।

सभापति महोदय : क्या सभा गिरधारी लाल भार्गव द्वारा पेश किए गए सांविधिक संकल्प को वापस लेने हेतु सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

सभा की अनुमति से सांविधिक संकल्प वापस ले लिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव के संशोधन स० 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मैं श्री एम०एम० जैकब द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए नहीं रखूंगा।

प्रश्न है कि :

"दिल्ली में यथा प्रभावित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1911, में अन्य संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न है कि :

"खण्ड 2 से 4 तक विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए

सभापति महोदय : प्रश्न है कि :

"खण्ड 1—अधिनियम सूत्र और पूरा नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एम०एम० जैकब : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न है कि :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.36 म० प०

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन (दूसरा संशोधनकारी) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 13 और 14 पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा 16 जून, 1991 की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश संख्यांक का निरनुमोदन करती है।" सभापति जी, कश्मीर के बारे में अभी वहां जो संशोधन विधेयक आया है, वह एक लम्बी कहानी की दर्दनाक दास्तान है। मेरे जैसे लोग जो स्वतन्त्रता संग्राम में शामिल थे, सम्पूर्ण भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़े थे। कश्मीर के लोगों ने स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में, उनकी नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व में भारत में रहने का निर्णय ही नहीं लिया बल्कि जो हमलावर छद्म रूप से, शुरू में पाकिस्तान ने उन्हें अपना कबूल नहीं किया, आक्रमण किया था और मुझे स्मरण है कि कुछ अंग्रेज और अमेरिकी सेनापति उनका नेतृत्व कर रहे थे, वह विधिवत अंग्रेज और अमेरिकी फौज के सेनापति नहीं थे लेकिन उसी फौज के आदमी थे, जो सेनापतित्व कर रहे थे। उस आक्रमण के समय जब स्वर्गीय महाराज हरि सिंह ने भारत में शामिल होने से इंकार कर दिया और वह श्रीनगर घाटी से भाग भी गये, भारत में शामिल हुए वगैर तो उस समय हमारे आजाद भारत का वही गवर्नर जनरल था, जो गुलाम भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था, लार्ड माउण्टबेटन और वही सेनापति था, हमारे आजादी भारत का पहला, जो गुलाम भारत का आखिरी सेनापति था, इन दोनों ने अड़कर यह रुख लिया कि शेख अब्दुल्ला कौन होते हैं, नेशनल कांफ्रेंस कौन है, जिनके बुलाने पर हमारी फौज जायेगी, इसलिए भारत की फौज को जाने से रोका गया, क्योंकि, महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर नहीं किये थे, उन्होंने मांग नहीं भेजी थी और नेशनल कांफ्रेंस के स्वयंसेवकों ने हमलावरों का अपनी जान पर खेलकर मुकाबला किया। बाद में हरि सिंह जम्मू में आये, भागकर आये जम्मू में और जनगण के दबाव पर वह भारत में शामिल हुए।

हम राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में गये, जो सुरक्षा परिषद का हाल था, उसमें उसने आक्रमणकारी और रक्षक दोनों को बराबरी के स्तर पर रख कर वहीं पर यथास्थिति कायम कर दी। आज तक वह यथास्थिति कायम है।

कश्मीर में भी प्रगति हुई है, सारे देश में भी प्रगति हुई है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने कुछ ऐसी भूलें कीं, यह ताजा मामला है। केन्द्र की हमारी सरकार ने देश से ऊपर पार्टी के हित को देखा और इसलिए फारूख अब्दुल्ला को हटाकर शाह को लाने के लिए नेशनल कांफ्रेंस में फूट डाली और शाह की अवसरवादिता और जो उनका विश्वास था, सरकार की जानकारी में कमी नहीं थी, मगर सत्ताधारी

पार्टी के हित में देश के हित की बलि चढ़ाई गई और कश्मीर में वह नेशनल कांफ्रेंस, जिसकी परम्परा राष्ट्रवादी परम्परा थी, जिस नेशनल कांफ्रेंस के कारण और उसके नेतृत्व के कारण आजादी के पहले कश्मीर ही समस्त भारत का हिस्सा था। जहां मुस्लिम लीग का जन्म भी नहीं हुआ। मुझे याद है, मैं उस समय जेल में भी था, 1976 में स्वर्गीय कायदे आजम जिन्ना कश्मीर में मुस्लिम लीग की स्थापना करके एलान करके गये थे मगर हवाई अड्डे से बाहर वह नहीं जा सके। नेशनल कांफ्रेंस के स्वयं सेवकों ने काले झण्डे लेकर हवाई अड्डे को घेर लिया। उस नेशनल कांफ्रेंस को तोड़कर, फूट डालकर, सत्ता दल कांग्रेस का फायदा हो, इसलिए शाह को लाया गया और उस फूट के बाद कोई विकल्प कश्मीर में तैयार नहीं हुआ, कोई राजनैतिक जनतांत्रिक ढांचा तैयार नहीं हुआ। हममें से कोई भी दल वह स्थान लेने को अपनी शक्ति के कारण तैयार नहीं थे तो ऐसी स्थिति में यह बर्तमान दौर कश्मीर के संकट का शुरू हुआ है।

इस दौर में और भी कुछ भूलें हुई हैं। पिछले साल भी भूलें हुई कि जब हमने यहां से जबरदस्ती जगमोहन को भेजा, जब कश्मीर के मुख्यमन्त्री फारुख अब्दुल्ला अड़ गये कि जगमोहन का जो सम्प्रदायवादी दृष्टिकोण है, उनके आने से कश्मीर में बाधा उत्पन्न होगी···

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : भोगेन्द्र जी, उसी जगमोहन ने बचाया है, कश्मीर को।

श्री भोगेन्द्र झा : आप बोल दीजिएगा, समय आयेगा आपका। आप सुनिये न। मैं भी उस सरकार का समर्थक था, जिसने यह गलती की, जिसके दबाव में भी किया हो, मैं उस गलती से नहीं भाग सकता लेकिन वह गलती देश के हित के खिलाफ गलती थी। तो जगमोहन भेजे गये और जम्मू कश्मीर के मुख्यमन्त्री ने कहा कि इनके आने से नुकसानी होगी, तभी जबरदस्ती भेजे गये और मुख्यमन्त्री ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद सरकार ने त्याग-पत्र दिया, मगर विधान सभा थीं, विधायक थे, उनको भंग करना जरूरी नहीं था···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमें मूल विषय पर ही चर्चा करनी चाहिये, इससे हटकर नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस समय हमें इसी विषय पर ही ध्यान देना चाहिए। हमें इससे हटकर बोलने की क्या आवश्यकता है ?

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : जिन लोगों को विश्वास है कि बाबर ने ही मन्दिर को तुड़वाया, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे बाबर का चेला बनना चाहते हैं या भारत का शिष्य बनना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरा आग्रह है कि उनका वक्तव्य पूरा हो जाने के पश्चात् आपको उनके तर्कों का प्रत्युत्तर देने का अवसर मिलेगा। हमें परस्पर एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, मेरा आग्रह है कि जिन लोगों ने यह मामला शुरू किया उनकी नीयत क्या थी, मैं नहीं कहूंगा, पर जिन्होंने इसको शुरू किया कि बाबरी मस्जिद तोड़ो, तो नारा लग गया पाकिस्तान समर्थकों ने कहा कि तुम कश्मीर छोड़ो। इसलिए मस्जिद को तोड़ने का असर कश्मीर छोड़ने के रूप में और नए उपद्रवों की शुरूआत करने के रूप में समाने आया। (**व्यवधान**) सभापति जी, 1986 ईस्वी के बाद यह संकट बढ़ा है, मैं वर्तमान दौर के संकट की बात कह रहा हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये संकट पैदा हुए। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई नहीं चाहता है कि कश्मीर भारत से कटे। आप भी इस बात को सोचें कि अगर एक जगह पर आप कोई बात कहेंगे तो उसका असर दूसरी जगह पर भी पड़ता है। (**व्यवधान**) आप मन्दिर बनाएंगे, इस बात का मुझे दुख नहीं है, आप मिल-जुल कर मन्दिर बनायेंगे तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको तोड़ने का काम करेंगे तो मुझे दुख होगा और अफसोस भी होगा। (**व्यवधान**) इस वर्तमान दौर में एक तरफ तो दिल्ली के लोगों से गलती होती गई दूसरी ओर हमारे कुछ मित्रों ने मस्जिद तोड़ने का नारा लगा कर कश्मीर में आग लगाई उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे लाखों बन्धु और भाई-बहन भाग कर दिल्ली में शरणार्थी बने हुए हैं। कश्मीर के लोगों ने उनको मार कर नहीं भगाया। खास कर आज भी कश्मीर के लिए यह गौरव की बात है।

सभापति जी, इस समय जो स्थिति है उसमें भारत सरकार जो रुख ले रही है उसमें हम लोग और यह देश जानना चाहेगा कि क्या जनतान्त्रिक प्रक्रिया का कोई रूप सरकार के दिमाग में अभी भी है कि कांग्रेस पार्टी के हित में नेशनल कान्फ्रेन्स को तोड़कर कश्मीर में आग लगाने का रास्ता कर दिया, यह बात अभी भी उनके दिमाग में है या कश्मीर को एक राष्ट्रीय मेनस्ट्रीम के रूप में देखने को सरकार तैयार है या सरकार यह चाहती है कि कश्मीर की जनता के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करे। ग्राम पंचायतों का चुनाव, विधान सभाओं का चुनाव, लोक सभा का चुनाव हो, उसके चुने हुए प्रतिनिधि भी यहां पर आएं और वे अपनी आवाज को इस सदन में रखें। वह आवाज कश्मीर से गायब है, श्रीनगर में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, वह जनतांत्रिक प्रक्रिया खत्म है और हमारे जनतंत्र के लिए यह दुखद और कलंक की बात है। उससे मैं भी अपने को बरी नहीं कर सकता हूं, मैं समझता हूं कि हमारे मित्र भी उस से अपने को बरी नहीं कर सकते हैं, न ही करना चाहिए। इसलिए जिस अन्धेरे में हम हैं हमें कहीं रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही है, सरकार इसको साफ नहीं कर रही है। इसलिए मैं अभी भी चाहूंगा कि सरकार अपनी नीयत स्पष्ट स्पष्ट करे कि आप कब तक चुनाव करायेंगे।

नए राज्यपाल, जगमोहन जी ने विधेयक को भी और विधान सभा को भी भंग करने का निर्णय ले लिया। कैसे वे साम्प्रदायवादी थे, कैसे वे जनतन्त्रविरोधी थे, पहले ही उन्होंने कदम में साबित कर दिया। बहुत राज्यों में सरकारें नहीं भी रहती हैं, विधान सभा सस्पेंड हालत में रहती है, रह सकती है और उसको भंग करके सभापति जी, दिल्ली और कश्मीर की जनता के बीच में जनतान्त्रिक कड़ी कोई नहीं रह गई। एक ही सम्बन्ध रह गया फौजी राइफल का और मशीनगन का और उधर पाकिस्तान से आए जो आतंकवादी हमलावर हैं, उनके शास्त्रों का सम्बन्ध रह गया। जनतान्त्रिक प्रणाली पूरी तरह से खत्म कर दी गई। यह गलती ताजा गलती हुई। उसके बाद जो हालत बिगड़ी, कश्मीर के लोग जो मेरी जानकारी में खानीदानी रूप से प्रागैतिहासिक काल से काश्मीर में रहे हैं, उनको भगाने का वाता-

वरण पैदा किया गया। मैं प्रागैतिहासिक काल से इसलिए कह रहा हूं, कश्यप समुद्र जिसके कहते हैं, कश्यप सागर से ही कश्मीर हुआ है। उस तट पर जब कश्यप ऋषि आए, पहाड़ा पर जहां उन्होंने अपना पहला स्थान बनाया वह स्थान कश्यप मेरू और फिर कश्मीर हुआ। मैं अपने मित्रों के लिए यह भी कह दूं, उनको ऋषि कहिए या जो कुछ भी कहिए, पहाड़ पर जो झील थी उसको थोड़ा काटा और फिर वही झेलम नदी बनी और काटने के बाद ही वह कुछ रहने के लायक हुआ। वही झेलम नदी, आदमी की बनाई कृत्रिम नदी बनी, यह उसी जमाने की है। जो गहरी जगह थी, वही डलझील है कश्मीर से उस काल के लोग जम्मू और दिल्ली में आए हुए हैं। यह हमारे लिए दर्दनाक कहानी है। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि कश्मीर की आम जनता ने उनको नहीं भगाया है। कोई फिरकापरस्ती का साम्प्रदायिक दंगा वहां पर नहीं हुआ। लेकिन भगाने का वातावरण पैदा हुआ हमारे यहां से। उसके लिए हम भारत-वासी निर्दोष नहीं हो सकते हैं। हमारे कुछ मित्रों ने सोचा, राम के देश से बड़ा, राम के मन्दिर के नाम पर किसी मस्जिद को तोड़ने का काम···(**व्यवधान**)···

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा-बूंदी) : वहां छह सौ मन्दिरों को तोड़ दिया है, उस के बारे में नहीं कह सकते हैं···(**व्यवधान**)···

श्री भोगेन्द्र झा : आप थोड़ा धैर्य रखिए।···(**व्यवधान**)···सीखने का प्रयास मैं भी करता हूं और आप भी करिए।···(**व्यवधान**)···

श्री दाऊ दयाल जोशी : लेकिन सदन को गुमराह मत करिए।···(**व्यवधान**)···

श्री भोगेन्द्र झा : इन्होंने तब ही कहा कि मस्जिद तोड़ो, वह भारतीय परम्परा के विपरीत है। मैं मस्जिद में जाने वाला नहीं हूं। लेकिन यह भारतीय परम्परा के खिलाफ बात थी। तोड़ने का रिवाज भारतीय परम्परा में नहीं है, जोड़ने का रिवाज भारतीय परम्परा का रहा है। इसलिए भारतीय परंपरा के खिलाफ बात हुई है। अगर मुसलमान मान भी जाते हैं, तब भी मेरे जैसा आदमी उसको नहीं मान सकता है। तब भी मस्जिद तोड़ने को नहीं कहता, इस लिए हमारी जो परम्परा रही है···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : मुसलमानों ने जब मस्जिद तोड़ी, तब कहां थे आप ?···(**व्यवधान**)···

श्री भोगेन्द्र झा : मुसलमानों ने नहीं तोड़ी। आपने पूछ लिया है, इसलिए आप सुन लीजिए। मुसलमानों ने नहीं तोड़ा। बहुत से आक्रमणकारी जो मन्दिर, मस्जिद और मठों का ख्याल नहीं करते हैं, उन्होंने तोड़ा। मुसलमानों ने नहीं तोड़ा, यह बात गलत है। अगर तोड़ा भी, मैं "अगर" कह रहा हूं, मैंने बाबर नामा पढ़ा है, मैं 1940 ई० से अध्ययन कर रहा हूं, मैं नहीं कह सकता हूं कि बाबर ने ही तोड़ा। सच पूछिए, मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने ही तुड़वाया। अगर मुझसे पूछते हैं, जानता हूं इस लिए कह रहा हूं, लेकिन जो अगर विश्वास करते हैं—अगर तुड़वाया···(**व्यवधान**)···मैं अपने मित्रों से थोड़ा आग्रह करूंगा, मुंह बन्द करिए और कान को खोलिए···(**व्यवधान**)···

यह कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव में हमारी मर्जी के आदमी ही चुने जाएं। बहुत सम्भव है कि हमारी मर्जी के आदमी न चुने जाएं, मगर जो भी प्रतिनिधि कश्मीर से चुनकर आएंगे, वे हमारे मत के खिलाफ हों या पक्ष में, उनको इस सदन में बैठने का अधिकार है। उनका स्थान खाली न रहे, कश्मीर का स्थान यहां भरे, इस बात को पहले सरकार स्पष्ट करे।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : इलेक्शन भी तो फ्री और फेयर होने चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा : फ्री और फेयर इलेक्शन्स पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, इतने विस्तार में अभी मैं नहीं जाना चाहता। अभी सवाल यह है कि सरकार चुनाव कराना चाहती है या नहीं। (**व्यवधान**)

नई बहस में अभी मैं इस समय नहीं जाऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि चुनाव कराने का जिम्मा भारत सरकार का है, चुनाव कराने की स्वीकृति देना इस सदन के अधिकार में है और इस सदन का कर्त्तव्य है हमारा कर्त्तव्य है और हम चाहेंगे कि चुनाव हों और वहां की जनता मतदान करे। हम यह भी चाहेंगे कि जो भाई-बहन वहां से भाग कर आए हैं, उनको सुरक्षित रूप से वापिस ले जाया जाए, एक नया वातावरण शुरू करें। इसका इलाज अध्यादेश पर अध्यादेश निकालना नहीं है, हम लगातार समय बढ़ाते जाएं और जिस फौज पर देश की सरहदों की सुरक्षा का भार है, अनन्तकाल तक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उसको छोड़ दें, यह रास्ता सही नहीं है। सही रास्ता राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने का है।

मैं आशा करूंगा कि मन्त्री महोदय केवल इसे पारित कराने के लिए ही नहीं कहेंगे, बल्कि एक राजनीतिक दृष्टि देंगे, क्या लक्ष्य हैं, क्या सरकार की नीयत है, क्या सरकार की योजना है, यह सब बताएंगे, तभी मैं अपने द्वारा प्रस्तुत निरनुमोदन पर विचार करूंगा। अभी मैं इस अध्यादेश का विरोध करने के लिए सदन से आग्रह करूंगा, जब तक सरकार अपनी सफाई नहीं देती। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

> "कि यह सभा 16 जून, 1991 को राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि जम्मू कश्मीर दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1983 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जम्मू व कश्मीर दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 में व्यक्तियों अथवा संघों की कुछ अवैधानिक गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार यदि सरकार इस बारे संतुष्ट हो कि उक्त दल या संघ ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जिनसे विभिन्न दलों के बीच घृणा अथवा शत्रुता बढ़ने को प्रोत्साहन मिलता है अथवा इसकी गतिविधियां राष्ट्रविरोधी हैं तो राज्य सरकार को उन व्यक्तियों अथवा संघों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है।

महोदय, विधि के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण गठित करने का भी प्रावधान है जो किसी संघ को अवैधानिक घोषित किये जाने के कारणों की जांच करेगा व तत्सम्बन्धी निर्णय देगा।

एक पड़ोसी देश के प्रोत्साहन व सहायता से जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी और रूढ़िवादी दल

बहुत समय से राज्य को भारतीय संघ से अलग करने के दुराशय से हिंसक तथा आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं राज्य की वर्तमान कानून और व्यवस्था की कठिन स्थिति के लिए बहुत हद तक कुछेक ऐसे संगठनों की गतिविधियां जिम्मेदार हैं जो धार्मिक विचारों पर बल देने के साथ-साथ इनके द्वारा संचालित मकतबों (विद्यालयों) में दी जाने वाली शिक्षा के द्वारा युवाओं तथा दूसरे लोगों में भी धार्मिक भावनाओं का संचार करते हुए क्षेत्रीय निष्ठा का व्यापक समर्थन जुटाते थे। उनके जघन्य इरादों और लोगों को भयभीत तथा मारकाट करके जनसमुदाय को पथभ्रष्ट करने, आतंक फैलाने तथा बन्दूक का भय दिखा कर अवैध गतिविधियों से निम्न स्तर पर ही निपटना पड़ेगा। उनकी सतत राष्ट्र विरोधी तथा विघटन-कारी गतिविधियों पर नियन्त्रण पाने के प्रयास में जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने अप्रैल-मई, 1990 में कुछ संगठनों तथा गुटों को अवैधानिक घोषित कर दिया था।

17.00 बजे

जम्मू व कश्मीर सरकार ने जून, 1990 में राज्य दण्ड विधि की अपेक्षानुसार न्याय अधिकारियों के एक तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया। सरकार ने संघ "अवैधानिक" घोषित करने वाली अधिसूचनाएं जांच तथा निर्णय हेतु न्यायाधिकरण को सौंप दी। 25-1-91 को संसद द्वारा संशोधित तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत राज्य विधि के अन्तर्गत न्यायाधिकरण को राज्य सरकार से अभिदेशन की पावती के दिन से एक वर्ष के भीतर 17-6-1991 तक राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इत्यादि की जांच तथा पुष्टि करनी थी।

जम्मू व कश्मीर सरकार ने यह सलाह दी कि जांच हो रही है और इसे निर्धारित समय यानि 17-6-91 तक पूरा कर पाना सम्भव नहीं है क्योंकि न्यायाधिकरण दोषियों को दिये जाने वाले नोटिसों की प्राप्ति, प्रभावित लोगों की व्यक्तिगत सुनवाई और उठाये गये मुद्दों की न्यायिक जांच कराने के संबंध में वास्तविक कठिनाईयों का सामना कर रहा है। उन्होंने जांच पूरी करने के लिये निर्धारित समय को छः माह के लिये बढ़ाने का आग्रह किया यानि "एक वर्ष" से बढ़ाकर "डेढ़ वर्ष" करना।

5.02 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

इसके अनुसरण में तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल ने न्यायाधिकरण द्वारा जांच पूरी किये जाने की सम्यावधि राज्य अधिनियम में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश प्रख्यापित करके छः माह के लिये बढ़ा दी।

वर्तमान विधेयक राज्यपाल द्वारा 16-6-91 को प्रख्यापित अध्यादेश की प्रतिस्थापित करने हेतु लाया गया है। जम्मू-कश्मीर राज्य के सन्दर्भ में धारा 356 के अन्तर्गत 18 जुलाई, 1990 को राष्ट्र-पति द्वारा की गई उद्घोषणा में कहा गया है कि "राज्यपाल और राज्य की विधान सभा अथवा उसके सदन को प्रचालित राज्य संविधान के खण्ड 91 का अभिदेशन क्रमशः राष्ट्रपति और संसद अथवा उसके सदन को प्रचालित अभिदेशन समझा जाना चाहिये।" इसलिये यह विधेयक संसद के समक्ष लाया गया है।

मैं इस सदन के विचार तथा अनुमोदन हेतु यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव है :

"कि जम्मू व कश्मीर दण्ड संशोधन अधिनियम, 1983 में और संशोधन करने के बारे में विधेयक परे विचार किया जाये।"

अब विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव में संशोधन किये जायें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 28 अक्तूबर, 1991 तक विचार मालूम करने के लिए परिचालित किया जाये।" (1)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मेरा प्रस्ताव है :

"कि विधेयक को, 27 अक्तूबर, 1991 तक विचार मालूम करने के लिए परिचालित किया जाये।" (2)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

"कि विधेयक को, उसपर 31 अक्तूबर, 1991 तक विचार जानने के लिए परिचालित किया जाये।" (4)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

"कि विधेयक को, उस पर 31 दिसम्बर, 1991 तक विचार जानने के लिए परिचालित किया जाये।" (5)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा-बूंदी) : सभापति महोदय, इस देश का दुर्भाग्य है कि सन् 1953 में भारतीय जनसंघ ने एक आन्दोलन किया था, जिसमें दो लाख व्यक्ति इस नारे के आधार पर जेल गए थे, अपने पूर्व वक्ता कामरेड को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर के साथ आज की जनसंघ के महान नेता डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका चित्र अभी हमने सैंट्रल हाल में लगाया है, जुड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री जी ने स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आवाज को सुन लिया होता, अगर उनके इस नारे को सुन लिया होता कि "एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे" तो आज जो हम बार-बार कानूनों में परिवर्तन करके, संशोधन करके सख्त से सख्त कानून बना कर भी हम आए दिन जो बातें करते हैं वे आज हमको नहीं करनी पड़ती। जम्मू कश्मीर के साथ अगर कोई दल जुड़ा हुआ है तो वहां मेरा दल है, जिससे मैं निकला हूं। भातीय जनसंघ के आधार पर हमने आंदोलन किया था। मुझे भी साढ़े तीन महीने तक कश्मीर की फिरोजपुर सैंट्रल जेल में श्यामाप्रसाद मुखर्जी के आह्वान पर जेल जाने का अवसर मिला था। एक भी दल ऐसा नहीं है जिसने कश्मीर को बचाने के लिए इतना बड़ा आन्दोलन किया हो और जेल जाकर प्राणों की आहुति दी हो। शेख अब्दुल्ला की तानाशाही, जिसकी ६कालन यहां बैठे हुए सारे दल

करते है, उस वकालत के खिलाफ जेहाद छिड़ी है। आज भी यह सन्देह के घेरे में प्रश्न खड़ा हुआ है कि एस० पी० मुखर्जी की हत्या हुई या हत्या की गयी।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी बार-बार यह कहते रहे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन मुझे मत दो। किसी षड-यन्त्र के नाम पर डा० मुखर्जी की हत्या की या हुई, यह स्थिति संदेहास्पद है। आज कानूनों की परवाह नहीं कर रहे हैं। लोक सभा और जन-शक्तियों के माध्यम से कानूनों को कश्मीर पर लादना चाहते हैं। भारतीय संविधान से परे होने पर कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। श्री भोगेन्द्र झा, शेख अब्दुल्ला की वकालत कर रहे हैं। वे बहुत बड़े और इस सदन के पुराने सदस्य हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या आपके दल ने कभी यह बात उठाई की हम कश्मीर को बचाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और क्या वोटों का इजाफा करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि काश्मीर के शरणार्थी दिल्ली में आकर पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसी ने उन्हें कम्बल नहीं दिए। बी०जे०पी० ने समाचारपत्रों में विज्ञापित किया कि ढाई लाख कम्बल हिन्दुस्तान की जनता से चाहिए। हिन्दुस्तान की जनता ने शरणार्थियों के लिए ढाई लाख नये कम्बल लाकर दिए। लेकिन सारे दल कान में तेल डालकर बैठे रहे। आखिरकार राजनीति करने वालों को जाति विशेष नहीं होना चाहिए बल्कि सब व्यक्ति एक समान होने चाहिए। आप सैक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। नकली सैक्युलरिज्म में बी०जे०पी० विश्वास नहीं करती। दूसरे दल केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करके इस देश को गुमराह करने पर तुले हुए हैं। आपने कानून में आतंकवादी लोगों को अन्याय देने के आधार पर और कार्यवाही करवे के लिए समय मांगा है। मैं चार दिन पहले शून्य काल में एक मामला उठाया था। कोई भी व्यक्ति दुरईस्वामी के लिए नहीं बोलता। क्या आप गुरू तेज बहादुर की तरह स्थिति स्थापित करना चाहते हैं एक-एक अंग काटकर जो गुरू तेग बहादुर का गुरुद्वारा खड़ा किया है, क्या आप उसी तरह स्थापित करना चाहते हैं। आपने तीन व्यक्तियों को छोड़ने की बात कहीं है। सरकार ने उन आतकवादियों को नहीं पकड़ा है। आपके कब्जे से वे बाहर हो गए हैं। एक व्यक्ति ने मध्यस्थता की। वह कौन था और जिसके कहने पर आया था। एच० एम० टी० के जनरल मैनेजर की हत्या करने वाले व्यक्ति को क्या छोड़ दिया जायेगा। तीन जघन्य अप-राध करने वाले व्यक्तियों को क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हैं। गृह मन्त्री जी इस बात का जवाब दें। दुरईस्वामी के लिए यह धौंस दी गई है कि उनका दाया हाथ और बाद में बांया हाथ काटा जायेगा और टांग तथा सिर अलग कर दिया जायेगा। आखिर यह सरकार किसका नाम है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं जनता दल का समर्थन करने वालों में था। भूतपूर्व गृह मन्त्री ने अपनी लड़की को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों छोड़ दिया था। इसके कारण उनके हौसले बुलन्द हुए। आज उनके हौसले बुलन्दी पर हैं। हिन्दुस्तान का नन्दन वन, केशर की क्यारियां और क्या हिन्दुस्तान का हिस्सा, हिन्दुस्तान से कट जायेगा। हम टुकर-टुकर देखते रहेंगे।

मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि कश्मीर के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण और कठोर से कठोर जो हो सकता है वह बनाना चाहिए।

एक दिन इसी सदन में एक प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकार का आतंकवादियों के ठिकानों पर बमबारी करने का इरादा है तो गृह मंत्री ने जवाब दिया कि नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप बमबारी नहीं करेंगे, गप्पबाजी करेंगे, उधर दुरईस्वामी का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। आप कौन सी

[श्री दाऊ दयाल जोशी]

नीति निर्धारित कर रहे हैं जिससे कश्मीर को बचाया जा सके। ऐसे छोटे-छोटे कानून बनाकर या उनमें संशोधन करके कश्मीर को नहीं बचाया जा सकता।

अभी माननीय सदस्य भोगेन्द्र झा कह रहे थे कि वहां से लोग अपनी मर्जी से चले आ रहे हैं। आप एक मिनट भी अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, अगर जाते हैं, ताला लगाकर जाते हैं और पुलिस को सूचना देकर जाते हैं कि इसका ख्याल रखना मैं बाहर जा रहा हूं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वे लोग अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले आ रहे हैं। उन लोगों की वहां लाखों की सम्पत्ति पड़ी हुई है जिसे वे भगवान के भरोसे छोड़कर यहां आ गये हैं। वे लोग पढ़े लिखे हैं, कई आई० ए० एस० अधिकारी भी हैं। वे लोग यहां शरणार्थी बनकर आये हैं और दिल्ली की सड़कों पर दाने-दाने के मोहताज हो रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के अलावा सब राजनैतिक दल उनकी ओर टुकर-टुकर देख रहे हैं, लेकिन उनकी सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर खुराना साहब न होते तो उनकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उनके कैम्प्स का दौरा नहीं किया और न ही आप में से किसी ने उनके लिए यहां कोई आवाज उठाई। मैं जनता दल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस लोक सभा में उनकी मदद के लिए आवाज उठाई है ? प्रधानमन्त्री जी और गृह मन्त्री उनके शिविरों में आज तक नहीं गये। मैं गृह मन्त्री जी के चरणों में निवेदन करता चाहता हूं कि एक बार आप उनके शिविर में जाकर देखें तो मालूम होगा कि वे कैसे रह रहे हैं। सिर्फ पांच-पांच सौ रुपये देकर अपनी इतिश्री समझ ली इससे काम चलने वाला नहीं है। कश्मीर को बचाने के लिए अपने अन्दर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपका मन दृढ़ होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह अल्पमत सरकार कश्मीर को बचा पायेगी। कश्मीर को बचाने के लिए निश्चित रूप से इस सदन में दो से छियासी हुए और छियासी से 119 हुए और अगली बार दो सौ सत्तर होंगे और तभी हम ही कश्मीर को बचा पायेंगे। ऐसे छोटे-छोटे कानून लाकर या संशोधन लाकर हम कश्मीर को नहीं बचा पायेंगे। इसलिए मैंने इस प्रस्ताव को निरनुमोदन के लिए पेश किया था।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में कश्मीर को बचाना है तो मन में इच्छा शक्ति रखते हुए कोई ऐसी व्यवस्था बनायें, ऐसी ताकत लायें, आतंकवादियों के ठिकानों पर बम बारी जब तक नहीं करेंगे या अन्य कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक किसी प्रकार से कश्मीर को नहीं बचाया जा सकता।

आये दिन सेना के ठिकानों पर हमले किये जा रहे हैं। यह स्थिति भी कश्मीर में हो गई है। आज से चार दिन पहले पाकिस्तान की सीमा से कई प्रशिक्षित उग्रवादी घाटी में आ गये हैं और हजारों की तादाद में आने को तैयार हैं। इसलिए आप कश्मीर को बचाने का प्रयत्न कीजिए। मन में पीड़ा है इस लिए ऐसी बातें कह रहा हूं। मैं स्वयं फिरोजपुर की सेंट्रल जेल में साढ़े तीन महीने रहा हूं। कांग्रेस से कितने लोग कश्मीर को बचाने के लिए जेल गये हैं, जनता दल तो तब पैदा भी नहीं हुआ था जब से हम कश्मीर के लिए लड़ रहे। इसलिए आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें नहीं तो भारत का यह उज्ज्वल मस्तक, नन्दन वन और सुन्दर शहर हमसे अलग हो जायेगा।

श्री अयूब खां (झुंझूनु) : मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं भी इस बिल के समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने अभी अपने साथ दाऊ दयाल जी के भाषण को सुना। मेरे उनसे बहुत गहरे सम्बन्ध हैं। क्योंकि हम एक ही प्रान्त के रहने वाले हैं। लेकिन उनकी जो मैंने भाषा सुनी है वह सुनकर ऐसा लगा है कि शायद उन्होंने राजस्थान में जन्म नहीं लिया हो, क्योंकि राजस्थान में ऐसी भाषा बोलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वहां का सैक्यूलर है, वहां एक सभ्यता है, वहां की एक तहजीब है। वहां एक ऐसी कल्चर है जहां सब लोगों को समान आदर दिया जाता है। मान्यवर, मैं आपसे अपील करुंगा कि मैं कश्मीर से काफी वाकिफ हूं। मैंने वहां दो लड़ाइयां पाकिस्तान के साथ सन् 1965 और 1971 की लड़ी हैं। हमने उस समय पाकिस्तान के टैंकों का रेला भेजा है। हमने पाकिस्तान के टैंकों को एक इंच भी हिन्दुस्तान को मुकद्दस जमीन पर नहीं पड़ने दिया बल्कि हमने पाकिस्तान के टैंकों का कब्रिस्तान बनाया और ऐसा कब्रिस्तान बनाया कि पाकिस्तान जिन्दगी भर याद रखेंगे कि कभी हमने हिन्दुस्तान की बहादुर फौज की तरफ हमला करने का रुख किया था।

एक माननीय सदस्य : जोकि अमरीकी टैंक थे।

श्री अयूब खां : जो अमरीका के पैंटन टैंक कहलाते थे जो उस समय के बहुत बड़ी सख्ती वाले टैंक कहलाते थे लेकिन हिन्दुस्तान के बहादुर सैनिक यह समझते थे कि ये टेक दान दिये हुए टैंक हैं, हिन्दुस्तान की पवित्र धरती में पैंदा हुआ सिपाही उन टैंकों से खोफंजदा नहीं होता था। उसे मालूम था कि यह भारत की वह मकद्दस जमीन है यहां राम और कृष्ण ने जन्म लिया, जहां सिक्ख और अन्य लोगों ने जन्म लिया है, उस जमीन के अन्दर पैदा होने वाले लोगों को कोई भी टैंक या ताकत मगरुब नहीं कर सकती। उसी बिनाह पर हमने उन टैंकों को नेस्तानाबूद किया। इसके साथ ही साथ हमने कश्मीर और पंजाब के पंजाबियों को अपना साना-बेमाना अपने साथ उन सिवलियनों को भी लड़ते देखा। उनको ऐसे देखा कि जिस तरह से फौज लड़ रही थी। उसी तरह वहां के जो नागरिक थे, वे भी हमारा साथ दे रहे थे। वहां पर किसी जाति का सवाल नहीं था कि कश्मीर में हिन्दू और मुसलमान एक अलग चीज थे या पंजाबी सिक्ख कोई अलग चीज थे। वहां पर सब लोगों का एक ही नारा था कि मातृभूमि की रक्षा करना। यही नारा हमारी पार्लियामेंट में होना चाहिए क्योंकि हम सब लोग वहां से चुनकर आते हैं तो किसी जाति या समुदाय के बोट से चुनकर नहीं आते हैं बल्कि सब समुदाय के वोट लेकर ही हम यहां आते हैं। हमारा दायित्व और फर्ज बनता है कि हम उसी तरह से समुदाय की बात कर सकें, किसी एक समुदाय को या एक समुदाय की बुराइयों को न देख सकें।

सभापति महोदय, मैं जब यहां पहली बार 1984 में इस सदन का सदस्य चुनकर आया था, उस दरकियान मुझे कई बार कश्मीर जाने का मौका मिला। वहां के हमारे संगठन को डी० सी० सी० और पी० सी० सी० को संगठित करने का मुझे मौका मिला। मुझे वहां के लोगों से बात करने का मौका मिला लेकिन वहां पर गरीबी और गुरबत थी। वहां की एजूकेशन की हालत देखकर मुझे लगता था कि कश्मीरियों की हालत दयनीय थी। जो भी सरकार वहां रही हो, वह किसी के समर्थन से क्यों न रही हो, उस सरकार ने वहां के लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए कुछ काम नहीं किया। वह काम न करने की बदौलत जैसी हालत हुई, वहां पर आहिस्ता-आहिस्ता आग भड़कने का मौका मिला। जब मैं वहां गया तो मालूम था कि जो उस टाईम के मुख्यमन्त्री थे, उनकी एजूकेशन डिपार्टमेंट से बहस की। हमने कहा कि अगर आपने विकास सम्बन्धी काम नहीं किया हो, अगर आप सब बच्चों को दसवीं तक तालीम

[श्री अयूब खां]

फ्री दें, खाना दें तो ये 5-4-3 साल के बच्चे चप्पू नहीं चलायेंगे। जो कश्मीर को देखने जाते हैं, उनको ढोने के लिए किश्ती पर पेरेन्ट्स का हाथ नही बंटायेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब वहां ऐसी हालत थी तो किस बिनाह पर वहां पर श्री जगमोहन को गवर्नर बनाया गया था? किस बिनाह पर वहां के हिन्दू भाईयों को कश्मीर से निकालकर यहां लाया गया? क्या ऐसी स्थिति पैदा हुई थी कि एक समुदाय को वहां खाली छोडा जाये और बाकी सब को यहां बुलाया जाये।

जबकि काश्मीरी लोगों की एक मिसाल बनी हुई है कि कश्मीरी कभी मुर्गी भी जिबा नहीं करने वाला, कश्मीर इतनी डरपोक कौम थी पहले। एक ऐसा भाई-चारा कहां था, डरपोक मैं ताज नहीं कह सकता, लेकिन उनके बीच में ऐसा भाई चारा था कि कभी भी वहां हिन्दू-मुसलमान का फसा नहीं हुआ था। जब हिन्दू मुसलमान का फसाद नहीं हुआ तो क्या वजह थी कि वहां के तमाम हिन्दू भाइयों को वहां से बुलाया गया? यह एक सोची समझी साजिश थी और साजिश क्या थी उसको कोई जानता नहीं। साजिश यह थी कि हिन्दू भाइयों को तो निकालो और वहां किसी आम बहाने पर सबको नेस्त-नाबूत कर दो। क्या यह बात सच नहीं है कि इस तरीके से कहीं भी किसी मुल्क में ऐसा हुआ हो कि एक समुदाय को छोड़कर बाकी समुदाय को अलग कर दो। क्या यह पंजाब में हो सकता था? लेकिन ऐसी बात कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमारे तमाम हिन्दू भाइयों को हमारा सबका फर्ज बनाना चाहिए कि हम उन सबको वहां सम्मान से लेकर जाएं और यह जो श्री दाऊ दयाल जोशी जी बोल रहे हैं, क्या उनमें ऐसे सदस्य हैं जो अभी भी काश्मीर चलें और काश्मीर में जाकर वहां की जनता की हालत देखें? हमें सबको वहां पर जाना चाहिए और हालात का जायजा लेना चाहिए और उनकी दुख तकलीफ को भी देखना चाहिए और जो आतंकवाद है उनका कोई धर्म और मजहब नहीं होता। आतंकवाद चाहे किसी भी जाति में हो, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका धर्म सिर्फ आतंकवाद होता है। सब मुसलमानों को एक आतंकवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं भी मुसलमान हूं। हमारा धर्म कहता है कि अगर कोई मुसलमान मुसलमानियत को मानता है, कोई भी मुसलमान कभी किसी मुल्क में गद्दार नहीं हो सकता। अगर वह गद्दार है तो वह मुसलमान नहीं हो सकता। यह हमारी कुरान हमको तालीम देती है कि कोई मुसलमान किसी हालत में गद्दार नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी कोई गद्दार है वह मुसलमान नहीं है और हमारा धर्म हमें यह भी बताता है कि जिस तरह से तुम अपने मजहब, अपने मस्जिद का आदर करते हो, ठीक उसी तरह से तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि तुम मन्दिर का भी उसी तरह आदर करो। वहां यह सवाल नहीं है कि तुम मन्दिर और मस्जिद में कुछ फर्क रखो। मैं फौज में सर्विस करके आया हूं, जो भी फौज में रहे हैं; यहां हैं (व्यवधान)···

सभापति महोदय : जो बिल आपके सामने है, उस पर बोलिए।

श्री अयूब खान : मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि ऐसी भावना न भड़काएं जिससे देश में नुकसान पैदा हो, ऐसा भाषण न दें जिससे देश टूटता हो। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कश्मीर की जो जनता है, जो वहां आतंकवाद है, उनके साथ सख्ती बरती जाए। जो होम मनिस्टर साहब थे श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी लड़की को आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। देखिए, वहां कितनी

बड़ी भूल की। क्या एक मुल्क का होम मनिस्टर अपनी लड़की को छुड़ाने के लिए देश को गिरवी रख सकता है, बेच सकता है? हमारा फर्ज था, अगर मुफ्ती साहब यह कहते कि एक मेरी बच्ची नहीं, हिन्दुस्तान की करोड़ों बच्चियों का मैं बाप हूं, मेरी एक बच्ची जाए, वह कुबांन हो लेकिन मैं किसी आतंकवादी से सौदा नहीं करूंगा। उससे एक मिसाल कायम होती, लेकिन उन्होंने मिसाल कायम नहीं की। अब मुफ्ती मोहम्मद साहब के नाम से किसी को जोड़ा जाए, उससे ताल्लुक नहीं है वह इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे। अगर ऐसी गलती कोई भी करे, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, हमारे मुल्क से बड़ी कोई चीज नहीं, न हमारा धर्म हमारे पतन से बड़ा है, न कोई चीज हमारे मुल्क से बड़ी है। हमें सब चीजों को कुर्बान करना चाहिए, अपने देश को बचाना चाहिए।

मैंने गुना है और देखा है जो लोग बोफोर्स गन के नाम से बोला करते थे। कभी उन्होंने सोचा नहीं कि ये देश की हिफाजत करने वाली गन है। हम गन की तो बुराई न करें, पैसे की बुराई कर सकते हैं। हम अपने देश को बेचने वाली बात तो न करें, हम एक दूसरे पर कटुता कर सकते हैं, एक दूसरे की पार्टी की बुराई कर सकते हैं लेकिन देश को बेचने वाली बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम सब लोग यह सोचें कि इस तरह से कश्मीर को बचाया जा सकता है। कश्मीर को बचाने का तरीका यह है, मेरी अपनी राय है कि हिन्दू भाइयों को बाइज्जत बाहिफाजत कश्मीर में भेजा जाए और ऐसा बन्दोबस्त हो कि वे आराम से रह सकें और मेम्बर आफ पार्लियामेंट की टीम वहां भेजी जाए।

वह टीम वहां के हालात का जायजा ले और जो लोग आतंकवादी हों, उनसे सख्ती से निपटा जाए, चाहे वे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म से संबंधित हों। यदि कोई आतंकवादी है तो उसका कोई धर्म नहीं हो सकता। अगर उनमें कोई मुसलमान है तो मुसलमान मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, गद्दार नहीं हो सकता। कोई भी मुसलमान कभी किसी मन्दिर का विरोधी नहीं हो सकता और मस्जिद कभी किसी मन्दिर की जगह बन नहीं सकती। मस्जिद के लिए, हमारे यहां शरियत में है कि मस्जिद कभी किसी मन्दिर की जगह नहीं बन सकती। मस्जिद कभी किसी उधार ली हुई जमीन पर या किसी दूसरे की जमीन पर तामीर नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए यदि कहीं कोई मस्जिद है तो वह हलाल की कमाई से खरीदी गई जमीन पर ही बनी हो सकती है, किसी दूसरे की जमीन पर कभी नहीं हो सकती। हमारे धर्म में साफ व्याख्या है। दूसरे हमने संविधान में माना है कि मन्दिर और मस्जिद में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। हम जितना आदर एक मन्दिर का करते हैं, उतना ही आदर हमें मस्जिद के प्रति भी करना चाहिए। फिर कैसे हो सकता है, जो बात यहां पर कही गयी, वह सम्भव हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां जिस तरह से बोल रहे हैं, जो जजबात उन्होंने यहां बयान किए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पार्टी के स्तर तक उनके जजबात ठीक हो सकते हैं लेकिन सदन में तो आप कम से कम ऐसी बात बोलिए जो देश को बचाने वाली हो, जिससे देश बचे, देश मजबूत हो। किसी एक जाति के प्रति इतनी कटुता प्रदर्शित न करें। यदि आप ऐसा सोचते हों कि इस तरह की बातें करके आपका कुछ हित हो सकता है तो देश के लिए वह ठीक नहीं। ऐसे हालात बनाने में भारतीय जनता पार्टी का जितना सहयोग है, मैं मानता हूं कि सैयद शाहबुद्दीन साहब का भी उतना ही योगदान है। यदि शाहबुद्दीन साहब उस दिन यहां ऐसा भड़काने वाला नारा न देते तो ये लोग एक जगह संगठित न होते

[श्री अयूब खां]

और आज इस तरह की बातें नहीं करते। आपके 26 जनवरी को दिए नारे की वजह से ही ये हालात पैदा हुए हैं।

सभापति महोदय (श्री शरद दिघे) : मैं सभी मैम्बर साहेबान से विनती करना चाहता हूं कि बिल के ऊपर ही बोलिए, कश्मीर और कम्यूनल रॉयटस के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। बिल का जो सब्जेक्ट है, उसी पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

श्री अयूब खां : मैं इस बिल के बारे में ही कह रहा था कि जितने आतंकवादी हमारे यहां हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री सूर्य नारायन यादव। कृपया अपने आप को बिल की परिधि तक ही सीमित रखें।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। अभी हमारे दाऊ दयाल जोशी जी बोले, उनका बोलने का राइट था, वे उस हैसियत से बोलो हैं क्योंकि उन्होंने मोशन दिया था—डिस-एप्रूवल का नोटिस दिया था। अब पहला चांस बी०जे०पी० को मिलना चाहिए था। बी०जे०पी० की तरफ से अभी तक कोई मैम्बर नहीं बोला है। आप पहले बी०जे० पी० के किसी मैम्बर को बुलवाइए। फिर दूसरे मैम्बर बोल सकते हैं।

सभापति महोदय : आपको भी मौका दिया जाएगा।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : लेकिन पहला मौका तो बी०जे०पी० को मिलना चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : आफ्टर मिनिस्टर, बी०जे०पी० को मौका मिलने का पूरा औचित्य है। आप पहले बी०जे०पी० के किसी मैम्बर को बुलवाए। **(व्यवधान)**

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : आपने इधर का नम्बर कैसे टाल दिया।

श्री मदन लाल खुराना : जो लिस्ट स्पीकर साहब के पास गयी है, उसमें से आप बुलाइए। कुछ हिसाब से काम होना चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपका एक मैम्बर बोल चुका है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : कहां बोला है, हमारा मैम्बर।

सभापति महोदय : मैं आपको भी चान्स दूंगा। अभी आप बैठ जाइए। **(व्यवधान)**

~~**श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा)**~~ : सभापति महोदय, यह बिल जाहिर है कि कश्मीर में चुनाव कराने के लिए लाया गया है, वहां अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। कश्मीर की आज जो स्थिति है, उसके लिए सरकार को अभी समय चाहिए। इस देश में वर्ष 1989 में जब नेशनल फ्रंट की सरकार बनी तो

प्रत्येक 6 महीने बाद स्थिति की समीक्षा की गयी परन्तु कश्मीर की समस्या लगातार खराब होती चली गयी। अब उसके लिए यह सरकार बिल लाई है। तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने साफ शब्दों में कहा था कि अगले 6 महीने के बाद हम कश्मीर में चुनाव कराएंगे। यह बात ठीक है कि अभी कश्मीर की स्थिति इतनी बदतर नहीं है, खराब है, इस माहौल में वहां चुनाव नहीं हो सकते, और इसीलिए मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूं लेकिन जो स्थिति इन्होंने बयान की है, वह कांग्रेस की देन है, जिसका अभी हमारे एक साथी भोगेन्द्र झा जी ने बहुत अच्छे ढंग से विश्लेशण किया है। लेकिन क्या यह जो कश्मीर की स्थिति है, यह क्या हम लोगों ने बनाई है ? यह ठीक है कि हम लोगों ने भी गलतियां की हैं। मान्यवर मैं यह नहीं कहता कि हमने गलती नहीं की है। एक परम्परा हमारे समय में हम लोगों ने बनाई जो गलत थी। हमारी सरकार के समय में हमारे गृह मन्त्री जी की पुत्री को जब किडनैप किया गया, तो उनको छुड़ाया गया। आज तक वह परम्परा चली आ रही है। परम्परा वही है, उसके पहले कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। हमारी सरकार ने जो गलतियां की हैं, उन्हें स्वीकार करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अभी जो स्थिति है कश्मीर की और जो बिल आए हैं, उस बिल में कोई ऐसी बात नहीं कही कि आप कितने दिन में क्या कराना चाहते हैं और आपके उद्देश्य क्या हैं और आप कश्मीर को इसी तरह से रखना चाहते हैं, क्या कश्मीर में यही होता रहेगा ? ठीक है, पहली सरकार ने या वहां के गवर्नर ने कुछ टाइम के लिए वहां जो किया और जैसा किया, वह गलत था या ठीक था, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बिल आप लाए हैं, उसका समर्थन संसद में होता रहेगा, लेकिन वहां क्या परिस्थितियां हैं, इनका पता लगाना चाहिए। जैसा हमारे माननीय मित्र ने कहा वहां परिस्थितियां वद में वद-तर हो गई हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। हमें इस पर दलगत राजनीत से उठकर सोचना चाहिए जैसा जोशी जी ने भी कहा और अन्य सदस्यों ने भी कहा कि चाहे हम किसी भी दल के हों, सबसे पहले हम सांसद है और देश का हित और उसकी रक्षा की बात जहां पर भी आए, उसको हम लोगों को हृदय से स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि कश्मीर से जितने भी विस्थापित आए हैं उन्हें निश्चित रूप से विशेष सुरक्षा दी जाए और उन्हें वापस कश्मीर भेजा जाए। जितने लोग वहां हैं, उनकी रक्षा की भी समुचित व्यवस्था की जाए। आज जो उग्रवाद देश पर इतना हावी होता जा रहा है, उसको समाप्त करना चाहिए। वहां पर स्थिति उग्रवादियों ने इतनी खराब कर दी है कि लगता है कि वहां सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो वहां पर आप सख्ती से इस उग्रवाद को दबाइए।

महोदय, वहां की विधान सभा को समाप्त कर वहां डैमोक्रेसी को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर वहां नये चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो पुरानी विधान सभा को ही पुनर्जीवित करने का कष्ट करें जिससे वहां जनतंत्र आ सके और लोगों में विश्वास पैदा हो सके कि वे भी जनतंत्र में रह रहे हैं।

~~श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली)~~ : सभापति जी, यह जो आज मंत्री जी ने आर्डिनेंस की जगह बिल बनाने की बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस तरह से कश्मीर की हालत दिन प्रतिदिन तेजी से बिगड़ रही है, उसके लिए सरकार को जो कदम उठाने

[श्री मदन लाल खुराना]

चाहिए, सरकार उस दिशा में नहीं चल रही है, वैसे कदम नहीं उठा रही है।

सभापति जी, आज कश्मीर की हालत क्या है, इसको आप देखें, तो पता लगेगा कि वहां गवर्नमेंट आफ इंडिया की अथारिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से आतंकवादियों की गिरफ्त में है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, बात लम्बी नहीं करना चाहता हूं—पिछली साल 26 जनवरी को सारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया किन्तु कश्मीर वैली में नहीं मनाया गया। उस समय वहां के चीफ सैक्रेट्री ने मीटिंग ली और सारे आफीशियल्स को कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में आपको उपस्थित रहना है, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि डी० एम० से लेकर नीचे तक के सभी कर्मचारी श्रीनगर के अन्दर उस दिन समारोह में नहीं आए, इतनी विकट स्थिति है।

महोदय, सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, महीनों तक वे वहां रहते हैं और यहां दफ्तरों में उनकी प्रजेण्ट लगती है।

वे कश्मीर से लेते हैं, भारत सरकार से लेते हैं और ट्रेनिंग के लिए कश्मीर जाते हैं, पाकिस्तानी कैम्प में ट्रेनिंग लेकर आते हैं। माईग्रेन्टस के मकानों को जब लूटा जाता है तो एफ०आई० आर० लिखने को भी कोई तैयार नहीं है। उस दिन जब मैंने कहा कि माईग्रेन्टस के मकानों को लूटा जा रहा है तो यहां पर माननीय मंत्री श्री आजाद ने मेरे उस कथन को चुनौती दी थी। मैं आज एफ० आई आर० लेकर आया हूं, ०08 एफ० आई० आर० हैं जो माईग्रेन्टस ने लिखवाई हैं कि हमारे मकानों को लूटा गया है, हमारे मकानों पर बम मारे गए हैं, अगर आप कहें तो मैं यह लिस्ट सदन के पटल पर रख दूं। मन्दिर की लिस्ट भी इसमें है, 13 गांवों में, कस्बों में 26 मन्दिर हैं जिसमें बम मारे गए हैं। मेरा कहना है कि ये सारी घटनाएं आज कश्मीर में हो रही हैं। वहां के एस०एच०ओ०, पुलिस आफिसर्स अखबार में एडवटाईजमेंट देते हैं कि अमुक आतंकवादी को मैंने नहीं मारा, मैंने तंग नहीं किया, मैंने गिरफ्तार नहीं किया। वह डरता है कि कहीं मेरा नाम आ गया तो मुझको मार दिया जाएगा। मानव अधिकार के नाम पर कुछ फौरन प्रैस, विशेषकर अमरीकन प्रैस और वहां की लोकल प्रैस जिस तरह से चीजों को उछाल रही है उसका फायदा पाकिस्तान लेता है। उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों से समझौते की बात करके हम एक रौंग सिगनल दे रहे हैं। कश्मीर के बारे में दुनिया को इम्प्रैशन दिया जा रहा है कि जैसे सारे जम्मू-कश्मीर की समस्या है। जम्मू-कश्मीर की समस्या नहीं है केवल 50 प्रतिशत वैली की समस्या है, जम्मू और लद्दाख की समस्या अलग है, वहां पर एंटीनेशनल ऐक्टीवीटीज नहीं हो रही हैं, केवल वैली में यह समस्या है। इसलिए इस बात को साफ किया जाना चाहिए। दुनिया मे यह शो किया जा रहा है कि सारा जम्मू-कश्मीर भारत से अलग होना चाहता है या पाकिस्तान से मिलना चाहता है। कहा तो यह जाता है कि आतंकवाद के साथ सख्ती से निपटा जाएगा पर सरकार का जो रवैया है, मैं जानता हूं आप नये आए हैं लेकिन चन्द्रशेखर जी की सरकार हो चाहे जनता दल की सरकार हो, उसके पहले जो आपकी सरकार थी, उसने भी जो रवैया अख्तियार किया वह आतंकवाद को दबाने वाला नहीं था, वह एक रौंग सिगनल देने वाला था।

कभी यह कहा जाता है कि फारूख अब्दुल्ला को वापस लाया जाए। वहां पर पूरा आतंकवाद कैसे फैला, जिस दिन से फारूख अब्दुल्ला ने वहां पर इलेक्शन को तहस-नहस किया उसका रिजल्ट हुआ कि लोग वहां पर नाराज हो गए और वहां आतंकवाद फैला। यह रिकार्ड पर है कि जब फारूख अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री थे, 150 आतंकवादियों को पाकिस्तान भेजा था, यह आपकी होम मिनिस्ट्री में रिकार्ड पर है। इसलिए अगर श्री फारूख अब्दुल्ला को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की तो जम्मू-कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर की आतंकवादी समस्या को आप सौल्व नहीं कर पायेंगे, वह और भड़केगी, इसके लिए आप विचार करें।

सभापति महोदय मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अब यह खबर आई है 3-4 दिन पहले और जैसा कि मेरे मित्र ने भी कहा है कि अब आतंकवादियों के साथ में बकायदा पाकिस्तानी ट्रेंड सैनिक भी आ रहे हैं। 1965 वाली स्थिति फिर आ रही है और सादे कपड़ों के अन्दर आर्म्ड फोर्सिज के लोग एन्टर कर रहे हैं। यह एक बहुत गम्भीर चीज है। इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

एक बात जो कि मैंने पिछली दफा कही थी उसको मैं दोहराना चाहता हूं कि सरकार किस तरह से गलत सिगनल देना चाहती है। वह कहती है और हकीकत भी है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा और हाऊस के बहुत से सदस्यों को शायद ज्ञात नहीं होगा कि सारे देश में जनगणना हुई है लेकिन जम्मू-कश्मीर में जनगणना नहीं हुई है। क्यों साहब ? 1941 से वहां जनगणना नहीं हुई है सारे देश के अन्दर जनगणना आपने 1991 में कराया है तो कश्मीर में उसे क्यों नहीं करवाया है ? आप हमें कहते हैं कि हम साम्प्रदायिक हैं और धारा 370 को हटाने की बात करते हैं। मैं इसमें अभी नहीं पड़ना चाहता हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वहां जनगणना क्यों नहीं कराई गई।···(**व्यवधान**)·· असम में विदेशी घुसपैठिये थे इसलिए नहीं हुई है। आप दुनिया के सामने क्या सिगनल देना चाहते हैं ? आप पाकिस्तान को यह हथियार देना चाहते हैं कि वह यह कहे कि यह हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है। सरकार की तरफ से ये सब चीजें जो होती रहती हैं मैं उनका विरोध करता हूं।

अब मैं माइग्रेंट्स पर आता हूं। इसको लेकर जैसी कहानी बताई जाती है, उससे मुझे बहुत अफसोस होता है। यह कहा जाता है कि जगमोहन केवल हिन्दुओं को वहां से लायें। आप किसको धोखा देना चाहते हैं ? आप किसके जख्मों में नमक छिड़कना चाहते हैं ? क्या कोई आदमी अपना घर-बार, मकान और सम्पत्ति जिन्दगी भर की छोड़कर मारा-मारा घूम सकता है ? इस तरह की बातें करके आप पाकिस्तान के हाथों को मजबूत करते हैं। जो बात हमारे कांग्रेसी दोस्त ने कही उसको फिर पाकिस्तान के रेडियो और टी० वी० कहेंगे और इससे उस बात का बहुत जोरों-शोरों से प्रचार होगा। देश के अन्दर शासन करने वाली पार्टी का सदस्य अगर यह बात कहेगा कि चूंकि वहां मुसलमानों का मरवाना था इसलिए जगमोहन हिन्दुओं को यहां लेकर आया, इसका पाकिस्तान के रेडियो, टी० वी० में प्रचार होने से इसका दुनिया के अन्दर गलत इम्प्रेशन पड़ेगा। छोटी-मोटी राजनीतिक गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह की बात करना देश हित में नहीं है। ये माइग्रेंट्स अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। कांग्रेसी सदस्य द्वारा कही बात हम नेशनल कांफ्रेंस के लोगों से सुनते थे लेकिन कांग्रेसी सदस्य द्वारा कही बात के बारे में हम होम मिनिस्टर से कहना चाहते हैं कि वह इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें।

[श्री मदन लाल खुराना]

माइग्रेंट्स जो वहां से आये हैं क्या वे उस नीति के अन्तर्गत ही आये हैं या फिर सरकार का इस बारे में कथन कुछ और है ? मंत्री जी इसको स्पष्ठ करें वरना पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज जो कि हमारे खिलाफ हैं, वह उसका दुरुपयोग करेंगे। वे वहां से क्यों आये हैं यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उनके घरों के बाहर लिखा गया कि आपने इस दिन तक घर नहीं छोड़ा तो आपकी लड़कियों को ले जाया जायेगा। अगर यहां वे आये हैं तो जो उनके एकाउन्ट कश्मीर के अन्दर हैं, उनको फ्रीज क्यों किया गया है, वे उनको क्यों नहीं दिये जा रहे हैं, यह पैसा उनको दिया जाये, उनके मकान उनको वापस क्यों नहीं दिये जा रहे हैं, उनके मकानों को क्यों लूटा जा रहा है ? यह कहना कि मकान नहीं लूटे जा रहे हैं, गलत है। मैं चेलैन्ज करता हूं, मैं यहां पर अपने साथ प्रमाण लाया हूं, वैसे तो वहां एफ० आई० आर० लिखी ही नहीं जाती, वहुत मुश्किल से लिखी जाती है। उनकी एफ० आई० आर० की नकल, उनके मकान का नं० यह सारे प्रमाण में लेकर आया हूं···

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : आपने अभी कहा कि एफ० आई० आर० नहीं लिखते हैं तो यह एफ० आई० आर० की कापी कैसे आ गई ?

श्री मदन लाल खुराना : दिल्ली के अन्दर आम चर्चा यह है कि आमतौर से रिपोर्ट नहीं लिखते तो इसका मतलब यह नहीं है कि रिपोर्ट लिखते ही नहीं हैं बल्कि लिखने को एवोइड करते हैं, क्राइम को घटाने के लिए। यह तरीका है यह दिखाने के लिए कि क्राइम कम हो रहा है।

तो मेरा कहना यह है कि जितनी एफ० आई० आर हैं, एक्चुअली घटनाएं उससे ज्यादा हुई हैं। जो हालत आज माइग्रेंट्स की है, चाहे सर्विस की हो, चाहे उनके बच्चों का स्कूलों में एडमिशन का मामला हो, चाहे रहन-सहन का मामला हो, वह टैंट के अन्दर किस तरह से रहते हैं और यह कहते हैं कि अपने आप वह यहां आ गये हैं। दो साल से वह एक-एक टैंट के अन्दर तीन-तीन चार-चार परिवार रह रहे हैं। एक छोटे से कमरे के अन्दर 18-18 परिवार रह रहे हैं। पिछली गर्मियों में लगभग 40 लोग जम्मू में लू से मर गये हैं ··**(व्यवधान)**···ऐसा मत कहिये, आप कहिये उनको कि वह वापस जायें। पंजाब से भी लोग अपने आप आये थे क्या ?

मेरा यह कहना है कि वह अपने आप नहीं आये, उनको फोर्स किया गया वहां से आने के लिए, वह अपनी मर्जी से नहीं आये, अपनी बेटियों की इज्जत के लिए वह यहां आये हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनको वहां से मुसलमानों ने भगाया है बल्कि वह आतंकवादियों के डर से आये हैं, जो हकीकत है उसको कहना पड़ेगा।

अब सवाल यह है कि उनकी समस्या को कैसे हल किया जाए, उसको कहिये। मुझे अफसोस है कि दो सालों में तीन-चार प्रधानमंत्री हो गये हैं, यह चौथे प्रधानमंत्री हैं, कोई भी प्रधानमंत्री न तो दिल्ली के कैम्पों में और न ही जम्मू के कैम्पों में उनकी दुर्दशा को देखने नहीं गया इसलिए कोई जाए तो सही वह देखते कि वह कैसे रह रहे हैं।

मुझे माफ करिये लेकिन उनके मन में आज यह भावना आ रही है कि चूंकि हमने भारत माता को अपनी मां माना, चूंकि तिरंगे झण्डे को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज माना इसीलिए हमको मजबूर

होकर यहां आना पड़ा है। अगर हमने पाकिस्तानी झण्डा मान लिया होता तो हम वहां रह सकते थे, आज उनके मन में यह भावना आ रही है। उनको सजा मिली है, उनके मन में ऐसी भावना आ रही, है इसलिए मेरा कहना है कि आज जरूरत इस बात की है कि हम उनकी मरहम पट्टी करें, उनकी समस्या कैसे हल हो, इसको देखें। ऐसा कहना कि वह यहां अपने आप आये हैं, जगमोहन जी ने भेजा है या उनको बी० जे० पी० यहां लाई है तो ऐसा कहकर कम से कम आप उनके घावों पर नमक तो मत छिड़किये।

मेरे दो तीन सुझाव हैं। वहां पर रीजनल इम्बेलेंस बहुत है, केवल कश्मीर वैली एक हिस्सा है, पूरे जम्मू कश्मीर का, पूरे जम्मू कश्मीर के तीन हिस्से हैं, जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख, इनमें डवलपमेंट में इम्बेलेंस रहा है इसके कारण जम्मू और लद्दाख के लोगों के मनों के अन्दर भी एक गुस्सा पैदा हो गया है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, संक्षिप्त में कुछ सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि समय नहीं है कि आतंकवादियों से सख्ती से निपटा जाए और राष्ट्र विरोधी तत्वों से कोई बात तब तक न की जाए जब तक वह इस देश के संविधान के दायरे में रहने को राजी न हों। इस तरह की कोई गलत नीति अपना कर आप गलत इण्डीकेशन देश को मत दें। दूसरा मेरा कहना है कि वहां प्रजातंत्र की प्रक्रिया शुरू हो। मैं यह नहीं कहना चाहता कि वहां पार्लियामेंट के चुनाव हों, मैं इससे सहमत हूं कि चुनाव वहां तभी हों जब वहां निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव का माहौल बने लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। वैसे पहले भी वहां जो चुनाव हुए हैं, वह कभी निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए और एक दो परसेंट वोटिंग वहां हुई थी इसलिए पिछले चुनाव को भी मैं फ्रॉड मानता हूं, जब तक वहां सामान्य स्थिति नहीं हो जाती, मैं चुनाव की बात नहीं करूंगा मगर नगरपालिकाओं, जिलापरिषदों के चुनाव तो हों...

[हिन्दी]

उसको कम से कम शुरू करिए—यही मेरा निवेदन है। तीसरा मेरा निवेदन यह है—जम्मू, काश्मीर और लद्दाख के लिए आप रीजनल काउन्सिल्स बनाइए, ताकि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वहां के लोग जवाबदेह हों। चौथा मेरा निवेदन है—माइग्रेंट्स के लिए युद्ध-स्तर पर कोई ऐसा स्पेशल सैल बनाइए, जो उनकी शिकायतों को सुन सके।

मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। काश्मीर वैली के अन्दर मैं सबको एन्टी-नेशनल नहीं मानता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि सारे के सारे एन्टी नेशनल लोग हैं। लेकिन जो लोग हिन्दुस्तान के पक्ष में बोलना चाहते हैं, वहां बहुत सी जातियां हैं, गुजर जाति और ककखाल जाति है, उनके मन में आप विश्वास पैदा करिए। भारत सरकार विश्वास पैदा करे कि इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को सहन नहीं करेंगे। उनमें आपको कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिये। तो कश्मीर वैली एक समस्या और दूसरे जो इम्बैलेंस जम्मू और लद्दाख के साथ है, उसको कैसे ठीक किया जाए, जम्मू और लद्दाख का विकास कैसे किया जाए? वहा के माइग्रेंट्स को कैसे बसाया जाए, उस पर कैसे ध्यान दिया जाए? इस तरफ ध्यान दें। मैं समझता हूं कि सरकार इसके बारे में, बल्कि मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब कोई ठोस कदम यहां पर घोषित करें।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम जम्मू तथा कश्मीर आपराधिक कानून संशोधन (द्वितीय संशोधनकारी) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे विचार से एक अन्य विधेयक है—लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक। मेरा विचार है कि हम दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा कर सकते हैं। अतः मेरी बातें दोनों के सम्बन्ध में हैं।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : वह सिर्फ गैर-कानूनी गतिविधियों के लिये है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह ठीक है। किन्तु मैं कह रहा हूं कि एक अन्य चीज है जो इसके ठीक बाद में आएगी। अतः, इसी आधार पर वाद-विवाद जारी रहेगा। यह उस न्यायाधिकरण ([illegible]) को और छह महीनों का समय दिये जाने के लिए है जिसका गठन कुछ संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने के मामले की छानबीन करने के लिए किया गया था।

राज्य सरकार कुछ समय चाहती थी और हमें वह देना है। वास्तव में यह आवश्यक है कि जब कार्यपालिका कुछ ऐसे उपाय करती है जो वस्तुतः कठोर हैं, तो इस कार्रवाई की जांच करने के लिए तथा यह निर्णय करने के लिए कि क्या वह विधिसम्मत रूप से की गई थी अथवा नहीं, एक निश्चित व्यवस्था होती है। अब उस हेतु एक वर्ष का समय दिया गया है, किन्तु वे अपना काम उस अवधि में पूरा नहीं कर सके। इसलिए काम पूरा करने के लिए उन्हें छह महीने का समय और दिए जाने की जरूरत है। यही वे चाहते थे। हमें यह समय देना है ताकि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई वास्तव में विधिसंमत बनायी जा सके। यद्यपि देश के कुछ भागों में कतिपय संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि वे दूसरे देशों के समर्थन से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो रहे है, सिद्धान्त रूप से, मेरा विश्वास है कि केवल इसी तरह के उपायों से हम स्थिति से सही ढंग से नहीं निपट सकते। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमें उस प्रकार के अभियान और गतिविधियों का अन्त करना है जिनमें ये प्रतिबंधित संगठन लिप्त हैं। वे देश के हित तथा एकता के लिए हानिकारक है। वे अलगाववादी हैं; वे हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं; वे हमारे देश के बेकसूर लोगों को मार रहे हैं; वे साम्प्रदायिक किस्म की गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं।

अब, हमें इसके विरुद्ध एक पूरी लड़ाई लड़नी है; और यदि हम लोगों को एकजुट करके इस तरह की लड़ाई छेड़ने के प्रति गम्भीर हैं, तब यह बात कि क्या कुछ प्रतिबन्धित संगठनों को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया जाये अथवा नहीं, कोई खास मायने नहीं रखती है।

किन्तु हम क्या कर रहे हैं तथा जम्मू और कश्मीर में क्या हो रहा है ? हो यह रहा है कि हम कागजों में कुछ ऐसे तकनीकी कदम, कुछ ऐसे प्रशासनिक कदम उठा रहे हैं जिनसे राजनैतिक कार्रवाई मेल नहीं खाती। इसी कारण उन्हें लोगों से अलग-थलग नहीं किया जा रहा है। उन्हें अलग-थलग किया जाना है। जिस ढंग से उन्होंने घाटी में तबाही मचायी है, उन्हें अब तक समर्थन मिलना बन्द हो जाना चाहिए था।

कश्मीर के लोगों को समझ लेना चाहिए था कि उनकी नियति भारत से बंधी है। वे पहले यह समझते थे। यह हो सकता है कि, वह पीढ़ी, उसके अनेक लोग, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हो। नयी पीढ़ी

आ चुकी हो। वे स्पष्ट रूप से यह नहीं जानते कि जब हम आजादी हासिल कर रहे थे उस दौरान क्या हुआ। वे नहीं जानते कि उस समय कश्मीर के नेताओं का रवैया किस प्रकार का था। जब श्री जिन्ना ने पाकिस्तान तथा मुस्लिम लीग के लिए घाटी के लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए वहां का दौरा किया, तो घाटी के लोगों ने जिन्ना की अपील को ठुकरा दिया और उन्होंने भारत में, अर्थात धर्मनिरपेक्ष भारत में, शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने धर्म-सापेक्ष पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहा।

उसी घाटी के लोग अब कैसे भटक गये हैं? हमें इस सम्बन्ध में गहराई से सोचना है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। घाटी में जो भी निराशाजनक तस्वीर हमें दिखाई पड़ती है और समय-समय पर हमें जिस प्रकार की खबरें मिलती रहती हैं, उन सबके बावजूद, मेरे विचार से, कतिपय ऐसी बातें भी हैं जो अत्यन्त सकारात्मक हैं। उदाहरणार्थ, साम्प्रदायिक आधार पर, धर्म के रूढ़िवादी स्वरूप के आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश तथा कश्मीर की घाटी में ऐसे तत्वों की मौजूदगी स्थिति को साम्प्रदायिक बनाने में सफल नहीं हुई।

आधार रूप में, एक वर्ष पूर्व एक समिति की रिपोर्ट आई, जब कश्मीर के मामलों पर एक समिति बनी थी और हमें घाटी का दो बार दौरा करने का मौका मिला था। हम वहां लोगों से मिले। कर्फ्यू, आतंकवादियों द्वारा थोपा गया गैर-सरकारी कर्फ्यू, अलगाववादी तत्व, सैकड़ों की संख्या में हमसे मिले तथा आजादी का दावा करने तथा भारत के विरुद्ध नारे लगाने के बाद उन्होंने अपनी उपेक्षा किये जाने, भेदभाव, अर्थव्यवस्था की दुर्दशा तथा अन्य बातों से सम्बन्धित भावनाओं की अभिव्यक्ति शुरू कर दी।

वह समय था जब हमारी समझ में यह आया कि घाटी की समस्या को साम्प्रदायिक समस्या के रूप में चित्रित करने का जो अभियान देश के अन्य भागों में चल रहा था, वह क्या था। हम यह जान गये कि वह समस्या साम्प्रदायिक नहीं थी। साम्प्रदायिक तत्व, पाकिस्तान समर्थित मुस्लिम रूढ़िवादी तथा उनके विदेशी आका, वे लोग धर्म ... पने निहित उद्देश्यों की खातिर उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।

~~सभापति महोदय~~: आपका क्या करने का विचार है? क्या आप सायं 6 बजे सदन को स्थगित करना चाहते हैं?

~~श्री एम० एम० जेकब~~: हमारी एक समस्या है। कल राज्य सभा की एकमात्र बैठक है। यदि हम इसे आज पारित न करें तथा अन्य सदन को सन्देश न दें, तो वे इसे पारित नहीं कर सकते। कल अन्तिम दिन है। अतः, यह होने दें तथा चर्चा को पूरा करें। मैं आपसे समय एक घंटा बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : क्या सदन समय एक घंटा बढ़ाये जाने पर सहमत है?

कुछ माननीय सदस्य : सहमत हैं।

एक माननीय सदस्य : हो सकता है कुछ और माननीय सदस्य बोलना चाहें।

सभापति महोदय : मैं सभी को अवसर दूंगा।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : आप उस समिति के एक सदस्य थे और आपने पाकिस्तान का दौरा किया था। क्या समाधान है? क्या रास्ता है?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : निस्सन्देह कट्टर रूढ़िवादी तत्व कश्मीर के लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए धर्म का शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। किन्तु इसके बावजूद, जब हमने घाटी का दौरा किया था, लोगों ने हमें बताया कि अपने हिन्दू भाइयों के घाटी छोड़ने पर मजबूर होने के कारण वे आहत हुए हैं।

6.00 म० प०

हमने उनसे पूछा कि आप उन्हें यहां ठहराने की क्या गारन्टी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि "हम भी सुरक्षा की गारन्टी चाहते हैं।" यदि कुछ आतंकवादी रात में आकर किसी को मार जाते हैं तो हम उनकी सुरक्षा की गारन्टी कैसे दे सकते हैं? इसके लिए जनता तथा सरकार दोनों को मिलकर समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे स्थिति पर एक प्रकार की निगरानी रखी जा सके। मुझे नहीं मालूम कि इस सम्बन्ध में कोई प्रयास किया गया है अथवा नहीं लेकिन पहले की स्थिति इतनी साम्प्रदायिक तनाव की नहीं थी। हम सुनते थे कि ब्राह्मणों के घर जलाए जा रहे है। लेकिन जब हम वहां गए लोगों ने हमें बताया, यहां तक जब जम्मू में हमने प्रवासी लोगों के शिविरों का दौरा किया तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने पड़ौसियों को चाबी दे दी और वे बाहर निकल आये।

कुछ ही दिन पहले प्रवासी लोगों के नेता दिल्ली आकर हमसे मिले। उन्होंने हमसे अपनी मांगें सभा में उठाने का अनुरोध किया। मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन्होंने किसी के दबाव में आकर कश्मीर घाटी छोड़ी। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं उन पर घाटी छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। मैं यह नहीं मानता क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से उनके लिए इस स्थिति में रहना अत्यन्त कठिन था, यदि मैं जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल होता तो मैं उन्हें इसके बावजूद यहां रुकने के लिए कहता। यहां प्रशासन असफल रहा है। मैं श्री जगमोहन की आलोचना करता हूं जो कि उस समय वहां राज्यपाल थे···(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक (बम्बई-उत्तर) : उसके बाद क्या हुआ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रवासी लोगों के नेता यहां आए और उन्होंने हमसे यह मामला सभा में उठाने का अनुरोध किया। मैंने यह मामला उठाया और कई सदस्यों ने इसका समर्थन किया। वे जम्मू तथा अन्यत्र बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं।

महोदय, उनकी स्थिति बड़ी दुखद है। वहां ऋण लेने आदि जैसी अन्य कई समस्याएं हैं। उनके समाज में युवा पीढ़ी का क्या होगा? इसके पश्चात एच० एम० टी० के कर्मचारियों तथा उनके वेतन का क्या होगा? उस समय यह समझौता हुआ था कि उन्हें मूल वेतन का 75 प्रतिशत तथा महंगाई भत्ता दिया जाएगा यद्यपि उन्होंने पूरे वेतन की मांग की थी। कुछ माह बाद यह राशि भी रोक दी गई। हमने पुनः यह मामला उठाया, हमने प्रधानमंत्री जी से और उद्योग मंत्री जी से बात की और मुझे विश्वास है कि यह वार्ता स्पष्ट रूप से हुई है।

इसके पश्चात उनके लिए कतिपय कुछ अन्य बातें भी की जाती हैं। जो लोग घाटी से निकल आए हैं उनमें से कुछ कर्मचारी हैं, और वे लगभग सेवानिवृत्ति होने वाले हैं। उनके सेवानिवृत्ति लाभ पश्चात होने वाले फायदों का क्या होगा ? वे तत्काल घाटी पुनः वापस जा नहीं सकते। उनकी सेवा-निवृत्ति के कागज पत्रों को कैसे लिया जा सकेगा ? इस समूची स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने एवं ध्यान देने की आवश्यकता है। हम प्रवासी लोगों द्वारा जम्मू और अन्यत्र किसी भी स्थिति को इस हद तक नहीं बिगड़ने देना चाहते जिससे अन्य कट्टरपंथी लोग भी ऐसा स्थिति का फायदा उठाएं। जैसे कि घाटी में मुस्लिम समुदाय का साम्प्रदायिकता के आधार पर शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें इसी प्रकार की एक अन्य स्थिति जम्मू में नहीं उभरनी देनी चाहिए। जिसमें कि अन्य प्रकार के साम्प्रदायिक तत्व वहां उक्त स्थिति का शोषण करें। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिकता बुरी बात है।

प्रवासी लोग यहां आए और मुझसे मिले। उन्होंने विशेष रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से मुझसे अनुरोध किया कि हमारी पार्टी उनकी मांग सभा में उठाएं। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और हम साम्प्रदायिकता से दूर रहते हैं। मैंने कई बार इस मामले को सभा में उठाया। महोदय 'पार्लियामेंट न्यूज' और संसद समाचार में हमारे नाम का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। मैंने इस बारे में कभी शिकायत नहीं की···(व्यवधान)। अब मुझे इस बारे में शिकायत करनी चाहिए···(व्यवधान)

यहां मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों का दिमाग कैसे चल रहा है। जब यह मामला यहां संसद में उठाया गया तो हिन्दी संसद समाचार बुलेटिन में वे इसका उल्लेख करना भूल गए कि यह मामला किसने उठाया। उन्होंने कहा किसी भाजपा सदस्य ने यह मामला उठाया। मैं पूछता हूं कि क्या प्रवासी लोगों की समस्या भाजपा की समस्या है और क्या भाजपा के अलावा किसी अन्य पार्टी का सदस्य इस मामले को सभा में नहीं उठा सकता। क्या हम इस कदर साम्प्रदायिक हो गए हैं ? क्या हमारा दूरदर्शन ऐसा हो गया है ? मुझे इस पर गम्भीर आपत्ति है क्योंकि इस समय इस बात की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार की स्थिति को साम्प्रदायिक नहीं बनाया जाना चाहिए।

मैं तो कहूंगा कि जिस प्रकार की भी समिति हमारे पास थी उस समिति का विघटन करके समस्या और जटिल हो गई है। किसी ने इस पर राजनैतिक रूप से गौर नहीं किया। हमने सब कुछ वहां के प्रशासन पर छोड़ दिया। हम तुच्छ राजनीतिकरण में धंसते चले गए।

यही वह स्थिति है कि कैसे हमने अपनी एकता और अखण्डता से सम्बन्धित एक गम्भीर समस्या की उपेक्षा की है। हम इसकी और अधिक उपेक्षा नहीं कर सकते। एक सलाहकार समिति होनी चाहिए। राज्यपाल स्तर पर, जिला स्तर पर एक ऐसी समिति होनी चाहिए जिसमें सभी दलों के सदस्य हों जो कि लोगों से सीधे बात कर सके। पिछले एक वर्ष से लोगों से इस प्रकार से कोई बातचीत नहीं हुई है। यह एक अपराध है। अब हमें ऐसी स्थिति को और अधिक आगे जल्दी नहीं रखने देना चाहते। उस समय हम दो बार वहां गए और लोगों से बातचीत की।

एक बात और है कि वहां आतंकवादियों को यह समझ लेना चाहिए और मैं समझता हूं कि वे

[श्री सैफूद्दीन चौधरी]

अब यह जानते हैं कि वे कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकते । यह स्पष्ट है । यह साफ-साफ बता दिया गया है । उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि भारत में जनता उनके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में सोचती है उन्हें समझती है । पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्या हो रहा है ? वहां कोई लोकतन्त्र नहीं है । हम कश्मीर के अपने हिस्से में चुनाव की बात नहीं करते जबकि 1977 में तथा उसके बाद वहां हमने ठीक-ठाक ढंग से चुनाव कराए । यदि कोई विपणन हुआ है तो उसके बारे में आवाजें उठी हैं । ऐसे लोग हैं जो पथभ्रष्टता तथा किसी भी प्रकार की शरारत की आलोचना करते हैं । लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कोई लोकतन्त्र नहीं है । पूरी स्थिति छलकपटपूर्ण हैं । श्री नवाज शरीफ के सलाहकार श्री मलिक ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान में पिछले चुनाव में धोखाधड़ी की है । भारत में लोकतन्त्र है, धर्मनिरपेक्षता है इसलिए हमारा रवैया राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण की ओर होना चाहिए । हम सभी लोगों की भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति चिन्तित है । इन सभी मूल्यों की बार-बार पुनरावृत्ति किए जाने की आवश्यकता है और इस मोर्चे पर तनिक भी पीछे नहीं हटना चाहिए । यदि साम्प्रदायिक ताकतें देश के अन्य भागों में अपना सर उठा रही हैं उन्हें भी कुचल देना चाहिए । इस प्रकार कश्मीर की लड़ाई सहज हो जाएगी···

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : आपने कहा कि प्रवासी लोगों—सभी कश्मीरी ब्राह्मणों को तथा उन लोगों को जिन्हें मजबूरन कश्मीर घाटी छोड़नी पड़ी है, कश्मीर घाटी में ही रहना चाहिए । क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि इन प्रवासी लोगों को घाटी वापस भेजना और पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें बसाना राष्ट्रीय और भारत सरकार का कर्तव्य है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहां आने वाले प्रवासी लोगों के नेताओं ने कहा कि वे वापस कश्मीर जाएंगे । हमें हर तरह से ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जिससे ये वापस जा सकें । उन्हें वहां वापस जाना है । वह उनका रहने का स्थान है । ये उससे बाहर नहीं रह सकते । लेकिन इसके लिए वहां सही तरह का वातावरण बनाना पड़ेगा । यदि वे वहां छोड़कर आ जाते हैं और वापस जाने से इन्कार करते हैं तो पाकिस्तान का षडयन्त्र कामयाब हो जाएगा । हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए । उन्हें वापस जाना है ।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । अब हमें वहां जनता के साथ राजनीतिक तौर से बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए । इससे घाटी में राजनीतिक प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा ।

मैं श्री मदन लाल खुराना की इस बात से भी सहमत हूं कि लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर राज्य को कुछ स्वायत्तता दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए । मेरे विचार से इस पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिए ताकि इन क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर किया जा सके और जम्मू और कश्मीर के सभी भागों में लोग मिल-जुल कर और एकता के स्वस्थ वातावरण में तथा देश के साथ पूरी अखंडता से रहें । इन शब्दों के साथ, मुझे समय देने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं ।

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । यह विधेयक मामले

की खूबियों का अध्ययन करने हेतु न्यायाधिकरण को और समय देने के लिए है। एक वर्ष का समय पर्याप्त नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ने छः महीने का समय और देने की सिफारिश की है। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं क्योंकि न्यायाधिकरण को मामले की खूबियों का अध्ययन करना चाहिए और किसी संगठन को शक्तियां देने से पहले उन्हें तथ्यों का पता लगाना है। इसलिए न्यायाधिकरण को मामले की खूबियों का पता लगाने के लिए एक वर्ष छः माह की अवधि आवश्यक है।

महोदय, हमारे देश में कुछ संगठन राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। वे लोगों को सांप्रदायिक आधार पर भड़काने राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध काम करने तथा देश में अराजकता और गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे [redacted] समर्थन कर रहे हैं और सामान्य जीवन तथा सौहार्द को चोट पहुंचाने [redacted] की कोशिश कर रहे हैं। ये संगठन सांप्रदायिक झगड़े शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मनमुटाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, केवल जम्मू और कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे भागों में भी ये संगठन कार्यरत हैं। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा यह निवेदन है कि वह इस दिशा में कार्य करे और कुछ संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाए जो देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। निःसन्देह कुछ संगठन जानबूझ कर साम्प्रदायिक झगड़े तथा धर्मान्धता पैदा करते तथा हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अतः इन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा कर इनके क्रियाकलापों को रोका जाना चाहिए।

महोदय, कई माननीय सदस्यों में जम्मू और कश्मीर में स्थिति के सम्बन्ध में कुछ बातें कही है। स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। कल मैंने यह मुद्दा शून्यकाल के दौरान उठाया था। पिछले 38 दिनों से भारतीय तेल निगम के निदेशक श्री दोराई स्थायी जम्मू और कश्मीर आतंकवादियों की पकड़ में थे। प्रतिदिन तक समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि उन्हें कल छोड़ा जा रहा है और वार्ता जारी है। आज हमने समाचार पत्र में यहां कि आतंकवादियों ने अन्तिम चेतावनी दी है कि उनका दायां हाथ काटा जाएगा मैं माननीय गृह मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय तेल निगम के इस निदेशक की शीघ्र रिहाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यह बड़े शर्म की बात है मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व गृह मन्त्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को 4 दिन के अन्दर रिहा कर दिया गया था और यहां वह व्यक्ति 38 दिन से जम्मू-कश्मीर के आतंकवादियों की पकड़ में है। मैं नहीं जानता कि क्या कार्यवाही की गई है। केन्द्र सरकार के कर्मचारी दुःखी हैं। वे बाहर नहीं आ सकते, वे काम नहीं कर सकते केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उचित संरक्षण दिया जाना चाहिए जो जम्मू और कश्मीर में इस विशेष स्थिति में काम कर रहे हैं।

जहां तक उन्हें पाकिस्तान से मिल रहे प्रोत्साहन का सम्बन्ध है, पाकिस्तानी सरकार इन उग्रवादियों को पूरा समर्थन दे रही है। पाकिस्तान में उनके लिए प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं वे आधुनिकतम हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। वे सीमा पार करके कश्मीर में आ रहे हैं और ये सब गडबडियां कर रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन्होंने उनके सीमा पार करने की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं। यदि सरकार सीमा पार करने की रोकथाम नहीं करेगी तो ये गतिविधियां जारी रहेंगी और हम उन्हें नहीं रोक सकते।

इन आतंकवादियां के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हमें उनका मुकाबला करना होगा।

[श्री रमेश नेन्नितला]

हमें उनका मुकाबल करना होगा। निश्चित रूप से हम इन आतंकवादियों के साथ नरमी नहीं बरत सकते। जैसाकि श्री सैफुद्दीन चौधरी ने यहां कहा कि घाटी में लोग इन आतंकवादियों से तंग आ गए हैं। वे इन आतंकवादियों के साथ बिलकुल नहीं हैं। वे भारतीय संघ में रहना चाहते हैं। वे भारतीयों के साथ रहना चाहते हैं। एक मात्र समस्या यह है कि पाकिस्तान में प्रशिक्षित लोग जो यहां आ रहे हैं वे साम्प्रदायिक आधार पर काम कर रहे हैं और कश्मीर घाटी के गरीब लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु अब ये आतंकवादी अलग थलग पड़ रहे हैं। इसलिए, कार्यवाही करने के लिए यह उचित समय है।

जम्मू और कश्मीर के लोगों की खासकर युवाओं की कुछ विशेष समस्यायें हैं। बेशक, सब जगह बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है परन्तु हमें जम्मू और कश्मीर के युवाओं के समस्याओं को अलग से लेना होगा। दो महीने पहले मैं जम्मू गया था। वहां कुछ स्नातक भूख हड़ताल पर बैठे थे। मैं उनसे मिला तथा बातचीत की। 400 पिछले दिनों से वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उकनी मांग है कि सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरा जाए। उन्होंने राज्यपाल से निवेदन किया है मैंने व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल से बात की थी। खाद्य विभाग में कुछ रिक्तियां हैं परन्तु सरकार उन्हें भरने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। यह केवल एक उदाहरण है जो मैं दे रहा हूं। पिछले 400 दिनों से वे धरने पर बैठे हैं और सरकार उन रिक्तियों को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। रिक्तियां हैं और योग्य व्यक्ति भी उपलब्ध हैं।

दूसरे मुद्दे भी हैं जिन्हें सरकारी आसानी से हलकर सकती है परन्तु राज्यपाल और सरकारी अधिकारी छोटी छोटी समस्याओं, जिनका समाना वहां के युवा और दूसरे लोग कर रहे हैं को हल करने के इच्छुक बिलकुल नहीं हैं।

जहां तक समितियों का सम्बन्ध है—यह मांगा पूरी सभा ने की थी—कोई सलाहकार समिति अवश्य होनी चाहिए और सभी दलों के प्रतिनिधि उस समिति उस समिति में होने चाहिएं। हम देखते हैं कि आजकल भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ रहा है। चूंकि भ्रष्टाचार को रोकने वाला कोई नहीं है—विधान सभा नहीं है, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नहीं है, केवल अधिकारियों का शासन है—अत: भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। इस भ्रष्टाचार को रोका जाना चाहिए तथा कार्यक्रमों तथा विकासात्मक गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ लोकप्रिय समितियां होनी चाहिए और सभी दलों के प्रतिनिधि उन समितियों में होने चाहियें।

विस्थापितों के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही उनकी मदद कर रही है। दलगत राजनीति में न जाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के निर्देशों पर हम वहां गए थे और हमने शिविरों में पीड़ित लोगों की सहायता की थी।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अभी भी उन गरीब लोगों की सहायता कर रही है जो जम्मू-काश्मीर के शरणार्थी शिविरों में कष्ट उठा रहे हैं। टेंटों की हालत बहुत बुरी है। शिविरों में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। उन्हें उचित संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। उनके बच्चों को शैक्षिक

सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उन्हें पेंशन लेने में दिक्कतें हो रही हैं। इन शरणार्थी शिविरों में अनेक समस्याएं हैं।

मैंने राहत आयुक्त से बातचीत की उन्होंने कहा कि वे शरणार्थियों को सभी सुविधाएं दे रहे हैं। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि लगभग सभी शिविरों में लोग भूखे मर रहे हैं तथा उन्हें वेतन, पेंशन आदि नहीं मिल रहे हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है सरकारी कामकाज की यह स्थिति है। राज्यपाल, उनके सलाहकार और राहत आयुक्त अपने कार्यालयों में बैठे हुए हैं। वे राहत शिविरों में गरीब लोगों की कठिनाइयों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जम्मू-कश्मीर की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए वहां एक सर्व दलीयशिष्टमंडल भेजा जाए। इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर के उन आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए जो घाटी में शांति और सद्भावना को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि संशोधन विधेयक, जो सरकार लायी है, मैं इसलिए इसका समर्थन करता हूं कि आज परिस्थितियां ऐसी हैं, इसके बगैर यहां का प्रशासन चलना संभव नहीं है। 17 जून, 1991 को इसकी एक वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब माननीय गृह मन्त्री ने 6 महीने के लिए इसकी अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। जब कभी किसी राज्य के बारे में ऐसे बिल आते हैं, हम 6 महीने की अवधि बढ़ाकर, चाहे वह राष्ट्रपति शासन बढ़ाना हो या ऐसे अधिनियमों को बढ़ाना हो, ऐसे कह देते हैं कि जैसे 6 महीने के बाद स्थिति सुधर जाएगी। माननीय गृह मन्त्री वहां अगर आप ऐसा कह सकें तो मैं समझूंगा देश का सौभाग्य है परन्तु मैं स्वयं जम्मू-कश्मीर गया हूं। वहां जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि 6 महीने में भी ऐसी कठिन परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे। आपकी सरकार का प्रस्ताव इस सीमा तक सीमित है, आप स्वयं अभी तक वहां जा नहीं सके। जैसाकि मेरे मित्रों ने बताया जो शरणार्थी आए हुए हैं, उन कैम्पों तक तो आप जा नहीं सके। 26 जनवरी के फंक्शन में श्रीनगर में उच्चाधिकारी शामिल नहीं हो सके, तो आपका प्रस्ताव केवल हवाई अड्डे और सचिवालय तक है, बाहर आपका कोई प्रभाव नहीं है।

सभापति महोदय, मैं वहां के डोडा जिला में गया। मैंने वहां के डिप्टी कमिश्नर से पूछा कि कितने ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी हाजिरी यहां लगती है और ट्रेनिंग पाकिस्तान में लेते हैं और वेतन हम देते रहे? पहले तो डिप्टी कमिश्नर बताने को तैयार नहीं थे फिर कहा लगभग 12 या 18 हैं। मैंने कहा, डी०सी०महोदय, 66 की लिस्ट तो हमारे पास है। आपके अधिनियम का यही अर्थ है कि जो लोग, जो संस्थाएं भाई-चारे को समाप्त करने पर तुली हुई हैं, उनको अब अवैध घोषित करें। जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, उन पर अंकुश लगा सकें। आप अपनी स्थिति को बताने का कष्ट करेंगे कि कितने लोगों को कितनी संस्थाओं पर ऐसा अंकुश लगा है? मेरी सूचना तो यह है कि लोग विदेश में गए पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए और जब वापस आए तो तनख्वाह मिलती थी, उनकी प्रोमोशन्स भी हुई

[प्रो० प्रेम धूमल]

और वे फारेन रिटन्र्ड हो गए।

सभापति महोदय, आज दुराईस्वामी का प्रश्न उठा। हम पिक एण्ड चूज पर आ गए। नेशनल फ्रंट की सरकार थी। गृह मन्त्री की बेटी पर अगर आपत्ति आयी तो हमने आतंकवादी छोड़ दिए। एच०एम०टी० के जनरल मैनेजर श्री खेड़ा की हत्या हुई, तब हम बड़े स्ट्रिक्ट हो गए। क्या हम सोचेंगे हिन्दुस्तान का कौन सा नागरिक है जोकि वहां जब आवश्यकता पड़े और कुर्बानी दे दे। पर हमारे ऊपर बात होगी तो हम उसके लिए उग्रवादियों को छोड़ देंगे।

माननीय गृह मन्त्री महोदय, आपको यह भी निश्चित करना पड़ेगा कि हर भारतीय नागरिक का अपना महत्व है, उसकी जान का उसके परिवार के लिए उतना ही महत्व है जितना गृह मन्त्री की बेटी का या और उच्चाधिकारी का। इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि संसद में बार-बार आवाज उठती रही है कि हमारा प्रचार कैसे होता है। हमारे यहां ये क्या बोलते हैं, उसका बाहर कैसे प्रचार होता है और कई बार हम छोटा सा प्वाइंट स्कोर करने के लिए देश के हित के खिलाफ ऐसी बात कर देते हैं कि विदेश में जाकर आप देखें, तो वही बात हमारे खिलाफ प्रचार के रूप में आती है। पाकिस्तान का इलेक्ट्रानिक मीडिया, उसका दूरदर्शन, उसका रेडियो हमारे खिलाफ प्रचार करता है। केवलमात्र इस कानून के संशोधन के काम नहीं बनेगा। क्या आप ऐसे स्टेप उठा रहे हैं कि प्रोपेगंडा का मुकाबला भी कर सकें? मैं इन्टर पार्लियामेंटरी यूनियन की जो कान्फ्रेन्स यूरुग्वे में हुई थी, वहां गया था।

पाकिस्तान के वहां जो डेलीगेट आए, उन्होंने कहा कि कश्मीर में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, बच्चों का कत्ल हो रहा है और उसका एक कारण था। पिछले साल जब यहां बहस होती थी तो सब मेरे माननीय संसद सदस्य जो हैं केनको याद होगा कि पूरे हाउस के बेल में शोर उठा था कि वहां बेगुनाहों को मार दिया गया, वहां अत्याचार हो गए, वहां जो जवाब देना था यूरुग्वे में, वह तो दिया—देश की बात करनी थी। लेकिन जो संसद में हम बात करते रहे, दुर्भाग्यवश उन्हीं सांसद के साथ ऐसी घटना घटी जब उन्होंने आतंकवादियों की आलोचना की। मेरा कहने का मतलब यह है कि आतंकवादी है, वह किसी विशेष धर्म और विशेष जाति का नहीं, जो आतंकवादी, उग्रवादी हैं, जो देश से प्यार नहीं करते, उनके वर्ग विशेष से आप सॉफ्ट हो जाएं, ऐसा नहीं चलेगा और जब किसी आतंकवादी द्वारा हममें से किसी पर कोई आपत्ति हो और निर्दोष मारे जाएं, यह बात भी सोचनी पड़ेगी। निश्चित समय के अन्दर निश्चित नीतियां अपनाकर आप कुछ कर सकें तो ही शायद सारा राष्ट्र, सारी संसद आपके साथ होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगाकर अगर आप चाहें कि आप कुछ कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं।

कुछ और मित्र आपके, तथा मन्त्री महोदय भी कहते हैं कि वहां मन्दिरों पर अटैक नहीं हुआ। माननीय गुलाम नबी आजाद का अपना जिला है डोडा। वहां भद्रवाह तहसील है जहां बासुकी नाग का पुराना मन्दिर है, उस मन्दिर पर बम फेंके गए। कभी भी जाएं अपने डोडा जिले में तो देख सकते हैं उस मन्दिर पर बम के निशान। और श्रीमन, एक बार जो व्यक्ति बम फेंककर भाग रहा था, लोगों ने दौड़कर उसको पकड़ लिया और जब पकड़ा तो वह उनकी पकड़ से निकल भागा लेकिन उसका आइडें-

टिटी कार्ड, पहचान-पत्र गिर गया। सभापति महोदय, आप सुनकर हैरान होंगे कि जब वह आइडेन्टिटी कार्ड देखा तो तो वह जम्मू एण्ड काश्मीर आम्र्ड पुलिस बटालियन का 9वीं बटालियन का पुलिस का सिपाही था। पुलिस का सिपाही मन्दिर पर बम फेंककर भागता है।

आपकी सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया होगा या स्टेट अथॉरिटीज ने उस पर क्या ऐक्शन लिया होगा यह आप जानें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर प्रशासन प्रश्रय देता है, आश्रय देता है उन उग्रवादियों को जो देशद्रोह में लगे हुए हैं। इसलिए इस कानून का उपयोग करिए, ऐसी संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों के विरोध में जो भारत से कश्मीर को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक एडहाकिज्म, तदर्थवाद, 6-6 महीने का ऐक्सटेंशन देने से काम चलने वाला नहीं है। एक बार स्पष्ट रूप में आपको नीति काश्मीर के बारे में बनानी होगी। फारूख अब्दुल्ला से बात करने का कई बार समाचार आता है। मेरे पूर्ववक्ताओं ने बताया है कि वह महाशय भी इस काम में शामिल थे, उनके समय में भी उग्रवादी ट्रेनिंग लेने के लिए जाते रहे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जम्मू कश्मीर के बारे में स्पष्ट नीति अपनाइए। वे लोग देशभक्त हैं। जो देशभक्त जनता है वह खामोश है। कुछ आतंकवादी छाए हुए हैं। आपको डिस्टिंकशन करना पड़ेगा, भेद करना पड़ेगा कि देशभक्त कौन है। देश की एकता-अखंडता के लिए तैयार है, उन शक्तियों को आप समर्थन दीजिए और जो देशद्रोही हैं उनको हटाइए।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस अमेंडमेंट को लाने का एक उद्देश्य यह भी है कि जो वहां भाईचारे को तोड़ने की बात करे···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

प्रो० प्रेम धूमल : मैं आपको नहीं बता सकता। मन्त्री महोदय आपको सब कुछ बतायें।

आप कृपया बैठिए। मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है। मेरे पास बोलने का इतना समय नहीं है कि मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन करूं। इस बिल में स्पेसिफिक तौर पर कहा गया है कि जो वहां भाईचारे को खराब करने की बात करे, सभापति महोदय, आपको नोटिस में भी यह बात आयी होगी कि पिछली लोकसभा में मैंने बौद्ध लोगों की ओर से यहां एक पिटीशन प्रस्तुत की थी। वहां कुछ बौद्ध युवतियों से दूसरे समुदाय के लोगों ने, मुसलमानों ने जबरदस्ती शादी कर ली थी। मैं आपके ध्यान में इसलिए इस बात को लाना चाहता हूं कि लद्दाख का बौद्ध समुदाय आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रीजनल ऑटोनौमी की बात उठ रही है, जम्मू से, लद्दाख से, आज सारी डैवलपमैंटल एक्टीविटीज रुकी हुई हैं। लाखों लोगों की आबादी होते हुए भी, लद्दाख में एक आई० टी०आई० भी नहीं है, इस डिस्क्रीपेंसी को आपको खत्म करना होगा और सन्तुलन को बनाए रखने के लिए कदम उठाने होंगे। आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि जबरदस्ती किसी की बेटी को ले जाकर उसके साथ कोई शादी न करने पाए। इस स्थिति का वहां कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसलिए मन्त्री महोदय, जहाँ मेरी पार्टी नेशनल इंटरैस्ट में, राष्ट्रीय हित में, आपके इस संशोधन

[प्रो० प्रेम धूमल]

का समर्थन करती है, वहीं हम आपको चेतावनी भी देना चाहते हैं कि तदर्थ नीतियों को छोड़कर, आप निश्चित नीतियां लेकर आइए। कश्मीर को भारत से टूटने से बचाने के लिए, देश और विदेश में हर जगह आपको सख्त रवैया अपनाना होगा। पाकिस्तान में जिन जगहों पर उग्रवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, यदि वहां आपको बम गिराने की भी आवश्यकता हो तो उसमें किसी तरह हिचकना नहीं चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय हमारे समक्ष जो विधेयक है वह वास्तव में श्री जगमोहन के कश्मीर विधान सभा को भंग करने के अपराध की चरमसीमा है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद यह विधेयक वहां की विधान सभा के समक्ष होता।

महोदय, माननीय सदस्यों ने कश्मीर की स्थिति का सविस्तार वर्णन किया है। मैं नहीं सोचता कि हमारे पास इसकी छानबीन करने के लिए पर्याप्त समय है। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि मन्त्री महोदय अपने जवाब में उन बातों का उल्लेख करेंगे जिन्हें इस सभा में पहले ही उठाया गया है। परन्तु सभापति महोदय से यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर की स्थिति एक बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी है। एक बार 1947 और 1948 में घाटी नारों से गूंज उठी थी, मैं उन्हें उनकी भावनायें याद दिलाता हूं। उस समय मैं स्कूल में था, मैंने फिल्मों में देखा था कि लोग कश्मीर के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए अपने हाथों में कुछ न कुछ लिए हुए गलियों में मार्च कर रहे थे और चिल्ला रहे थे :

[हिन्दी]

"हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं बेदाग"

[अनुवाद]

मेरे विचार से हममें से बहुत से लोगों को यह याद भी होगा और आज वह घाटी विद्रोह के नारे, युद्ध के डंकों, अमानवीय अत्याचारों और दमन चक्रों से गूंज रही है यह वास्तव में बड़ी मानवीय और राष्ट्रीय त्रासदी है तथा एक ऐसे स्वप्न का अन्त है जो एक दुःस्वप्न में बदल गया है। यह ऐसी असफलता है जिसे हमें स्वीकार करना है इसके लिए एक-दूसरे पर आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है।

सभापति महोदय, मैंने मूल अपराध की बात कही थी और मैं समझता हूं कि हममें से प्रत्येक के पास सन्तों और अपराधियों की अपनी निजी सूची है हम इन्हें एक दूसरे का विरोधी दिखा रहे हैं शेख अब्दुल्ला को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विरुद्ध और फारूक अब्दुल्ला को मुफ्ती मोहम्मद सईद के विरुद्ध आदि, आदि परन्तु इससे हमें मदद नहीं मिलती है। मैं आपकी अनुमति से एक छोटी सी बात यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के पास कश्मीर के बारे में कोई कानून नहीं है तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण, जिस पर हमने सभा में चर्चा की, में भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था और सभा में जो अनेक जवाब दिए गए उसमें भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है सिवाय उन समितियों के गठन के जो महत्वहीन

हैं, और शायद आगे कोई कदम नहीं उठायेंगी, कश्मीर की स्थिति से निपटने के लिए सरकार का प्रस्ताव क्या है।

काश्मीर में राजनैतिक उदासीनता है। कश्मीर में वास्तव में कोई लोकतन्त्र नहीं है। मुझे यह कहने की अनुमति दीजिए कि चार काले कानूनों के कार्यान्वियन से कश्मीर वास्तव में सैनिक प्रशासन के अधीन है। वहां नाममात्र का भी नागरिक प्रशासन नहीं है। सरकार फाइल को दबाए बैठी है लेकिन नागरिक प्रशासन की तो कोई जिम्मेदारी है और न उसको शक्ति प्राप्त है। प्रतिदिन अत्याचार किए जा रहे हैं। दमनकारी स्थिति बनी हुई है। अकेला मैं ही किसी के आतंकवाद अथवा अत्याचारों की निन्दा नहीं कर रहा हूं बल्कि सच्चाई यह है कि मानव जीवन के लिए कोई भावना नहीं रही है। राष्ट्र-विरोधियों और राष्ट्रवादियों के बीच कोई भेद नहीं रहा है। हम आतंकवादियों और कश्मीर की जनता में कोई भेद नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोग पूरी तरह अलग-अलन हो गए हैं। लोगों की राजनैतिक उदासीनता विद्रोह के कगार पर है। इस सभा के कुछ मित्रों का सुझाव है जिन लोगों ने राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया है उन पर बम से उड़ाकर उनके अस्तित्व को समाप्त करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, जिन्होंने राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया है उनके लिए मानव समाज में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने इस कानून का प्रस्ताव किया है। क्या यह कानून कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकता है? क्या इससे काश्मीर को बचाया जा सकता है? क्या इससे हमें मदद मिल सकती है? ऐसा नहीं है। मेरे विचार से कुछ और कार्य करने की आवश्यकता है।

~~श्री इन्द्रजीत : आप उपचार बतलाएं~~।

~~श्री सैयद शहाबुद्दीन~~ : ऐसे साधारण समाधान नहीं किए जा सकते हैं। तत्काल ऐसी कोई राम-वाण औषधि नहीं दी जा सकती। मेरा सुझाव है कि प्रगतिशील चरणबद्ध तरीका अपनाया जाए और परिवर्तन के लिए प्रधान मन्त्री को सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलानी चाहिए और उनसे कश्मीर की स्थिति पर विचार-विमर्श करना चाहिए। वह श्री सैफुद्दीन चौधरी के सुझाव का भी पालन करें जिसमें उन्होंने प्रशासन चलाने के लिए राज्यपाल को सलाह देने के लिए कश्मीर सम्बन्धी एक ऐसी सलाहकार समिति के गठने के लिए कहा है जिसमें इस सभा और देश के सभी धर्मों के नेता शामिल हों।

~~श्री इन्द्रजीत गुप्त : त्रिपुरा से लेकर तमिलनाडु तक~~।

~~श्री सैयद शहाबुद्दीन~~ : सरकारी संगठनों के बजाए स्वैच्छिक संगठनों के प्रोत्साहन की सम्भावना है। सरकारी संगठन कश्मीर की जनता के साथ कोई तालमेल स्थापित नहीं कर पायेंगे जबकि जनता को राहत पहुंचाने उसके पुनर्वास, उसके कल्याण, दमन के व्यक्तिगत मामलों और अत्याचारों को प्रश्न को उठाने के लिए स्वैच्छिक संगठन बेहतर साबित होंगे। ऐसे लोग संगठित किए जायें जो हमारी देख-रेख करें। यह दृष्टिकोण अपनाया जाए।

यदि हम नए चुनाव नहीं करा सकते हैं अथवा विधान सभा को बहाल नहीं कर सकते हैं तो सम्भवतः राजनैतिक प्रक्रिया को पुनः शुरू करने का समय आ गया है। मैं अकेला ही यह नहीं समझ सकता कि आज चुनाव कराने के लिए उपयुक्त समय है।

[~~श्री सैयद शाहाबुद्दीन~~]

यह कहने के बाद मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे समक्ष जो विधेयक है जिसमें समस्या को आंशिक रूप से निपटाया गया है तथा मैं भी अपने सहयोगियों के साथ गृह मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछता हूं कि उन्हें यह कैसे विश्वास है कि छः महीने के बाद अथवा अगले छः महीने के दौरान ये न्यायधिकरण अपना कार्य पूरा कर देंगे ? यदि ये न्यायाधिकरण एक वर्ष तक अपना कार्य नहीं कर पाए तो इस बात की क्या गारन्टी है कि सरकार इनके कार्य को पूरा कराने के लिए हमसे अगले छः महीने तथा अगले वर्ष तक का समय नहीं मांगेगी ? इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

मैंने पहले ही सुझाव दिया है कि गृह मन्त्री महोदय को सभा को विश्वास में लेना चाहिए। उन्हें कम से कम हमारे समक्ष उन संगठनों और व्यक्तियों की सूची रखनी चाहिए जिनके मामले न्यायाधिकरणों के विचाराधीन हैं। हमसे तो निश्चित स्थान पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है।

हमसे एक छोटे चैक पर हस्ताक्षर करने को कहा गया लेकिन माननीय मन्त्री महोदय हमें उन संगठनों के नाम तथा उनके खिलाफ अभियोगों तथा विस्तृत कारणों के बारे में बताने को तैयार नहीं हैं कि क्यों न्यायाधिकरण के लिए उनके मामलों को निपटाना संभव नहीं था। हमें यह पता होना चाहिए कि उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिए गए व्यक्तिगत रूप से सुनवाई क्यों नहीं की गई, क्या यह प्रशासन की असफलता की स्वीकारोक्ति नहीं है ? अगर ऐसा है तो क्या माननीय मन्त्री महोदय सदन में यह बताने के लिए जवाबदेह नहीं हैं कि प्रशासन क्यों सुनवाई तक करने में असफल रहा ? उन्होंने नोटिस क्यों नहीं दिए ? उन्होंने मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों को उपस्थित क्यों नहीं किया ? उन्होंने सुनवाई के दौरान उठे विचारणीय मुद्दों की जांच क्यों नहीं की ?

महोदय, हम एक मूलभूत बात भी जानना चाहेंगे। अगर आप उस कानून को देखें, जिसमें हम संशोधन की मांग कर रहे हैं, न्यायाधिकरण को इसे निर्देशित करने का एक विशिष्ट उद्देश्य है। इसके अनुसार इन निर्देशनों को शीघ्रता से निपटाना चाहिए। मूल रूप से इसकी मियाद छः महीने की थी। इसे बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया। अब इसे बढ़ाकर डेढ़ वर्ष करने की मांग की जा रही है। इसके पीछे यह विचार था कि मूलतः यह कानून संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकार का संक्षेपण है। एसोसिएशनों के गठन का अधिकार दिया गया है और अगर ये एसोसिएशनें राष्ट्रविरोधी के रूप में कार्य करें तो राज्य को उन पर अंकुश लगाने का अधिकार है, तब इसमें एक सुरक्षा का भी प्रावधान है जिसके अनुसार राज्य द्वारा मनमाने तरीके अथवा दुर्भावना अथवा राजनीतिक स्वार्थ अथवा राजनीतिक चाल चलने की दृष्टि से कार्य करने की स्थिति में न्यायाधिकरण हमें राज्य के ज्यादतियों से बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है। इसका यही उद्देश्य है इसलिए मेरे विचार से इस कानून का कोई भी विस्तार मूल कानून की भावना के विरुद्ध होगा और यह राज्य की शक्तियों के आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने का उदाहरण है।

महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इसका एक तीसरा पहलू भी है। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। देश भर में ऐसे संगठन हैं जो हिंसा का पाठ पढ़ाते हैं तथा हिंसा भड़काते हैं; देश भर में ऐसे

संगठन हैं जो हिंस भड़काने हैं और इसके लिए योजना बनाते हैं; देश भर में ऐसे संगठन हैं जो सामाजिक वर्गों के बीच में बैर और घृणा तथा दुर्भावना का प्रसार करते हैं, देशभर में ऐसे संगठन हैं जो जन व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाते हैं; देशभर में ऐसे संगठन हैं सामाजिक वातावरण में जहर फैलाकर उसे जहरीला बनाते हैं और हम उन्हें राष्ट्रविरोधी संगठन करार नहीं देते हैं। हम उन्हें दंडित नहीं करते हैं। हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं क्या इससे राज्य की विश्वसनीयता बढ़ती है ? क्या इससे कश्मीर के बारे में हमारी स्थिति पर फर्क पड़ता है ? क्या इससे कश्मीरी लोगों के विश्वास पर कोई फर्क पड़ता है ? वे सोचने हैं कि वे दोहरे मापदण्डों के पीड़ित हैं; तथ्य यह है कि भारत में कुछ बातें जो कहीं जाती हैं अथवा की जाती हैं संविधान की पहुंच से बाहर हैं। वहीं बातें जब घाटी में कही और की जाती हैं तो यह माना जाता है कि वे सविधान की पहुंच के भीतर है। मैं ऐसी कार्यवाहियों का पक्ष नहीं ले रहा हूं। इस प्रकार के जनव्यवस्था को तहस-नहस करने वाले तथा लोकतंत्र का विनाश करने वाले राष्ट्रविरोधी संगठनों से निपटने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो उनपर प्रतिबन्ध लगाने का और उन्हें भूमिगत करने का है और दूसरा तरीका है कि उनसे राजनीति से निपटा जाए; उनसे खुले में राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाए। आप भूमिगत लड़ाई वाली विधि अपना रहे हैं और इसलिए आप असफल हो रहे हैं। मैं उनमें से नहीं हूं जो यह सुझाव देते हैं कि इस प्रकार के सारे संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत : हम पाकिस्तानी धमकी और उनके हमले का सामना कैसे करेंगे ?

सभापति महोदय : इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। यह कोई वाद-विवाद का तरीका नहीं है, इस बात के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं उनसे निपट सकता हूं। मैं एक खास बात कर रहा हूं कि यह विधेयक हमारे समक्ष दोहरे मापदंडों का मामला उठाना है इस मामले में दुर्भावना की बात भी जुड़ जाती है जो कश्मीर के लोगों के बीच पनपती रही है, मैं एक मिनट के लिए आपका ध्यान चाहूंगा।

महोदय, कश्मीर में मन्दिरों के बारे में कुछ कहा गया था, मैंने अपने तरीके से कश्मीर में मंदिरों को बचाने के प्रयत्न किए हैं। वर्ष 1986-में जब मुझे कुछ मन्दिरों के टूटने की रिपोर्ट मिली तो मैंने उन मन्दिरों की तुरन्त मरम्मत कराने के बारे में डा० फारूख अब्दुल्ला को लिखा था। उन्होंने मुझे बताया था कि 4-5 मन्दिर क्षतिग्रस्त हुए थे जिनकी मरम्मत करवा दी गई थी। इसके बाद मैंने एक कश्मीरी सज्जन से एक सूची प्राप्त की और मैं से उन मंदिरों के नामों, स्थानों सम्बन्धी जानकारी देने को कहा। और मुझे अभी उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एक प्रवुद्ध पत्रकार श्री बी० जी० वर्गीज ने बहुत विस्तृत सर्वेक्षण किया और वे नितांत भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचे।

जहां तक विस्थापितों का प्रश्न है, मैं यह नहीं कहता कि उन्हें किसी ने जबर्दस्ती निकाला है। लेकिन निश्चय ही उन्हें विस्थापित होने के लिए लालच दिया गया होगा, निश्चय ही उन्हें विस्थापित होने के लिए फुसलाया गया होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

यह चार दिनों की बात है। तुम घर वापिस आ जाओगे, तुम बहुत आराम से रहोगे।

[श्री सैयद शाहाबुद्दीन]

[अनुवाद]

सभापति महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कश्मीर की इस अन्धकारमयी स्थिति में मैं केवल एक ही आशा की किरण देखता हूं और वो है कश्मीर के लोगों की साम्प्रदायिक सौहार्द और धर्म निरपेक्ष भावनाएं। मैं अभी हाल ही में कश्मीर गया था, मैं देखा कि घरों में ताले लगे हुए थे उन्हें लूटा नहीं गया था, मैंने पाया कि बाग फलों से भरे हुए थे और कोई उन्हें तोड़ने वाला नहीं था। मैं लोगों से मिला जिन्होने मुझे पूछा कि हमारे पड़ोसी क्यों चले गए हैं वे वापस क्यों नहीं आ जाते। मैं कहूंगा कि आइए कश्मीरी लोगों की इन भावनाओं का आदर करें। हम उनके धर्मनिरपेक्ष भावनाओं पर कुठाराघात न दें। आइए उम्मीद करें कि कश्मीर के सभी लोग वापस आ जाए और कश्मीर की सेवा करें। आज घाटी में कोई प्रशासन नहीं क्योंकि जिन्हें प्रशासन चलाना चाहिए वे घाटी में नहीं हैं।

सभापति महोदय, इतना कहकर मैं सरकार से राजनैतिक स्थिति पर नजर रखने की प्रार्थना करता हूं। यह एक बहुत छोटा सा उपाय है, यद्यपि यह कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता है। मेरा सुझाव है कि उन्हें इन प्रतिबन्धित संगठनों की एक सूची बनानी चाहिये। यदि वे गत एक वर्ष में कोई मुकदमा नहीं चला पाये हैं और वे किन्हीं ऐसे विशिष्ट आरोपों के दोषी नहीं हैं जो सिद्ध किये जा सके हों तो उन पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाना चाहिये और केवल वह मुकदमे चलाये जाने चाहिये जिनमें राष्ट्र-विरोधी गतिविधि का सुस्पष्ट साक्ष्य मौजूद हो।

इन शब्दों के साथ, मैं बोलने का अवसर देने लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : यदि सारी औपचारिकतायें सात बजे तक पूरी की जानी हैं तो मैं अब मंत्री महोदय से बोलने के लिये कहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, हमारे संशोधनों का क्या होगा ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, आप समय और बढ़ा दीजिये।

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : एक पार्टी के कितने सदस्य बोलेंगे ? अन्य सदन को भी संदेश भेजा जाना है।

सभापति महोदय : यदि और समय दिया जाना है, तो मेरे विचार से हम इसे 7 बजे तक पूरा नहीं कर पायेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : संशोधनों के लिये तो टाइम बढ़ा दीजिये।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा-पश्चिम) : दूसरा सदन स्थगित होगा। वे विधेयक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री एस० बी० चह्वाण : कृपया मेरी सहायता करें। अन्य सदन उस विधेयक को स्वीकार करने के लिये मौजूद नहीं होगा तथा कल अन्तिम दिन है। **(व्यवधान)**

दूसरे सदन का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और इस कारण वे इस सदन की ओर से संदेश की प्रती ।। कर रहे हैं। हर कोई एक ही बात को बार-बार दोहराने की कोशिश कर रहा है। कोई नयी बात सामने नहीं आ रही है और इसलिये, मैं सभी माननीय सदस्यों से उसके प्रभावों को समझने की कोशिश करने का अनुरोध कर रहा हूं। यदि राज्य सभा की अन्तर्सभावधि पूरी हो गयी तो हम लगभग तीन सप्ताह तक इस विधेयक को पारित नहीं करा पायेंगे और इसलिये यह जरूरी है कि आप हमारे साथ सहयोग करें और इस विधेयक को पारित करायें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : सभापति महोदय, इतनी देर में तो हम अपनी बात कह लेते— **(व्यवधान)**···पांच मिनट में आप बोल लें और पांच मिनट में संशोधन वाले बोल लेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, आप हमारे अधिकारों की रक्षा तो कीजिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अन्य सदन से हमारे लिए प्रतीक्षा करने को नहीं कह सकता। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप हमारे अधिकारों को कर्टेल क्यों कर रहे हो ? हमने इस पर संशोधन दिया हुआ है। अतः हमें स्तर बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में उपस्थित था और सम्बन्धित मंत्री

महोदय यह विशेष रूप से बताया था कि वे कल राज्य सभा में इस विधेयक पर विचार करेंगे। इसे आज यहां पूरा करने की जरूरत है, किन्तु, ऐसा नहीं कि यह 7 बजे से पूर्व हो जाना चाहिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमें यह पूरा करना है और संदेश आज ही जाना है। तभी वे उस पर कल विचार कर सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चह्वाण : सभापति महोदय, इस विधेयक में कोई विशेष बात नहीं हैं। आठ संगठन ऐसे हैं जिन्हें गैर-कानूनी घोषित किया गया है और यह (विधेयक) मात्र उसकी अभिपुष्टि करने के लिये है। बाकी जितनी बातें यहां पर कही गयी हैं वे इस विधेयक के लिए बिल्कुल प्रासंगिक नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सभापति जी, हमारा अधिकार है, संशोधनों पर बोलने का आप हमारे अधिकार की रक्षा कीजिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जिन लोगों ने विधेयक के परिचालन में संशोधन का प्रस्ताव किया है मैं उनमें से प्रत्येक को एक-एक मिनट का समय देता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सभापति जी, मैं यहां पर निवेदन कर देना चाहता हूं कि संशोधन तो पैरा बहुत छोटा है।

वहां पर जो इस प्रकार की एक्टीविटीज करते हैं, उनपर जो रोक लगा दी, वह ट्रिब्यूनल में जायेगा, ट्रिब्यूनल का समय बढ़ा दिया फिर 6 महीने, फिर बढ़ा दिया 6 महीने और भारत सरकार बढ़ाना चाहती है। पर मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के कारण से बहुत सी बातें आपके सामने आ रही है। दुरईस्वामी की रिहाई के बारे में आज ही अखबारों में छपा है कि उनके हाथ कर दिये जायेंगे, उनकी नाक काट दी जायेगी, कहीं को फेंक दिया जायेगा, मैं समझता हूं कि इस इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां वहां पर हों, आज वहां इतनी दर्दनाक स्थिति है, उनके परिवार के लोग क्या सोचते होंगे, भारवासियों के मन में, उन्होंने इस प्रकार से जो धौंस दी है, उनके बारे में क्या सोचते होंगे, उनका क्या होगा।

मैं यहां पर संक्षेप में निवेदन कर देना चाहता हूं कि आंख खोलने वाले आंकड़े हैं। 1941 में वहां पर मुसलमान 90 परसेन्ट थे और हिन्दू थे 10 परसेन्ट। 1981 में वहां पर 97 परसेन्ट मुसलमान थे और 3 परसेन्ट हिन्दू थे। इसी प्रकार से 1991 में 99.9 मुसलमान थे और 0.1 परसेन्ट हिन्दू। मेरा निवेदन करना है कि धीरे-धीरे वहां पर हिन्दुओं की संख्या बिल्कुल समाप्त हो गई लेकिन इसमें कोई हिन्दू मुसलमानों का प्रश्न नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था, डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी का भी वहां बलिदान हुआ, इस धारा 370 को यदि हम समाप्त नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं वहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो जायेगा, हिन्दू वहां पर रहेंगे नहीं इसलिए मेरी मांग है कि धारा 370 जो हमारे सारे काम में बाधक है, उसको आप समाप्त कीजिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि भूतपूर्व सैनिकों को वहां घाटी में बसाया जाय, जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो तब तो लोग वहां पर जायेंगे, वरना लोग वहां पर नहीं जा सकेंगे।

इसी प्रकार से मेरा यहां पर निवेदन है कि आज 2000 हिन्दू, जिनके मकान वहां पर जल गये नष्ट हो गये, लूट लिये गये, उनको एक पैसे की सहूलियत नहीं दी गई और यहां पर 50 मुसलमान, जिनके मकान जल गये, उनको एक-एक परिवार को 50-50 हजार रुपये की मदद दी, टिन शैड की मदद दी गई और दूसरी मदद दी गई, यह जो भेदभावपूर्ण नीति भारत सरकार की चल रही है, मैं इसकी निन्दा करता हूं।

वहां पर शुक्रवार की छुट्टी रहती है। वहां के लोगों की घड़ियों में पाकिस्तान का टाइम मिला होता है, आज वहां के जो टाप के मुस्लिम आफिसर थे, उनको हटा गया था लेकिन उनको वापस नौकरी पर ले लिया गया तो मेरा सारा निवेदन करना है कि वहां से जितने भी लोग आये थे, उनमें से केवल 16% लोगों को ही तम्बू में बसाया गया है। शेष लोगों को बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, दवाई की व्यवस्था है नहीं, भारत सरकार स्कूलों में उनके बच्चों को एडमिड करने में मदद नहीं कर रही, उन के वहां से एकाउण्ट्स ट्रांसफर हो नहीं रहे, तम्बुओ की हालत बहुत खराब है और भारत सरकार ने जो 5-5 सौ रु० एक-एक परिवार को प्रतिमाह देने की घोषणा की थी, उस सम्बन्ध में भी किसी प्रकार का पालन नहीं हुआ है।

आज ढाई लाख लोग जम्मू में हिस्थापित हैं, उनके कैंपों में आज तक देश का एक भी प्रधानमंत्री उनको देखने के लिए वहां पर नहीं गया। इन सब कारणों का यदि कोई उपचार आपको करना है तो आपको धारा 3˙0 को समाप्त करना पड़ेगा, भूतपूर्व सैनिकों को घाटी में बसाना पड़ेगा तभी जाकर कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग बना रह सकता है वरना बातचीत के आधार पर जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो देश का मुकुट है, कश्मीर जो हमारा मुकुट है, जिसके लिए डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी बलिदान हुए, वह हमारे हाथ से निकल जायेगा, कश्मीर हमारा भाग नहीं रहेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, मेरी पुरजोर मांग है कि धारा 370 समाप्त हो, हिन्दुओं को वहां पर ठीक प्रकार से बसाया जाय, भूतपूर्व सैनिकों को वहां पर बसाया जाय, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, वह बड़ी साधारण सी बात है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति जी, हमने भी इसमें संशोधन दिया है, हमको भी मौका दीजिये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : आपने अभी व्यवस्था दी थी कि एक-एक मिनट का समय सब को दिया जायेगा, जिनके संशोधन हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप सबका एक ही संशोधन है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या इस सदन में ऐसी परम्परा पड़ेगी कि अभी आपके द्वारा दी हुई व्यवस्था पर ही मुझे व्यवस्था का प्रश्न करना पड़ रहा है, आप मुझे बता दीजिए। मुझे आप बोलने की अनुमति दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : संशोधन वही एक है कि विधेयकजनता की राय जानने के लिए परिचालित किया जायेगा। सभी संशोधन एक जैसे हैं। तो फिर क्यों न सभापति से सहयोग करें? इसके पश्चात् इसे अन्य सदन में भी भेजना है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति महोदय, आधा-आधा मिनट का समय लेंगे। सबको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, एक-एक मिनट का समय लेंगे। एक मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय, मैंने पूर्व में भी सरकार से आग्रह किया था। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया करके वीर बनिए। वीर बनने की कृपा करिए।

"अर्जुनस्य प्रतिबद्धे न न नम्यं न पलायनम्"

आप कृपया अर्जुन की प्रतिज्ञा का ध्यान करिए। दीनता मत दिखाइए, पाकिस्तानी दरिन्दों के प्रति, आतंकवादियों के प्रति। "न पलायन"—युद्ध की स्थिति है, अगर आपने बम्बारमेंट करना है, अगर उन आतंकवादियों को ठीक लगाना है, तो उन पर बम्बार-मेंटकरिए। इसके अलावा कोई चारा कश्मीर में नहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी, एकमात्र कहती है यही एक मात्र निष्कर्ष है, जब तक आप धारा 370 को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक इसका हल नहीं हो सकेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति महोदय, मैं गृह मन्त्री जी से दो निवेदन करना चाहता हूं। पहला, आज कश्मीर की हालत बिगड़ रही है, जिसके बारे में सारा देश चिंतित है। इन राष्ट्रवादी शक्तियों को जिनसे कि वहां की हालत ठीक हो सकती है, उनकी आपका प्रशासन सुरक्षा नहीं कर रहा

उनको शक्ति नहीं दे रहा है, जिससे कि वे राजनीतिक गतिविधियां प्रजातान्त्रिक तरीके से वहां पर चलाई जा सके। आज यह महसूस हो रहा है, हिन्दुस्तान की जनता इस बात को समझने के लिए मजबूर हो रही है जो भारत सरकार से वेतन पाते हैं, जो वहां प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे अराष्ट्रीय ताकतों को भरपूर शक्ति दे रहे हैं। अभी आपके सामने 26 जनवरी का उदाहरण आया। जो भारत सरकार से वेतन पाते हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, वे 26 जनवरी के महत्वपूर्ण गणतन्त्र दिवस पर उपस्थित नहीं हुए, यह देश के साथ विश्वासघात है। इसके सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्री जी को विचार करना पड़ेगा। यह बात स्पष्ट है कि आज सत्तर फीसदी अलगाववादी, आतंकवादी शक्तियां, जो कश्मीर में काम कर रही हैं, उनको प्रशासन सहूलियत दे रहा है। दूसरी बात, मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले, कश्मीर के अन्दर चाहे मन्दिर हों या इस प्रकार से जो वहां पर नुकसान पहुंचाया गया है, उन सबका जीर्णोद्धार सरकार करेगी। यह भावना आज देश को माननीय गृह मंत्री जी आपके द्वारा मिलनी चाहिए।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं आपके मध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूं, कि इस छः महीने की शक्ति से कानून तो उनके हाथ में आ जाएगा। जिन हाथों में यह शक्ति आएगी, उनके हाथों में यह ताकत होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से वह संशोधन का लाभ उठाकर, छः महीने का समय भी पाकर, अगर आतंकवादियों का पता भी नहीं लगा पाया, तो शक्ति संचित होने से कोई फायदा नहीं होगा। उर्दू के शायर ने कहा है—

"बहादुर कब किसी का आसरा अहसान लेते हैं,
उसी को कर गुजरते तो दिल में ठान लेते हैं,
दिलावर मर्द का लोहा सब मान लेते हैं,
जो कमजोर होता है, कान उसके सब पकड़ लेते हैं।"

मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन है। शासन की बागडोर सीधे केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। जो देशद्रोही तत्व हैं, आतंकवादी तत्व हैं, उनके साथ सख्ती से बर्ताव किया जाए जो आम जनता में घुलमिल गए हैं, उनका पता लगाकर, मुख्य धारा के अन्दर, देशभक्ति की धारा में लाया जाए। दूसरे कश्मीर से जो शरणार्थी आ गए हैं, उनको वापिस भेजा जाए। अगर पिछले सालों में देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता और धारा 370 को खत्म किया जाता, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। **(व्यवधान)**

19.00 म० प०

मैं मांग करना चाहता हूं कि पाकिस्तान, जहां पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, भारत सरकार को वहां पर वायु सेना भेजकर बम्बारमेंट करके आतंकवादियों को खत्म कर देना चाहिए और श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि कितने हथियार दे रहे हैं, कितना पैसा देते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरी समझ से 20 मिनट समय बढ़ाये जाने को सदन की सहमति है। अब श्री एस० बी० चव्हाण।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : सभापति महोदय, वस्तुतः मैं तो माननीय सदस्यों से अनुरोध करता रहा हूं। मुझे भी उसी अनुशासन का पालन करना है जिसकी मैं उनसे प्रत्याशा करता हूं। और वह यह है कि दूसरा सदन इस सदन से सन्देश मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसी कारण मुझे अति-संक्षेप में अपनी बात कहनी है। इसलिए इस सीमा के कारण यदि मैं उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों का उत्तर न दे सकूं तो माननीय सदस्य मुझे क्षमा करें। **(व्यवधान)** हम चर्चा कर सकते हैं। वास्तव में, गृह मंत्रालय की चर्चा इस सदन में होने जा रही है। उस समय, आप यह मुद्दा उठा सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके द्वारा उठाये जाने वाले सभी मुद्दों पर विस्तृत उत्तर देने की पूरी चेष्टा करूंगा। **(व्यवधान)** आपकी पूरी बात कह चुके। **(व्यवधान)** मेरे विचार से, आप बहुत ही उत्तरदायी विपक्ष हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। **(व्यवधान)** मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है कि सिर्फ इस कारण कि राज्य सभा प्रतीक्षा कर रही है, वह विस्तार से उत्तर नहीं देंगे, संक्षेप में देंगे··· **(व्यवधान)** यह उचित नहीं है। यह तो हम समझ सकते हैं कि वह संक्षेप में बोल सकते हैं। किन्तु यह इस सदन के लिए अपमानजनक सा है कि अन्य सदन प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिएहमें उत्तर नहीं मिलेगा। मेरा सुझाव है कि हमें समुचित उत्तर मिलना चाहिए। मुझे यही कहना था।

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह एक अति सीमित विधेयक है। वास्तव में, अन्य सभी मुद्दे जो उठाये गये हैं, स्वयं विधेयक के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। विधेयक तो केवल इतना कहता है कि कतिपय संगठनों को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया था कि मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है और उन्हें सुने जाने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक इसी उद्देश्य को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः, तीन न्यायमूर्तियों की सदस्यता वाले एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। वे विस्तृत अध्ययन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो वे कारागार भी चले जाते हैं तथा बयान लेते हैं। इस सीमा तक वे जा चुके हैं। सभापति ने ही सरकार को इस आशय का पत्र लिखा है कि : हमने इस कार्य को एक वर्ष के भीतर पूरा करने की भरपूर कोशिश की। किन्तु हम असफल रहे और इसीलिए हमें छह महीनों की आवश्यकता है।

अब यह गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही मानो कश्मीर का मसला छह महीनों के भीतर हल होने जा रहा है। मैं नहीं सोचता कि कोई भी माननीय सदस्य, जिसने यह विधेयक पढ़ा है, संभावित रूप से यह कह सके कि यह दावा सरकार पेश कर रही है, कि हमारा कश्मीर समस्या को

छह महीनों के भीतर सुलझाने का विचार है। छह महीनों के भीतर तो न्यायाधिकरण अपने समक्ष आई सभी आवेदनों पर विचार कर सकेगा। उन्होंने मुझसे यही कहा है। मैं नहीं जानता कि क्या वे उसे पूरा कर पायेंगे अथवा नहीं। किन्तु मेरा यह फर्ज है कि मैं सदन के समक्ष आकर यह कहूं कि चूंकि हम कतिपय मौलिक अधिकारों को जनता से छीन रहे हैं, इसीलिए संविधान के अन्तर्गत उन्हें अपनी बात सुनाने का पूरा हक है। इसी कारण से जम्मू-कश्मीर की सरकार द्वारा इन अवैध संगठनों को गैर-कानूनी घोषित किया गया है। वे हैं: जम्मू-कश्मीर जमात-ए-इस्लामी, इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग, इस्लामिक जमात-ए-तूलबा, महजी आजादी, पीपुल्स लीग, जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट, दुखतरन-ए-मिल्लत तथा फ्लेह-ए-आम ट्रस्ट। इन आठ संगठनों को वहां के राज्यपाल द्वारा गैर-कानूनी घोषित किया गया है। समय बढ़ाने हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया था। उस अध्यादेश को नियमित विधेयक में बदलना है। इसी कारण हम इस सदन के पास आए हैं।

मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पाकिस्तान गए थे और उनकी उन्नति भी होती रही तथा वेतन भी मिलता रहा। वास्तव में ऐसे विषय, सामान्यतः, सदन में नहीं उठाए जाने चाहिएं। यदि आप कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आपका सदा स्वागत है। महोदय, वे कभी भी मुझसे मिल सकते हैं और मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार समस्याओं को बन्दूक के बल पर हल करने में विश्वास नहीं करती। ऐसा करने के दो तरीके हैं, यानि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। यदि इन दोनों को सही ढंग से समन्वित किया जाये तो मैं समझता हूं कि समस्या सुलझ जायेगी। वहां के 90 प्रतिशत लोग आतंकवाद और अत्याचार के विरुद्ध हैं। यद्यपि वे सरकार के साथ हैं तो भी उनमें खुल कर सामने आने का साहस नहीं है। जब हमने समिति का गठन किया, कोई भी आदमी समिति के समक्ष आने के लिए तैयार नहीं था और यदि कोई वहां आता भी तो वह कुछ बोलने का साहस न कर सकता था क्योंकि उसे गोली से उड़ाए जाने का डर बना रहता था। दुर्भाग्यवश, हमें इसी स्थिति से निपटना होगा।

मैं दूसरी स्थिति भी स्पष्ट करना चाहूंगा। सरका· प्रतिकारात्मक उपायों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। यह सर्वविदित तथ्य है कि पाकिस्तान उग्रवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा वे ऐसे उग्रवाद के बिल्कुल विरुद्ध हैं जैसा कि जम्मू व कश्मीर में कुछ उग्रवादियों ने फैला रखा है। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि बर्तानिया की सरकार ने पहली बार कहा है कि वे भी कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग का समर्थन नहीं करते। उन्होंने पहली बार एक सकारात्मक रुख अपनाया है। वास्तव में यह बहुत ही उत्साह-वर्धक लक्षण हैं। इस समय धारा 370 हटाये जाने सम्बन्धी कोई चर्चा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। कश्मीर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। यह घावों पर नमक छिड़कने के बराबर है। कृपया भगवान के लिए, इस देश के हित के लिए, इसे हटाने की बात मत करें···(व्यवधान) ···धारा 370 हटाने का आव्हान करके शायद आप राजनीतिक लाभ उठाने चाहते में, किन्तु साथ ही मैं सरकार की स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निकट भविष्य में हम धारा 370 हटाने पर विचार नहीं कर सकते। इसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। साथ-साथ हम एक ऐसे

क्षेत्र जो भारत का अटूट अंग है में अत्याचार नहीं होने देंगे। हम इस देश के किसी भी प्रकार के विभाजन से सहमत नहीं हैं। मैं स्वयं जम्मू व कश्मीर जा रहा हूं···**(व्यवधान)**···

[**हिन्दी**]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो कहा है कि यह सिर्फ ट्रिब्यूनल का समय बढ़ाने के लिए है, बात सही है, पर ट्रिब्यूनल अपने आप में तो नहीं है, किसी कारण से ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी पड़ी है। ट्रिब्यूनल के सामने मजबूरी है कि लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए जो सवाल यहां उठाए गए हैं, कुछ का तो जवाब देना चाहिए। लाखों लोग भाग कर यहां आए हुए हैं और भय फैल रहा है, दर्द की बातें फैल रही हैं। कल अगर इसके बदले में यहां कुछ शुरू हो जाएगा तो कश्मीर के मामले का क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं जो दुःख भरा मामला है, जो भाग कर आए हैं, ये जो सज्जन बोले हैं कि अपने आप भाग कर आए हैं, भगाए गए हैं, यह बहुत बेदर्दी की बात है, निर्दयता की बात है। वैसे ये ठीक जवाब दिया कि हम बमबारी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ इस सदन को कहिए, देश को कहिए, कश्मीर में जो देश-भक्तों का बड़ा तबका है उनसे कहिए कि भारत सरकार संरक्षण देगी। संरक्षण देने का क्या रास्ता होगा? तीसरा है, राजनीतिक प्रक्रिया क्या होगी? चुनाव हम कराने की हालत में हैं या नहीं? पुरानी विधान सभा को पुनर्जीवित करते हैं या नहीं? सलाहकार समिति कुछ करती है या नहीं? केवल बन्दूक से बात करेंगे या कोई राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करेंगे? ये दुःख वाली बातें हैं जो इस विधेयक से सम्बन्ध रखती हैं। इन सबको टालना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन बातों का जवाब दे दें ताकि सरकार की मंशा देश के सामने जाए, कश्मीर के लोगों के सामने जाए। दृढ़ता भी चाहिए लेकिन साथ ही साथ सहृदयता भी चाहिए। मैं यहां तक कहता हूं कि जो आतंकवादी हैं, वे भी अगर बदलते हैं तो हम उन्हें भी कलेजे से लगायेंगे देश में रहने के लिए। मगर दोनों प्रक्रियाएं साथ नहीं चलेंगी। यह मैं कहना चाहता हूं। मंत्री जी इन प्रश्नों का जवाब दे दें तो मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

[**अनुवाद**]

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, यहां पर आये विस्थापितों के बारे में मैं समझता हूं कि एक-दूसरे पर दोषारोपण करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें वह सब सहायता मिले जिसकी उन्हें आवश्यकता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लूंगा और इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें आवश्यक सहायता मिले···**(व्यवधान)** मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने वचन दिया है कि मैं पंजाब तथा जम्मू व कश्मीर जाऊंगा। मैं वहां लोगों से मिलूंगा, उनकी शिकायतों को समझने का प्रयास करूंगा और उनके साथ राजनैतिक चर्चा करके ही मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाऊंगा कि स्थिति कैसी है और इसका समाधान कैसे किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब, मैं श्री भोगेन्द्र झा का संकल्प मतदान हेतु सभा के समक्ष रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 16 जून, 1991 को राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित जम्मू व कश्मीर दण्ड

विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री दाऊ दयाल जोशी, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री और श्री भगवान शंकर रावत ने प्रस्तुत विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव में कुछ संशोधन किये हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : हां, हां।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : हां हां।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

श्री भगवान शंकर रावत : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : हां, हां।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जम्मू व कश्मीर दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1983 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 3 विधेयक में जोड़ दिए गए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री एम०एम० जैकब : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राज्य सभा से प्राप्त सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 6 अगस्त, 1991 को हुई अपनी बैठक में पारित आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधि (निरोधक) संशोधन विधेयक, 1991 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधि (निरोधक) संशोधन विधेयक
राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं आतंकवादी व विध्वंसकारी गतिविधि (निरोधक) संशोधन विधेयक, 1991, राज्य सभा द्वारा यथापारित, सभा पटल पर रखता हूं ।

सभापति महोदय : सभा बुधवार 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है ।

7.16 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 7 अगस्त, 1991/16 श्रावण 1913 (शक)
11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6